सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014

- हेवी इंजीनियरिंग
- मशीन टूल्स
- विद्युत उपकरण
- ऑटोमोबाइल
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011
वेबसाइट : dhi.nic.in / dpe.nic.in

विषयवस्तु

		पृष्ठ सं.
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन		**5–7**
भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)		**9**
1.	परिचय	11–14
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	15–31
3.	हेवी इलेक्ट्रिकल, हेवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग	32–34
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	35–41
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास	42–59
6.	अजा/अजजा/अपिव/विकलांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	60–61
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	62
8.	सतर्कता	63–64
9.	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	65
10.	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	66–67
11.	सूचना का अधिकार	68
12	परिणाम कार्य–ढांचा दस्तावेज (आरएफडी)	69–76
	अनुबंध (I-XII)	77–93
	संकेताक्षर	94–96
लोक उद्यम विभाग (डीपीई)		**97**
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	99–102
2.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता	103–104
3.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन और व्यावसायिकता	105–106
4.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री के अधिग्रहण की नीति	107–108
5.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	109–113
6.	स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए)	114
7.	मजूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण	115–117
8.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण	118
9.	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)	119–120
10.	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर)	121–122
11.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)	123
12.	कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम	124
13.	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सततता	125
14.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट	126
15.	राजभाषा नीति	127
16.	महिलाओं का कल्याण	128
17.	योजनागत निधि व्यय का विवरण	129

18. परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) 130

19. केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य के लिए सेवाओं में आरक्षण 131—133

अनुबंध - (I-XII)

I) भारी उद्योग विभाग के कार्य का आबंटन 77—78

II) भारी उद्योग विभाग का संगठन चित्र 79

III) भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना 80—81

IV) 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में एससी, एसटी, ओबीसी सहित कर्मचारियों की स्थिति 82

V) भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन निष्पादन 83

VI) भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का लाभ (+) हानि (–) (कर पूर्व) 84—85

VII) भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय 86—87

VIII) भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्रयादेश बुक की स्थिति 88—89

IX) भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात निष्पादन 90

X) भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त पूंजी, निवल संपत्ति और संचयी लाभ (+)/हानि(-) (अनंतिम) 91

XI) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए इनपुट 92

XII) 2012—13 की रिपोर्ट पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण 93

अनुबंध - (1-16)

1. लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा 134

2. वर्ष 2012—13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं 135—136

3. 229 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी उद्यमों के सूक्ष्म अवलोकन का कार्यनिष्पादन 137—138

4. महारत्न स्कीम की मुख्य बातें 139

5. नवरत्न योजना की प्रमुख विशेषताएं 140—142

6. मिनीरत्न स्कीम की मुख्य–मुख्य बातें 143—144

7. मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची 145—147

8. केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं 148—150

9. वर्ष 2012—13 के लिए सार्वजनकि क्षेत्र के उद्यमों की ग्रेडिंग रिपोर्ट की स्थिति 151—156

10. केंद्रीय सरकारी उद्यमों की श्रेणी–वार सूची (मार्च, 2014 के अनुसार) 157—164

11. वर्ष 2013—14 के दौरान बीआरपीएई द्वारा विचार किए गए केंद्रीय सरकारी उद्यमों का विवरण 165

12. वर्ष 2013—14 के दौरान बीआरपीएसई द्वारा विचार किए गए केंद्रीय सरकारी उद्यमों का विवरण 166—168

13. बीअरपीएचई संस्तुत पव्रस्तावों के बारे में सरकार द्वारा अनुमोदित नकद तथा गैर–नकद सहायता 169—171

14. सीआरआर योजना के अंतर्गत प्रचालनरत नोडल एजेंसियों की सूची 172

15. उन केंद्रीय सराकरी उद्यमों की सूची जिनकी वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (2011—12) सुसज्जित नहीं है 173—174

16. लोक उद्यम विभाग के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिर्पोट (प्रस्तुत की गई उपलब्धिया) 2012—13 175—179

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन

1.1 भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग तथा लोक उद्यम विभाग शामिल हैं। यह मंत्रालय कैबिनेट मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के प्रभाराधीन कार्य करता है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम के लिए एक राज्य मंत्री भी है। यह मंत्रालय देश में तीन क्षेत्रों नामतः पूंजीगत माल, ऑटो और भारी बिजली उपकरण के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उद्यमों, 4 स्वायत्त संगठनों को प्रशासित करता है तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश तैयार करता है और इनके समग्र प्रशासन का कार्य देखता है।

क) भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

1.2 भारी उद्योग विभाग इंजीनियरी उद्योग यथा मशीन टूल्स, भारी बिजली, औद्योगिक मशीनरी और ऑटो उद्योग के विकास का कार्य देखता है तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यमों और 4 स्वायत्त संगठनों को प्रशासित करता है। विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विनिर्माण, परामर्शी और संविदाकारी सेवाओं में संलग्न हैं। विभाग के अधीन आने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बॉयलर, गैस/स्टीम/हाइड्रो टर्बाइन, औद्योगिक मशीनरी, टर्बो जेनरेटर, थ्री व्हीलर्स, ट्रैक्टर से लेकर कागज, नमक, टायर और घड़ियों जैसे उपभोक्ता उत्पादों का व्यापक रूप से उत्पादन करते हैं। मंत्रालय मशीन निर्माण उद्योग की भी देखरेख करता है और इस्पात, अलौह धातुओं, पावर, उर्वरक, तेल शोधक कारखानों, पेट्रोरसायन, नौवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उदयोगों के लिए उपकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विभाग कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजनों, औद्योगिक गियर्स और गियर बाक्सों जैसे मध्यस्थ इंजीनियरिंग उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी के विकास में सहायता प्रदान करता है। यह विभाग निम्नलिखित को भी प्रशासित करता है:

i) 1966 में स्थापित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और 2006 में स्थापित एआरएआई–फोर्जिंग उद्योग प्रभाग, (एआरएआई–एफआईडी), पुणे, महाराष्ट्र,

ii) जुलाई, 1987 में स्थापित फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड़, केरल जो कैलीब्रेशन के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता पूरी करता है।

iii) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा आर एण्ड डी अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन हेतु जुलाई, 2005 में स्थापित नेट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी (नेटिस)।

iv) ऑटोमोटिव क्षेत्र में सरकार के सभी प्रयासों के संचालन, समन्वय और तालमेल के लिए 2012 में स्थापित राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)।

भारी उद्योग विभाग का कार्य–आबंटन **अनुबंध–I** पर दिया गया है।

1.3 विभाग विभिन्न उद्योग संघों के साथ निरंतर परामर्श करता है और उद्योग के विकास के लिए पहलों को प्रोत्साहित करता है। विभाग नीतिगत पहलों, टैरिफ और व्यापार के पुनर्गठन के लिए उचित हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकीय सहयोग के संवर्धन और उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से उद्योग की विकास योजनाओं की प्राप्ति में भी उनकी सहायता करता है।

1.4 भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता एक अपर सचिव, आर्थिक सलाहकार, दो संयुक्त सचिवों, निदेशकों/उप–सचिवों और एक तकनीकी स्कंध द्वारा की जाती है। विभाग की सहायता अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के नेतृत्वाधीन एकीकृत वित्त स्कंध द्वारा भी की जाती है। विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की समग्र स्वीकृत संख्या (01.06.2014 को) 264 थी। विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–II** में दिया गया है।

ख) लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1.5 तीसरी लोकसभा (1962–67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीयकृत समन्वयकारी एकक की स्थापना करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्य–निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन कर सके। इसके परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय के अधीन वर्ष 1965 में लोक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/ विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई, 1990 में बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है। इस समय, यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.6 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग है तथा यह सीपीएसईज से संबंधित नीति तैयार करता है। यह विशेष तौर पर सीपीएसईज में कार्य–निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन, कार्मिक प्रबंध में नीतिगत दिशा–निर्देश निर्धारित करता है। यह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है।

1.7 अन्य बातों के साथ–साथ, रुग्ण/घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार/ पुनर्गठन प्रस्तावों पर विचार करने और उससे संबंधित उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की दिसंबर, 2004 में स्थापना की गई। लोक उद्यम विभाग बीआरपीएसई को सचिवालयीन सहायता उपलब्ध करवाता है।

1.8 सरकार की कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आवंटित किए गए हैं:

- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित लोक उद्यम ब्यूरो।
- सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाले गैर–वित्तीय स्वरूप की सामान्य नीति से संबंधित मुद्दों का समन्वय।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य–निष्पादन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली और कार्यतंत्र से संबंधित मुद्दे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र से संबंधित मुद्दे।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के अधीन कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण देने तथा उनका पुनर्नियोजन करने से संबंधित मुद्दे।

1.9 लोक उद्यम विभाग अपनी भूमिका पूरी करने में अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। इस विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं:–

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित गैर–वित्तीय प्रकृति की सामान्य नीति के मामलों का समन्वय।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को राष्ट्रपति के निदेश और दिशा–निर्देश जारी करना।
- निदेशक मंडल की संरचना, कार्मिक प्रबंधन, कार्य–निष्पादन सुधार, वित्तीय प्रबंधन, मजदूरी भुगतान और सतर्कता प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित नीतियां बनाना।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करना और उनकी समीक्षा करना।

- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल की संरचना, शीर्ष पदों का श्रेणीकरण, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अनुसूचीकरण से संबंधित नीतिगत मुद्दे।
- निदेशक मंडल के कार्यपालकों तथा साथ ही निदेशक मंडल के स्तर से नीचे के कार्मिकों और यूनियन से जुड़े कामगारों के वेतनमान और आवधिक अंतरालों पर उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की अधिसूचना।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नीति।
- लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में ज्ञात केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित करना।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित नीति।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के यौक्तिकीकृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना (सीआरआर) से संबंधित मुद्दे।
- लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) से संबंधित मुद्दे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुछेक वर्गों के नागरिकों के लिए पदों के आरक्षण से संबंधित मुद्दे।
- कर संबंधी मुद्दों से संबंधित विवादों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सरकारी विभागों के बीच स्थायी मध्यस्थता कार्यतंत्र के माध्यम से विवादों का समाधान।
- अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मामले।
- लोक उद्यम के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) से संबंधित मामले।
- निदेशक मंडल को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मामले।

1.10 लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिए 122 अधिकारियों/कार्मिकों की समग्र स्वीकृत संख्या वाली एक स्थापना है। लोक उद्यम विभाग की संगठनात्मक संरचना **अनुबंध–I** पर दी गई है।

Armsel

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

दृष्टिकोण

'विभाग के अधीन आधुनिक, स्वस्थ और मजबूत ऑटो, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलैक्ट्रिकल एवं पूंजीगत सामग्री क्षेत्रों और आत्मनिर्भर एवं विकासोन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रखना'

लक्ष्य

- "भारी उद्योग विभाग का लक्ष्य अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम खड़े करने के साथ–साथ रुग्ण और घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन और पुनरूद्धार करना है।
- भारी उद्योग विभाग राष्ट्रीय मोटरवाहन परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के जरिए अत्याधुनिक अनुसंधान एवं परीक्षण अवसंरचना का सृजन करते हुए वैश्विक ऑटोमोटिव उत्कृष्टता हासिल करने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है।
- भारी उद्योग विभाग ऑटो, भारी इंजीनियरिंग, भारी इलेक्ट्रिकल और पूंजीगत सामग्री क्षेत्र को आवश्यक समर्थन प्रदान करते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता है।"

अध्याय 1

परिचय

1.1 उद्योग का कार्य–निष्पादन

1.1.1 औद्योगिक कार्य–निष्पादन का आकलन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुरूप किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 2012–13 में 1.1% की तुलना में 2013–14 में (–) 0.1% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्र ने भी 2012–13 में 1.3% की तुलना में 2013–14 में (–) 0.8% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। खनन और विद्युत क्षेत्र ने 2012–13 के दौरान दर्ज (–) 2.3% और 4.0% की तुलना में 2013–14 में क्रमशः (–) 0.8% और 6.1% की वृद्धि दर्ज की।

1.1.2 पूंजीगत सामग्री क्षेत्र ने 2012–13 के दौरान (–) 6.0% की वृद्धि की तुलना में 2013–14 में (–) 3.7% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। उपभोक्ता वस्तुओं, मूल वस्तुओं और अर्धनिर्मित वस्तुओं ने 2013–14 के दौरान क्रमशः (–) 2.6%, 2.0% और 3.0% की वृद्धि दर्ज की। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र ने 2012–13 में 2.0% की तुलना में 2013–14 में (–) 12.2% की वृद्धि दर्ज की।

औद्योगिक वृद्धि संकेतक

आधार : 2004-05

मद	महत्व (%)	2012-13	2013-14
1	2	3	4
आईपीपी के आधार पर सेक्टर वार वृद्धि दर (प्रतिशत में)			
समग्र	100.0	1.1	-0.1
खनन और उत्खनन	14.2	-2.3	-0.8
विनिर्माण	75.5	1.3	-0.8
विद्युत	10.3	4.0	6.1
उपयोग आधारित वर्गीकरण (प्रतिशत में)			
समग्र	100.0	1.1	-0.1
मूलभूत सामान	45.7	2.4	2.0
पूंजीगत सामान	8.8	-6.0	-3.7
मध्य स्तरीय सामान	15.7	1.6	3.0
उपभोक्ता सामान	29.8	2.4	-2.6
ड्यूरेबल्स	8.5	2.0	-12.2
गैर–ड्यूरेबल्स	21.3	2.8	5.2

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.2 भारी उद्योग विभाग को विषय के रूप में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र भी आबंटित किए गए हैं:

(क) भारी इंजीनियरिंग उपस्कर एवं मशीन टूल्स उद्योग

(ख) भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग

(ग) ऑटोमोटिव क्षेत्र, ट्रैक्टर्स और अर्थ मूविंग उपस्कर सहित

1.3 1.2 (क), (ख) और (ग) के अधीन 19 औद्योगिक उप–क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

i) बॉयलर
ii) सीमेंट मशीनरी
iii) डेयरी मशीनरी
iv) विद्युत भट्ठी
v) माल कंटेनर
vi) सामग्री हेंडलिंग उपस्कर
vii) धातुकर्म मशीनरी
viii) खनन मशीनरी
ix) मशीन टूल
x) तेल क्षेत्र उपस्कर
xi) मुद्रण मशीनरी
xii) लुगदी और कागज मशीनरी
xiii) रबड़ मशीनरी
xiv) स्विचगियर और कंट्रोल गियर
xv) शंटिंग लोकोमोटिव
xvi) शूगर मशीनरी
xvii) टर्बाइन और जेनरेटर सेट
xviii) ट्रांसफॉर्मर
xix) वस्त्र मशीनरी

1.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

1.4.1 विभाग के अधीन विनिर्माण, परामर्श और संविदा सेवाओं में संलग्न प्रचालनरत 32 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं।

1.4.2 **अनुबंध–III** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभाग के अधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यमों में कुल निवेश (सकल ब्लॉक) दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 18309.08 करोड़ था। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में कर्मचारियों की कुल संख्या 82357 है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के कर्मचारियों की संख्या **अनुबंध–IV** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार क्रमशः 15129, 8605 और 24234 है।

1.4.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उद्यमों में से 15 उद्यम लाभ अर्जित कर रहे हैं और शेष 17 उद्यम घाटे में हैं। तथापि, सकल आधार पर भारी उद्योग विभाग के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उद्यमों ने वर्ष 2013–14 में ₹ 1944.34 करोड़ का कर–पूर्व निवल लाभ (अनंतिम) दर्शाया है। वर्ष 2014–15 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़)

	2013-14 (अनंतिम)	2014-15 (लक्ष्य)
उत्पादन	46381.78	53478.80
लाभ (+)/हानि (–)	1944.34	1322.83

(उत्पादन, लाभ/हानि का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम–वार ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध–V** और **VI** में दिया गया है।)

1.4.4 घाटे में चल रहे उद्यम वस्तुओं की लागत में वृद्धि के अलावा निम्न क्रयादेश, कार्यशील पूंजी की कमी, अतिरिक्त जनशक्ति और पुराने संयंत्रों और मशीनरी, परिवर्तित हो रहे बाजार उत्पादों/प्रौद्योगिकी/प्रतिस्पर्धा के अनुरूप ढलने में कठिनाई सहित कई कारणों से ग्रसित हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश हानि उठा रहे उद्यमों में औद्योगिक मानदंडों से अधिक जनशक्ति और काफी उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस संदर्भ में, कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय **अनुबंध–VII** में दिए गए हैं।

1.4.5 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आर्डर बुक ₹156285.17 करोड़ है **(अनुबंध–VIII)**। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का मुख्य निर्यातक उद्यम 'भेल' है और भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात संबंधी कार्य निष्पादन का ब्यौरा **अनुबंध–IX** पर दिया गया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और संचित हानि/लाभ **अनुबंध–X** पर दिए गए हैं। भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 2013–14 के लिए सरकार को भुगतान किया गया लाभांश निम्नानुसार है:–

भेल ₹ 1323.00 करोड़
ईपीआई ₹ 7.08 करोड़
बीएंडआर ₹ 2.73 करोड़ (अंतरिम)

1.5 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन

विभाग सरकार की समग्र नीति के अनुरूप अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करता है और उसे प्रोत्साहित करता है। घाटा उठा रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पुनरुद्धार/बंदी के लिए विचार किया जाता है। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने उन्हें भेजे गए सभी 28 मामलों में अपनी सिफारिशें दे दी हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के वे उद्यम, जिनका पुनरुद्धार किया गया है, निम्नानुसार हैं:–

i) एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल),
ii) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड (बीएण्डआर),
iii) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल),
iv) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे),
v) प्रागा टूल्स लिमिटेड (पीटीएल), एचएमटी (एमटी) लिमिटेड के साथ विलय,
vi) एचएमटी (बियरिंग) लिमिटेड [(एचएमटी) (बी)],
vii) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी),
viii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)– 6/8/2010 को रेल मंत्रालय को अंतरित,
ix) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई),
x) एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड [(एचएमटी) (एमटी)],
xi) भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल),
xii) भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)–भेल द्वारा दिनांक 07.05.2008 को अधिगृहीत,
xiii) टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल),
xiv) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल),
xv) भारत बैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल)– रेल मंत्रालय को दिनांक 13.08.2008 को अंतरित,
xvi) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल)– रेल मंत्रालय को दिनांक 15/09/2010 को स्थानांतरित,
xvii) नेपा लिमिटेड,
xviii) स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल),
xix) एचएमटी लिमिटेड,
xx) नगालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड।

इसके अतिरिक्त, भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड (बीओजीएल) और भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल) के मामलों में सरकार द्वारा बंदी को अनुमोदित किया गया है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के मामले में सरकार ने परिसंपत्तियाँ और देयताएं जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता को अंतरित कर दी हैं। ऊपर उल्लिखित 18 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का ब्यौरा **अनुबंध–XI** पर दिया गया है।

1.6 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वायत्तता/नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा

विभाग में बीएचईएल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न उद्यम है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उद्यमों को पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक गठबंधन करने और मा.सं.वि. नीतियां तैयार करने आदि के संबंध व्यापक स्वायत्तता प्रदान की गई है। नवरत्न कंपनी बीएचईएल के अलावा, भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यम, नामतः बीपीसीएल, बीएंडआर, ईपीआई, एचएमटी (आई), एचएनएल, एचपीसी और आरईआईएल, को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के मिनीरत्न उद्यमों को भी कुछ और अधिक अधिकार प्रदान करते हुए सशक्त किया गया है।

1.7 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को व्यापक स्वायत्तता प्रदान किए जाने और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जवाबदेह बनाए जाने के दृष्टिगत, विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष 2014–15 के लिए भारत सरकार/धारक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.8 भारी उद्योग विभाग का योजना कार्यक्रम:

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में आबंटित ₹ 4680 करोड़ की सकल बजटीय सहयता के साथ ₹ 22223.32 करोड़ के परिव्यय से विभाग में केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं:

1.8.1 **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)**

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवरंसचना परियोजना (नैट्रिप) को सरकार ने 25 जुलाई, 2005 को अनुमोदित किया था और भारी उद्योग विभाग ने इसे 31 अगस्त, 2005 को अधिसूचित किया। नैट्रिप के तहत ₹2286.06 करोड़ के कुल निवेश के साथ, भारत में विश्व–स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं होमोलोगेशन सुविधाओं की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है। प्रमुख सुविधाएं देश में दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में तीन ऑटोमोटिव हब्स में उपलब्ध होंगी। इस परियोजना के उद्देश्य हैं– (i) अत्यंत जरूरी ऑटोमोटिव परीक्षण संबंधी अवसंरचना तैयार करना ताकि सरकार वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्य–निष्पदान संबंधी मानकों को हासिल करने में समर्थ हो सके; (ii) भारत में विनिर्माण को सुदृढ़ करना, बृहत मूल्य वर्द्धन को प्रोत्साहन देना जिससे कि रोजगार क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो तथा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के साथ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत को मजबूती प्राप्त हो सके, (iii) निर्यात संबंधी बाधाओं को दूर करके इस क्षेत्र में भारत की काफी कम वैश्विक पहुंच को बढ़ाना और (iv) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए मूल उत्पाद परीक्षण, प्रमाणीकरण और विकास अवसंरचना संबंधी भारी कमियों को दूर करना।

1.8.2 **प्रोत्साहन उपायों, कार्यालयों का आधुनिकीकरण, आईटी आदि के लिए भारी उद्योग विभाग/ एफसीआरआई के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन।**

बीआईएफआर/सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजनाओं के अनुरूप केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त संस्थाओं में पुनर्गठन की प्रक्रिया मोटे तौर पर पुनरूद्धार/रिप्लेसमेंट्स, मार्गावरोध दूर करने की सुविधाओं और निवेश की श्रेणी में आती हैं। इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रचालनों को बनाए रखना और/या सक्षम प्राधिकरणों से अनुमोदित पुनर्वास पैकेजों का हिस्सा होना अपेक्षित है।

1.8.3 **हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमि. (एचपीसी) की जगदीशपुर, यू.पी. पेपर मिल परियोजना**

सरकार ने ₹ 3650 करोड़ की लागत से "ग्रीनफील्ड पल्प एण्ड पेपर परियोजना", जगदीशपुर पेपर मिल लिमिटेड, जगदीशपुर, जिला–अमेठी (उ.प्र.) में स्थापित करने का अनुमोदन किया जिसका कार्यान्वयन दो चरणों में किया जाना था। संशोधित लागत प्रथम चरण में ₹ 1650 करोड़ तथा दूसरे चरण में ₹ 2000 करोड़ होगी। चरण–I में सरकारी इक्विटी ₹ 733 करोड़ होगी तथा ऋण ₹ 917 करोड़ होगा जिसे सरकारी गारंटी के आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया जाएगा।

1.8.4 **पूंजीगत माल उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की योजनाः**

"पूंजीगत माल तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र" पर 12वें योजना कार्यदल की सिफारिशों के भाग के रूप में "पूंजीगत माल में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की योजना" में प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति, कलस्टर पार्कों तथा घरेलू उत्कृष्टता केन्द्रों के माध्यम से अनुसंधान और विकास की परिकल्पना की गई है।

1.8.5 **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाएं (एनपीपीसी, सीसीआई और एवाईसीएल)**

भारी उद्योग विभाग के अधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यम/इकाइयां स्थित हैंः–

i) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नगांव और कछार पेपर मिल्स), असम।

ii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नगालैंड।

iii) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन इकाई), असम।

iv) एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) (चाय बागान), असम।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ये उद्यम/इकाइयां कागज, सीमेंट और चाय के विनिर्माण में संलग्न हैं। सरकार की नीति के अनुसार, इस विभाग के बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में सीपीएम/एचपीसी को ₹70 करोड़ तथा एनपीपीसी को ₹25.00 करोड़ आबंटित किए गए हैं।

1.9 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

सीएजी द्वारा निर्धारित अपेक्षा के अनुरूप, भारी उद्योग विभाग के कामकाज के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार **अनुबंध–XII** में दिया गया है।

अध्याय 2

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उद्यम (सीपीएसई) प्रचालित हैं। इन सीपीएसईज ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सीपीएसईज भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्करों से लेकर सिविल निर्माण, भारी मशीनरी, परिशुद्ध औजारों, परामर्शी सेवाएं, चाय बागान आदि सहित अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं। विभाग के अधीन प्रचालित सीपीएसईज के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2.1 एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) की स्थापना 1863 में की गई थी। 1938 में इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और 1979 में यह सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम बनी। कंपनी अपने तीन प्रचालन प्रभागों अर्थात् (i) इंजीनियरिंग प्रभाग, (ii) इलेक्ट्रिकल प्रभाग, और (iii) चाय प्रभाग के जरिए औद्योगिक पंखों, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, चाय मशीनरी, स्विचगियर्स, सर्किट ब्रेकर्स, छोटे पैमाने के ट्रांसफारमर्स आदि सहित इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री और सर्विसिंग के साथ–साथ चाय की खेती, विनिर्माण और प्रसंस्करण में लगी हुई है। एवाईसीएल ने "बीआरपीएसई" टर्नअराउंड अवार्ड–2011", 2012 में "बेस्ट टर्नअराउंड सीपीएसई" की श्रेणी में "एमओयू उत्कृष्टता अवार्ड"–2009/2010 प्राप्त किया। वर्ष 2013–14 में कुल कारोबार में 11.14% की वृद्धि हुई। कंपनी ने 2012–13 में ₹11.35 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान कर पूर्व लगभग ₹22.29 करोड़ का निवल लाभ प्राप्त किया।

2.2 हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी पिछले 90 सालों से मुद्रण व्यवसाय में संलग्न है तथा बहुरंगी न्यूजलेटर, लीफलेट्स, फोल्डर, कैलेंडर, पुस्तक आदि जैसे विभिन्न मुद्रण कार्यों के लिए पूर्णतः साधन संपन्न है। कंपनी ने वर्ष 2012–13 में ₹9.50 करोड़ के उत्पादन और ₹0.11 करोड़ के निवल लाभ के मुकाबले वर्ष 2013–14 में क्रमशः ₹ 15.60 करोड़ और ₹ 0.15 करोड़ का उत्पादन और शुद्ध लाभ अर्जित किया।

2.3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

वर्ष 1964 में स्थापित भेल भारत की अपने किस्म की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग तथा विनिर्माता कंपनी है जो नाना प्रकार के उत्पादों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, विनिर्माण, परीक्षण, प्रारंभन और सर्विसिंग तथा अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों, अर्थात् विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल तथा गैस और रक्षा सेवाओं, में लगी हुई है। कंपनी 1971–72 से लगातार लाभ अर्जित कर रही है तथा 1976–77 से लाभांश का भुगतान कर रही है। इसके निरंतर उच्च कार्य–निष्पादन को मान्यता देते हुए भारत सरकार द्वारा भेल को दिनांक 01.02.2013 को "महारत्न" का दर्जा प्रदान किया गया है। अब यह सार्वजनिक क्षेत्र के सात महारत्न उद्यमों में से एक है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा तिरूमयम, तमिलनाडु स्थित पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, भेल की 16वीं विनिर्माण यूनिट, 02 अगस्त, 2013 को राष्ट्र को समर्पित किए जाने और बीएचपीवी का 17वीं यूनिट के रूप में बीएचईएल के साथ विलय कर दिए जाने से आज बीएचईएल के पास 17 विनिर्माता यूनिटों, 02 मरम्मत यूनिटों, 04 क्षेत्रीय कार्यालयों, 08 सेवा केन्द्रों, 08 विदेशी कार्यालयों, 15 क्षेत्रीय केन्द्रों, 06 संयुक्त उद्यम कंपनियों, 01 सहायक कंपनी तथा पूरे भारत तथा विदेशों में 150 से भी अधिक

परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए अवसंरचना का व्यापक नेटवर्क है।

बीएचईएल स्टीम टर्वाइन, जेनरेटर्स, बायलर्स और 800 मेगावाट रेटिंग तक की मैचिंग सहायक सामग्रियों की आपूर्ति करता है जिसमें अतिसंवेदनशील प्रौद्योगिकी पर आधारित 660/700/800 मेगावाट रेटिंग के सैट्स शामिल हैं। कंपनी के पास 1000 मेगावाट यूनिट तक की रेटिंग वाले सैट आपूर्ति करने की क्षमता है। कंपनी ने पावर जेनरेशन इक्विपमेंट की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता प्रतिवर्ष 20,000 मेगावाट के पावर इक्विपमेंट की आपूर्ति करने तक बढ़ा ली है।

कंपनी में वैल्यू जेनरेशन में वृद्धि करने तथा भावी पावर परियोजना स्थलों के बिल्कुल करीब तक बड़े आकार के पार्ट्स की ढुलाई को सुसाध्य बनाने के इसके प्रयासों के भाग के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र द्वारा 14 मई, 2013 को भंडारा, महाराष्ट्र में भेल के नए ग्रीनफील्ड पावर इक्विपमेंट फैबरीकेशन प्लांट का शिलान्यास किया गया था।

भेल अकेली भारतीय कंपनी है जो ओपन और कंबाइन्ड साइकिल आपरेशन्स के लिए 289 मेगावाट (आईएसओ) रेटिंग तक के उन्नत श्रेणी के गैस टर्वाइन्स वाले बड़े आकार के गैस आधारित पावर प्लांट इक्विपमेंट का विनिर्माण करने में सक्षम है। भेल, विश्व की उन कुछेक कंपनियों में से एक है जो इंटीग्रेटेड गैसीफीकेशन कंबाइन्ड साइकिल (आईजीसीसी) प्रौद्योगिकी जो लिग्नाइट जैसे स्वच्छ स्थिति वाले लो–ग्रेड कोल को जलाने में सक्षम होगी, का विकास करने में लगी है। स्वच्छ कोल प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने की वचनबद्धता के रूप में इसने एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों का जिनमें अधिक थर्मल दक्षता होगी, का डिजाइन एवं विकास शुरू किया है। भारत में उपलब्ध उच्च राख अंश वाले कोल का दक्ष उपयोग करने के लिए भेल थर्मल प्लांटों के लिए सरकुलेटिंग फ्लूडाईज्ड बैड कंबस्टन (सीएफबीसी) बायलर्स की भी आपूर्ति करता है।

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बीएचईएल निर्मित यूटिलिटी सेट्स की 1,15,500 मेगावाट से भी अधिक स्थापित क्षमता के साथ भेल देश की कुल स्थापित क्षमता में अपना 57% शेयर बनाए हुए है जिसमें थर्मल हाइड्रो और परमाणु सेट्स शामिल हैं। इसके विपरीत, वर्ष 2012–13 में भेल ने देश में जेनरेट की गई कुल पावर में 66% योगदान करते हुए सैटों की आपूर्ति की है। यह स्पष्ट रूप से भेल द्वारा विनिर्मित और आपूर्तित सैटों के बेहतर कार्य–निष्पादन को दर्शाता है।

कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का उच्च स्तर विश्व की अग्रणी कंपनियों से कुछ सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियां प्राप्त करके और उन्हें अंगीकार करके तथा इन–हाउस इनोवेशन्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना है। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य गुणवत्ता सिस्टम के अनुसार गुणवत्ता की जड़ें गहरी जम चुकी हैं, वहां भेल ने अपनी दो यूनिटों द्वारा टीक्यूएम में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए निरंतरता तथा प्रशंसा के प्रति घोर प्रतिबद्धता के लिए दो "सीआईआई–आईटीसी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2012" प्राप्त करके एक बार पुनः महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

यद्यपि भविष्य में पावर सेक्टर कंपनी के शीर्ष उत्पादन का प्रमुख अंशदाता बना रहेगा, फिर भी परिवहन, पारेषण और नवीकरणीय ऊर्जा अगले बड़े व्यापार क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। परमाणु एवं जल क्षेत्र में हमारी उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए भी नीतियां लागू हैं। कंपनी ने अपने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने हेतु अनेक अनुकूल संयुक्त उद्यम करार भी किए हैं। हाल ही में की गई प्रमुख रणनीतिक पहल जिसने भावी व्यापार की गति निर्धारित की है, में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भेल ने रेलवे के लिए मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (एमईएमयू) कोच का निर्माण करने हेतु राजस्थान में एक ग्रीन फील्ड फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि इन कोचों के लिए रेलवे की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। भीलवाड़ा में इस पटरी का शिलान्यास 25.2.2013 को किया गया था।
- तेल तथा गैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कंपनी बनने तथा औद्योगिक बायलर्स, न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटर्स के विख्यात आपूर्तिकर्ता और अन्य प्रोसेस उद्योगों के लिए उपकरणों के

आपूर्तिकर्ता बनने की अभिलाषा को पूरा करने के लिए बीएचईएल की 100% सहायक कंपनी के रूप में बीएचपीवी के विलय का कार्य पूरा किया गया है तथा विलय की गई कंपनी का नाम हेवी प्लेट्स एण्ड वेसेल्स प्लांट्स (एचपीवीपी), भेल रखा गया है।

- ट्रैक्सन एपलिकेशन्स आदि के लिए एलटरनेटर्स जैसे नए उत्पाद क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त करने के लिए बीएचईएल और केरल सरकार के संयुक्त उद्यम 'बीएचईएल–ईएमएल' की सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है।

- विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण में उभरते अवसरों को पाने के लिए कंपनी ने आरएण्डएम सिस्टम्स ग्रुप (आरएमएसजी) का गठन किया है।

- ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जैविक ईंधन की बढ़ती लागत के कारण नवीकरणीय ऊर्जा पर नए सिरे से ध्यान देने की मांग बढ़ रही है। इस क्षेत्र में त्वरित वृद्धि के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने से, बीएचईएल बडे आकार के स्टेन्डअलोन के साथ–साथ ग्रिड इंटरेक्टिव सौर विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति और कमिशनिंग में अग्रणी रही है। फिलहाल, एनटीपीसी के लिए 10 मेगावाट के दो सौर पीवी प्रोजेक्ट कार्यान्वित किए जा रहे हैं। हरित पहल के तहत धारणीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, बीएपी, बीएचईएल, रानीपेट में एक 5 मेगावाट का एसपीवी संयंत्र भी लगाया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी कंपनी बनने के लिए सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए एसपीवी मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए एक 450–500 मेगावाट ग्रीनफील्ड सुविधा की स्थापना की गई है।

- कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल पावर (सीएसपी) के क्षेत्र में ईपीसी सोल्यूशन देने के लिए **एबेनगोआ, स्पेन के साथ एक करार** पहले ही किया जा चुका है। कंपनी कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल क्षेत्र में उत्पादों और प्रणालियों के अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए आईआईटी, जोधपुर और आईओसीएल के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है।

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति सचेत रहने के लिए, कपनी चूंकि एक आधार कंपनी है, इसलिए कंपनी ने सहयोगपूर्ण अनुसंधान और विकास के साथ अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु नए निदेश दिए हैं। बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थाओं तथा शैक्षिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें अन्य के साथ–साथ सीएसआईआर इंडिया, बेटेले इंडिया–बेटेले, अमेरिका की सहायक कंपनी शामिल है।

- अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रणनीतिक गठजोड के माध्यम से प्रस्ताव का विस्तार करने, अपने उद्देश्य के एक भाग के रूप में, जेरावशान नदी, तजाकिस्तान पर दो जल विद्युत परियोजनाओं (2x50 मेगावाट) स्थापित करने के लिए ऊर्जा और उद्योग मंत्रालय, तजाकिस्तान के साथ सितम्बर, 2012 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- उन महत्वपूर्ण ग्राहकों जो कंपनी के लिए लंबे समय तक मूल्यवान हो सकते हैं, के साथ दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने की दृष्टि से, एशिया–प्रशान्त, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका में चयनित शैल स्थानों के लिए गैस टरबाइन जेनरेटर (जीटीजी) की आपूर्ति के लिए शैल के साथ 6 नवम्बर, 2012 को एंटरप्राइज फ्रेमवर्क करार किया गया है।

कार्यनिष्पादन के मुख्य अंश

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, कंपनी ने प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरण के बावजूद उन चालू परियोजनाओं में भी ₹ 40366 करोड़ का कारोबार किया जहाँ विद्युत और औद्योगिक क्षेत्रों में निधि संबंधी अड़चनों, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय क्लीअरेंस, कोयले की कमी आदि कारणों से कुछ ही परियोजनाओं को पूरा किया गया था।

वर्ष 2013–14 में, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) क्रमशः ₹ 4678 करोड़ (अनंतिम) और ₹ 3228 करोड़ (अनंतिम) रहा।

कंपनी की नेटवर्थ 2012–13 में ₹ 30444 करोड़ से 7.52% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2013–14 में ₹32733 करोड़ (अनंतिम) हो गई। प्रति शेयर एनएवी 2012–13 में ₹124.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹133.73 करोड़ (अनंतिम) हो गई।

वर्ष 2013–14 के दौरान डीम्ड निर्यात कारोबार सहित निर्यात कारोबार ₹19240 करोड़ रहा, जिसमें 2012–13 में ₹1998

करोड़ के वास्तविक निर्यात की तुलना में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹2481 करोड का वास्तविक निर्यात शामिल है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, कंपनी को ₹28007 करोड़ के ऑर्डर मिले। वर्ष 2014–15 और इसके बाद निष्पादित किए जाने के लिए मार्च, 2014 के अंत तक उपलब्ध कुल बकाया क्रयादेश ₹101500 करोड़ के हैं।

वर्ष 2014–15 के लिए वित्तीय कारोबार और पीबीटी लक्ष्य क्रमशः ₹45600 करोड और ₹4825 करोड का है। 2014–15 (लक्ष्य) के लिए ये अनुमान समझौता ज्ञापन पर विचार–विमर्श के अनुसार संशोधन की शर्त के अधीन हैं।

विनिर्माण के मुख्य अंश

- बीएचईएल, हैदराबाद, पम्प्स डिवीजन ने आरपीसीएल–येरामेरस परियोजना के लिए 800 मेगावाट वाले बूस्टर पंप (एमएचआई डिजाइन) का दिनांक 29 जून 2013 को सफल परीक्षण किया।
-

बीएचईएल हैदराबाद में 800 मेगावाट की पंप परीक्षण सुविधा

- भोपाल ने एनपीसीआईएल भाविनी के लिए सी वाटर पंप एप्लीकेशन हेतु 4370 केडब्ल्यू, 20 पी की सबसे बडी सीएसीए वर्टिकल इंडक्शन मोटर विकसित की।

भाविनी के लिए वर्टिकल इंडक्शन मोटर

- बीएपी, रानीपेट द्वारा डीबीपीएल, सिंगरौली 2X660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल बॉयलर के लिए 660 मेगावाट ट्राइ–सेक्टर एयर प्रीहीटर (33 वीआईएमटी 2000) के एक नए वेरिएंट का स्वदेशी रूप से विकास किया।

2013–14 के दौरान मिले मुख्य ऑर्डरः

वर्ष के दौरान बीएचईएल ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किए:

- **नए बाजार खड़ों में प्रवेशः**
  - ➢ बीएचईएल ने इंडोनेशिया को 1500 एचपी ऑयल रिग्स के तीन नगों की आपूर्ति के लिए प्रथम ऑर्डर प्राप्त कर महत्वपूर्ण रिकार्ड बनाया। यह ऑयल रिग के लिए विदेशों में बीएचईएल का पहला प्रयत्न है।
  - ➢ बीएचईएल ने 2 x 120 मेगावाट सिधिरगंज गैस आधारित विद्युत संयंत्र के लिए मैसर्स ईजीसीबी, बांग्लादेश से विदेशी बाजार में पहली बार दीर्घकालीन सेवा करार (एलटीएसए) के लिए एक ऑर्डर प्राप्त करते हुए अपनी शुरूआत की।
  - ➢ बीएचईएल ने अल घाली पावर प्रोजेक्ट, यूएई के लिए मध्य पूर्व से केपिटल स्पेयर्स के निर्यात के लिए सबसे बडा ऑर्डर प्राप्त किया है।
- पहली बार, मैसर्स जेम्बेजी पोर्टलैण्ड सीमेंट, जाम्बिया से मोटरों के लिए ऑर्डर प्राप्त किया था।
- **रिपीट ऑर्डर**–बीएचईएल ने अमरान एस्टेब्लिशमेंट एलएलसी, ओमान से वैलहैड के लिए रिपीट ऑर्डर (2006 से) प्राप्त किया। मेस्टो ऑटोमेशन, यूएस, से कंट्रोल उपकरण के लिए तथा मोमबासा सीमेंट लिमिटेड, केन्या से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों के लिए पिछले तीन वर्षों से लगातार रिपीट ऑर्डर प्राप्त किए।

2013–14 के दौरान मुख्य विदेशी ऑर्डरों का निष्पादन

वर्ष 2013–14 में, वर्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य सूडान, बेलारूस, इथियोपिया, वियतनाम, न्यू केलिडोनिया और इंडोनेशिया में सात विद्युत संयंत्र इकाइयों की कमिशनिंग था, जिनकी कुल क्षमता 653 मेगावाट थी जो पिछले वर्ष के दो गुने से अधिक है।

वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

- सूडान – 4 x 125 मेगावाट कोस्टी ताप संयंत्र – इकाई 1 और 2
- बेलारूस – 126 मेगावाट ग्रोडनो-II विद्युत संयंत्र
- इथियोपिया – 2 x 12.5 मेगावाट फिंच शुगर फैक्टरी – इकाई–2
- वियतनाम – 2 x 100 मेगावाट नेम चेन हाईड्रो परियोजना – इकाई–2
- न्यू केलिडोनिया – 2 x 135 मेगावाट कोनिएमबू निकेल एसएएस (बॉयलर्स) – इकाई–1
- इंडोनेशिया – 2 x 30 मेगावाट पीटी एमएसडब्ल्यू (बॉयलर्स) – इकाई– 2
- ईरान – हाइड्रोजन रिसाइकिल कम्प्रेशर, तबरिज रिफायनरी

बीएचईएल फिलहाल 28 विदेशी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष के दौरान बीएचईएल ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किए :

विद्युत सेक्टर

विद्युत सेक्टर में अनिश्चितता की स्थिति बरकरार रही और अप्रैल, 13 से सितम्बर, 13 तक की अवधि में देश में किसी बड़े ऑर्डर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। तथापि, आज की तिथि के अनुसार निम्नलिखित मुख्य ऑर्डर प्राप्त हुए हैं:

- 2x500 मेगावाट एनएलसी/नेवेली ताप विद्युत परियोजना के लिए एसजी पैकेज।
- 1x500 मेगावाट एनबीपीपीएल/ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना के लिए बीटीजी और इलेक्ट्रिक्स पैकेज
- स्पेयर और सेवाओं सहित आरएण्डएम के लिए ₹2035 करोड़ से अधिक के ऑर्डर प्राप्त किए।

उद्योग सेक्टर

बीएचईएल ने केप्टिव पावर, रेल परिवहन, विद्युत ट्रांसमिशन, तेल और गैस, अक्षय ऊर्जा, रक्षा, जल व्यवसाय और अन्य औद्योगिक सेक्टरों में उत्पादों और प्रणालियों की एक वृहद श्रृंखला के लिए अपने ग्राहकों से वर्ष 2012–13 में ₹4500 करोड़ के ऑर्डरों की तुलना में वर्ष 2013–14 में ₹5473 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए।

वर्ष के दौरान प्राप्त हुए मुख्य ऑर्डरः

- सीमेंन्स, स्कोडा, जीई और मैन–टर्बो से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद आर यू पी पी एल , हजीरा (4 x 93.1 मेगावाट) और दाहेज (3 x 90.3 मेगावाट) एसटीजी सेट।
- बीपीसीएल, कोच्ची के लिए 3 x एफआर 6 बी जीटीजी सैट।
- नगाई पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैसर्स गैमन इंडिया से एयर कूल्ड कंडेंसर ऑपरेशन के लिए उपयुक्त पहला सिंगल सिलेंडर 150 मेगावाट स्टीम टरबाइन।
- ट्रांसफार्मर (85 नग), आईजीबीटी कन्वर्टर (33 सैट) और डीईएमयू इलेक्ट्रिक्स (45 सेट) के लिए किसी वर्ष में सर्वाधिक मात्रा के ऑर्डर।
- पीडीओईसीएल (पीपावाव डिफेंस एण्ड ऑफशॉर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड) से प्राप्त 76/62 सुपर रैपिड गन माउंट के पांच नग के लिए उच्चतम मूल्य ऑर्डर।
- विभिन्न ग्राहकों से सबस्टेशनों के लिए मिले उच्चतम मूल्य ऑर्डर, जिनमें शामिल हैं :
  - एमपीपीटीसीएल, जबलपुर के लिए ऐसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइनों के साथ 400 केवी सबस्टेशन।
  - तनट्रांसको के अनिकाडावू सबस्टेशन के लिए 400/230/110 केवी और थप्पागंडू सबस्टेशन के लिए 400/110 केवी का टर्नकी स्थापना।
  - पावरग्रिड के लिए कराईकुडी, पुगालुर, कलाविंथापट्टू, अभिषेकपट्टी, दुर्गापुर, मैथान, बिहारशरीफ और पुर्णिया स्थित 400 केवी सबस्टेशनों का विस्तार।

- एनटीपीसी, सिंगरौली के लिए 15 मेगावाट के उच्चतम रेटिंग सहित सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों के लिए 24 मेगावाट की उच्चतम क्रयादेश बुकिंग।
- राइट्स से गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म शेल्टर पर अपनी तरह के पहले 25 कि.वा. के सौर विद्युत संयंत्र के लिए ऑर्डर।
- ओपीएएल से 96 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) अपरिष्कृत जल शोधन संयंत्र (मेम्ब्रेन फिल्टरेशन आधारित) के लिए पेट्रो रसायन सेक्टर में जल शोधन प्रणाली का पहला ऑर्डर।
- मैसर्स कोच्चि रिफायनरी लिमिटेड से एफसीसी वैट गैस, डीएचडीटी रिसाइकिल गैस और वीजीओ रिसाइकिल गैस के लिए 3 गन सेन्ट्रीफूगल कंप्रेशर।
- बीपीसीएल, कोच्चि के लिए मैसर्स आईएसजीईसी से 2 नग बीएफपी ड्राइव टरबाइन और 1 प्रोसेस पंप टरबाइन।
- मैसर्स ओएनजीसी/ओआईएल/एसईएलएएन से वैल हैड और क्रिसमस ट्री।
- एनटीपीसी ने नबीनगर, कुडगी, विंध्याचल और गदरवारा परियोजनाओं के 1592 नग एमवी स्विचगीयर का ऑर्डर, 660 मेगावाट और 800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल सैटों के लिए एमवी स्विचगीयर का पहला ऑर्डर।
- एनटीपीसी मेजिया से 5 एमवीए 23.5 केवी ड्राई टाइप एक्साइटेशन के लिए तोशिबा जेएसडब्ल्यू पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से ऑर्डर।
- रिलायंस यूटिलिटी एण्ड पावर लिमिटेड से अपनी हजीरा और दाहेज इकाइयों के लिए 7 एसटीजी सैट (643 मेगावाट)।
- सीएलडब्ल्यू, चितरंजन से 39 नग सिंगल–फेज फ्रेट ट्रांसफार्मर।

व्यवसाय के अन्य मुख्य अंश: वित्त वर्ष 14 के दौरान 1698 मेगावाट का सर्वकालिक उच्चतम सिंक्रोनाइजेशन प्राप्त किया गया जिसमें 1682 मेगावाट सीपीपी परियोजनाएं और 16 मेगावाट की सोलर पीवी परियोजनाएं शामिल हैं।

2013–14 के दौरान, विभिन्न औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों के लिए सितम्बर, 13 तक ₹ 2725 करोड़ के ऑर्डर पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं।

निर्यात

वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है, विशेष रूप से वैश्विक विद्युत संयंत्र बाजार में कठिनाई और अनिश्चितता है। नई परियोजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं और पहले की परियोजनाओं को भी स्थगित कर दिया गया है या उनके कार्यान्वयन की गति धीमी हो गई है।

इन सबके बावजूद, कंपनी के केन्द्रित प्रयासों से कंपनी न केवल अपने आप को वर्तमान स्तर पर बनाए हुई है, अपितु अपनी वैश्विक पहुंच को लगातार बढ़ा भी रही है।

विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार

- **परिवहन:** बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए और लगाए गए आईजीबीटी प्रोपल्सन उपकरण (ट्रैक्शन कन्वर्टर/सहायक कन्वर्टर/वीसीयू) भारतीय रेलवे द्वारा प्रचालनरत में लोकोमोटिव आधारित आई जी बीटी के 50% से अधिक हैं।
- **रक्षा व्यवसाय:** भारतीय नेवी के लिए पहले शिप सैट पी 15 ए, ऑग्जिलरी कंट्रोल सिस्टम की सफलतापूर्वक कमिशनिंग एकमात्र उपलब्धि है।
- **नवीकरणीय और जल व्यवसाय** : 5 मेगावाट क्षमता का पहला अधिकतम क्षमता का ग्रिड इंटरेक्टिव सौर विद्युत संयंत्र बीएचईएल रानीपेट में लगाया और ग्रिड से कनेक्ट किया जा चुका है।
- **औद्योगिक उत्पाद (इलेक्ट्रिकल)** : बीएचईएल ने मैसर्स एनपीसीआईएल केएपीपी–3 और 4 तथा आरएपीपी–7 और 8 के न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए 6 मेगावाट, 6.6 केवी, 1500 आरपीएम वर्टिकल केज इंडक्शन मोटर को सफलतापूर्वक डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण किया है। यह मोटर विशेष रूप से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में 'एलओसीए' (लॉस ऑफ कूलेंट एक्सिडेंट) की विशेष दुर्घटना स्थिति को रोकने के लिए डिजाइन की गई है।

  बीएचईएल ने बॉयलर फीड पंप एप्लीकेशन के लिए भारत की सबसे अधिक रेटिंग 20.5 मेगावाट, 11केवी, 1500 आरपीएम मोटर विकसित की है। इस मोटर के विकास से 660 और 800 मेगावाट रेंज के सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांटों के लिए अधिक रेटिंग की बीएफपी मोटर की आपूर्ति करने के लिए बीएचईएल का रास्ता खुल गया है।

- **औद्योगिक उत्पाद (मैकेनिकल):** देश में पहली बार, बीएचईएल ने ओएनजीसी के लिए 2000 एचपी एसी–एसी वीएफडी रिग का सफलतापूर्वक डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण किया है। यह प्रौद्योगिकी साझेदार मैसर्स एनओवी (नेशनल ऑयलवेल वार्को), अमेरिका के साथ सहयोग से विकसित किया गया नई पीढ़ी का एसी–एसी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) है।

- **क्षेत्रीय प्रचालन डिवीजन:** उत्तर प्रदेश में 3x660 मेगावाट के ललितपुर सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत स्टेशन (टीपीएस) के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ 765 केवी पावर ट्रांसफार्मरों की सम्पूर्ण रेंज जिसमें जेनरेटर ट्रांसफार्मर, इंटर–कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर और शंट रिएक्टर शामिल हैं, से संबंधित इंजीनियरी और डिजाइन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

- **ट्रांसमिशन व्यवसाय समूह :**

  (i) **यूएचवी सेगमेंट:** पावरग्रिड के 765 केवी रायचूर–शोलापुर ट्रांसमिशन लिंक के दक्षिणी छोर पर कर्नाटक के रायचूर में निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही 765/400 के.वी. सबस्टेशन का विनिर्माण कर सफलतापूर्वक चालू कर दिया है।

  (ii) **ईएचवी सेगमेंट:** डीपीएल के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स पावर स्टेशन की 1x250 मेगावाट इकाई 8 के लिए 220 केवी स्विचयार्ड सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है।

  (iii) **एचवीडीसी:** बीएचईएल 800 केवी, 6000 मेगावाट, मल्टी–टर्मिनल एचवीडीसी एनई आगरा परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है जो अब तक की सबसे बड़ी निर्माणाधीन वैश्विक एचवीडीसी परियोजना है।

  (iv) **जीआईएस:** बीएचईएल ने अपनी आंतरिक इंजीनियरिंग और इंटीग्रेशन दक्षता के माध्यम से 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी तक कवर करते हुए जीआईएस के क्षेत्र में अपनी ईपीसी उपस्थिति का विस्तार किया है।

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां

2013–14 के दौरान, बीएचईएल को अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बीएचईएल ने विभिन्न मोर्चों पर अपने निष्पादन से समग्र पहचान बनाई और प्रशंसा प्राप्त की। कंपनी को बहुत से महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- एनआईटीआईई 'लक्ष्य बिजनस विजनरी अवार्ड' 2013।
- बीएचईएल ने महारत्न/नवरत्न श्रेणी में नवाचार (तकनीकी/अनुसंधान और विकास) में उत्कृष्टता के लिए 'बीटी–स्टार पीएसयू एक्सीलेंस अवार्ड 2013 जीता।
- 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्थायी प्रभाव' के लिए 'गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड 2013'।
- बिजनिस टुडे बेस्ट सीपीएसई सीएफओ अवार्ड।
- मैसर्स ड्रुक ग्रीन पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने भूटान में 6x170 मेगावाट तला हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना में स्थापित बीएचईएल उपकरणों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और निष्पादन की प्रशंसा की।
- 'प्रौद्योगिकी और उद्यमिता नवाचार' – परम्परागत ऊर्जा (ताप, परमाणु आदि) दी बीजीआर – ईएनई आर टी आई ए स्मृति अवार्ड।
- भारी उद्योगों में उत्कृष्टता के लिए 'इंडिया प्राइड अवार्ड 2013'।
- अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार के लिए इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा 'पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड 2013'।
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल को अक्तूबर, 2013 में आयोजित आईईटी सेमिनार में आईईटी आउटस्टैण्डिंग इंजीनियर अवार्ड 2013 प्राप्त हुआ।
- वर्ष का उत्कृष्ट पीएसयू होने के कारण एआईएमए मेनेजिंग इंडिया अवार्ड।
- बीएचईएल ने लगातार आठवें वर्ष लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई नेशनल अवार्ड फोर एक्सीलेंस इन कॉस्ट मेनेजमेंट जीता।
- नवाचार प्रबंधन के लिए बीएचईएल ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2013 जीता।

मानव संसाधन विकास

भेल की मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया, प्रतिक्रियाशील, ग्राहक–केन्द्रित और बाजार–सकेन्द्रित सभ्यता का सृजन करने की दिशा में जोड़ी गई हैं, जो उभरते

हुए बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सुसज्जित संगठनात्मक दक्षता और उत्साह को बढ़ावा देती है। मानव संसाधन विकास मिशन के वक्तव्य "भेल मिशन प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन क्षमता का संपूर्ण उपयोग करते हुए मूल्यों पर आधारित सभ्यता का संवर्धन और मन में बैठा देना" पर कायम रहते हुए, कंपनी मानव संसाधन को कदम दर कदम कार्यनीतिक दीर्घावधिक प्रशिक्षण प्रक्रिया तथा कई लघु आवधिक आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के जरिए अपनी क्षमता का पता लगाने और उसको प्रखर करने में समर्थ बनाती है।

वर्ष 2013–14 के दौरान प्रमुख कार्यकलाप:

- भेल ने 317 कार्यक्रम दिवसों तथा 3534 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए एचआरडीआई/एचआरडीसी/वाशिंग्टन डी.सी. में कुल 92 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- समग्रतः 64 प्रशिक्षण कार्यक्रम एचआरडीआई में आयोजित किए गए थे। 30 कार्यक्रमों पर लिए गए फीडबैक के आधार पर निम्नवत पाया गया:
  - कार्यक्रम प्रभावकारिता फीडबैक – 87.82%
  - संकाय फीडबैक – 84.01%
  - सामान्य प्रशासन फीडबैक – 85.40%
- बीएचईएल के मुख्य ग्राहक एनटीपीसी के सहयोग से, एक शीर्ष प्रबंधन कार्यक्रम– "वैश्विक कार्यनीतिक नेतृत्व की दिशा में नेतृत्व प्रभावकारिता हेतु कार्यनीतिक प्रबंधन पहल" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दो चरणों में: घरेलू एवं विदेशी, 13 दिन के लिए ग्रेटर नोएडा और वाशिंग्टन डी.सी. में आयोजित किया गया था।
- बड़ी संख्या में पात्र प्रबंधकों को प्रभावी अग्रणी बनाना सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य से वर्ष के दौरान कुल 8 सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम आयोजिज किए गए थे।
- उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम "नेतृत्व तथा प्रबंधन व्यावसायिक (लैम्प)" आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम लुई एलन इंटरनेशनल, संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व और प्रबंधकीय व्यावसायिक मॉडल पर आधारित था।
- एचआरडीआई ने एचआरडी प्रमुखों और प्रशिक्षकों के लिए मुख्य इकाइयों से 50 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से अगस्त, 2013 में जन विकास पहल संबंधी समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्पोरेट अभिशासन

भेल ने कार्पोरेट अभिशासन का ठोस ढांचा स्थापित किया है जो अभिशासन की गुणता, पारदर्शी प्रकटीकरण, हितधारकों की सतत् मूल्य वृद्धि और कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति वचनबद्धता को रेखांकित करता है।

भेल के दृष्टिकोण में, "बेहतर कल के लिए समाधान उपलब्ध कराने वाला वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम" और इसके मिशन "ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्र में कारोबार के वहनीय समाधान उपलब्ध कराना" की परिकल्पना की गई है।

भेल की कार्पोरेट अभिशासन नीति पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी तथा सभी से निष्पक्ष व्यवहार इन चार स्तंभों पर आधारित है। इसको सुदृढ़ करने के लिए, भेल ने 'सत्यनिष्ठा संधि' अंगीकार करने के लिए ट्रांसपेरन्सी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भेल की कार्पोरेट संरचना, व्यापारिक प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण कार्य–प्रणाली ने कार्पोरेट अभिशासन नीति के साथ ठीक संतुलन प्राप्त कर लिया है जिसके फलस्वरूप लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ–साथ उच्चस्तरीय व्यापार आचारनीति भी अपनाई है।

भेल की कार्पोरेट अभिशासन नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

- बोर्ड की स्वतंत्रता और उनकी अन्य विषय को विचारने की शक्ति।
- सभी कार्मिकों की सत्यनिष्ठा और उनसे नीतिपरक व्यवहार।
- सभी हितधारकों– शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, पूर्तिकारों और समाज के प्रति कर्त्तव्यों को स्वीकार करना।
- उच्च दर्जे का प्रकटीकरण और पारदर्शिता।
- उन सभी क्षेत्रों में कानून का सम्पूर्ण अनुपालन में जिनका कंपनी प्रचालन करती हैं।
- लोगों और पर्यावरण के प्रति संवेदना के साथ उपर्युक्त सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना।

सामाजिक दायित्व

भेल का यह प्रयास रहा है कि क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और समाज में हाशिए पर रह रहे तथा अधिकारों से वंचित लोगों को ऊपर उठाने पर लक्षित समावेशी वृद्धि के माध्यम से समाज के कल्याणार्थ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध एक

जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में व्यवहार करे। इस प्रतिबद्धता का अनुपालन करते हुए, कंपनी, विविधीकृत क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, समुदाय विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण समृद्धिकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, दक्षता विकास, विपदा/आपदा प्रबंधन और अवसंरचना विकास में परियोजनाएं हाथ मे लेकर समूचे देश में विभिन्न सामाजिक पहलों को सहायता प्रदान करती है।

2.4 बीएचईएल– इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड

बीएचईएल–ईएमएल भेल की अनुषंगी कंपनी है जो वर्ष 2011 में भेल और केरल सरकार के बीच संयुक्त उद्यम संगठन के रूप में बनी है। अलग–अलग अल्टरनेटरों और अन्य रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनों तथा विनिर्माण तथा ग्राहकों को डीजल जनरेटर सेट उपलब्ध कराने के साथ–साथ अपने अल्टरनेटरों को बाह्य स्रोतों से प्राप्त डीजल इंजनों के साथ संघटित करना कंपनी द्वारा अभिज्ञात फोकस क्षेत्र है। वर्तमान में, भेल–ईएमएल डीजल जनरेटरों तथा 2000 के.वी.ए. क्षमता तक के अल्टरनेटरों का विनिर्माण और उनका विपणन करता है। इनका मुख्य बाजार भारतीय रेल और विभिन्न निजी विद्युत जनरेटर हैं। ये विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों की उनकी आंतरिक विद्युत सृजन तथा आपात–उपयोगी और विद्युत संयंत्रों के लिए आपातकालीन जनरेटरों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं।

भेल–ईएमएल रेलवे ट्रेन लाइटिंग अल्टरनेटरों और रेक्टिफायर रेगुलेटिंग इकाइयों की आपूर्ति पर ध्यान देता है। भेल–ईएमएल रेलवे कोच फैक्टरियों को रेक्टिफायर रेगुलेटिंग इकाइयों को आंतरिक विनिर्माण और आपूर्ति की भी सुविधा देता है।

कार्पोरेट अभिशासन

भेल–ईएमएल का दृष्टिकोण है "इलेक्ट्रिकल मशीनों के क्षेत्र में एक वहनीय अभियांत्रिकी उद्यम बनना" और इसका मिशन है "अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद और सेवाओं का विकास और आपूर्ति का सृजन करना व सुसाध्य बनाना और हितधारकों की आशाओं को पूरा करना"।

सामाजिक दायित्व

पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग के प्रति वचनबद्धता पर बल देते हुए, भेल–ईएमएल ने पर्यावरण को हरा–भरा रखने के लिए अपने परिसर में वनरोपण कार्यक्रम के अलावा, धारणीय वर्षा जल संचयन परियोजना आरंभ की है।

वित्तीय निष्पादन

यद्यपि कंपनी के कारोबार में वर्ष 2012–13 में 26% और 2013–14 में 50% तक वृद्धि हुई, तथापि वर्ष 2013–14 के कर–पूर्व लाभ का अनंतिम आंकडा (–) ₹ 1.06 करोड़ की हानि दर्शाता है, जबकि इसकी तुलना में 2011–12 में यह हानि (–) ₹ 0.55 करोड़ की थी।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

वर्ष 2013–14 में, भेल–ईएमएल ने पर्बती तथा ट्यूरियल परियोजनाओं के लिए विद्युत संयंत्रों के लिए डीजी सेट का प्रबंध किया। भेल–ईएमएल ने चुटक परियोजना में डीजी सेट के नवीकरण का कार्य शुरू किया है। भेल–ईएमएल ने 27 पावर कार डीजी सेटों और 363 ट्रेन लाइटिंग अल्टरनेटरों के आर्डर पूरे किए हैं तथा रक्षा परियोजनाओं के लिए 21 विशेष उच्च आवृत्ति अल्टरनेटरों का विनिर्माण किया था।

2.5 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) को वर्ष 1986 में निम्नलिखित सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी के रूप में निगमित किया गया थाः

i) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), – अब रेल मंत्रालय को अंतरित, सिवाए सालेम रिफैक्ट्री यूनिट के जिसे इस्पात मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था।

ii) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल), – रेल मंत्रालय को अंतरित

iii) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) – अब रेल मंत्रालय को अंतरित

iv) ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

v) जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (अगस्त, 2003 में अधिकांश हिस्सा विनिवेश किया गया।)

vi) लगन जूट मिल कं. (प्रमुख हिस्से का जुलाई, 2000 में विनिवेश कर दिया गया है)

विनिवेश, बंदी तथा पुनर्गठन के बाद इस समय बीबीयूएनएल की केवल एक सहायक कंपनी "ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड" (बीबीजे) है।

वर्ष 2012–13 में कंपनी का उत्पादन ₹16.15 करोड़ तथा 2013–14 में ₹10.86 करोड़ मूल्य (अनंतिम) है।

2.6 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की स्थापना ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप द्वारा वर्ष 1935 में हावड़ा पुल के निर्माण के लिए की गई थी। बीबीजे 1987 में जब भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की सहायक कंपनी बन गई तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम हो गयी। कंपनी पुलों, सिविल परियोजनाओं के इरेक्शन, फेब्रिकेशन का कार्य करती है। सरकार की समग्र नीति के आलोक में कंपनी का पुनरूद्धार किया गया और सरकार द्वारा वर्ष 2005 में कंपनी के लिए एक पुनर्गठन योजना अनुमोदित की गई थी। पुनर्गठन के बाद से कंपनी निवल लाभ अर्जित कर रही है और इसकी सकारात्मक निवल संपत्ति है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से कंपनी ने अपनी संचित हानियों को समाप्त करते हुए संचित लाभ अर्जित किया है। कंपनी को मार्च 2011 में बीआन्पीएसई से "टर्नअराउंड सीपीएसई अवार्ड प्राप्त हुआ। कंपनी का उत्पादन 2012–13 में ₹ 302.11 करोड़ तथा 2013–14 में ₹268.00 करोड़ मूल्य (अनंतिम) का था।

2.7 भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड

भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद में विनिर्माण सुविधा सहित वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। बीपीसीएल तेल अन्वेषण और दोहन, तेल शोधन कारखानों, पेट्रो–रसायन, रसायन और उर्वरक, पावर (न्यूकिल्यर पावर सहित) और अन्य प्रोसेस डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हेवी ड्यूटी सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स, रेसीप्रोकेटिंग पंप्स, रेसीप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स तथा उच्च दाब वाले सीवनरहित और सीएनजी गैस सिलेण्डरों/कासकेड के विनिर्माण और आपूर्ति में लगी है। कंपनी ने 2012–13 में ₹152.74 करोड़ के कारोबार की तुलना में 2013–14 में ₹150.26 करोड़ (अनंतिम) की कमी दर्ज की है। कंपनी की हानि 2012–13 में ₹ 26.76 करोड़ से घटकर 2013–14 में ₹ 12.47 करोड़ (अनंतिम) रह गई है।

2.8 ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर) हाइड्रोकार्बन, विद्युत, एल्युमिनियम, इस्पात, रेलवे आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सिविल और यांत्रिक निर्माण तथा टर्नकी परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्माण और इंजीनियरी कंपनी है। कंपनी को बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1920 में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात्, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में सरकारी कंपनी बन गई। जून 1986 में बीएंडआर का प्रशासनिक नियंत्रण भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कर दिया गया और बाद में इसे वर्ष 1987 में धारक कंपनी मैसर्स भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल), इलाहाबाद के नियंत्रण में लाया गया। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, बीवाईएनएल दिनांक 06.05.2008 से बीएंडआर की धारक कंपनी नहीं रही और बीएंडआर सीधे भारी उद्योग विभाग के अधीन आ गया। कंपनी के पूंजी पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.09.2005 को अनुमोदित

मंगलौर रिफाइनरी एवं पेट्रो–रसायन लिम्टिेड के लिए चरण–III, रिफाइनरी प्रोजेक्ट, मंगलौर हेतु ऑफ–साइट मैकेनिकल निर्माण कार्य

गेल (इण्डिया) लिमिटेड के लिए गैस क्रेकर यूनिट, पाटा हेतु 3000 घन मीटर प्रति घंटा की अतिरिक्त क्षमता वाले मिस्ट कूलिंग वाटर सिस्टम की आपूर्ति, निर्माण, संस्थापन और शुरूआत।

किया गया था। 2005–06 में वित्तीय पुनर्गठन के बाद, बीएंडआर ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। कंपनी 2007–08 से कर पूर्व लाभ अर्जित कर रही है और 2010 में इसे मिनिरत्न श्रेणी–1 का दर्जा प्रदान किया गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कंपनी का कार्य निष्पादन उल्लेखनीय रहा है और वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी का कारोबार ₹ 1401.40 करोड़ और कर पूर्व लाभ ₹ 26.40 करोड़ था। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 2.74 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया है।

2.9 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी) को निजी क्षेत्र से वर्ष 1972 में अधिगृहीत किया गया था। इसकी चार इकाइयां हैं, जिनमें से दो मुंबई में और एक–एक चेन्नई और नागपुर में हैं। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर के पास विचारार्थ भेज गया है। जुलाई, 2003 में बीआईएफआर ने आरएंडसी को बंद करने के आदेश पारित कर दिए थे। वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी का कुल अनंतिम कारोबार ₹75.00 करोड़ रहा है। कंपनी का पुनरूद्धार करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

2.10 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल) को वर्ष 1965 में निगमित किया गया था। कंपनी के पास इस्पात के भारी ढांचों जैसे कि विद्युत पारेषण, संचार और टेलीविजन प्रसारण के लिए ऊंचे टावरों और हाइड्रोमेकैनिकल उपकरणों, प्रेशर वेसल्स आदि के विनिर्माण की सुविधा है। कंपनी रूग्ण है और इसे बीआईएफआर के विचार हेतु भेजा गया है। बीआईएफआर ने इसे बन्द करने हेतु मामला माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेज दिया है। इस बीच कर्मचारी संघ ने बीआईएफआर के आदेश के विरुद्ध एएआईएफआर में अपील दायर कर दी है। एएआईएफआर ने मामला खारिज कर दिया है।

2.11 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कंपनी की स्थापना भारत सरकार द्वारा मैसूर और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 1960 में हास्पेट (कर्नाटक) में की गई थी। कंपनी के पास हाइड्रॉलिक गेट्स, होइस्ट्स, पेनस्टॉक्स पाइप्स, क्रेन (ईओटी क्रेन) विशेष उपकरणों और पावर जेनरेशन उपकरणों की सुविधाएं हैं। कंपनी ने कुल 2012–13 में ₹1.174 करोड़ तथा 2013–14 में ₹ 0.6117 करोड़ (अनंतिम) का कारोबार किया।

2.12 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) की स्थापना वर्ष 1952 में देश की पहली दूरसंचार केवल विनिर्माता इकाई के रूप में की गई थी। कंपनी की इकाइयां रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल), नैनी (इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश और हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में हैं। एचसीएल रूग्ण है और यह वर्ष 2002 से बीआईएफआर के पास विचाराधीन है। इसकी उत्पादन गतिविधियां वर्ष 2003 से बंद हैं। बीआरपीएसई की सिफारिशों के अनुसार, एचसीएल के लिए संयुक्त उद्यम तथा एचसीएल के विलय पर विचार किया गया है। रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा संपूर्ण हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को अपने अधीन करने के संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है। हैदराबाद इकाई को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा अपने अधीन लेने हेतु एक अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार इसमें कुल 1698 कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान एचसीएल को गैर–योजना ऋण के तहत 01.04.2013 से 31.08.2013 तक की अवधि के लिए ₹ 39.73 करोड़ की राशि जारी की गई थी तथा कंपनी के नियमित कर्मचारियों की सांविधिक देयराशि का भुगतान करने के लिए गैर–योजना ऋण के तहत एचसीएल को ₹7.64 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

2.13 हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) रांची की स्थापना 31 दिसम्बर, 1958 को लौह और इस्पात उद्योग तथा खनन, धातुकर्म तथा इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपस्करों और मशीनरी के डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां और एक टर्नकी परियोजना प्रभाग है अर्थात्:–

- **हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमपीवी)**

यह यूनिट इस्पात संयंत्रों के लिए कास्ट फर्नेस व

रोलिंग मिल्स आदि, ईओटी क्रेन तथा वैगन टिपलर्स आदि जैसे मेटिरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, खनन उद्योगों के लिए 5 और 10 घन मीटर उत्खनक जैसे उपकरणों, क्रशर्स, ड्रेग लाइन्स और माइन विंडर्स आदि जैसे विस्तृत श्रेणी के उपकरणों का निर्माण करता है।

- **हेवी मशीन टूल्स लिमिटेड प्लांट (एचएमटीपी)**

  यह सीएनसी हेवी ड्यूटी मशीन टूल्स सहित भारी मशीन टूल्स तथा रेलवे, रक्षा, पावर और अन्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक विशेष प्रयोजन मशीन टूल्स की पूर्ण रेंज का निर्माण करता है।

- **फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)**

  यह रेलवे के लिए बी.जी. क्रैंक के अलावा पावर, न्यूक्लियर और अन्य क्षेत्र के लिए विभिन्न किस्म की भारी एवं मध्यम कास्टिंग्स, फोर्जिंग तथा रोल्स का निर्माण करता है। यह यूनिट, एचएमबीपी और एचएमटीपी के लिए फीडर यूनिट के रूप में भी कार्य करता है।

- **टर्नकी परियोजना प्रभाग**

  यह लो टेम्प्रेचर कार्बोनाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, कोल वॉशरीज, सिटरिंग प्लांट्स, निरंतर कास्टिंग प्लांट्स और रा मेटीरियल हैंडलिंग सिस्टम आदि के क्षेत्रों में (टर्नकी) तैयारशुदा परियोजनाओं को हाथ में लेता है।

  उत्पादन और सकल कारोबार निष्पादन, पिछले वर्ष में ₹687.74 करोड़ और ₹725.23 करोड़ की तुलना में 2012–13 में क्रमशः ₹676.77 करोड़ और ₹740.47 करोड़ का रहा है। उत्पादन के इस स्तर पर कंपनी ने 2011–12 में ₹8.58 करोड़ की तुलना में 2012–13 में ₹20.38 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया।

2.14 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरू की स्थापना 1953 में की गई थी। कंपनी में मशीन टूल्स, घड़ियों, ट्रैक्टर्स, छपाई मशीनों, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, प्रेसों, बियरिंग्स आदि के निर्माण की सुविधाएं हैं। वर्ष 2000 में, कंपनी का पुनर्गठन ट्रैक्टर कारोबार तथा खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी कारोबार के साथ एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी) के रूप में किया गया था। एचएमटी का ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र पिंजौर, हरियाणा में स्थित है तथा इसकी एक ट्रैक्टर एसेम्बली यूनिट हैदराबाद में स्थित है। आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 18.04.2013 को एचएमटी लिमिटेड की ट्रैक्टर यूनिट को ₹1083.48 करोड़ का पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित किया जिसमें ₹447.92 करोड़ का नकद निवेश तथा ₹635.56 करोड़ की गैर–नकदी सहायता शामिल है। तद्नुसार, चरण–I की पुनरूद्धार योजना के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने ₹119.73 करोड़ की देयताओं का निपटारा करने के लिए ₹30 करोड़ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए, ₹ 20 करोड़ यूको बैंक से लिए गए अल्पावधि ऋण को चुकाने के लिए, ₹45 करोड़ कार्यशील पूंजी के लिए तथा ₹11.46 करोड़ कर्मचारियों को 1997 के वेतनमान देने के लिए जारी किए हैं। एचएमटी लिमिटेड (धारक कंपनी) के ट्रैक्टर प्रभाग का उत्पादन 2012–13 में ₹63.05 करोड़ मूल्य का था तथा 2013–14 में ₹74.11 करोड़ (अनंतिम) मूल्य का है।

2.15 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

एचएमटी लिमिटेड के मशीन टूल्स कारोबार को वर्ष 2000 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। घरेलू तथा निर्यात दोनों प्रकार के बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचएमटी एमटीएल प्रिटिंग मशीनों और डाई कॉस्टिंग तथा मोल्डिंग मशीनों सहित मेटल कटिंग एवं मेटल फॉमिंग मशीनों का विनिर्माण करती है। एचएमटी एमटीएल की विनिर्माण यूनिटें बेंगलुरू, पिंजौर, कालमसेरी, हैदराबाद और अजमेर में स्थित है। कंपनी एचएमटी तथा अन्य कंपनियों की मशीनों की रिकन्डिशनिंग तथा रिफरबिसिंग के लिए भी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी को अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में विशेष उपयोग के लिए उपकरणों व मशीनों की आपूर्ति करने में विशेषता प्राप्त है। पूर्ववर्ती प्रागा टूल्स लिमिटेड, जो सीएनसी और गैर–सीएनसी मशीन टूल्स की निर्माता थी, वर्ष 1988 में एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई और वर्ष 2007–08 के दौरान इस कंपनी का एचएमटी एमटीएल के साथ विलय कर दिया गया था। एचएमटी एमटीएल का विपणन नेटवर्क उपभोक्ताओं की बिक्री तथा सेवा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में फैला हुआ है। कंपनी का उत्पादन वर्ष 2012–13 में ₹218.05 करोड़ मूल्य का और वर्ष 2013–14 में ₹155.56 करोड़ (अनंतिम) मूल्य का है।

2.16 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

एचएमटी लिमिटेड, जो भारत में घड़ी विनिर्माण की शुरूआत करने वाली पहली कंपनी है, ने एचएमटीडब्ल्यूएल को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 2000 में निगमित किया था। एचएमटीडब्ल्यूएल की घड़ी विनिर्माता यूनिट्स कर्नाटक राज्य के बेंगलुरू और टुमकुर में तथा उत्तराखंड के रानीबाग में स्थित हैं। इसके विपणन ढ़ांचे में कंपनी के शोरूम्स तथा पूरे देश में फैले डीलर्स/खुदरा विक्रेता हैं। इसकी उत्पाद रेन्ज में मैकेनिकल तथा क्वार्ट्ज दोनों प्रकार की घड़ियां शामिल हैं जो बाजार की बिल्कुल सस्ते से लेकर प्रीमियम मॉडल्स की मांग को पूरा करती हैं। कंपनी बड़े आकार की विशेष दीवार घड़ियों का विनिर्माण भी करती है। कंपनी ने रक्षा क्षेत्र तथा चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए प्रेसिशन कंपोनेन्ट विनिर्माण कार्य भी शुरू किया है। कंपनी का उत्पादन वर्ष 2012–13 में ₹14.03 करोड़ मूल्य का था तथा 2013–14 में ₹4.70 करोड़ मूल्य (अनंतिम) का है।

2.17 एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड मैकेनिकल घड़ियां बनाती है। कंपनी की श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक विनिर्माण इकाई और जम्मू में असेम्बली इकाई है। बीआरपीएसई की अनुशंसा के अनुरूप कंपनी को राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन लेने का प्रस्ताव किया गया है। सचिवों की समिति के फैसले के अनुरूप कंपनी को जम्मू एवं कश्मीर सरकार को सौंपे जाने से पूर्व भूमि को छोड़कर कंपनी की परिसंपत्तियों की नीलामी और वीआरएस स्कीम क्रियान्वित की जानी है। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय से कर्मचारियों द्वारा स्थगनादेश प्राप्ति को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस संबंध में आगे कार्रवाई स्थगनादेश हटने के बाद ही की जा सकेगी। वर्ष 2011–12 से कंपनी ने कोई उत्पादन नहीं किया है।

2.18 एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड

एचएमटी बीएल हैदराबाद में स्थित है तथा ऑटोमोबाइल और अन्य उपयोगों के लिए टेपर, रोलर, बेलनाकार रोलर व बाल बेयरिंग्स की विस्तृत रेन्ज का विनिर्माण करती है। विगत में इंडो–निप्पन बेयरिंग के नाम से ज्ञात तथा जापान की विख्यात कंपनी मैसर्स कोयो–सिको के तकनीकी सहयोग से आयात प्रतिस्थापन पर बल देते हुए स्थापित इस कंपनी का एचएमटी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण किए जाने पर वर्ष 1988 में एचएमटीबीएल एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई। कंपनी का उत्पादन वर्ष 2012–13 में ₹11.73 करोड़ मूल्य का था तथा 2013–14 में ₹14.36 करोड़ (अनंतिम) मूल्य का है।

2.19 एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड

एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर, 1974 में की गई थी और इसे देश में एचएमटी समूह की कंपनियों की एक निर्यातक कंपनी के रूप में जाना जाता है, यह एचएमटी के उत्पादों तथा अन्य भारतीय विनिर्माताओं के इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात करती है। टूल रूम्स तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के क्षेत्र में टर्न–की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर मुख्य जोर दिया जाता है। एचएमटी इंटरनेशनल को 'मिनीरत्न' का दर्जा प्रदान किया गया। कंपनी का कुल कारोबार वर्ष 2012–13 में ₹34.09 करोड़ था और 2013–14 में ₹25.08 करोड़ (अनंतिम) मूल्य का है।

2.20 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा की स्थापना प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के वास्ते वर्ष 1964 में की गई थी। कंपनी की कोटा, राजस्थान और पलक्कड़, केरल में दो विनिर्माण इकाइयां हैं। कंपनी के वर्तमान उत्पादों में अत्याधुनिक डिजिटल वितरण नियंत्रण प्रणालियां, उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रिक संप्रेषक, डेस्क/पैनल माउंटिड इंडिकेटर्स/रिकार्ड्स और अन्य हार्डवेयर, तरल एवं गैस विश्लेषक, पैनल्स, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स और रैक, कंट्रोल वाल्स और ऐक्युएटर्स, दूरसंचार प्रणालियां, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे सिग्नलिंग प्रणालियां, निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणालियां (यूपीएस) आदि शामिल हैं।

इसने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के जरिये तकनीकी सक्षमता विकसित की है तथा विशेष सोलेनॉयड वाल्स और फ्लो नोजल्स विकसित किए है जोकि न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन की नरोरा, आरएपीपी और एमएपीपी इकाइयों में व्यापक

इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पलक्कड़ इकाई ने बेला सील्ड वाल्व विकसित किए हैं, जो कि परमाणु विद्युत उत्पादन में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण एलिमेंट है, जिसके लिए इकाई को तकनीकी विकास महानिदेशालय से आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

इंस्ट्रूमेंटेशन का कुल कारोबार 2012–13 में ₹171.8 करोड़ से घटकर 2013–14 में ₹159.71 करोड़ रह गया। आर्डर बुकिंग 2012–13 में ₹150.00 करोड़ से घटकर 2013–14 में ₹125.00 करोड़ रह गई।

2.21 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आरईआईएल) का गठन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ) के संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमशः 51% और 49% की हिस्सेदारी के साथ 1981 में किया गया था। कंपनी ने एग्रो डेयरी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, सौर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल्स/प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटरों, पवन ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों तथा समाधानों को शामिल करते हुए अपने उत्पाद रेंज का विविधीकरण किया है। 1997 में मिनी रत्न का दर्जा और 1998 में आईएसओ 9001 प्रमाणन हासिल करने के साथ ही यह देश में इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टैस्टर के उत्पादन और बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आरईआईएल का कुल कारोबार 2012–13 में ₹ 241.84 करोड़ से घटकर 2013–14 में ₹216.16 करोड़ रह गया। लाभ, 2012–13 में ₹39.29 करोड़ से घटकर 2013–14 में ₹20.50 करोड़ रह गया।

2.22 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ की स्थापना इटली की मैसर्स इन्नोसेन्ट्स से पुराना संयंत्र खरीद कर, 1972 में की गई थी। एसआईएल ने 'विजय' ब्रांड नाम से स्कूटरों (दो पहिया) का वाणिज्यिक उत्पादन 1975 में शुरू किया।

कंपनी ने शुरूआत से ही निरंतर हानि उठाई। एसआईएल को 11 अगस्त 1992 को रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया और यह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के क्षेत्राधिकार में आ गई। एक पुनरूद्धार प्रस्ताव, जिसमें अन्यों के साथ–साथ निधियों का निवेश करना, डीपीई दिशा–निर्देशों में छूट देते हुए अधिवर्षिता की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना, डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार 2007 के वेतन संशोधन का कार्यान्वित करना शामिल है, को मंत्रिमंडल द्वारा 31.01.2013 को हुई बैठक में अनुमोदित किया जो कार्यान्वयनाधीन है।

इक्विटी के रूप में ₹31.90 करोड़ की निधियों के निवेश, ब्याजमुक्त के रूप में ₹ 20 करोड़ के प्रावधान, ऋणों को इक्विटी में परिवर्तिता करने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का कुल कारोबार वर्ष 2012–13 में ₹ 214.46 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹215.28 करोड़ का हो गया। एसआईएल का लाभ वर्ष 2012–13 में ₹(–)6.00करोड़ की हानि से बढ़कर 2013–14 में ₹13.60 करोड़ के लाभ में परिवर्तित हो गया।

2.23 सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना करना और सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। सीसीआई की 10 इकाइयां हैं, जो 8 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् छत्तीसगढ़ में मांधार और अकलतरा; मध्य प्रदेश में नयागांव, कर्नाटक में कुरकुंटा, असम में बोकाजन, हिमाचल प्रदेश में राजबन, आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद और तांदुर तथा हरियाणा में चरखी दादरी में और ग्राइडिंग यूनिट दिल्ली में स्थित है। 10 यूनिटों में से राजबन, हिमाचल प्रदेश, बोकाजन, असम और तांदुर, आंध्र प्रदेश स्थित तीन यूनिटें प्रचालनरत हैं। कंपनी रूग्ण

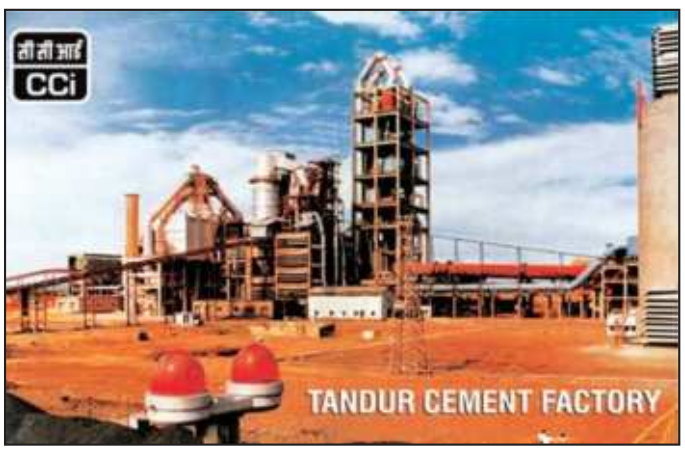

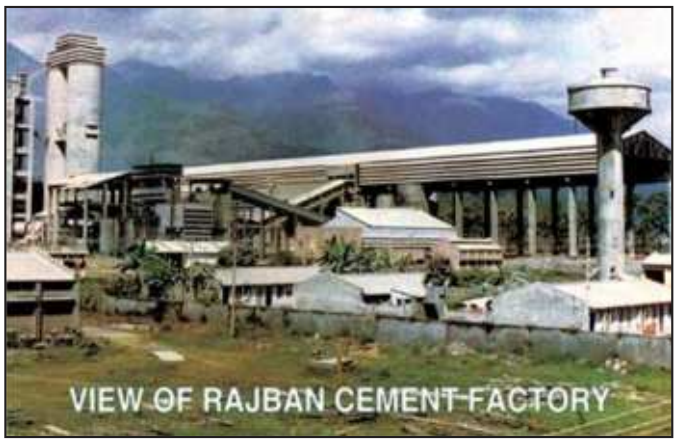
VIEW OF RAJBAN CEMENT FACTORY

हो गई तथा 1996 में इसे रुग्ण कंपनी के रूप में बीआईएफआर को सौंप दिया गया। सीसीआई का पुनरूद्धार पैकेज 2006 में अनुमोदित किया गया था जिसमें तीन प्रचालनरत संयंत्रों नामतः हिमाचल प्रदेश में राजबन, असम में बोकाजन तथा आंध्र प्रदेश में तांदुर का विस्तार/उन्नयन करने तथा आधुनिकीकरण करने और अप्रचालनरत सात संयंत्रों को बंद करने/बेचने का प्रावधान था। राजबन यूनिट का 25% क्षमता विस्तार संबंधी कार्य पूरा हो गया है। सिल्वर में ग्राइडिंग यूनिट के साथ–साथ बोकाजन यूनिट के 100% क्षमता विस्तार हेतु टर्न–की आधार पर आर्डर जारी कर दिए गए हैं। तांदुर यूनिट के प्रौद्योगिकीय उन्नयन का कार्य भी शुरू किया गया है। वर्ष 2013–14 में इसकी चालू यूनिटों की कुल ₹364.44 करोड़ की बिक्री हुई जिससे ₹11.54 करोड़ का निवल लाभ (कर–पूर्व) हुआ।

2.24 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड

हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। इसका कॉरपोरेट मुख्यालय कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित है। एचपीसी को अनुसूचित ए सीपीएसई के रूप में श्रेणीकृत किया गया है।

एचपीसी की इकाइयां

i) नगांव पेपर मिल (एनपीएम), जागीरोड, मोरीगांव, असम

ii) कछार पेपर मिल्स (सीपीएम), पंचग्राम हेलाकांडी, असम

एचपीसी की सहायक कंपनियां

i) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

ii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

एचपीसी की मिलों (सीआरएम और एनपीएम एक साथ) का क्षमता उपयोग वर्ष 2011–12 में 90% और वर्ष 2012–13 में 69% की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान 72.00% रहा। कंपनी का उत्पादन (एनपीएम और सीपीएम पर) वर्ष 2012–13 में ₹566.20 करोड़ की तुलना में 2013–14 में ₹639.93 करोड़ का है।

2.25 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल) को मूलतः एचपीसी की एक इकाई के रूप में आरम्भ किया गया था। बाद में, इस इकाई को 7.6.1983 को एचपीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदल दिया गया। यह मिल मेवलोर कोट्टयम, केरल में स्थित है। इसकी वार्षिक क्षमता एक लाख मी. टन है और यह अखबारी कागज के उत्पादन में लगी हुई है।

एचएनएल का क्षमता उपयोग 2011–12 में 102% की तुलना में वर्ष 2012–13 में 103% था। कंपनी का उत्पादन वर्ष 2012–13 में ₹348.04 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 के दौरान ₹367.52 करोड़ (अनंतिम) का हुआ।

2.26 नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड

नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) नगालैंड सरकार और हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (एचपीसी) की एक सहायक कंपनी है। एचपीसी के पास कंपनी के 94.78 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, जबकि नगालैंड सरकार शेष 5.22 प्रतिशत शेयर धारित करती है। संयंत्र में इस समय कोई उत्पादन नहीं हो रहा है जोकि अक्तूबर 1992 से निलंबित है। सरकार (भा.स.) के अनुमोदन के आधार पर बीआईएफआर ने 2007 में ₹ 552.44 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय के साथ पुनर्वास योजना को मंजूरी प्रदान की थी। इस योजना का कार्यान्वयन बाद में लागत वृद्धि आदि कारणों से रूका पड़ा था। विभिन्न विकल्पों पर लंबे विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि एनपीपीसी परियोजना को लगभग मूल स्वीकृत लागत के बराबर निवेश करके पुनः स्थापित किया जाए। तद्नुसार, प्रौद्योगिकी को पुनः समनुरूप बनाया गया और कागज की केवल लेखन तथा मुद्रण की मूल धारणा के स्थान पर पल्प और पेपर, दोनों के लिए मिश्र उत्पाद पर विचार किया गया है। ₹679 करोड़ की अनुमानित लागत के दो चरणों में निवेश पर विचार किया गया जबकि दूसरा चरण शून्य तारीख से 6वें/7वें वर्ष से शुरू होगा।

सीसीईए ने दिनांक 04.06.2013 को हुई अपनी बैठक में एनपीपीसी लिमिटेड के पुनरूद्धार के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित कियाः–

i) चरण–I में इक्विटी के रूप में भारत सरकार द्वारा ₹ 202.38 करोड़ की नव निधि का निवेश।

ii) चरण–I में सरकार की गारंटी पर वाणिज्यिक बैंकों से ₹156.50 करोड़ का आवधिक ऋण लेना।

iii) चरण–I में केपेक्स सब्सिडी के बजाय सहायता अनुदान के रूप में ₹107 करोड़ का प्रावधान।

iv) वर्ष 2007 के दौरान एनपीपीसी के पुनरूद्धार के लिए निवेश किए गए ₹ 5460 लाख की निधि के उपयोग के अनुसार अन्य कार्य में लगाने को नियमित करना।

v) अनुपूरक टिप्पणी में यथा प्रस्तावित एनपीपीसी की प्राधिकृत पूंजी को ₹150 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़ करना।

सीसीईए के निर्णय के बारे में सूचित करते हुए 2 जुलाई, 2013 को एचपीसी को आर्डर जारी किया। एनपीसीसी ने बीआईएफआर में मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर कर दी जिसमें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार पैकेज को कार्यान्वित करने हेतु ₹100 करोड़ अग्रिम राशि के रूप में जारी करने के लिए भारत सरकार को निदेश देने का अनुरोध किया गया था। बीआईएफआर ने पुनरूद्धार पैकेज के भाग के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम के रूप में ₹100 करोड़ जारी करने हेतु दिनांक 18.07.2013 को हुई बैठक में एम.ए. को अनुमोदित कर दिया। तद्नुसार, एच.पी. सी. को दिनांक 19.09.2013 के स्वीकृति आदेश के माध्यम से ₹100 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है।

2.27 जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल)

वर्ष 2007 में सरकार ने जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर (अब जिला अमेठी), उ.प्र. में यू पी पेपर मिल परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना को मई, 2008 में एचपीसी की एक सहायक कंपनी के तौर पर जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल) पंजीकृत किया गया। अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना की गतिविधियां रूकी हुई हैं। वर्ष 2013 के दौरान, यूपीएसआईडीसी को 187.59 एकड़ भूमि आबंटित की गई है और मैसर्स जेपीएमएल को भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध निदेशक, यूपीएसआईडीसी तथा सीईओ, जेपीएमएल के मध्य दिनांक 14.12.2013 को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में समक्षौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भूमि की लागत तथा अन्य आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए संशोधित प्राक्कलन 2013–14 में ₹30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। संशोधित परियोजना लागत चरण–I में ₹1650 करोड़ होगी तथा भारत सरकार द्वारा नए सिरे से धनराशि निवेश करने से सरकारी इक्विटी का भाग चरण–I में ₹733 करोड़ होगा तथा ऋण ₹917 करोड़ होगा जो सरकारी गारंटी के आधार बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया जाएगा।

2.28 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)

वर्ष 1960 में ऊटी, तमिलनाडु में स्थापित यह कंपनी फोटोसुग्राही फिल्म, सिने पाजिटिव (श्वेत–श्याम), सिने फिल्म्स साउंड निगेटिव, मेडिकल एक्स–रे फिल्म्स आदि के विनिर्माण में लगी है। कंपनी को वर्ष 1995 में बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर ने 30 जनवरी, 2003 को इसे बंद करने की सिफारिश की। मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रेड यूनियनों द्वारा दाखिल अपील के आधार पर एएआईएफआर और बीआईएफआर की कार्यवाहियों पर अंतरिम स्थगन प्रदान किया। कंपनी का उत्पादन वर्ष 2012–13 में ₹3.74 करोड़ मूल्य का था और 2013–14 में ₹1.3 करोड़ मूल्य (अनंतिम) का है। बीआरपीएसई ने दिनांक 28.06.2013 को संपन्न हुई अपनी बैठक में पाया कि एचपीएफ के पुनरूद्धार के लिए विगत में किए गए पुनरूद्धार प्रस्ताव असफल रहे हैं इसलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि व्यापक प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से कंपनी के मूल कार्यकलाप पूर्णतः अनुत्पादक हो गए हैं और हाल ही में विविधिकरण के विभिन्न प्रयास विफल हो गए हैं, एकमात्र तर्कसंगत समाधान कंपनी को बंद करना प्रतीत होता है। सीसीईए ने, अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी को समुचित रूप से बंद करने के उपाय अपनाते हुए एक आकर्षक वीआरएस पैकेज के लिए विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

2.29 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

एचएसएल सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और 1958 में जयपुर कार्पोरेट कार्यालय और खरधोदा (गुजरात) और मंडी (हिमाचल प्रदेश) में विनिर्माण इकाइयों के साथ इसकी स्थापना की गई

थी। यह सामान्य नमक और नमक आधारित रसायनों के उत्पादन में संलग्न है। इसे 13.06.2000 को रूग्ण घोषित कर दिया गया। सरकार/बीआईएफआर द्वारा अगस्त, 2005 में एक पुनरूद्धार पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई। कंपनी दिसंबर 2008 में बीआईएफआर से बाहर आ गई। कंपनी में 31.03.2014 को 111 कर्मचारी थे। कंपनी का उत्पादन 2012–13 में ₹8.61 करोड़ की तुलना में 2013–14 में ₹7.61 करोड़ मूल्य का था।

2.30 सांभर साल्ट्स लिमिटेड

जयपुर में स्थित सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसका गठन 1964 में एचएसएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के तौर पर किया गया था। इसकी अधिकृत पूंजी ₹2 करोड़ और प्रदत्त पूंजी ₹1.00 करोड़ है, जिसका 60% हिस्सा हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के पास और शेष 40% राजस्थान सरकार द्वारा अभिदत्त है। कंपनी खाने और औद्योगिक इस्तेमाल के नमक का उत्पादन कर रही है। वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी का उत्पादन ₹16.05 करोड़ का और 2013–14 में ₹18.68 करोड़ मूल्य का हुआ।

2.31 नेपा लिमिटेड

मध्य प्रदेश में स्थित नेपा लिमिटेड की स्थापना प्रारम्भ में निजी क्षेत्र में वर्ष 1947 में की गई थी। तत्पश्चात अक्तूबर, 1949 में इसका प्रबंधन राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1959 में इसमें ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करके इसका नियंत्रण हित अधिगृहित कर लिया और यह एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया। कंपनी की वन आधारित कच्ची सामग्री के साथ उत्पादन क्षमता 88,000 टीपीए अखबारी कागज की है।

मंत्रिमंडल ने ₹362.18 करोड़ के नव–निवेश से वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से नेपा लिमिटेड के पुनरूद्धार प्रस्ताव को अनुमोदित किया। इसमें से भारत सरकार को ₹234.18 करोड़ का निवेश करना, ₹599.59 करोड़ की माफी/परिवर्तन करना तथा ₹266.36 करोड़ की सीमा तक इक्विटी शेयर पूंजी की कटौती करना था। मंत्रिमंडल के कर्मचारियों के लिए 1997 के वेतनमान तथा कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु को मौजूदा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का भी अनुमोदन प्रदान किया। वेतनमान का कार्यान्वयन हो जाने के पश्चात्, 378 कर्मचारियों ने वीआरएस लिया है।

2.32 टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 05 मार्च, 1984 में निगमित किया गया था। कंपनी ने हानि उठानी शुरू कर दी और मई, 1992 में जब इसका निवल मूल्य नकारात्मक हो गया तो इसे बीआईएफआर को भेज गया। टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पुनरूद्धार हेतु प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर, 2008 में हुई बैठक में विचार किया गया था जिसमें तुलनपत्र की क्लिनिंग करके टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय पुनर्गठन तथा तत्पश्चात् कंपनी के विनिवेश का अनुमोदन किया। पुनरूद्धार योजना के अनुसार, टीसीआईएल का विनिवेश, विनिवेश विभाग के माध्यम से तुलनपत्र की क्लिनिंग के पश्चात् एकमुश्त बिक्री करके किया जाएगा। तद्नुसार, विनिवेश विभाग ने टीसीआईएल में अनुकूल बिक्री के माध्यम से प्रक्रिया के मार्गदर्शन हेतु एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया।

तद्नुसार, टीसीआईएल के विनिवेश मामले पर कार्रवाई की जा रही थी। तथापि, इसी बीच असुरक्षित ऋणदाताओं द्वारा दायर किए गए मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2013 के अपने फैसले में कंपनी को बंद करने का आर्डर दिया और एक सरकारी समापक नियुक्त कर दिया। सरकार ने इस फैसले पर स्थगन के लिए अपील की है। मामला न्यायाधीन है।

2.33 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल)

नई दिल्ली में स्थित इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) को भारत और विदेश में टर्नकी परियोजनाएं और परामर्शी सेवाएं पूरी करने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। वर्ष 2001 में अपने विषीय पुनर्गठन के बाद कंपनी में आमूल–चूल परिवर्तन हुआ है और यह सतत रूप से लाभ दर्ज करती रही है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ईपीआई ने 513 परियोजनाएं भारत में और 30 परियोजनाएं विदेश में पूरी की हैं। कंपनी ने वर्ष 2013–14 में ₹1400 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹2931.00 करोड़ मूल्य के आर्डर प्राप्त किए हैं। कंपनी ने 2013–14 में ₹1125.00 करोड़ की तुलना में ₹902.88.25 करोड़ मूल्य का कुल कारोबार किया है।

अध्याय 3

हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरी, हेवी इंजीनियरी और मशीन टूल्स उद्योग

3.1 हेवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल्स उद्योग

हेवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल्स क्षेत्र में पूंजीगत माल उद्योग शामिल है। पूंजीगत माल उद्योग के प्रमुख उप क्षेत्रों में मशीन टूल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, विनिर्माण और खनन मशीनरी और अन्य भारी उद्योग मशीनरी जैसे सीमेंट मशीनरी, रबड़ मशीनरी, धातुकर्म संबंधी मशीनरी, रसायन एवं उर्वरक मशीनरी, प्रिंटिंग मशीनरी, डेयरी मशीनरी, साज–सामान के प्रबंध उपकरण, तेल क्षेत्र उपकरण, पेपर मशीनरी आदि हैं। इन उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया है और स्वतः अनुमोदित मार्ग के अधीन 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ–साथ प्रौद्योगिकी सहयोग बिना रोक–टोक के अनुमत्य है। पुरानी और नई मशीनों का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति है।

विभाग ने मशीन टूल उद्योग और टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग विकास परिषदों का पुनर्गठन किया है। ये विकास परिषदें ऐसा मंच हैं जहाँ मशीनरी/उपकरण निर्माता, मशीनरी इस्तेमाल करने वाले और सरकारी विभागों के नीति–निर्माता विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और इन उद्योगों के दीर्घकालिक विकास के लिए फैसले लेते हैं।

भारी उद्योग विभाग की एक योजना पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए है। इस योजना से प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास तथा आधुनिक निर्माण क्षमताओं में वृद्धि करने को प्रोत्साहन मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर अग्रसर होगा।

3.1.1 मशीन टूल्स उद्योग

मशीन टूल्स उद्योग एक रणनीतिक उद्योग है जिसमें संगठित क्षेत्र में लगभग 200 मशीन टूल विनिर्माता तथा साथ ही लघु क्षेत्र में भी लगभग 400 इकाइयां हैं। इस उद्योग में बहुत उच्च सूक्ष्मता वाली सीएनसी मशीनों का विनिर्माण करने की डिजाइन और इंजीनियरी दक्षता की कमी है। धातु काटने वाले मशीन टूल्स, मेटल फोर्मिंग मशीनों, विशेष प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण संघटक विकास आदि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतर के कारण इस कमी को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के साथ–साथ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के उत्पादन, आयात और निर्यात आंकड़े निम्नानुसार तालिका में दिए गए हैं:–

केपिटल गुड्स सेक्टर के उप क्षेत्र	उत्पादन			आयात			निर्यात		
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2011-2012	2012-2013	2013-2014
मशीन टूल उद्योग	4299	3884	3481	13167	14227	11315	1384	1597	1611
वस्त्र मशीनरी उद्योग	5280	5790	6250	10373	10144	11749	1768	1790	2604
पलास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी	2060	1625	2070	1721	1619	1282	595	536	821
अर्थमूविंग, उत्पादन और खनन उपकरण	18000	16600	16000	13537	12948	12689	4514	5636	6460

3.1.2 टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग

टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग पूंजीगत माल उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें संपूर्ण मशीनरी का उत्पादन कर रही 600 से अधिक इकाइयों सहित 1446 से अधिक मशीनरी और संघटक विनिर्माता इकाइयां शामिल हैं और अन्य इकाइयां मुख्यतः वस्त्र मशीनरी के पार्ट्स और सहायक कलपुर्जों का उत्पादन करती है। टेक्सटाइल मशीनरी में छंटाई मशीनरी, कार्डिंग मशीनरी, धागों/फैब्रिक्स प्रसंस्करण मशीनरी, बुनाई मशीनरी आदि शामिल हैं।

बुनाई, प्रसंस्करण, विशेष उद्देशीय फिनिशिंग मशीन, बुनाई और गारमेंटिंग मशीनरी जैसे क्षेत्रों और महत्वपूर्ण संघटकों जैसे कि ऑटोमेशन के साथ ऑटो–कोनर एंड रोटर स्पिनिंग मशीन, वाइडर विड्थ प्रोसेसिंग मशीन आदि में प्रौद्योगिकीय अंतर है। अपर्याप्त घरेलू अनुसंधान एवं विकास के साथ–साथ बुनाई और प्रसंस्करण मशीनरी के क्षेत्र में बड़े विदेशी/घरेलू कंपनियों का अभाव एक मुख्य कमी है। पिछले तीन वर्षों के उत्पादन, निर्यात और आयात का ब्यौरा तालिका में दिया गया है:

3.1.3 प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी उद्योग

संगठित क्षेत्र में 11 प्रमुख मशीनरी विनिर्माता हैं और करीब 200 छोटे एवं मझौले विनिर्माता हैं। प्रमुख प्लास्टिक मशीनरी में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन और एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन शामिल हैं।

घरेलू विनिर्माता प्रौद्योगिकी और उत्पादन रेंज में प्रोसेसिंग उद्योग की 95% आवश्यकता को पूरा करते हैं। देश में पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों अथवा प्रौद्योगिकी लाइसेंस व्यवस्था के जरिए विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व की प्रमुख प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। उत्पादन, निर्यात एवं आयात से संबंधित आंकड़े तालिका में दिए गए हैं।

3.1.4 डाईज, मोल्ड्स एवं टूल्स उद्योग

भारतीय टूल रूम उद्योग बहुत ही खंडित है और देश में टूलिंग के डिजाइन, विकास और विनिर्माण में रत 500 से अधिक व्यावसायिक टूल मेकर्स हैं। व्यावसायिक टूल मेकर्स के अलावा, 18 गवर्नमेंट टूल रूम सह ट्रेनिंग सेंटर भी देश में प्रचालनरत हैं। प्रमुख व्यावसायिक टूल रुम स्थान हैं– मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उत्पादन, निर्यात एवं आयात से संबंधित आंकड़े तालिका में दिए गए हैं।

3.1.5 प्रोसेस प्लांट उपस्कर

देश में प्रोसेस प्लांट मशीनरी के विनिर्माण में संलग्न 200 से अधिक इकाइयां हैं जिनमें से 65% लघु और मझौले विनिर्माता हैं। प्रमुख प्रोसेस प्लांट मशीनरीज में टैंक, प्रेशर वैसल्स, एवेपोरेटर्स, स्टरर्स, हीट एक्सचेंजर्स, टावर्स एवं कॉलम्स, क्रिस्टेलाइजर, फर्नेस, आदि शामिल हैं जो कि ऊर्जा क्षेत्र, गैस, तेल, रिफाइनरी, रसायन एवं पेट्रोरसायन, उर्वरक, कागज एवं लुगदी, चीनी, सीमेंट, डेरी उद्योग आदि में प्रयोग में लाए जाते हैं।

ये क्षेत्र आज निर्माण की अलग–अलग सामग्रियों के जरिए जटिल प्रोसेस उपकरणों की अभियांत्रिकी और गढ़ाई की अत्याधुनिक प्रक्रियाओं से सज्जित हैं। इन कंपनियों का संयंत्र आकार भी बढ़ा है और इस समय ये वैश्विक कंपनियों के समतुल्य अथवा यहां तक कि उनसे बड़े हैं।

तथापि, घरेलू उद्योग में प्रोसेस प्रौद्योगिकी की तकनीकी जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र विदेशी प्रोसेस लाइसेंसर्स पर निर्भर है। हालांकि, दूसरी तरफ चीन ने अनुसंधान संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना करके प्रोसेस प्रौद्योगिकी की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है और अन्य क्षेत्रों से विशेषज्ञता अर्जित कर रहा है। प्रचालन स्तर पर, उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैल्डिंग, फोर्मिंग, मशीनिंग प्रौद्योगिकियों में सुधार किया जा सकता है। विकसित की जाने वाली लक्षित प्रौद्योगिकियों में उप समुद्र उपस्कर, तेल कुओं की ड्रिलिंग, एथलीन और गैस क्रैकर्स के लिए प्रोसेस गैस बायलर्स आदि शामिल हैं।

3.2.6 अर्थ मूविंग एवं खनन उपकरण:

भारत में वर्तमान में अर्थ मूविंग एवं खनन मशीनरी के 20 बड़े और वैश्विक विनिर्माता और करीब 200 छोटे और मझौले विनिर्माता हैं। उत्पाद रेंज में बैकहोई लोडर्स, कंपैक्टर्स, मोबाइल क्रेनें, पेवर्स, बैचिंग संयंत्र, क्राउलर क्रेनें, ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट पंप, टावर क्रेनें, हाइड्रोलिक एक्सकावेटर्स, डंपर्स, खनन बेलचे, वाकिंग ड्रेगलाइन्स, डोजर्स, व्हील लोडर्स, ग्रेडर्स,

ड्रिलिंग उपकरण आदि शामिल हैं। उत्पादन, निर्यात एवं आयात से संबंधित आंकड़े तालिका में दिए गए हैं:

भारत में ओपन कास्ट माइनिंग, भूमिगत माइनिंग की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। इसलिए, भारत में ओपन कास्ट माइनिंग के लिए आवश्यक उपकरण जैसे डंपर्स, डोजर्स, शोवल्स, ड्रेगलाइन्स और एक्सकेवेटर्स का विनिर्माण किया जाता है।

अगले 20 वर्षों के लिए उद्योग के अनुमान के आधार पर, इलेक्ट्रिक डम्प ट्रक लगभग 190 टन– 240 टन, रोप शोवेल्स लगभग 42 क्यूम, वाकिंग ड्रेगलाइन्स लगभग 72 मी. –33 घन मी.; 150 मी. –50 घन मी., हाइब्रिड ड्राइव लोडर्स लगभग 10 घन मी. बकेट, 2500 एचपी इलेक्ट्रानिकी नियंत्रित उत्सर्जन के अनुरूप ईंजन, लोंग वॉल माइनिंग सिस्टम्स और भूमिगत खानों के लिए नियमित खनन कार्यों आदि के संबंध में स्वदेशी क्षमता का विकास किए जाने की आवश्यकता है ताकि बाजार की मांग को पूरा किया जा सके जिसका वर्तमान में अधिकतर आयात किया जाता है।

अध्याय 4

ऑटोमोटिव उद्योग

4.1 ऑटोमोटिव उद्योग का परिदृश्य

ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक रूप से सबसे बड़े उद्योगों में से एक और हमारी अर्थव्यवस्था का एक स्तम्भ है। उद्योग के कई महत्वपूर्ण खंडों के साथ इसकी गहरी परस्पर आर्थिक निर्भरता और विपणन सुविधाओं की वजह से ऑटोमोटिव उद्योग का अर्थव्यवस्था पर मजबूत गुणक प्रभाव है। भारत का सुविकसित आटोमोटिव उद्योग यात्री कारों, हल्के, मध्यम और भारी व्यावसायिक वाहनों, बहु उपयोगी वाहनों, स्कूटरों, मोटर साइकिलों, मोपेड तिपहिया आदि जैसे विभिन्न किस्मों का उत्पादन करते हुए इसमें उत्प्रेरक भूमिका बखूबी अदा करता है।

नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग में जुलाई, 1991 में लाइसेंस मुक्त हो गया। तथापि, यात्री कार को वर्ष 1993 में लाइसेंस मुक्त किया गया। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर, ऑटोमोबाइल के विनिर्माण के लिए कोई इकाई स्थापित करने हेतु किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यात्री कार सहित वाहन विनिर्माण के लिए पिछले वर्षों के दौरान विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी आयात के मानदंडों का उत्तरोत्तर उदारीकरण किया गया है ताकि इस सेक्टर को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इस समय, यात्री कार खण्ड सहित इस क्षेत्र में स्वतः अनुमोदित मार्ग के अधीन 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत्य है। वर्ष 1991 से ऑटोमोबाइल क्षेत्र का धीरे–धीरे उदारीकरण किए जाने से भारत में विनिर्माण सुविधाओं की संख्या प्रगामी रूप से बढ़ी है। समुचित रूप से, इस क्षेत्र को "उगता सूर्य क्षेत्र" के रूप में प्रतिपादित किया गया था।

पिछले दशक के दौरान इस क्षेत्र ने तीव्र गति से प्रगति की है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 1992–93 में करीब 2.77% था जो अब 6.7% है। यह 17 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करवाता है और प्रत्येक ट्रक के लिए 13 व्यक्तियों, प्रत्येक कार के लिए 6 व्यक्तियों, प्रत्येक तिपहिया के लिए 4 व्यक्तियों तथा प्रत्येक दुपहिया के लिए एक व्यक्ति के लिए रोजगार सृजन करता है।

2010–11 में, भारत फ्रांस, ब्रिटेन और इटली को पीछे छोड़ते हुए विश्व का छठा सबसे बड़ा वाहन विनिर्माता बन गया। आज यह एशिया में ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा विनिर्माता, दुपहिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता, व्यावसायिक वाहनों का पांचवां सबसे बड़ा विनिर्माता और यात्री कारों का चौथा सबसे बड़ा विनिर्माता है। 2011–12 के दौरान भारत ने 40 से अधिक देशों को 29.10 लाख वाहन निर्यात किए जिनमें 0.45 मिलियन यात्री कारें और 1.54 मिलियन दुपहिया शामिल हैं।

उत्पादनः पिछले दशक के दौरान यह क्षेत्र लगभग 12–15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से विकसित हो रहा है। लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण 2008–09 के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की और तीन प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग उच्च विकास दर की स्थिति में लौट आया। भारतीय बाजार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में लोगों तक कार की कम पहुंच है। उदाहरण के लिए, जर्मनी में प्रत्येक हजार की जनसंख्या पर 565 कारें, दक्षिण कोरिया में 238 कारें और थाईलैंड में 57 कारें हैं, जबकि भारत में करीब 10 कारें हैं। वर्ष 2011–12 में, यात्री वाहन खंड, दुपहिया खंड, तिपहिया खंड और व्यावसायिक वाहन खंड, सभी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की

तुलना में क्रमशः 4.72%, 15.76%, 9.78% और 19. 83% की वृद्धि दर्ज की है। 2011–12 में, ऑटोमोटिव उद्योग का कुल कारोबार ₹ 2,64,420 करोड़ था और विनिर्माण जीडीपी और उत्पाद शुल्क में इसका योगदान क्रमशः 25% और 21% था। ₹ 52,557 करोड़ पर यह कुल भारतीय निर्यात का 3.6% बनता है जबकि ₹24,735 करोड़ पर यह कुल भारतीय आयात का 1.1% था जबकि आयात शुल्क में इसका हिस्सा 7% था। नीचे दी गई तालिका में 2007–08 से 2011–12 तक की पांच वर्ष की अवधि में सेक्टर की दीर्घकालीन प्रवृत्तियां दर्शाई गई हैं: वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक (अप्रैल से नवंबर) की अवधि के दौरान ऑटोमोबाइल का वास्तविक उत्पादन और बिक्री का विवरण नीचे दिया गया है:

जैसा कि ऊपर दी गई तालिकाओं से देखा जा सकता है, इस क्षेत्र ने कुल मिलाकर वृद्धि की है, 2007–08 में पहले आघात सहा और फिर अगले वर्ष इसने बिक्री के साथ–साथ उत्पादन में बहाली दर्शाई जिससे 2009–10 और 2010–11 में 25–27% की नाटकीय वृद्धि हुई।

निर्यातः वर्ष 2011–12 में यात्री वाहनों, दुपहिया, तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीएलपीवाई) की तुलना में क्रमशः 14.18%, 27.13%, 34.41% और 25.15% की वृद्धि दर्ज की है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग संयुक्त उद्यम, विलयों और अधिग्रहण के साथ–साथ निर्यात द्वारा वैश्विक बाजार में मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। ऑटोमोबाइल उद्योग में लगभग सभी प्रमुख वैश्विक ब्रैंड भारत में मौजूद हैं और वे निर्यात में भी योगदान कर रहे हैं। वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक की अवधि के दौरान विभिन्न ऑटोमोबाइल खंडों के निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है:

ऑटोमोबाइल उत्पादन

(संख्या हजारों में)

सेगमेंट	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल–नव.)
यात्री वाहन	1426	1517	2351	2983	3124	2118
कुल वाणिज्यिक वाहन	549	417	566	761	912	545
तिपहिया	501	501	619	800	878	540
दुपहिया	8027	8419	10513	13349	15554	10464
योग	**10854**	**11175**	14050	**17892**	**20366**	**13668**
प्रतिशत वृद्धि	(-) 2.29	2.96	25.76	27.35	13.83	2.28

स्रोतः एसआईएएम

घरेलू ऑटोमोबाइल बिक्री की प्रवृत्ति

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री की संख्या	9,654,435	9,724,243	12,295,397	15,513,156	17,376,624
वृद्धि प्रतिशत	-4.64	0.72	26.44	26.17	12.24

ऑटोमोबाइल निर्यात

(संख्या हजारों में)

सेगमेंट	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल– नव.)
यात्री वाहन	218	336	446	444	507	362
कुल वाणिज्यिक वाहन	53	37	45	74	93	55
तिपहिया	141	148	173	270	363	195
दुपहिया	819	1004	1140	1532	1947	1311
योग	**1238**	**1530**	**1804**	**2320**	**2910**	**1925**
प्रतिशत वृद्धि	22.45	23.61	18.05	28.60	25.44	(-) 4.57

स्रोतः एस.आई.ए.एम.

4.2 ऑटो संघटक उद्योगः

ऑटो संघटक विनिर्माता एसोसिएशन वाहन विनिर्माताओं, टियर–वन आपूर्तिकर्ताओं, राज्य परिवहन उपक्रमों, रक्षा स्थापनाओं, रेलवे और रिप्लेसमेंट बाजार का भी हिस्सा है। विभिन्न प्रकार के संघटक ओईएम को और विश्वभर में पश्च बाजारों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। इस खंड का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:

ऑटो कलपुर्जा उद्योग के आंकड़े

(₹ करोड़ में)

@ वर्ष परिकलित	2007-08 (₹40.2)	2008-09 (₹45.9)	2009-10 (₹ 45.0)	2010-11 (₹45.6)	2011-12 (₹48.5)	सीएजीआर
कारोबार	106530	105770	135000	181944	210442	19%
% वृद्धि	2.3	-0.7	27.6	34.8	15.7	
निर्यात	15276	18360	15300	23712	33465	22%
% वृद्धि	19.4	20.2%	-16.7	55.0	41.1	
आयात	24924	31212	29250	38760	51410	20%
% वृद्धि	61.4	25.2	-6.3	32.5	32.6	
निवेश	7236	459	7650	9120-10260	7760-9215	-
कारोबार के % के रूप में आयात	23	30	22	21	24	-
कारोबार के % के रूप में निर्यात	14	17	11	13	16	-

(कुल कारोबार में ओईएम को की गई आपूर्ति, पश्च बाजार बिक्री तथा आयातों को छोड़कर निर्यात शामिल है। इसमें ओईएम द्वारा सीमित खपत के लिए उत्पादन, गैर एसीएमए के सदस्यों, जिनकी मुख्य आपूर्तियां नॉन ऑटोमेटिव और असंगठित सेक्टर को की जाती हैं, द्वारा विनिर्मित कलपुर्जों को शामिल नहीं किया गया है।)

कुल कारोबार में निर्यात का करीब 15% हिस्सा है। उद्योग के कुल कारोबार में आयात का 32% हिस्सा है और पिछले वर्ष के मुकाबले इसें 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब तक, उद्योग निवेश में दहाई अंक में वृद्धि दर्ज करता रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, उद्योग ने नई क्षमता जोड़ना जारी रखा। वर्ष में ₹ 7990 करोड़ का क्षमता विस्तार देखा गया है तथा हरित क्षेत्र और विस्तार साथ–साथ संचालित हुए।

4.3 कृषि मशीनरी क्षेत्र

कृषि मशीनरी में मुख्यतः कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कंबाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यतः कृषि ट्रैक्टरों का प्रभुत्व है। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग वैश्विक उत्पादन में एक–तिहाई का हिस्सा रखते हुए विश्व में सबसे बड़ा (चीन में प्रयुक्त सब 20 अश्वशक्ति के बेल्ट–चालित ट्रैक्टरों को छोड़कर) है। विश्व में अन्य मुख्य ट्रैक्टर बाजार चीन और संयुक्त राज्य अमरीका हैं।

भारतीय ट्रैक्टरों का निर्यात अमरीका और मलेशिया, तुर्की आदि जैसे अन्य देशों को किया गया। भारतीय संगठनों ने सरकारी निविदा आवश्यकताओं के लिए बोली लगाकर अफ्रीकी देशों को तेजी से निर्यात करना प्रारंभ किया है। इस तरह, भारतीय ट्रैक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार्य होते जा रहे हैं। चूंकि भारत में ट्रैक्टरों की कीमत विश्व में सबसे कम है, अतः भविष्य में ट्रैक्टरों के निर्यात में सुधार की काफी संभावनाएं हैं।

4.4 अर्थ मूविंग तथा निर्माण मशीनरी

अर्थ मूविंग तथा निर्माण उपकरण (ईसीई) उद्योग का निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योग के साथ प्रमुख निर्माण संबंधी पृष्ठभूमि संपर्क है। निर्माण लागत का औसत करीब दो तिहाई भाग निर्माण सामग्री के अंतर्गत आता है। निर्माण उपकरणों के अंतर्गत विभिन्न किस्मों के यंत्र आते हैं जैसे कि हाइड्रोलिक एक्सकावेटर्स, व्हील लोडर्स, बैकहोई लोडर्स, बुलडोजर्स, डम्प ट्रक टिपर्स, ग्रेडर्स, पेवर्स, डामरीकृत ड्रम/वेट मिक्स प्लांट्स, ब्रेकर्स, वाइब्रेटरी कंपैक्टर्स, क्रेनें, फोर्कलिफ्ट्स डोजर्स, ऑफहाईवे डंपर्स (20 टन से 170 टन), ड्रिल स्क्रेपर्स, मोटर ग्रेडर्स, रोप शोवेल्स आदि। वे कई तरह के कार्य करते हैं जैसे कि मैदान तैयार करना, एक्सकावेशन, विनिर्दिष्ट तरीके से मैटीरिल डंपिंग/लेइंग की ढुलाई, सामग्री हैंडलिंग, सड़क निर्माण आदि। भारतीय अर्थ मूविंग तथा निर्माण उपकरण उद्योग पिछले कुछ वर्षों से एक मौन क्रांति से गुजर रहा है और 40% की संयोजित वार्षिक दर पर भारी विस्तार हो रहा है।

भारतीय अर्थ मूविंग तथा विनिर्माण उद्योग शहरी अवसंरचना, खनन, विद्युत, निर्माण, सिंचाई, सड़कों और राजमार्गों, भारी अवसंरचना आदि से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में सेवा करता है। इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है जिसने निर्माण और अर्थमूविंग उपकरणों की मांग बढ़ा दी है। आने वाले समय में अर्थमूविंग उपकरणों की जबर्दस्त मांग बने रहने की आशा है। वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप, निष्क्रिय वैश्विक क्षमताओं से उपकरणों के आयात और प्रयुक्त किए जा चुके तथा सेकिंड हैंड उपकरणों के आयात में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रयुक्त किए जा चुके क्रालर्स क्रेनों और मोबाइल क्रेनों के आयात का हिस्सा भारतीय बाजार में कुल खपत का लगभग 50 से 80 प्रतिशत है। अतः घरेलू निर्माण और अर्थमूविंग उपकरण विनिर्माण उद्योग के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई समान अवसरों का अभाव है।

4.5 भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा ऑटो क्षेत्र के संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहलें

भारी उद्योग विभाग ऑटोमोबाइल और ऑटो–संघटक उद्योग के लिए नोडल विभाग होने के नाते इसके विकास के लिए विभिन्न मंचों पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाता है। इस संबंध में, भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित पैराओं में दिया गया है:

4.5.1 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

भारत सरकार (भारी उद्योग विभाग) ने इलेक्ट्रिक वाहनों (हाईब्रिड वाहनों सहित) के तीव्र अंगीकरण और उनके भारत में विनिर्माण के लिए नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनएमईएम) का

अनुमोदन किया है। इस विभाग ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने का विस्तार करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (हाईब्रिड सहित), और उनके संघटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाने हेतु नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनसीईएम) और नेशनल बोर्ड फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनबीईएम) की भी स्थापना की है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 के तौर पर राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज एनबीईएम द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों और संरचना पर आधारित है। नेशनल कांउसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनसीईएम) की बैठक भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 29.08.2012 को आयोजित की गई थी, जिसने **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020** को अनुमोदित किया। यह जीवाष्म ईंधन पर निर्भरता और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को वर्ष 2020 तक महत्वपूर्ण स्तर तक कम करने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड मोबिलिटी को धीरे–धीरे लागू करने के लिए एक दूरदर्शी दस्तावेज है। यह भारत को इलेक्ट्रिक/ हाईब्रिड मोबिलिटी खंड के कुछेक उप क्षेत्रों में एक गंभीर वैश्विक प्लेअर बनाने के लिए उद्योग क्षमता का लाभ उठाने की भी कल्पना करता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 9 जनवरी, 2013 को एनईएमएमपी 2020 की शुरूआत की।

- एनईएमएमपी 2020 उद्योग के साथ साझेदारी में सरकार द्वारा संचालित गहन मूल विवरण आधारित अध्ययन के निष्कर्षों को ग्रहण करता है। एनईएमएमपी 2020 तत्वतः ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006–16 से संबंधित है और विभिन्न हस्तक्षेपों की अनुशंसा करता है जिनका उद्देश्य मांग सृजन, अनुसंधान एवं विकास और अवसंरचना का विकास है। इससे प्रकट होता है कि 2020 तक 6–7 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन (हाईब्रिड सहित) की बिक्री के परिणामस्वरूप 2.2–2.5 मिलियन टन तक ईंधन बचत हासिल की जा सकती है। इन प्रयासों से राष्ट्र के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अत्यधिक अपेक्षित आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। दरअसल, प्रस्तावित प्रचुर जीवाष्म ईंधन बचत से सरकार द्वारा किए गए निवेश से भविष्य में निवल सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है।

4.5.2 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड

भारत में ऑटोमोटिव उद्योग की आरएंडडी मेट्रिक्स को कार्बनिक अधिरचना की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड की अवधारणा को नैट्रिप की स्वाभाविक प्रगति के तौर पर लिया जाता है जब यह अंततोगत्वा अपने जीवन चक्र को पूरा करेगी। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) के गठन का प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 18.10.2012 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया। एनएबी सरकार के ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जारी और नई पहलों में संचालित किए जा रहे सभी प्रयासों और कदमों के प्रति मार्गदर्शन, समन्वय और तालमेल का काम करेगा, विशेषकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, व्यवस्थित परिवहन प्रणाली, ऑटोमोटिव परीक्षण, सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास और ऑटोमोटिव प्लान 2006–16 की सिफारिशों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में योगदान करेगा। यह सरकार, उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के बीच संगठन संबंधी विचार–विमर्श के लिए केन्द्र बिंदु होगा और भारी उद्योग विभाग के अधीन ऑटोमोटिव क्षेत्र की विशेषज्ञता के भंडार के तौर पर काम करेगा। एनएबी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1957 के अधीन एक स्वायत्त पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार से अपेक्षित कुल अनुमानित वित्तीय सहायता लगभग ₹2.02 करोड़ है। एनएबी के लिए धनराशि ऑटोमोटिव उपकर (भारी उद्योग विभाग के भीतर ऑटो और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद द्वारा संचालित) से उपलब्ध करवाई जाएगी जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग के लाभ और विकास के लिए किया जाना है। बोर्ड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाया जाएगा। एनएबी के तीन वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है और इसके बाद सरकार से आगे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

4.5.3 ऑटोमोटिव और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद (डीसीएएआई)

डीसीएएआई की पिछली बैठक 04.10.2012 को सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में हुई थी। यह बैठक क्षेत्र के विकास और एएमपी लक्ष्यों को हासिल करने के मुद्दों पर केन्द्रित रही। यह मंच सरोकार के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के लिए अवसर उपलब्ध करवाता है जिनके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित नीतियां बनाई जा सकें और अन्य कार्य क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

4.5.4 ऑटोमोटिव क्षेत्र के संबंध में भारत–जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक

ऑटोमोटिव क्षेत्र के संबंध में भारत–जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना भारत–जर्मन संयुक्त औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग आयोग के तत्वावधान में की गई थी। ये पांचवां संयुक्त कार्य दल है; अन्य चार दल कृषि, कोयला, अवसंरचना और पर्यटन के क्षेत्र में हैं। संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक 06.02.2009 को नई दिल्ली में हुई जहां तीन कार्य उप दलों का गठन किया गया 1. प्रौद्योगिकी, 2. व्यावसायीकरण एवं रूपरेखा विकास और 3. सांस्थानिक सहयोग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। संयुक्त कार्य दल की पिछली बैठक जर्मनी में मार्च, 2012 के दौरान आयोजित की गई थी।

4.5.5 पर्यावरण के अनुकूल वाहनों (ईएफवी) पर अनौपचारिक समूह

हालांकि, ऑटोमोटिव विनियमों के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, भारी उद्योग विभाग को भी ऑटो क्षेत्र के नोडल मंत्रालय के तौर पर डब्ल्यूपी–29, ऑटोमोटिव विनियम तैयार करने के लिए यूएनईसी के अधीन एक वैश्विक संस्था की बैठकों में भाग लेना होता है क्योंकि भारत ने 1958 के समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। जीआरपीई (डब्ल्यूपी–29), यूएनईसीई के अधीन ईएफवी पर अनौपचारिक दल के लिए अध्यक्ष, सह अध्यक्ष और सचिवालय की जिम्मेदारी भारत को दी गई है। डब्ल्यूपी–29 मानदंडों के अनुसार, अनौपचारिक दल को जीआरपीई/डब्ल्यूपी–29 की बैठकों के विषयों पर विचार–विमर्श करना और जीआरपीई/ डब्ल्यूपी–29 को प्रगति रिपोर्ट देना अपेक्षित होता है। भारी उद्योग विभाग को भी 2012 तक अर्थात् अगले ईएफवी सम्मेलन की अवधि तक जो कि अमरीका में होना है, के लिए अनौपचारिक दल के सचिवालय के तौर पर कार्य करना है।

4.5.6 ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी)

भारी उद्योग विभाग ने मशीन टूल्स, भारी इलेक्ट्रिकल, ऑटो उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त, प्रशिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण से "कौशल विकास योजना तैयार करने" के लिए कदम उठाए हैं ताकि वर्तमान राजकोषीय वर्ष में और भविष्य में सुव्यवस्थित और उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित की जा सके। जहां तक ऑटो क्षेत्र का संबंध है, उद्योग में कौशल अंतरों की पहचान का कार्य एएमपी 2006–16 तैयार करने के दौरान बनाए गए विशेषीकृत दल के जरिए संचालित किया गया, जिसके अनुसार उद्योग को 2016 तक 25 मिलियन अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होगी। विभिन्न अवसरों पर विभाग में हुए विचार विमर्श के आधार पर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। तद्नुसार, एनएसडीसी की देखरेख में एक ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी) की स्थापना की गई है। पहले साल के लिए प्रायोगिक परियोजना के लिए ₹75 लाख का आरंभिक अनुदान भी उपलब्ध करवाया गया है। प्रायोगिक परियोजना ऑटो क्षेत्र से संबंधित 3 व्यापारों को शामिल करते हुए क्रियान्वित की गई। 24 व्यापारों से सम्मिलित पूरी परियोजना एएसडीसी के पास प्रस्तुत करने के लिए रखी हुई है।

4.5.7 वाहन की उपयोगिता समाप्त (ईएलवी) नीति

यद्यपि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके वाहन की उपयोगिता समाप्त नीति के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने में संलग्न है। इस मामले में भारी उद्योग विभाग की मुख्य भूमिका ऐसी नीति निर्धारित करने से पहले सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करते हुए एक उपयुक्त खाका उपलब्ध/तैयार करने की है। ईएलवी के एक वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए अवसंरचना तैयार किए जाने की जरूरत है। पुराने वाहन स्वेच्छा से समाप्त करने के लिए देने हेतु लोगों में जागरूकता और सहमति

कायम करने की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए प्रोत्साहन या कुछ नीतिगत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कुछ अन्य संबद्ध मुद्दे भी हैं जिनमें वाहन मालिकों के लिए प्रतिपूर्ति संरचना, स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण/सार्वजनिक स्वास्थ्य/संरक्षा प्राचलों की स्थापना, स्क्रैपिंग/निस्तारण केन्द्रों पर वाहनों के संग्रहण की व्यवस्था, कच्चे माल की रीसाइक्लिंग और स्क्रैपिंग केन्द्रों के बीच संपर्क आदि शामिल हैं। इस परिप्रेक्ष्य से, वाहन की उपयोगिता समाप्त करने संबंधी एक कोर ग्रुप का गठन संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित किया गया है। यह कोर ग्रुप ऑटो रीकॉल और एंड ऑफ लाइफ (ईएलवी) पर अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करेगा। कोर ग्रुप की पहली बैठक 15.01.2013 को हुई।

4.5.8 उपकर कोष से अनुदान की निर्मुक्ति

उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 की शर्तों के अनुरूप 1983 में जारी अधिसूचना के अनुसार एक प्रतिशत के 1/8वें भाग की दर से ऑटोमोबाइल्स की बिक्री पर उपकर लगाया जाता है। कानून के अनुसार, इसे अनुसूचित उद्योग के लाभ और विकास के लिए विकास परिषद को उपलब्ध कराया जाता है (इस मामले में ऑटोमोटिव उपकर)। प्रशासनिक सुविधा के लिए इस उपकर को संग्रह उत्पाद कर के संग्रह के साथ किया जाता है, परंतु इसे अलग लेखा शीर्ष के तहत रखा जाता है। इस धन का इस्तेमाल ऑटोमोटिव एवं संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष सचिव, भारी उद्योग विभाग हैं और इसे सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में उपकर समिति की पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए उद्योग के लाभ के लिए पूर्व–प्रतिस्पर्द्धा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। प्रेषित प्रस्तावों का मूल्यांकन स्क्रीनिंग कमेटी और तकनीकी उप समिति द्वारा किया जाता है। उपकर समिति के सभी फैसले और वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति डीसीएएआई को सूचित की जाती है और उन पर विचार विमर्श भी किया जाता है। 1984–85 और 2011–12 के बीच, ₹379.28 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 194 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। 2011–12 के दौरान, ₹18.29 करोड़ अनुमोदित किए गए जिनमें ₹13.91 करोड़ 2009–10 से जारी 7 परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए थे और ₹4.38 करोड़ 4 नई परियोजनाओं के लिए अनुमोदित किए गए थे। इस वर्ष, उपकर समिति की बैठक 30.01.2013 को आयोजित की गई जिसने ₹20 करोड़ की राशि जारी करने का अनुमोदन किया।

4.5.9 यूनिडो–एसीएमए क्लस्टर विकास परियोजना

उप समिति ने अगले तीन वर्षों के दौरान ₹11.25 करोड़ की लागत पर वर्ष में यूनिडो–एसीएमए क्लस्टर विकास परियोजना के चरण–1 को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अनुसार, वर्ष 2012–13 में ₹ 3.1 करोड़ ऑटो उपकर कोष से जारी किए जाएंगे। परियोजना का उद्देश्य ऑटोमोटिव संघटक उद्योग में घरेलू एसएमई के कार्य–निष्पादन में वृद्धि के लिए लघु और मझौले उद्यमों को व्यावहारिक सेवाएं उपलब्ध करवाना है ताकि वे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हो सकें और संगत आपूर्ति श्रृंखला की अपेक्षाएं (गुणवत्ता, लागत और सुपुर्दगी) पूरी कर सकें, छोटे स्तर के आपूर्तिकर्ताओं सहित भारत में आपूर्ति श्रृंखला के साथ संख्या में बढ़ रहीं लक्षित कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता का स्तरोन्नयन और उसमें वृद्धि की जा सके।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अनुसंधान और विकास

5.1 भारत ने व्यापक किस्म की बुनियादी और पूंजीगत सामग्रियों के उत्पादन के लिए सुदृढ़ और विविधीकृत विनिर्माण आधार स्थापित किया है जिससे कि भारी इलेक्ट्रिकल, विद्युत उत्पादन और पारेषण उद्योगों, प्रोसेस उपकरण ऑटोमोबाइल्स, जहाजों, विमानोंज, खनन, रासायनिक, पेट्रोलियम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा काफी कम है। विकास की काफी क्षमता है, जो कि एक वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में सुधार और प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर आधारित होनी होगी। प्रतिस्पर्द्धात्मकता में नवीनीकरण और नई प्रौद्योगिकियों का अनुपालन प्रमुख कारक होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था के मुक्त होने और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के प्रवेश ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामग्रियों के उत्पादन और सेवाओं की आवश्यकता को काफी बढ़ा दिया है। भारतीय उद्योग ने तेजी से परिवर्तनशील वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यम भी सहयोग और आंतरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियां अपनाने और लागू करने की अपनी योजनाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.2 ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) को सरकार ने दिनांक 25 जुलाई, 2005 को अनुमोदित और भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 31 अगस्त, 2005 को अधिसूचित किया था। नेट्रिप ₹ 2288.06 करोड़ के कुल निवेश से भारत में विश्व–स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आधिकारिक प्रमाणन सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना करता है। प्रमुख सुविधाएं देश के तीन ऑटोमोटिव केन्द्रों दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना का लक्ष्य (i) वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्य–निष्पादन मानक प्रारम्भ करने में सरकार को समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना सृजित करना, (ii) भारत में विनिर्माण गहन करना, रोजगार संभावना में महत्वपूर्ण वृद्धि करने और ऑटोमोटिव इंजीनियरी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की ताकत का अभिसरण सुविधाजनक बनाते हुए मूल्यवर्धन का और अधिक संवर्धन करना (iii) निर्यातों में बाधाएं हटाकर इस क्षेत्र में भारत की काफी कम वैश्विक पहुंच को बढ़ाना और (iv) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बुनियादी उत्पाद परीक्षण वैधीकरण और विकास अवसंरचना को अशक्त करने वाले अभाव को हटाना है।

5.2.1 **यह परियोजना निम्नलिखित सुविधाएं स्थापित करने की संकल्पना करती है:–**

i) हरियाणा राज्य के मानेसर में ऑटोमोटिव उद्योग के उत्तरी केन्द्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और आधिकारिक प्रमाणन केन्द्र।

ii) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के समीप स्थान में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी केन्द्र के भीतर एक पूर्ण विकसित परीक्षण और आधिकारिक प्रमाणन केन्द्र।

iii) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे और वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान

(वीआरडीई), अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण और आधिकारिक प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन।

iv) मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर के निकट पीथमपुर में 4,140 एकड़ से अधिक भूमि पर परीक्षण ट्रैक और विकास परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाओं/सुविधाओं के साथ विश्व–स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण स्थल।

v) उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली में देश के उत्तरी भाग में दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण और विशिष्ट ड्राइविंग प्रशिक्षण की राष्ट्रीय सुविधा के साथ राष्ट्रीय ट्रैक्टरों और ऑफ रोड वाहन परीक्षण केन्द्र।

vi) असम राज्य में धोलचोरा (सिल्चर) में राष्ट्रीय विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र तथा क्षेत्रीय प्रयोगरत वाहन प्रबंध केन्द्र।

5.2.2 अनुमोदित निधिकरण पैटर्न

अप्रैल, 2011 में, आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव, वैधानिक करों, इनपुट लागत में बढ़ोतरी, आपूर्ति की संभावना में परिवर्तन आदि जैसे अन्य कारणों से ₹ 570.06 करोड़ की बजटीय वृद्धि के साथ मूल अनुमोदित लागत अनुमान ₹1718 करोड़ के स्थान पर नेट्रिप के लिए संशोधित लागत अनुमान ₹ 2286.06 करोड़ का अनुमोदन किया है। कुल ₹ 2288.06 करोड़ की बजटीय वृद्धि निम्नलिखित तरीके से मंजूर की गई है:

(क) सरकार द्वारा योजना सहायता

अनुदान के जरिए: ₹ 1754.29 करोड़

ऋण के जरिए: ₹ 511.28 करोड़

(ख) प्रयोक्ता प्रभार ₹22.49 करोड़

कुल परियोजना लागत (क+ख): ₹ 2288.06 करोड़

5.2.3 अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन

नेट्रिप केन्द्र न केवल वैश्विक ऑटोमोटिव परीक्षण मानकों की अपेक्षाएं पूरी करेंगे बल्कि इनमें प्रौद्योगिकियों के उभरते क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान के लिए कई "उत्कृष्टता केन्द्र" भी उपलब्ध होंगे। "उत्कृष्टता केन्द्र" आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की शक्तियों का उपयोग अगली पीढ़ी की भारतीय ऑटोमोटिव सक्षमताओं में अभिवृद्धि हेतु सुविधाजनक होंगे। नेट्रिप के अधीन नियोजित उत्कृष्टता के उन्नत अनुसंधान एवं विकास केन्द्र निम्नानुसार हैं:–

1. मानेसर केन्द्र:

क) संघटक

ख) शोर, कंपन एवं कठोरता

2. चेन्नई केन्द्र:

क) सहनशील सुरक्षा

ख) इलेक्ट्रो–मैगनेटिक सक्षमता,

ग) इन्फोट्रोनिक्स

3. एआरएआई, पुणे:

क) श्रमक्षमता

ख) पावर ट्रेन

ग) सामान

4. इंदौर परीक्षण मैदान:

क) वाहन गतिशीलता

5.2.4 नेट्रिप सुविधाएं नए संघटकों के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया चलाएंगी, जिसमें शामिल है:

1. अनुसंधान रणनीति: बाजार लक्षित और आरएंडडी गतिविधियों का निवेश/उनकी आउटसोर्सिंग।
2. अवधारणा विकास: बनावट, रचना और इंजीनियरी।
3. उत्पाद विकास: सामान और प्रतिकृति बनाना।
4. औद्योगिकीकरण: लागत कटौती, गुणवत्ता सुधार।
5. उत्पाद उपयोगकाल: गुणवत्ता और श्रम क्षमता।

सभी नेट्रिप आर एंड डी केन्द्रों में विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी और विश्व के विभिन्न हिस्सों से ग्राहकों को आकर्षित करना भी इनका उद्देश्य है। इन केन्द्रों पर ऊपर वर्णित क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान कार्य

भी किए जाएंगे और प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहयोग भी होगा। रायबरेली केन्द्र पर एक दुर्घटना डाटा विश्लेषण केन्द्र स्थापित किया गया है जो कि पुलिस कर्मियों और अन्य संगत लोगों को डाटा संग्रहण और विश्लेषण में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह केन्द्र दुर्घटना पुनर्निर्माण, कारण विश्लेषण के लिए भी काम करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद करेगा।

5.2.5 स्थलवार प्रगति

I) मानेसर साइटः

i) दो पीडब्ल्यूटी1 एमएसीडी प्रयोगशालाएं पूरी कर ली गईं और प्रचालनरत कर दी गई हैं। पीडब्ल्यूटी4 पैकेज के अंतर्गत एसएचईडी सुविधा भी प्रचालनरत तथा पूरी तरह कार्यशील है।

ii) त्वरित प्रोटोटाइपिंग सुविधा पूर्णतः प्रचालन में है और ईडी शैकर और जलवायु चैंबर युक्त एफएटी2 पैकेज प्रचालन में है।

iii) टैंक पेन्डुलम हैड रिस्ट्रेन्ट परीक्षण स्थापना, आंतरिक फिटमेंट परीक्षण स्थापना युक्त प्रमाणन प्रयोगशाला, विन्डो रिटेन्शन परीक्षण स्थापना को चालू कर दिया गया है और उद्योग के उपयोग हेतु तैयार है।

iv) फटीग प्रयोगशाला उपस्कर निविदा प्रदान की गई और साइट पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

v) एनवीएच प्रयोगशाला उपस्कर अगस्त, 2011 में प्रदान किए गए हैं।

vi) सहनशील सुरक्षा पैकेज के अंतर्गत पैदल यात्री प्रयोगशाला पूरी तैयार है और प्रचालनरत है।

vii) मानेसर साइट–II का निर्माण प्रगति पर है।

II) सिल्चरः

i) प्रचलित घरेलू वाहन प्रबंधन केन्द्र और पर्वतीय ड्राईविंग प्रशिक्षण केन्द्र से सुरक्षित वाहन उपयोग और सुरक्षित ड्राईविंग विकसित करने में मदद मिलेगी।

ii) आईएमएस (निरीक्षण एवं अनुरक्षण स्टेशन) भारत में अपनी प्रकार की पहली सुविधा है। नियत लेन सुविधा चालू हुए लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं। मोबाइल लेन, जो शायद भारत में अपनी तरह की एकमात्र सुविधा है, को भी मई, 2013 से चालू किया जा चुका है।

iii) 24000 वर्गफुट परिसर आकार का मैकेनिक्स संस्थान, जिसमें बहुत सी कर्मशालाएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, वैल्डिंग,डीजल, ऑटोमोटिव असेम्बली आदि, साथ में वातानुकूलित क्लासरूम और संकाय रूम तथा पुस्तकालय क्षेत्र हैं। भवन मैकेनिक्स प्रशिक्षण संस्थान एसडीआई स्कीम के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। चालू वित्त वर्ष में, 5वां बैच एयूआर–101 (ऑटोमोटिव सर्विसिंग) पाठ्यक्रम के तहत जारी है। प्रयोगशाला सुविधाओं जैसे कि डीजल प्रयोगशाला, गैसोलीन प्रयोगशाला, वेल्डिंग प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक एवं मरम्मत प्रयोगशाला, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक और सिस्टम प्रयोगशाला की स्थापना के साथ नए पाठ्यक्रमों का संवर्धन किया जा रहा है।

iv) उक्त सुविधा में 100 प्रशिक्षुओं तथा अतिथि संकाय को समायोजित करने के लिए एक कैंटीन और 25000 वर्गफुट से अधिक आकार का अतिथि भवन है।

v) नेटिस ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ मैकेनिक्स प्रशिक्षण संस्थान और ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान के लिए क्रमशः 30 मार्च, 2012 और 6 नवंबर, 2012 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एलएमवी फ्रेशर पाठ्यक्रमों के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण जारी है। सैद्धान्तिक ज्ञान के लिए कक्षा सुविधा तथा वाहन प्रौद्योगिकी अद्यतन जानकारी हेतु ई–लर्निंग साफ्टवेयर अभ्यर्थियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है।

vi) ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) ने 'ड्राईविंग सिम्युलेटर प्रयोगशाला' चालू की है जिसमें उन्नत और नवीन प्रौद्योगिकी युक्त ड्राइविंग सिम्युलेटर हैं। डीटीआई ने

एक पर्वतीय प्रशिक्षण ट्रैक और एक समतल सड़क प्रशिक्षण ट्रैक भी चालू किया है। इस केन्द्र का उद्घाटन अभी किया जाना बाकी है परंतु प्रशिक्षण पहलेही शुरू हो चुका है। केन्द्र अभी तक ड्राइविंग प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के 9 बैचों को प्रशिक्षण दे चुका है।

vii) इस केन्द्र ने सड़क दुर्घटना के कारणों तथा उनको कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर आरम्भिक अनुसंधान विश्लेषण भी किया है और अनुसंधान निष्कर्षों का प्रकाशन भारतीय सड़क कांग्रेस जरनल (अप्रैल–2013 अंक) में किया है।

iii) चेन्नई:

i) एमएसीडी प्रचालनरत है और फिलहाल केन्द्र के लिए राजस्व सृजित कर रहा है।

ii) फटीग प्रयोगशाला (वाइब्रेशन शेकर और जलवायु चैंबर सुविधा) पूर्णरूपेण कार्यशील है।

iii) बल्बों और लाइट असेम्बलियों के परीक्षणों के लिए सुविधाओं वाली प्रमाणन प्रयोगशाला तैयार हो गई है।

iv) बंपर पेंडुलम, टैंक पेंडुलम, हेड रिस्ट्रेंट टेस्टी स्थापना, इंटिरियर फिटमेंट परीक्षण स्थापना, विंडो रिटेन्शन परीक्षण स्थापना, ट्रैक्शन कंप्रेशन मशीन चालू हो गई और उद्योग के उपयोग के लिए तैयार है।

v) पैदल यात्री सुरक्षा परीक्षण सुविधा पूरी तरह तैयार है और उद्योग के उपयोग के लिए तैयार है।

vi) सभी गैर–तकनीकी भवन अगस्त, 2013 में बना लिए गए थे।

vii) परीक्षण ट्रैकों, फटीग प्रयोगशाला तथा ईएमसी परीक्षण सुविधा का कार्य प्रगति पर है।

iv) इंदौर:

i) मध्य प्रदेश सरकार ने पीथमपुर में 4140 एकड़ जमीन भारी उद्योग विभाग को स्थानांतरित कर दी है।

ii) भवन निर्माण कार्य पूरा होने के विकसित चरण में है।

iii) साइट पर चेसिस डायनामोमीटर, केएंडसी मशीन, स्टियरिंग टैस्ट रिग, इलास्तोमर टैस्ट रिग, शॉक एब्जार्बर टैस्ट रिग जैसे उपकरण लगाए जाने और चालू किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

iv) परीक्षण ट्रैक के निर्माण की संविदा रद्द कर दी गई है और नई निविदा जारी की गई है।

v) एआरएआई, पुणे:

i) सिविल कार्य अगस्त, 2012 माह में शुरू हुआ था। निर्माण कार्य अब पूरा होने के करीब है। विभिन्न यूटिलिटीज संविदा दी जा चुकी हैं और उनको स्थापित किए जाने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

ii) एफएटी2 पैकेज, जिसमें ईडी शेकर और जलवायु चैंबर शामिल हैं, जनवरी, 2013 से प्रचालन में है।

iii) ट्रांजियंट डायनो तथा उत्सर्जन उपकरण युक्त पीडब्ल्यूटी2 और पीडब्ल्यूटी3 पैकेज कार्य कर रहे हैं।

iv) संघटकों के लिए एमएएसटी लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और प्रचालनरत हैं।

v) पावर ट्रेन प्रयोगशाला, पेसिव सुरक्षा प्रयोगशाला और फटीग प्रयोगशाला हेतु विभिन्न उपकरणों को प्राप्त कर लगाया जाने का कार्य प्रगति पर है।

vi) वीआरडीई, अहमदनगर:

i) नेट्रिप के तहत वित्तपोषित नई ईएमसी प्रयोगशाला पूरी हो चुकी है।

ii) नेट्रिप के अंतर्गत वित्तपोषित एबीएस टैस्ट ट्रैक्स पूरे बना लिए गए हैं।

vii) रायबरेली:

i) दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण केन्द्र (एडीएसी) की परिकल्पना भारत सरकार द्वारा नीति तैयार करने के लिए तथा दुर्घटनाओं, मौतों एवं नुकसान की संख्या व मात्रा कम करने

के लिए वाहनों और राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दुर्घटना आंकड़ा संग्रहण, विश्लेषण और अनुसंधान पर अत्याधुनिक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में की गई थी। एडीएसी फरवरी, 2013 में चालू किया गया है। दुर्घटना आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आईआईटी–दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दो वोल्वो बस अग्निकांड में एडीएसी दल द्वारा आरंभिक जांच रिपोर्टों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

ii) रायबरेली परियोजना के अंतर्गत एनसीवीआरएस की शेष सुविधाएं स्थापित करने के लिए भारी उद्योग विभाग और जीसी, नेटिस द्वारा यथा अनुमोदित पूरा भुगतान करने के पश्चात यूपीएसआईडीसी से त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 120 एकड़ भूमि खरीदी गई है। भूमि अधिग्रहित करने और चारदीवारी बनाने का कार्य जारी है।

5.3.1 ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)

पुणे, महाराष्ट्र, भारत के पश्चिमी भाग में सुरम्य स्थलों के बीच स्थित और करीब 15000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) में विभिन्न परीक्षण सुविधाएं हैं।

एआरएआई एक सहकारी अनुसंधान संगठन है जिसकी स्थापना 1966 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में भारतीय वाहन एवं ऑटोमोटिव सहायक विनिर्माताओं और भारत सरकार ने की है। एआरएआई भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से संबद्ध और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त है। यह एक आईएसओ 9001–2008, आईएसओ 14001–2004 और ओहसास 18001–2007 प्रमाणित संगठन है और अपनी प्रमुख प्रमाणन सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से भी प्रत्यायित है।

एआरएआई 1860 के 21 वें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है और प्रमुख ऑटोमोबाइल तथा सहायक विनिर्माता इसके सदस्य हैं। इसकी शासकीय परिषद में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से सदस्य और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

एआरएआई सुरक्षित, कम प्रदूषण करने वाले और अधिक दक्ष वाहन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अनुसंधान एवं विकास परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और वाहन संबंधी विनियम तैयार करने में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। एआरएआई की अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण सुविधाओं का वृद्धित उपयोग प्रायोजित और आंतरिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा आधिकारिक प्रमाणन क्रियाकलापों के लिए किया जाता है।

एआरएआई के पास 605 (प्रशिक्षुओं सहित) अनुभवी और सुप्रशिक्षित मजबूत मानव संसाधन हैं जिनमें से 486 तकनीकी हैं। इनमें से अधिकतर को विदेशों में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

5.3.2 कार्य–निष्पादन

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष में एआरएआई की कुल आय ₹168.90 करोड़ थी जिसमें से प्रचालन आय ₹151.78 करोड़ थी। इस वर्ष, 30 सितंबर, 2013 तक कुल आय ₹ 78.49 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए कुल संभावित आय ₹175.49 करोड़ है।

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान खोले गए कुल टाइप अनुमोदन मामले 1980 थे और इस वर्ष 30.09.2013 तक कुल 903 मामले खोले गए हैं।

5.3.3 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

अपने अनुसंधान कार्यक्रम के तहत, एआरएआई उद्योग की संगत और वर्तमान आश्यकताओं पर आधारित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित करता है जिसका उद्देश्य सक्षमता सृजन और प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण करना है। वर्तमान में संचालित की जा रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

क्र.स.	परियोजना का नाम	परियोजना के पूरा होने की संभावित तारीख
1.	हॉट फोर्जिंग मटेरियल की माइक्रोस्ट्रक्चर और गुणस्वभाव पर डीफोर्मेशन तापमान का प्रभाव	मार्च, 14
2.	हल्की नगर बस के लिए डिजाइन दिशानिर्देशों का विकास (#)	मार्च, 14
3.	ईवी और एचईवी अनुप्रयोग के लिए ऑफलाइन और रीयल टाइम सिमुलेटर का विकास(#)	मार्च, 15
4.	उच्च निष्पादन 3 सिलेंडर सीआरडीआई यूरो 4 डीजल इंजन का डिजाइन और विकास	मार्च, 14
5.	एलसीवी एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त ट्रांसमिशन का विकास	नवम्बर, 13
6.	आभासी और प्रयोगात्मक कार्यक्षेत्र में 3डी रोड प्रोफाइलों का प्रयोग करते हुए स्थायित्व और सवारी के मूल्यांकन के लिए सरड वाहन पारस्परिक प्रभाव विश्लेषण अध्ययन	मई, 14
7.	गेसोलीन डायरेक्ट इंजेकशन ईसीयू नियंत्रण कार्यनीतियों का विकास	अगस्त, 14
8.	आंतरिक नगर जन परिवहन अनुप्रयोग के लिए एक नमूना ईवी क्वाड्री चक्र बनाना	अगस्त, 15

\# भारी उद्योग विभाग द्वारा एआरएआई को दी गई कंसोर्टियम परियोजना

भारी उद्योग विभाग द्वारा समर्थित की नीचे दी गई दो परियोजनाएं मार्च 2013 में सफलतापूर्वक पूरी हो गई थीं:

1. चौपहिया ऑटोमोटिव वाहनों के लिए व्हील्स फोर्स का मापन और कस्टमर यूसेज पैटर्न के साथ उनके सब संबंध का अध्ययन।
2. भारतीय सड़क परिस्थितियों में व्हीकल सिस्टम ड्यूटी चक्र/प्रचालन पैटर्न का अध्ययन।

एआरएआई सतत रूप से नई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और वर्तमान उपकरणों के उन्नयन के जरिए अपनी सक्षमताओं और प्रौद्योगिकियों में विस्तार कर रहा है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के संबंध में वर्द्धित और उन्नत की गई विभिन्न सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

5.4 फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड़, केरल

5.4.1 फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई) प्रवाह मापी सेवाओं और समाधान से संबद्ध प्रमुख संस्थान है। एफसीआरआई स्थित प्रवाह केन्द्र में प्रवाह मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जहां दुनिया के प्रवाह परीक्षण सुविधा के सबसे विस्तृत सेट हैं और भारत में उद्योग को अनोखे साधन प्रदान करते हैं। अंशशोधन, मूल्यांकन और अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं।

5.4.2 तेल एवं गैस क्षेत्र, जल उद्योग, विद्युत उद्योग, प्रोसेस/विनिर्माण क्षेत्र, ऑटोमोटिव क्षेत्र, अनुसंधान एवं विकास संगठन आदि के साथ संयुक्त उद्योग परियोजनाओं के जरिए और प्रवाह मापन से संबंधित विषयों पर नियमित संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करके इसने घनिष्ठ संबंध कायम किया है।

5.4.3 संस्थान, प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी संचालित करता है और अब तक इसने करीब 141 परियोजनाएं पूरी करके इसे एक विशेषीकृत अनुसंधान इंजीनियरी संस्थान बना दिया है जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को अनुमोदित प्रौद्योगिकीय सेवाओं जैसे परामर्श कार्य, परीक्षण, प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। संस्थान प्रवाह मापन उपकरणों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणीकरण संगठन के तौर पर कार्य करता है। यह आईएसओ 9000/आईएसओ 17025 श्रृंखला मानकों के अनुसार गुणवत्ता की पुष्टि पाने में सहायता करता है और प्रायोजित आरएंडडी परियोजनाओं को निष्पादित करता है। एफसीआरआई को अपनी सुविधाओं के लिए निम्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्रत्यायन प्राप्त हैं:–

- **राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)**– फ्लूइड प्रवाह मापन के अंशांकन और परीक्षण के लिए आईएसओ 17025 एमएस के अंतर्गत।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग**– फ्लूइड प्रवाह मापन में अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में।
- **भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)** ने बीआईएस प्रमाणीकरण मार्क योजना के अंतर्गत जल मीटरों का परीक्षण करने के लिए एफसीआरआई को मान्यता दी है।
- **तोल और माप विभाग**– प्रवाह और परिमाण मापन उपकरणों के लिए ओआईएमएल मानकों के अनुसार "आदर्श अनुमोदन" परीक्षणों का संचालन। नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (भारत सरकार) ने परिमाण मापन उपकरणों के "आदर्श अनुमोदन" का प्रत्यायन किया है।
- **मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर** संरक्षा राहत वाल्व्स के परीक्षण के लिए एफसीआरआई को अनुमोदित किया है (एएसएमई/एपीआई)।
- **अंडरराइटर्स लैबोरेट्री, अमरीका** ने एफसीआरआई को फायर फाइटिंग उपकरणों और उत्पाद संरक्षा प्रमाणीकरण के लिए अनुमोदित किया है।
- **विदेश मंत्रालय (आईटीईसी स्कीम/एससीएपी) तथा वित्त मंत्रालय (कोलंबो प्लान)**– फ्लूइड प्रवाह मापन और नियंत्रण तकनीक तथा तेल प्रवाह मापन के क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु।
- **केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पेट्रोल,** मिट्टी के तेल से चलने वाले जनरेटर सेट की शोर की सीमा का प्रमाणन।
- **अग्नि अभियंता संस्थान (आईएफई),** नई दिल्ली–अग्निरोधी उपकरणों पर हाइड्रोलिक योग्यता परीक्षण हेतु।
- **एनएमआई, नीदरलैंड** द्वारा 20 बार क्लोज्ड लूप एयर टेस्ट फैसिलिटी का प्रमाणन।
- **भारतीय नाभिकीय विदयुत निगम लिमिटेड**– विद्युत संयंत्र उपकरणों के भूकंप संबंधी विश्लेषण हेतु।

5.5 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास की पहलें

भारी उद्योग विभाग के अधीनकेन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के कुछ अन्य मुख्य कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

5.5.1 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन

भेल के उत्पाद और प्रणालियां प्रौद्योगिकी सघन हैं और एक संपूर्ण इंजीनियरी उद्यम बनने के अपने लक्ष्य की दिशा में इसमें अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास को कार्यनीतिक महत्व प्रदान किया जाता है।

भेल विश्व की प्रमुख कंपनियों से कुछेक श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण और अनुकूलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करता है। इन कंपनियों में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, अलस्टोम एसए, सीमैन्स एजी और मित्सुबिशि हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं। साथ ही इसके अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों का भी योगदान है। संगठन नए उत्पादों और प्रणालियों और प्रभावोत्पादकता तथा अधिक विश्वसनीयता, कौशल, उपलब्धता, गुणता आदि के लिए मौजूदा उत्पादों में सुधार करने पर ध्यान संकेन्द्रित करता है।

सीआई–एटीएस पर कार्पोरेट अनुसंधान और विकास के तहत स्थापित रीयल टाइम डिजिटल सिमुलेशन सुविधा

2012–13 के दौरान कुल 385 पेटेंट और कॉपीराइट दायर किए गए और वर्तमान वर्ष में सितंबर, 2013 तक 213 पेटेंट और कॉपीराइट दायर किए गए हैं।

इसके साथ ही नए उत्पाद विकास (एनपीडी), प्रोसेस विकास और वर्तमान उत्पादों में जीवन चक्र/दक्षता वृद्धि पर केन्द्रित कुल तेरह उत्कृष्टता केन्द्र प्रचालन में हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान, भेल ने अनुसंधान एवं विकास पर ₹1251.92 करोड़ का निवेश किया है। इसमें से, अनुसंधान और विकास के लिए पूंजीगत संपत्तियों की खरीद के लिए ₹18.73 करोड़ का व्यय किया गया है। अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2012–13 के दौरान कुछेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैः–

- 660 मेगावाट विद्युत संयंत्रों, अतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए एक लागत–प्रभावी उच्च दाब फीड वाटरहीटर सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। इसे 2×600 मेगावाट उत्तर चेन्नै में स्थापित किया गया है।
- भाविनी स्थित 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आधारित नाभिकीय विद्युत संयंत्र के सख्त सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टीम जनरेटर टरबाइन, अनुषंगी बॉयलर और स्टेशन सीएंडआई जैसे प्रमुख उपकरणों वाला उत्कृष्ट एकीकृत सीएंडआई प्लेटफार्म अभिकल्पित और कार्यान्वित किया गया है।
- विद्युत प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए, भेलने उत्कृष्ट विशेषताओं से युक्त 3 फेज, 315 एमवीए, 400 के.वी श्रेणी, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर विकसित और विनिर्मित किया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, एक लागत प्रभावी 250 किलोवाट ग्रिड से जुड़ा पावर कंडीशनिंग यूनिट (पीसीयू) विकसित और चालू किया गया तथा ग्रिड के साथ समकालिक बनाया गया। 500 किलोवाट और 1000 किलोवाट पीसीयू विकसित किए जा रहे हैं।
- दिन के दौरान पीवी एरेज द्वारा समग्र सौर ऊर्जा अवशोषण बढ़ाने के लिए, भेल ने माड्यूलर सौर तापीय सन ट्रैकर विकसित किया है जो नोवल लिक्विड बैलेन्सिंग प्रणाली पर कार्य करता है। इससे दिन के दौरान 25% अतिरिक्त ऊर्जा सृजित होती है।
- परिवहन के क्षेत्र में मौजूदा डीसी ईएमयू को 25 के.वी. एसी ईएमयू में परिवर्तित करने के लिए आरडीएसओ की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, भेल ने 1200 केवीए एसी ईएमयू ट्रांसफार्मर का सफलतापूर्वक टाइप परीक्षण किया है जो पारंपरिक एसी ईएमयू के आयामों के समान है जिसका आउटपुट 20ः अधिक है।
- 660 मेगावाट, 700 मेगावाट और 800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल ब्वॉयलर रीहीटर आउटलेट एप्लीकेशंस के लिए आवश्यक "स्प्रिंग लोडिड सेफ्टी वाल्व" नया उत्पाद विकसित किया है।आईबीआर प्रमाणन भी प्राप्त कर लिया गया है।
- "क्रीप मॉडलिंग ऑफ हाई टेंपरेचर अलॉयज फॉर सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट एप्लीकेशन" के लिए तकनीक विकसित की। गणितीय मॉडल ने क्रीप मजबूती और शेष सक्रियकाल मूल्यांकन का त्वरित प्राक्कलन में समर्थ बनायाहै जिसके फलस्वरूप पारंपरिक प्रक्रिया कीतुलना में क्रीप परीक्षण समय (लघु विकासचक्र) में कमी आई है।
- नई पीढ़ी के अभिकल्प अवधारणाओं जैसे कि स्प्लिट केसिंग डिजाइन की जगह बेस फ्रेम डिजाइन टेपर्ड रोटर सब स्लॉट की शुरूआत, 60 मेगावाट तक के जनरेटरों के लिए उपयुक्त टीएआरआई 860–33 पी फ्रेम आकार में जनरेटर लगाना और संशोधित रोटर एंड वाइंडिंग कूलिंग अरेन्जमेंट का उपयोग करते हुए ओवर हैंग ब्रशलैस एक्साइटर के साथ हल्का और लागत प्रभावी 67.5 मेगावाट, 3000 आरपीएम एयर कूल्ड टर्बो जनरेटर विकसित किया।
- एचवीडीसी परियोजना के लिए "एचवीडीसी थाइरिस्टर मॉड्यूल के लिए करंट टैस्ट हेतु

कंट्रोलर" विकसित। थाइरिस्टर माड्यूल्स पर नित्य–कर्म करंट साइकलिंग परीक्षण करने के लिए "एचवीडीसी परीक्षण क्षेत्र" में विकसित नियंत्रक क्रियान्वित किया गया है।

- "केएन श्रृंखला 150 मेगावाट टरबाईन्स के एचपी और आईपी इनलेट के लिए बिल्ट–इन स्टीम स्ट्रेनर्स के साथ वाल्व" के नए कंपैक्ट डिजाइन का विकास। इंजीनियरिंग कार्य के परिणामस्वरूप न केवल अधिक विश्वसनीय बल्कि और अधिक लागत प्रभावी एकीकृत प्रणाली तैयार हुई।
- "50 केडब्ल्यू स्थाई चुम्बक आधारित फ्रीक्वेन्सी कन्वर्टर" नामक एक नए उत्पाद का विकास किया।

वर्ष 2013–14 के दौरान सितम्बर, 2013 तक प्रमुख अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी उपलब्धियां

- पहली बार सघन, कार्यकुशल और विश्वसनीय नया उत्पाद "भारतीय रेलवे अनुप्रयोगों के लिए कंट्रोलर के साथ 30 किलोवाट स्थायी चुंबकीय अल्टरनेटर" का विकास और टाइप परीक्षण। इनका उपयोग वातानुकूलित कोचों में वातानकूलकों के प्रचालन हेतु बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाएगा।

- सुपरक्रिटिकल बवॉयलरों के लिए लागत प्रभावी नए उत्पाद भिन्न रूप "38" 300 क्लास स्विंग चेक नॉन रिटर्न वाल्व विकसित किया। विकसित वाल्व के लिए आईबीआर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है।
- पहली बार उत्कृष्ट सॉफटवेयर का उपयोग करते हुए उत्कृष्ट "केन्द्रापसारी कंप्रेसरों के श्राउडिड 3डी इम्पेलरों के विनिर्माण के लिए 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग तथा स्कूप मिलिंग प्रौद्योगिकी" विकसित और स्थापित की। इस विकास कार्य के फलस्वरूप विनिर्माण चक्र समय में 66% और लागत में 33: की कमी आई है।
- पहली बार प्रयोक्ता अनुकूल, तीव्र, सटीक और भरोसेमंद उत्कृष्ट "ब्वॉयलर ट्यूब्स के इंडक्शन प्रेशर वेल्ड (आईपीडब्ल्यू) ज्वाइंट्स में त्रुटियों के लक्षण–वर्णन के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रासाउंड इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी (यूआईआरटी) तकनीक" सफलतापूर्वक विकसित की।
- "टू पास आयाताकार भाप कंडेन्सरों के लिए स्वचालित ट्यूब नेस्ट ले–आउट जनरेशन हेतु डिजाइन ऑटोमेशन पैकेज" विकसित किया। विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज के परिणामस्वरूप डिजाइन साइकिल समय में परिणामदर्शी कटौती हुई है।
- पहली बार "एयर कूल्ड कंडेन्सरों के साथ उपयोग के लिए एक्सियल फ्लो इग्जास्ट हुड एवं 5.0 एम2 एनएल ब्लेडिंग के साथ 80 मेगावाट से 160 मेगावाट रेंज तक स्टीम टरबाइन" का नया सघन, कार्यकुशल और लागत प्रभावी डिजाइन विकसित किया है। इस विकास कार्य के फलस्वरूप न केवल इरेक्शन साइकिल समय में 20% की कमी हुई है बल्कि सरलतापूर्वक असेम्बली और अनुरक्षण भी संभव हो सका है।
- "बीएफजी फायर्ड ब्वॉयलर की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए ब्लास्ट फरनेस गैस (बीएफजी) हीटर" सफलतापूर्वक डिजाइन किया। इस विकास कार्य से कैप्टिव विद्युत संयंत्र के बीएफजी फायर्ड ब्वॉयलरों की कार्यकुशलता में 1.5% की वृद्धि हुई है।
- "सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बेड कंबसशन (सीएफबीसी) ब्वॉयलरों के लिए ऐश डिस्चार्ज वाल्व (स्पीस वाल्व)" का डिजाइन बनाया, विनिर्माण किया, असेम्बल और सफल परीक्षण किया। इस विकास कार्य से लागत में 40: की कमी आई है।
- सघन, कार्यकुशल और लागत प्रभावी "500 सेन्टर हाइट एच–कॉम्पेक्ट कंसट्रक्शन में 800 किलोवाट, 6.6 के.वी. 6–पोल इंडक्शन मोटर विकसित की। एक नमूने का विनिर्माण और उसका सफल परीक्षण किया गया जिसने ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार निष्पादन के सभी कड़े प्राचलों को पूरा किया।

- "एकल पोर्सिलीन खांचे में सघन 220 के.वी. कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर (सीवीडी)" विकसित किया। इस विकासात्मक कार्य के फलस्वरूप करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी) के भार, ऊंचाई और लागत में कमी आई है।

भेल के अनुसंधान एवं विकास के संस्थान

1. सेरामिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीटीआई), बेंगलुरू

इस संस्थान का विकासात्मक उद्देश्य भारतीय सेरामिक उद्योग की अपनी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण औरउन्नत सेरामिक्स के नए उत्पाद विकसित करना है। सीटीआई में अनुसंधान के क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलाजी, सेप्रेशन टेक्नालाजी, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग, संयंत्र संबंधी अन्वेषण और विशेष परियोजनाएं शामिल हैं। यह संस्थान कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नामतः मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट,जर्मनी; यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह, संयुक्त रा. अमरीका और एनआईएफएस, जापान के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करता रहा है। सीटीआई में कुछ मुख्य विकास कार्य हैं, कोर्डिएराइट किल्न फर्नीचर, सेरामिक आर्मर, उत्प्रेरक कन्वर्टर के लिए सेरामिक हनीकॉम्ब डीजल विविक्त पदार्थ फिल्टर और सेरामिक घर्षण माध्यम। प्रमुख संचालित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में औद्योगिक पानी शोधन के लिए पोरस सिरेमिक्स गैस पृथक्कीकरण और कणों के लिए मेम्ब्रेन्स नैनो–एडीटिव्स और नैनो मैटीरियल सिंथेसिस के साथ कंपोजिट इंसुलेटर्स इंटेग्रल कॉलर्स के साथ सिरेमिक फिल्टर कैंडल्स की फैब्रिकेटिंग की नई प्रक्रियाएं शामिलहैं। सीटीआई ने नैनो साइज्ड और पोरस सिरेमिक पाउडर्स के लिए गैस–फायर्ड स्प्रे पाइरोलिसिस प्रणाली और सिरेमिक फिल्टर कैंडल्स के लिए ब्रस्ट स्ट्रैंथ परीक्षण सुविधा की भी स्थापना की है।

कई विकासात्मक परियोजानाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। उदाहरणार्थः माइक्रोवेव प्रोसेसिंग से बड़ी मात्रा में स्टेशन पोस्ट इंसुलेटर्स और सिंटरिंग की ड्राईंग और सीओ2 कैप्चर के लिए नोवेल मैटीरियल्स और मैंब्रेन्स का विकास।

2. विद्युत परिवहन केन्द्र (सीईटी), भोपाल

विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए परियोजना जुलाई, 1988 में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा अनुमोदित की गई थी। विद्युतीय चालित वाहनों का कार्य–निष्पादन, विश्वसनीयता और कार्य–कुशलता सुधारने के लिए उनकी डिजाइन संबंधी पहलुओं का विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए केन्द्र की दक्षता विकसितकी गई है।

इसकी कुछ उपलब्धियों में अंगोला के लिए केप गेज डीईएमयू का संयुक्त प्रणाली परीक्षण एसीईएमयू के लिए आईजीबीटी आधारित 3 चरण आधारित ड्राइव्स के लिए ट्रैक्शन मोटर्स पर टाइप परीक्षण, एमजी डीईमयू की संयुक्त प्रणाली परीक्षण, मध्य रेलवे के लिए 1500 वोल्ट डीसी/25 केवी एसी दोहरी वोल्टेज वाले ईएमयू के लिए जीटीओ आधारित 3–फेज ड्राइव प्रणाली का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, आईजीबीटी आधारित 700 एचपी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का संयुक्त प्रणाली परीक्षण, भारतीय रेल के लिए 4000 एचपी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए आयात स्थानापन्न ट्रैक्शन अल्टरनेटर का परीक्षण।

3. प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), हरिद्वार

प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन अग्रणी एजेंसी के रूप में भेल के साथ भारी उद्योग विभाग द्वारा की गई थी। पीसीआरआई का उद्देश्य जल, ध्वनि और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। संस्थान को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार और कई सारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशाला के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। संस्थान ने औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियां जैसे कि पौध प्रजातियों के चयन के जरिए परिवेशी हवा से धूल का फाइटोरेमेडिएशन, भारत में धार्मिक स्थानों के लिए पर्यावरणीय दिशा–निर्देश तैयार करना, गंगा और शिप्रा नदियों में कुंभ मेलों के समय हरिद्वार और उज्जैन में महास्नान के प्रभाव, चयनित खंडों में गंगा और पश्चिमी यमुना नगर के लिए नदी जल गुणवत्ता का मूल्यांकन, ताप विद्युत संयंत्रों से भारी धातु उत्सर्जन का मूल्यांकन आदि के संबंध में काफी संख्या में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित की हैं। इस समय उसके हाथ में जो प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजना हैं उनमें ताप विद्युत संयंत्रों से अपगामी पदार्थों के लक्षण–वर्णन

और सूक्ष्म–जैविकीय विश्लेषण के लिए उन्नत सुविधाओं का विकास,उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नदी के पानी की गुणवत्ता का मूल्यांकन, पलायक उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए पर्यावरणीय दिशा–निर्देश तैयार करना शामिल है।

राज्य/केन्द्रित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रमुख उद्योगों के कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण के एक भाग के तौर पर संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व में पीसीआरआई द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन, वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन, नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम सीपीसीबी के साथ मिलकर संचालित किए गए हैं।

संस्थान ताप विद्युत संयंत्रों, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों और तेल टर्मिनलों आदि जैसी बड़े आकार की औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए वर्षों जारी रहने वाली समग्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पीसीआरआई भेल द्वारा आपूर्तित पूर्ण पैकेज के भाग के तौर पर विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय और रासायानिक प्रयोगशाला की स्थापना के काम में भी सक्रियता के साथ संलग्न है। हाल में पीसीआरआई ने बेल्लारी–1 यूनिट और सांतलडिह यूनिट–5 के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशाला की स्थापना की है। विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों से संबंधित जो आर्डर उसके हाथ में/निष्पादनाधीन हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:– चंद्रपुर यूनिट–7 और 8, मेजिया फेस–2, जीआईपीसीएल, डीएसटीपीएस, दुर्गापुर, हजीरा, कोडरमा, अनपारा डी, पिपापाव, ओटीपीसी, उत्तरी चेन्नई और अवंथा भंडार।

4. वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान (डब्ल्यूआरआई), तिरूचिरापल्ली

देश में अपने किस्म का केवल एक वेल्डिंग अनुसंधान केन्द्र (डब्ल्यूआरआई) पारंपरिक आर्क वेल्डिंग के लिए सुविधाओं के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और लेजर बीम फलैश बट, फ्रिक्शन और प्लाज्मा वेल्डिंग जैसा अत्याधुनिक वेल्डिंग अनुसंधान सुविधाओं से सज्जित है। इसके अतिरिक्त, इसके पास श्रम क्षमता परीक्षण, अपशिष्ट दबाव मापन, अपशिष्ट अवधि अनुमान आदि के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाएं हैं। यह संस्थान इसरो, भारतीय रेलवे, रक्षा और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों को सेवाएं प्रदान करता रहा है। संस्थान वैल्डिंग से संबंधित क्षेत्रों में विकासों को परस्पर बांटने और प्रचारित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एसोसिएशनों/संगठनों, प्रमुख ग्राहकों और शोधकर्ताओं के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है। यह वैल्डर्स के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता से कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित करता है। संस्थान केन्द्रीय ब्वॉयलर बोर्ड, भारत सरकार के अनुरूप वैल्डर्स के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक अनुमोदित केन्द्र है। संस्थान वैल्डिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव परीक्षण में कार्यरत इंजीनियर्स और तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण/प्रमाणन कार्यक्रम नियमित आधार पर संचालित करता है।

डब्ल्यूआरआई द्वारा निष्पादित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजना: रिंग हैडर फैब्रीकेशन के लिए प्रयुक्त एसएडब्ल्यू में कोल्ड वायर विस्तार, बायलर कंपोनेंट्स के लिए एचवीओएफ का विकास और वायर स्प्रेइंग टेक्नालोजी, सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बायलर्स के लिए नई सामग्रियों में फैब्रिकेशन और प्रक्रियाओं का विकास फ्रिक्शन स्टर वैल्डिंग प्रौद्योगिकी का विकास एक नई "चुंबकीय संचालित आर्क बट" (एमआईएबी) की स्थापनाएक स्वचालित वैल्डिंग प्रक्रिया है जो कि अनियमित या गैर सर्कुलर कंपोनेंट सर्कुलर के तौर पर संचालित होने में सक्षम है, रोबोटिक टाइम टिवन टेक्नोलॉजी का विकास, वैल्डिंग बायलर और स्थल पर टरबाईन पाइपिंग के लिए आर्बिटल जीएमएडब्ल्यू/एफसीएडब्ल्यू प्रौद्योगिकी आदि शामिल है।

5.5.2 बीएचईएल–ईएमएल अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन

प्रमुख परियोजनाएं जिनकी वर्ष 2014–15 तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है, वे निम्नवत हैं:

- उच्च क्षमता पावर कारों (675 के वी ए) का विकास।
- भेल के सहयोग से पीएम अल्टरनेटर का विकास–कार्पोरेट अनुसंधान और विकास।
- शंटिंग लोकोमोटिव के लिए सन्निहित रेक्टिफायर सहित ट्रैक्शन अल्टरनेटर का डिजाइन बनाना और विकास।

- एएमई, बीएचईएल भोपाल के सहयोग से उच्च दक्षता इंडक्शन मोटर्स (ईएफएफ 1)।

5.5.3 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, (आरईआईएल)

आरईआईएल की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की संरक्षा करते हुए प्रतिस्पर्द्धी, सस्ते और विश्वसनीय उत्पादों/समाधानों को उपलब्ध कराने के लिए और वर्तमान उत्पादों/प्रक्रियाओं के उन्नयन के जरिए ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

कंपनी ने संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम उपकरणों और सक्षम मानवशक्ति से सज्जित अनुसंधान एवं विकास की स्थापना की है। आरएंडडी सेंटर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पिछले दो दशकों से मान्यता प्राप्त है।

5.5.4 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी सुधारने और उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान सहित अलग–अलग उत्पादों की अनुसंधान एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी सभी विनिर्माण इकाइयों में अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की स्थापना की है।

अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने और नए उत्पाद विकसित करने के अपने प्रयासों में अनुसंधान एवं विकास पर कंपनी का फोकस रहा है। उत्पाद प्रौद्योगिकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता में ग्राहकों की आवश्यकताओं के विशिष्ट संदर्भ में प्रत्येक सहायक कंपनी में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की जाती हैं। मुख्य जोर वर्तमान उत्पादों का अतिरिक्त विशिष्टताओं के साथ उन्नयन करना, डिजाइन आप्टिमाइजेशन और सौन्दर्यता में सुधार पर है। इन प्रयासों के फलस्वरूप कई नए उत्पाद सामने आए हैं और साथ ही वर्तमान उत्पादों का उन्नयन हुआ है। एचएमटी के अधिकार क्षेत्र के अलग–अलग उत्पाद क्षेत्रों में किए गए/नियोजित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को विशिष्ट रूप से निम्नानुसार दर्शाया गया है:

5.5.5 एचएमटी ट्रैक्टर्स:

- ध्वनि रहित जनरेशन सेट रेटिंग 25 के वी ए का विकास–उत्सर्जन और सौर परीक्षण की अनुपालना के लिए आई–कैट गुड़गांव द्वारा प्रमाणित तथा टाइप अनुमोदन भी प्राप्त किया गया। 5 डीजी सेट के पहले बैच के लिए कलपुर्जों की अधिप्राप्ति कार्य जारी है।
- रोटोवेटर का विकास। कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में सफल परीक्षण संपन्न। आरंभ में 50 रोटोवेटरों के लिए संघटकों की अधिप्राप्ति कार्य जारी है।
- 25–50 हार्स पावर तथा 50 हार्स पावर और उससे अधिक के लिए ट्रैक्टर उत्सर्जन मानदंड भारत (ट्रेम) स्टेज–III, पाने के लिए एचमएमटी ट्रैक्टर इंजनों का प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्य एआरएआई, पुणे में जारी है।
- हाइड्रोलिक तेल की सफाई के लिए बाह्य हाइड्रोलिक फिल्टर केन्द्रीय मशीन उपकरण संस्थान (सीएमटीआई), बैंगलोर के परामर्श से लगाया जा रहा है।
- एचएमटी ट्रैक्टर मॉडलों के लिए भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान एसोसिएशन (आईआरएमआरए) के परामर्श से रबड़ भाग विशेष विवरणों को संशोधित किया गया ताकि रबड़ भाग की गुणवत्ता सुधारी जा सके।
- बेहतर निष्पादन और अस्तित्व के लिए एलईडी डैशबोर्ड संकेत/प्रकाशमय लैंप की शुरूआत।
- ट्रैक्टर की शीट मैटल और शैसी पेन्ट की गुणता सुधारने के लिए पेन्ट विशिष्ट विवरण में संशोधन।

5.5.6 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड

कंपनी की सभी विनिर्माण इकाइयों में अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं हैं। अनुसंधान एवं विकास का फोकस उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रगामी रूप से आत्मनिर्भरता हासिल करना और अतिरिक्त विशेषताओं के साथ वर्तमान उत्पादों के उन्नयन पर है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप 2012–13 के दौरान निम्नलिखित उत्पादों का विकास हो पाया है:–

- 5 एक्सिस मशीन, वीटीएमसी 500।

- एसबीसीएनसी 80।
- कोणीय व्हील हेड सीएनसी सिलिंड्रिकल ग्राइंडिग मशीन एडब्ल्यू 80।
- सीएनसी टर्निंग सेन्टर, वज्र 500।

अनुसंधान और विकास एक सतत प्रक्रिया है और कंपनी के विभिन्न प्रचालनों के साथ निकटता से जुड़ी है तथा उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप लाभ पाए जा सकते हैं। अत्याधुनिक और प्रौद्योगिकी केन्द्रित विशेष उद्देश्य वाली मशीनों के साथ–साथ उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अनुरूप नए उत्पादों के घरेलू डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास योजनाएं मूल्य इंजीनियरी द्वारा उत्पादन की लागतमें कमी लाने पर केन्द्रित हैं जिससे कि उचित आयात संस्थापना उपलब्ध हो सके।

वृद्धित उत्पादनकर्ता के लिए उपयोगकर्ता क्षेत्रों को ऑटोमेशन अपेक्षाओं और लागत प्रभावी उत्पादों के साथ प्रौद्योगिकीय प्रतिस्पर्द्धी उत्पादों के लिए बाजार की मांग को पूरा करने के लिए नए उत्पादों का विकास करने से कंपनी प्रतिस्पर्धा (घरेलू और विदेशी दोनों) से निपटने में समर्थ बन सकेगी।

5.5.7 एचएमटी वाचेज लिमिटेड

प्रत्येक विनिर्माण इकाई में नियमित रूप से अनुसंधान एवं विकास कार्य संचालित किए जाते हैं। 2012–13 के दौरान कंपनी ने क्वार्ट्ज खंड में 75 नए माड्ल्स विकसित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 को दौरान कंपनी का 100 नए मॉडल्स जारी करने का लक्ष्य है और 01.09.2013 तक उसने 17 मॉडल्स विकसित कर लिए हैं।

5.5.8 एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड

एचएमटी बेयरिंग के अनुसंधान एवं विकास का फोकस रेलवे और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अनुप्रयोग के लिए नए किस्म के बेयरिंग्स का विकास करने पर रहता है। घरेलू अनुसंधान एवं विकास के जरिए कई नए किस्म के बेयरिंग्स तैयार किए गए हैं।

5.5.9 नेपा लिमिटेड

अनुसंधान एवं विकास कार्य ने नेपा लिमिटेड को नए आयाम दिए हैं। आतंरिक आरएंडडी केन्द्र में विभिन्न डीइंकिंग रसायनों के आरएंडडी प्रयोगों तथा ओएनपी और ओआईएनपी पर संयंत्र प्रयोग ने न केवल चमक को सुधारा बल्कि उत्कृष्ट मशीन चलन योग्यता को बढ़ाया और नेपा न्यूजप्रिंट में ग्राहकों का विश्वास मजबूत हुआ। इस पद्धति के अन्य लाभ में डिफार्मर, स्लिमिसाइड और सल्फ्युरिक एसिड जैसे योगजों की खपत में बचत शामिल है। नावथा जल शोधन संयंत्र में पॉली एल्यूमीनियम क्लोराइड और क्लोरीन का जामन और कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किए जाने से उसका पेयजल विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईएस मानकों के अनुरूप होता है।अपगामी शोधन संयंत्र (ग्रेड–I संयंत्र) में फिटकरी भी डाली जाती है ताकि निर्गम जल का गंदलापन घटाया जा सके जो प्रक्रिया के दौरान पुनर्चक्रित हो जाता है।

5.5.10 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)

नगांव और कछाड़ पेपर मिल्स में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां:

अनुप्रयुक्त आरएंडडी गतिविधियां:

- परंपरागत अम्ल साइजिंग के स्थान पर एकेडी के साथ क्षारीय साइजिंग के संयंत्र ट्रायल।
- प्रत्यक्ष/पिगमेंट डाई के साथ बेसिक डाई के बदले प्रयोगशाला पैमाना ट्रायल।
- फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हुए ई फिल्ट्रेट के डिकोलोनाइजेशन के लिए प्रयोगशाला पैमाना ट्रायल।
- ब्लीचिंग लागत को न्यूनतम करने के लिए क्लोरीन डाई ऑक्साइड के आंशिक रिप्लेसमेंट के लिए फार्मेल्डिहाइड का प्रयोगशाला पैमाना उपयोग।
- उज्ज्वलता सफेदी बढ़ाने वाले विभिन्न योगजों का प्रयोग करते हुए अधिक उज्ज्वल/सफेद कागज पैदा करने के लिए प्रयोगशाला/संयंत्र पैमाना ट्रायल।
- लकड़ी की विभिन्न प्रतिशतता के साथ बांस को पकाने के लिए इष्टतमीकरण अध्ययन।

5.5.11 **हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)**

निम्नलिखित परियोजनाओं पर अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए:

i) डिइंकिंग रसायन के रूप में कच्चे पाम आयल की उपयुक्तता।

ii) हरे बांस की तुलना में विभिन्न भंडार अवधियों के लिए पुष्पित बांस से गूदे का वैशिष्ट्य ज्ञात करना।

iii) भंडारण में पुष्पित बांस को सड़ने से बचाने के लिए बोरिक एसिड से इलाज का प्रभाव।

एनपीएम और सीपीएम में प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

1. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासों का सार–संक्षेप:

i) संयंत्र स्तर पर पारंपरिक अम्ल साइजिंग के स्थान पर बांस के गूदे की क्षारीय साइजिंग।

ii) लकड़ी की विभिन्न प्रजातियों को पकाना और उनकी ब्लीचिंग ताकि बांस के साथ उपयुक्त अनुपात में उपयोग हेतु उनके गूदेपन और ब्लीच क्षमता का पता लगाना।

2. **लाभ:**

i) कागज के शेड में सुधार, कम होती उज्ज्वलता रूकेगी, काल प्रभाव प्रकृति में रूकावट, सफेदी में वृद्धि।

ii) बांस उपलब्धता संबंधी संकट के दौरान वैकल्पिक कच्चे माल के उपयोग हेतु विकल्प की बेहतर उपलब्धता।

5.5.12 **हेवी इंजनियरिंग कॉर्पोरेशन लि. (एचईसी)**

यद्यपि कंपनी नियोजित अनुसंधान और विकास में निवेश करने में समर्थ नहीं है, फिर भी कंपनी ने वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद/प्रणाली विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखे। कंपनी द्वारा जिन विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की गईं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- दो रोप ड्रमों को परिचालित करने के लिए क्रमशः 250×2 कि. वाट मोटर और 200×2 कि. वाट मोटर के लिए उपयुक्त गियर रेशिओं 88.94/177.98 तथा 105.27/210.54 के साथ डबल इनपुट व डबल आउटपुट शाफ्ट्स सहित प्लेनेटरी गियर बाक्स **बीएसपी/भिलाई की 120 टी क्रेन ह्वाइस्ट** के लिए अभिकल्पित और विकसित किया गया था।
- उन्नीस रोटेटिंग ट्रॉली क्रेने 12टी, 20टी और 30टी अंडर मेग्नेट क्षमता वाली **बीएसपी भिलाई** के लिए अभिकल्पित और विकसित की गई। इन क्रेनों को स्थायी टाइप इलेक्ट्रो मेग्नेट के उपयोग से बिलेट्स, ब्लूम्स, वायर रॉड क्वॉइल्स, रेल की देखरेख के लिए उपयोग किया जाना होता है। इन क्रेनों की इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ट्रॉलियों की चक्रीय हरकत तथा क्रेनों की लंबवत हरकत के दौरान लहराने पर काबू रखते हुए उपर्युक्त मदों की सटीक देखरेख की जा सके।
- **बीएसपी भिलाई** की 1719 क्यूबिक मीटर ब्लास्ट फर्नेस के लिए स्किप विंच की रोप ड्रम असेम्बली का डिजाइन की विशिष्टता है कि स्किप पिट से भट्टी के शीर्ष तक ब्लास्ट फर्नेस के चार्ज का परिवहन किया जा सकता है और उस चार्ज को प्राप्त करने वाली नलिका में डाला जा सकता है।
- उत्तोलक रस्सी की सरलतापूर्वक और तीव्र प्रतिस्थापना के लिए मशीन के उपखंड के भीतर हॉइस्ट ड्रम पर हॉइस्ट रस्सी लगाने के लिए **5 क्यूबिक मीटर बेलचे के लिए रोप रीविंग विंच**। इसे ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है।
- नवीनतम स्वचालन और नियंत्रण प्रौद्योगिकी के साथ वीएसपी, विशाखापट्नम के लिए 5000 टी वेगन पुशर और वेगन टिपलर का डिजाइन।

- एफजीके, कानपुर के लिए दो टूल पोस्ट के साथ भारी पारंपरिक लेथ, मॉडल एलसी 125 एचडी/11एम का विकास।
- स्पिंडल में आईएसओ 50 टेपर बोर के लिए टूल होल्डर की हाइड्रॉलिक तरीके से खोलने तथा स्प्रिंग तरीके से पकड़ने के लिए हॉरिजोन्टल बोरिंग मशीन के हेड स्टाक का विकास।

5.5.13 एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी में आंतरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का ध्यान मुख्य रूप से घरेलू बाजार की मांग के मुताबिक मौजूदा उत्पादों का लगातार उन्नयन करते रहने तथा निर्यात बाजार में अवसरों को पकड़ने पर है। इन कार्यों में ऊपर की रेंज के लिए नए उत्पाद बाजार, उत्पाद विस्तार और परीक्षण प्रमाणपत्रों का पुनर्वेधीकरण करना शामिल है जिसके बाद उनका प्रतिमान विकास और वाणिज्यिकरण किया जाना होता है। कंपनी की अनुसंधान एवं विकास व्यवस्था को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त है। कंपनी द्वारा विभिन्न प्रभागों में संचालित की गई कुछ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां निम्नानुसार हैं:–

i) वे विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप किए गए थे:

(क) अभियांत्रिकी प्रभाग ने पंखे की ऊर्जा दक्षता सुधारने के लिए 42 और 65/2 के बीच पंखों की नई श्रृंखला के अभिकल्प प्राचलों को अंतिम रूप दे दिया है जिसके लिए सॉफ्टवेटर सहायता अपेक्षित होती है।

- कार्रवाई की गई है और अपेक्षित सॉफ्टवेयर अधिप्राप्ति की सोर्सिंग कर ली गई है।
- अभियांत्रिकी प्रभाग ने एफईए के माध्यम से पंखों के संघटकों के अभिकल्प का इष्टतमीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। महत्वपूर्ण पंखों के लिए यह प्रक्रिया अब से सतत जारी रहेगी।
- विद्युतीय प्रभाग की चेन्नई इकाई ने इम्पल्स जनरेटर का संयोजन पूरा कर लिया है और जल्द ही इसे चालू किया जाएगा।

ii) अनुसंधान एवं विकास के उपर्युक्त कार्यों से व्युतपन्न लाभ तथा परिणाम।

- ऊपर बताई गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लाभ चालू वित्तीय वर्ष में प्रोद्भूत होंगे।

iii) भावी कार्रवाई योजना:

- अभियांत्रिकी प्रभाग विभिन्न आकार के पंखों के लिए संघटकों के मानकीकरण का प्रस्ताव करता है।
- उच्च गति वाले पंखों के शोर का स्तर 85 डेसिबल से कम करने के लिए साइलेंसरों के अभिकल्प का विकास।

5.5.14 इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)

कंपनी ग्राहकों की मांग के मुताबिक उत्पादों को अद्यतन रखने तथा विनिर्माण में तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए गति बनाए रखने, लागत कटौती के पहलुओं को हमेशा ध्यान में रखते हुए सतत प्रयासरत है।

विगत कुछ वर्षों के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां रहीं:

1. एनटीपीसी, बढ़,बिहार के लिए 150 किग्रा/सेमी2 की पांच चरण की शोर कटौती के साथ अति उच्च दाब–ड्राप वाल्व मॉडल वीएमडी विकसित और आपूर्तित, 660 मेगावाट भेल पाइपिंग केन्द्र, चेन्नई के माध्यम से।
2. वर्तमान वॉल्व्स को एएसएमई/आईबीआर मानकों के अनुसार वॉल्व की इष्टतम मोटाई केसाथ मौजूदा वाईएच बॉडी डिजाइन से दोबारा बनाया गया।
3. कंट्रोल वॉल्व में उत्पाद आरएंडडी:

क्र. सं.	उत्पाद	की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियां	भविष्य में अनुसंधान और विकास
(क)	वाल्व सिंगल सीटेड टॉप गाइडेड (वीएसटी)	सीवी –2 तक सुधार"	2.5", 3", 4" तथा इससे बड़े आकार
(ख)	वाल्व सिंगल सीटेड लॉ नॉइज (हाई टेम्परेचर) [वीएसएन (एचटी)]	एचटी सील परीक्षणाधीन	सभी आकारों के लिए
(ग)	वाल्व मल्टी स्टेज प्रेशर ड्रॉप वाल्व (वीएमडी)	मल्टी स्टेज वाल्व – 3" तक	4", 6" तथा और बड़े आकार
(घ)	एक्चूयेटर	हाई थ्रस्ट एक्टयूटर – 30 टन डबल पिस्टन एक्टयूटर मॉडल 2 (डीपीए2)	30 टन से अधिक के वेरी हाई थ्रस्ट एक्चूयेटर

4. वॉल्व्स के विनिर्माण/परीक्षण के लिए एनपीसीआईएल जैसे ग्राहकों के लिए विशेष परीक्षण प्रक्रिया से आईएल, पल्क्कड़ में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप किये जा रहे हैं।

5. चूंकि कंट्रोल वाल्व आवश्यकतानुसार निर्मित मदें हैं और प्रत्येक वाल्व एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार वांछित परिणाम पाने के लिए प्लग का डिजाइन बदला जाता है अथवा खिड़की में संशोधन किया जाता है। ग्राहक की नई उम्मीदों को पूरा करने के लिए समय–समय पर डिजाइन तथा विकास प्रक्रियाओं का तद्नुसार उन्नयन किया जाता है।

5.5.15 भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

कंपनी, बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने और ग्राहक की संतुष्टि के उद्देश्य को भी पूरा करने के लिए अपने उत्पादों के सतत उन्नयन और डिजाइन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2012–13 के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन, अभिकल्प और विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में की गई प्रगति निम्नवत है:–

- सीपीसीएल, चेन्नई में 4 एचएफ/2 मेकअप कंप्रेसर का डिजाइन और विकास कार्य का उन्नयन बेहतर सर्विस के लिए सर्विस कंडीशन गैर–लुब्रिकेटिड से लुब्रिकेटिड सिलिंडर में परिवर्तित करने के द्वारा किया गया।
- वाल्व अनलोडर की बॉडी में रिसाव की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए और अनलोडर की स्थिति ज्ञात करने के लिए स्टेम में संसूचक लगाकर निचली बॉडी के लिए निवेश कास्टिंग का प्रयोग करते हुए कंप्रेसर के लिए वाल्व अनलोडर के डिजाइन और विकास समुन्नत किया गया है।
- 184 किग्रा/सेमी2जी दाब तथा 3560 सेंटिग्रेट तापमान हेतु उच्च दाब और उच्च तापमान, एकल चरण, केएसएमके टाइप हॉरिजोन्टल पम्प सफलतापूर्वक विकसित और उसका विनिर्माण किया गया।
- वर्टिकल पंप के लिए ऑयल लुब्रिकेटिड बेयरिंग खांचा विकसित और विनिर्माण कियागया और एनपीसीआईएल को आपूर्ति किए जा रहे ईसीसीएस पंप्स के लिए पहली बार उनका शॉप परीक्षण किया गया।
- हायर हेड और नए एपीआई 10वें संस्करण के अभिकल्प मानक के अनुरूप डीवीडीएस $14\times14\times17^{1/2}$ मॉडल में संशोधन किया गया। टिल्टिड पैड टाइप बेयरिंग सहित फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन प्रणाली अभिकल्प जैसी विशिष्टताओं को शामिल किया गया।
- मड पंप्स के लिए हमारे द्वारा विकसित कम भार, एकल पीस फ्लूइड एंड का ओएनजीसी, अंकलेश्वर में सफलतापूर्वक क्षेत्र परीक्षण किया गया तथा अनुमोदित पीटीआर सृजित की गई।
- मड पंप्स के लिए बेल्टड्राइव व्यवस्था का ओएनजीसी को पहले आपूर्तित मड पंप्स के साथ अंकलेश्वर स्थल पर सफलतापूर्वक क्षेत्र परीक्षण किया गया और अनुमोदित पीटीआर सृजित की गई।

- अंतर्निहित गति कटौती प्रणाली के बगैर पहले विकसित और आपूर्तित प्लंजर पंप मॉडल 3348–एफएस (83–20) ने स्थल पर 4500 घंटों से ज्यादा समय तक गड़बड़ी रहित रहकर कार्य पूर्ण किया। हमारे ग्राहक ओएनजीसी, मेहसाणा से प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

5.5.16 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में, बीबीजे ने अपनी नेतृत्व स्थिति को बरकरार रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास की महत्ता को मान्यता प्रदान की है। सीमित संसाधनों और कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों के बीच प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने के लिए बीबीजे ने इस्पात पुलों के लिए नई लांचिग स्कीम विकसित की है और क्रियाशील लाइन पर पूर्व के स्टील ब्रिज को बहुत अल्पावधि में नव निर्मित गर्डरों से प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रभावी निर्माण स्कीम विकसित की है। हाल ही में बीबीजे ने 60एम/450एमटी बंधे हुए पुल की फॉरवर्ड लांचिंग विकसित की है, जिसका प्रयोग सफलतापूर्वक डीएमआरसी की परियोजना में किया गया था। बीबीजे ने भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्माण व्यवसाय में प्रमुख पीएसयू के साथ मिलकर संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि कंपनियों के बीच तकनीकी–आर्थिक तालमेल में लाभ के लिए उच्च मूल्य की संभावित रेलवे निविदाओं में भागीदारी के लिए है।

रेलवे से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन में भारतीय रेल द्वारा पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) की शुरूआत होने से, बीबीजे अपनी, समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रौद्योगिकी, वचनबद्धता और दृष्टिकोण के साथ चाहे अकेले अथवा संयुक्त उद्यम प्रक्रिया में, सरकार के मिशन में शामिल होने के प्रति प्रतिबद्ध है।

5.5.17 सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई)

बोकाजन और तांदुर में प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी उपायों को आरंभ किया गया है। 1200 टीपीडी क्लिंकेरिसेशन स्ट्रीम की अलग लाइन की स्थापना करके, जिसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाएगी, बोकाजन यूनिट की 100% क्षमता विस्तार का कार्य जारी है। तांदुर यूनिट की विभिन्न प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएं स्वीकृत योजना के एक भाग के तौर पर कार्यान्वयन के लिए हाथ मे ली गई हैं।

5.5.18 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)

नए उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आयात प्रतिस्थापन, लागत कटौती, उत्पादन विघ्न निवारण तथा उत्पाद/प्रक्रिया सुधार कार्यों को करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यकलाप किए जाते हैं।

सिल्वर नाइट्रेट की 19ग्रा/मी2 के घटे हुए कोटिंग भार वाली औद्योगिक एक्स–रे फिल्म को व्यावसायिक बनाया गया जिसकी तकनीकी जानकारी आरएंडडी में विकसित हुई थी। पोलिएस्टर सब्ड बेस, डिजिटल एक्स–रे फिल्म, मेडिकल इमेजिंग फिल्म (पैंक्रोमैटिक), लेजर प्रिंटर फिल्म, टैबुलर ग्रेन प्रौद्योगिकी वाली कम कोटिंग भार चिकित्सीय एक्स–रे (ब्लू सेंसिटिव) फिल्म आदि के लिए संयंत्र परीक्षण जारी हैं और परीक्षणों की बाजार स्वीकार्यता पूरी हो जाने के बादइनका व्यावसायीकरण कर दिया जाएगा।

5.5.19 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)

ईपीआई की अनुसंधान और विकास पहलों में परियोजनाओं के विद्युतीय संघटकों के लागत निर्धारण और साइजिंग के लिए सॉफ्टवेयरों को विकसित करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, ईपीआई, निर्माण उद्योग जैसे कि स्थल पर्यवेक्षण, बढ़ईगिरी, बार बेन्डिंग आदि से संबंधित विभिन्न कारोबार में दक्षता वृद्धि कार्यक्रम भी आयोजित करता है, ताकि निर्माण कार्य में कामकाज की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाया जा सके।

अपने प्रचालनों के क्षेत्र में विविधता लाने के लिए, ईपीआई ने ताप विद्युत संयंत्र तथा इस्पात संयंत्र की विभिन्न इकाइयों के लिए अभिकल्प और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी आधार पर, ईपीआई इन क्षेत्रों में स्वयं की आंतरिक क्षमताएं विकसित करेगा।

ईपीआई विभिन्न क्षेत्रों में विख्यात प्रौद्योगिकी प्रदाताओं/परामर्शकों के साथ सहयोग/एसोसिएशन की संभावनाएँ तलाश रहा है।

5.5.20 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बीएंडआर)

कंपनी आवश्यक सीमा में अनुसंधान और विकास प्रयासों के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता मानकों के उन्नयन के लगातार प्रयास कर रही है।

कंपनी ने बहुत सारे विविधीकृत क्षेत्रों जैसे कि बेली ब्रिज, पोर्टा केबिन और ईआरपी प्रणाली के द्वारा माल–सूची प्रबंधन में सफलतापूर्वक प्रचालन पहले से ही स्थापित कर लिए हैं। अनुसंधान, विकास और विविधीकरण के फलस्वरूप, कंपनी ने बेली ब्रिज के भार में कटौती, पोर्टा केबिन, माल–सूची प्रबंधन, 12 (बारह) परियोजना स्थलों पर कार्यान्वयन और हावड़ा कार्यशाला के लाभ पाए हैं। कंपनी को पहले ही (क) विभिन्न आकारों के तरल/पेट्रोलियम वेल्डिड इस्पात भंडार टैंक (लंबवत और क्षैतिज प्रकार दोनों) के अभिकल्प, आपूर्ति, फेब्रीकेशन, उत्थापन, स्थापन और उनको चालू करने, (ख) बेली ब्रिज के अभिकल्प, विनिर्माण और आपूर्ति (ग) वेगन, रेलवे ब्रिज गर्डर और बंक हाऊस के विनिर्माण और उसकी आपूर्ति के लिए आईएसओ 9001:2008 प्रमाणपत्र प्रदान किए जा चुके हैं। निगरानी लेखापरीक्षा बाह्य लेखापरीक्षक मैसर्स डेट नोर्स्क वेरिटास (डीएनवी) द्वारा सफलतापूर्वक की गई है।

कंपनी का प्रस्ताव है कि भविष्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम किए जाएं: इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण, 200 मीटर से अधिक ऊंचाई की आरसीसी चिमनी, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में उच्च गुणतायुक्त आरसीसी कार्य, परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य तथा बहुत ऊंचे स्थानों पर सीमा सड़कें।

5.5.21 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

निष्पादन के लिए विकसित तथा इष्टतमीकृत सी.एन.जी. से चलने वाले छोटे 3 सीट वाले हल्के यात्री वाहनों का उत्पाद विकास तथा इनकी स्थिरता परीक्षण की प्रक्रिया जारी है। स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, टैलटेल टेम्परेचर मीटर सम्मिलित डिजीटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के विकास की शुरूआत। अधातु डैश–बोर्ड का प्रतिमान विकास कार्य संपन्न। ढलवां लोहे के पहियों की बनी सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक प्रणाली अपनाने की व्यवहार्यता और स्थिरता परीक्षण की प्रक्रिया जारी है। फीडबैक के लिए वाहनों की लघु प्रायोगिक खेप बाजार में भेजी गई है। वाहनों के सभी मॉडलों को उत्पादन परीक्षण की अनुकूलता संबंधी वैधानिक आवश्यकता के कारण अद्यतन किया जाता है। कई शीट मेटल संघटक, सब–असेम्बली और इंजन ट्रे, अल्टरनेटर आदि जैसी प्रणालियों की लागत कम करने के उपायों के रूप में संशोधित किया जाता है।

कंपनी ने मौजूदा उत्पाद और प्रोसेस प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भी योजना बनाई है। जिसमें कंप्यूटर एडिड डिजाइन (कैड)/कंप्यूटर एडिड इंजीनियरिंग (सीएई) सुविधाओं, उत्पाद परीक्षण और मूल्यांकन सुविधाएं, वर्तमान तिपहियों का उन्नयन, सीएनसी मशीनों को लागू करते हुए विनिर्माण प्रौद्योगिकी में सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण, अनुरक्षण और अवसंरचना का उन्नयन शामिल है।

अध्याय 6

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./विकलांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

6.1 इस विभाग का सतत् प्रयास रहा है कि इस विषय पर अल्पसंख्यकों का और अधिक कल्याण करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के दायित्वों की जांच की जाए। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का इस विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुपालन किया जाता है।

6.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की उचित निगरानी के लिए संपर्क अधिकारी की देखरेख में विभाग में एक अजा/अजजा प्रकोष्ठ काम कर रहा है।

6.3 सीपीएसईज के कार्यबल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति बड़ी संख्या में शामिल हैं। सभी सीपीएसईज में उनके मुख्य कार्यबल में एकीकरण पर जोर दिया जाता है और कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आवास आदि सुविधाएं सभी कर्मचारियों को समान शर्तों पर प्रदान की जाती हैं। हर वर्ष कौमी एकता/सद्भावना दिवस का आयोजन किया जाता है जहां महिलाओं और बालकों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग एकता, राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के लिए उसमें भाग लेते हैं।

6.4 इस विभाग के अधीन प्रचालनरत सभी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को "अशक्त व्यक्ति" (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों का पालन करने का परामर्श दिया गया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पालन किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को विशेष वाहन भत्ता, उपयुक्त टायलटों, लिफ्ट आदि की सुविधा से युक्त भूतल पर रिहायशी आवास व्यावसायिक कर के भुगतान से छूट, आने–जाने की पहिवहन सुविधा, चिकित्सा उपस्करों और सामान्य चिकित्सा सहायता के प्रावधान जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों को ब्रेल प्रतीक चिह्न प्रदान किए जाते हैं और वे टेलीफोन बूथ चलाने, बेंत की कुर्सी की मरम्मत आदि के कार्य में लगे हैं। मंद बुद्धि बच्चों और दृष्टिहीनों के लिए विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये सुविधाएं उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में समर्थ बनाने और मुख्य धारा के कार्यबल में उनका एकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की जा रही हैं। भेल भी त्रिची, भोपाल, हैदराबाद और हरिद्वार केन्द्रों पर विशेष देखभाल विद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर रहा है।

6.5 भारी उद्योग विभाग शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को संशोधित कारें खरीदने के लिए उत्पाद कर पर पात्रता छूट का लाभ लेने के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी करता है। विस्तृत पात्रता शर्तें विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। वर्ष 2012–13 के दैरान कुल 68 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जबकि 61 व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र जारी किए गए तथा 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान कुल 71 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और 54 व्यक्तियों का प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

6.6 पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणी के प्रतिनिधित्व हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा शुरू किए गए पोर्टल (www.rrcps.nic.in) को भारी उद्योग विभाग में शुरू किया गया है। भारी उद्योग विभाग में प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और अशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक आँकड़े कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को ऑनलाइन भेजे जाते हैं।

अध्याय 7

महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण

7.1 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो। स्टॉफ के सभी सदस्यों को भारत के संविधान में व्यवस्थित लिंग आधारित समान मुख्यधारा और न्याय के सिद्धांतों के प्रति सचेत किया जाता है।

7.2 सरकार द्वारा लिंग समानता के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन तथा कामकाजी महिलाओं को न्याय के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मानवाधिकारों के प्रति, विशेषकर महिला कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटारे के लिए विभाग में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। विभाग महिलाओं को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतिस्पर्द्धाओं, प्रशिक्षण आदि जैसी सभी गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उनके कार्यबल की मुख्य धारा में आगे एकीकरण की दिशा में मदद मिलेगी।

7.3 महिला बजट के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का भारी उद्योग विभाग और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उन क्षेत्रों/सेवाओं का पता लगाने के उद्देश्य से अनुपालन किया जाता रहा है जहाँ जेंडर संबंधी समानता को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा पहल की जा सकती है।

अध्याय 8

सतर्कता

8.1 इस विभाग में विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की देखरेख के लिए संयुक्त सचिव के रैंक का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उनके सहयोग के लिए सतर्कता अनुभाग के साथ–साथ एक निदेशक तथा एक अवर सचिव हैं।

8.2 **सतर्कता अनुभाग का मुख्य कार्य क्षेत्र है:–**

- भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के साथ–साथ विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की देखरेख, सतर्कता मामलों की आवधिक समीक्षा करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और पीईएसबी की सिफारिशों के आधार पर अन्य सभी नियुक्तियों के संबंध में, जिनमें एसीसी की स्वीकृति अपेक्षित होती है, सतर्कता मंजूरी जारी करना।
- सतर्कता मामलों के संबंध में सूचना के सुचारू प्रवाह के लिए सीवीसी, सीबीआई और भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के सीवीओज के साथ संपर्क रखना।
- प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं के मुद्दों पर परामर्श देना।
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों से संबंधित आरोप पत्र की संवीक्षा करना।
- भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणिकाओं की प्रस्तुति की मॉनिटरिंग करना।
- विभाग के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड–स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों अथवा कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की मॉनिटरिंग और उन्हें पूरा करना तथा उनका अनुरक्षण करना।

8.3 सतर्कता अनुभाग निवारक सतर्कता पर भी पर्याप्त जोर देता है और व्यापक पारदर्शिता लाने के बारे में आईटी के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। जहां कहीं अपेक्षित है उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय भी किए जाते हैं और इसके बाद अति सावधानी रखी जाती है।

8.4 भारी उद्योग विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता फैलाने/जानकारी देने के वास्ते 28 अक्तूबर से 02 नवंबर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था।

8.5 पूर्व के वर्षों की भांति, विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की वार्षिक बैठक सचिव, भारी उद्योग विभाग के अधीन उद्योग भवन, नई दिल्ली में 30.01.2013 को हुई जिससे मंत्रालय और सीवीओज के बीच विचार–विमर्श करना और पीएसईज में समग्र सतर्कता प्रशासन में सुधार की दृष्टि से सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा करना सरल और सुसाध्य हो गया।

8.6 सतर्कता मामले सामान्यतः गंभीर प्रकृति के होते हैं और इन पर पीएसईज के सीवीओज की उचित सहायता से आरोपों के संबंध में भिन्न और विस्तृत सूचना संबंधी टिप्पणियां और विश्लेषण करना

अपेक्षित होता है। लंबे समय से लंबित मामलों की पहचान के लिए ठोस प्रयास किए गए और सबसे पुराने मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने हेतु जांच कराई जा सके। वर्ष 2013 की शुरूआत में 28 सतर्कता मामले थे। वर्ष के दौरान 47 नए मामले प्रप्त हुए। 48 मामलों में जांच पूरी हो गई है और वे अब बंद कर दिए गए हैं।

8.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर और बोर्ड से नीचे के स्तर के अधिकारियों के 42 मामलों में भर्ती/पुष्टि/विस्तार/सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के संबंध में सतर्कता मंजूरी प्रदान की गई।

अध्याय 9

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

9.1 भारी उद्योग विभाग का हिंदी अनुभाग, विभाग में राजभाषा अर्थात हिंदी और इसके प्रगामी प्रयोग के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु कदम उठाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान भी विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा सक्रिय प्रयास जारी रहे। हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आवधिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाए गए।

9.2 उक्त अवधि के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति ने (i) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि., भोपाल (ii) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि0, हैदराबाद, (iii) एचएमटी लिमिटेड, मुख्यालय, बेंगलुरु (iv) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, कोर–3, नई दिल्ली (v) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद (vi) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी का निरीक्षण किया तथा हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वर्ष 2013–14 के दौरान विभाग के राजभाषा निरीक्षण दल ने हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु विभिन्न यूनिटों/कार्यालयों का निरीक्षण किया और उसके दौरान यूनिटों/कार्यालयों के कार्यपालकों को वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दिशा–निर्देश दिए।

9.3 सभी केबिनेट नोट, अधिसूचनाओं, संकल्पों, टिप्पणियों, परिपत्रों तथा संसद के दोनों पटलों पर रखे गए संसद–प्रश्नोत्तर, वार्षिक रिपोर्ट, बजट –निष्पादन, सामान्य आदेश और अन्य कागजात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए । हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा हिंदी पत्राचार में वृद्धि करने के लिए 02–09–2013 से 16–09–2013 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान हिंदी निबंध, टिप्पण और आलेखन, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग, हिंदी प्रश्न मंच, भाषण, कविता पाठ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नकद राशि एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए गए। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर अपना कार्य स्वयं हिंदी में करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। विभाग के इन्ट्रानेट पर ई–पत्रिका प्रारंभ की गई है। इसमें लेख, कविता आदि के साथ–साथ विभागीय गतिविधियों की जानकारी होती है।

9.4 विभाग के प्रशासनाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी राजभाषा अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सशक्त प्रयास करते रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए संगोष्ठियां, प्रतियोगिताएं एवं हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में भी **"हिंदी पखवाड़ा/हिंदी सप्ताह/हिंदी माह"** बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया।

अध्याय 10

सेवोत्तम का कार्यान्वयन

10.1 भारी उद्योग विभाग प्रभावी और जिम्मेदार प्रशासन के लक्ष्य और उत्कृष्टता सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। भारत सरकार के सेवोत्तम ढ़ांचे को इस विभाग में कार्यान्वित किया गया है। विभाग के लिए नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार किया गया है, जिसे विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त शिकायतों अथवा विभाग के लोक शिकायत पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निपटारा तत्परता से किया जाता है।

10.1.1 **आरएफडी की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में भारी उद्योग विभाग में निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किये गए हैं:**

10.1.1.1 **आईएसओः 9001:2008 प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन**

भारी उद्योग विभाग आईएसओ 9001 प्रमाणीकरण परियोजना का कार्यन्वयन प्रक्रियाधीन है। भारी उद्योग विभाग के आईएसओ 9001:2008 प्रमाणीकरण के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है। प्रथम चरण में आईएसओ प्रमाणीकरण हेतु विभाग की एईआई, पीई XI और टीएसडब्ल्यू (बी) यूनिट शामिल की गई हैं। इस विभाग ने आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने में भारी उद्योग विभाग की मदद करने के लिए एक परामर्शदाता रखा है।

10.1.1.2 **प्रमुख नवाचारों को अभिज्ञात, डिजाइन और कार्यान्वित करनाः**

सरकार का उद्देश्य नागरिकों/पणधारकों को सरकारी विभागों द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी विभागों में नवाचार हासिल करना है। भारी उद्योग विभाग में नवीन विचारों को आमंत्रित और कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। तद्नुसार, भारी उद्योग विभाग में एक अवार्ड स्कीम तैयार की गई है। विभिन्न क्षेत्रों से अभिनव विचार प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख 15 जनवरी, 2014 थी। इन अभिनव विचारों का मूल्यांकन बहुविषयक अभिनव कार्यदल द्वारा किया जाएगा और सर्वाधिक अभिनव विचारों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।

10.1.1.3 **भारी उद्योग विभाग के नागरिक/ग्राहक चार्टर की स्वतंत्र लेखापरीक्षा।**

भारी उद्योग विभाग नागरिकों, विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उद्योग एसोसिएशनों, सांविधिक निकायों, प्रशासनिक प्राधिकारियों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों को नागिरक/ग्राहक चार्टर में इंगित सेवा मानकों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करता है। नागरिक/ग्राहक चार्टर में शामिल विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा मानक निर्धारित किए गए हैं। कार्य–निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी), मंत्रिमंडल सचिवालय ने विभाग के नागरिक/ग्राहक के चार्टर की स्वतंत्र लेखापरीक्षा की है तथा विभाग में नागरिक/ग्राहक चार्टर के कार्यान्वयन पर संतोष जाहिर किया है।

10.1.1.4 **शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा**

डीएआरपीजी के शिकायत पोर्टल पर http://pgportal.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त अथवा पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के पेंशनर्स पोर्टल http://pensionersportal.gov.in/cpengrams

(पेंशनर्स की शिकायतों के लिए) केन्द्रीकृत पेंशनर्स शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र (सीपीईएनजीआरएएमएस) अथवा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर अथवा व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त अथवा डाक द्वारा भेजी गई अथवा ई–मेल द्वारा अथवा फैक्स द्वारा प्राप्त जन शिकायतों को मॉनिटर करने के लिए संयुक्त सचिव रैंक के एक नोडल अधिकारी को निदेशक लोक शिकायत के रूप में पदनामित किया गया है। 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान 210 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से कुल 166 शिकायतों का निपटान कर दिया गया। 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार 44 शिकायतें लंबित हैं। वर्ष 2012–13 के लिए भारी उद्योग विभाग में शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) की स्वतंत्र लेखापरीक्षा कार्य–निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी) द्वारा की गई थी, जिसमें मंत्रिमंडल सचिवालय ने विभाग में जीआरएम के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया था।

10.2 विभाग में शुरू किए गए आईटी संबंधी कार्य

10.2.1 विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i) विभाग की वेबसाइट समय–समय पर अद्यतन की जाती है। इसे पुनः डिजाइन करने और जीआईजीडब्ल्यू के अनुकूल बनाने और एसटीक्यूसी द्वारा इसे प्रमाणित करवाने का प्रस्ताव है। इस कार्य को शुरू करने के लिए एजेन्सी का चयन करने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ii) भारत सरकार के मॉनिटरिंग सिस्टम (आरआरसीपीएस) में डाक और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व का कार्यान्वयन।

iii) व्यय विभाग द्वारा विकसित केन्द्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) को विभाग और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अमल में लाना शुरू कर दिया है।

iv) संकट प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन।

v) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को शुरू कर दिया गया है।

vi) प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा एनआईसी की सहायता से भारी उद्योग विभाग में कागज रहित कार्य करने का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से **ई–ऑफिस मिशन मोड परियोजना** क्रियान्वित की जा रही है। सभी उपयोगकर्ताओं को आवश्यक अवसंरचना अर्थात् पर्सनल कंप्यूटर्स, स्केनर्स, डिजीटल हस्ताक्षर, मुहैया करा दी गई हैं। इसे भारी उद्योग विभाग में दिनांक 08.07.2013 से शुरू कर दिया गया है। ई–ऑफिस के ई–लीव, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, कार्मिक सूचना प्रबंधन प्रणाली, डायरी प्रबंधन प्रणाली, फाइल प्रबंधन प्रणाली, ई–टूर आदि जैसे विभिन्न मॉड्यूल्स शुरू कर दिए गए हैं। ई–ऑफिस के कार्यान्वय की प्रगति डीएआरपीजी द्वारा मॉनिटर की जा रही है। विभाग में ई–ऑफिस के कार्यान्वयन की प्रगति काफी उत्साहजनक है।

10.2.2 **विभाग का ई–गवर्नेंस के तहत निम्नलिखित प्रणालियों का विकास करने का भी प्रस्ताव है:–**

i) पूंजीगत माल क्षेत्र अर्थात् हेवी इजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल एवं ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में परियोजना आयात योजना के तहत सीमा–शुल्क रियायत हेतु सॉफ्टवेयर बनाना।

अध्याय 11

सूचना का अधिकार

11.1 भारी उद्योग विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी अनुदेशों को कार्यान्वित किया गया है। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अलग से लोक प्राधिकारी बनाने के आदेश दिए गए हैं।

11.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में "आरटीआई ऑनलाइन" वेब पोर्टल को 18.07.2013 से चालू कर दिया गया है। निदेशक/उप सचिव अथवा समकक्ष सचिव अथवा समकक्ष स्तर के सभी अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता अधिकारी आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुरूप विभाग की वेबसाइट पर सूचना का स्वतः प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है।

11.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के निबन्धनों के अनुसार सूचना स्वतः प्रकटीकरण के कार्यान्वयन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा टॉस्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर विभाग में कई कदम उठाए गए हैं ताकि विभाग की वेबसाइट पर सूचना स्वतः प्रकट और अद्यतन हो सके। इन सक्रिय प्रकटीकरण दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सचिव रैंक के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

11.4 विभाग में उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रित लेखन–सामग्री पर आईटीआई का लोगो लगाया जा रहा है। भारी उद्योग विभाग में और इसके नियंत्रणाधीन सीपीएसईज में सीआईसी को तिमाही आरटीआई रिटर्न ऑनलाइन प्रस्तुत की गईं।

11.5 विभाग में वर्ष 2012–13 के दौरान, आरटीआई के तहत 302 आवेदन और 47 अपीलें प्राप्त हुईं और 303 आवेदन और 49 अपीलों का निपटान किया गया। 1.4.2013 से 31.02.2014 की अवधि में 540 आवेदन और 53 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से 463 आवेदनों और 47 अपीलों का निपटान किया गया।

अध्याय 12

परिणाम कार्य-ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) 2013-14

12.1 परिणाम–ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) जनादेश का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्री और इस जनादेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उत्तरदायी विभाग के सचिव के बीच आपसी समझ का एक दस्तावेज होता है। प्रधानमंत्री ने सरकारी मंत्रलायों/विभागों के लिए "कार्य–निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस)" की रूपरेखा का अनुमोदन कर दिया है। सरकारी कार्य–निष्पादन पर उच्चाधिकार –प्राप्त आयोग (एचपीसी) ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 03.03.2011 को हुई अपनी बैठक में संपूर्ण विभागीय आरएफडी, अनुरूपी उपलब्धियों और संयोजित स्कोर को विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने का अनुमोदन किया था।

12.2 आरएफडी में उन सबसे महत्वपूर्ण परिणामों का साराँश उपलब्ध कराया जाता है जिनकी मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान हासिल कर लिए जाने की आशा होती है। इस दस्तावेज में न केवल सहमत उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का ब्यौरा होता है; बल्कि इनके कार्यान्वयन में प्रगति का आकलन करने के लिए सफलता के संकेतक और लक्ष्य भी होते हैं।

12.3 पीएमडी की सरकारी कार्य–निष्पादन पर उच्चाधिकार–प्राप्त समिति (एचपीसी) ने भारी उद्योग विभाग के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया और आरएफडी 2013–14 पर भारी उद्योग विभाग के समय कार्य–निष्पादन पर 61.07 प्रतिशत संयुक्त अंक दिए गए।

12.4 आरएफडी 2013–14 में निहित विस्तृत उद्देश्य, उनकी अनुरूपी उपलब्धियां और संयुक्त अंक निम्नवत् हैं:

आरएफडी 2013–14, संगत उपलब्धि और संयुक्त स्कोर

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता का सूचक	इकाई	तुलनात्मक महत्व %	लक्ष्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	उचित	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
उद्देश्य 1: ऑटो सेक्टर की वृद्धि को सुविधाजनक बनाना	19%	कार्रवाई 1:सेक्टर की वृद्धि	(क) आउटपुट का मूल्य	₹ करोड़	1.5	544070	540543	539009	536709	535687
			(ख) पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	%	1.5	6.44	5.75	5.45	5.00	4.80
		कार्रवाई 2: एनईएमएमपी 2020 का कार्यान्वयन	योजना के लिए मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत करना	दिनांक	3	30 सित. 2013	31 अक्तू 2013	30 नव. 2013	31 दिस. 2013	31 जन. 2014
		कार्रवाई 3: उपकर निधियों (डीसीएएआई) के माध्यम से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण	आबंटित निधियां जारी करना	%	1	100	90	80	70	60
		कार्रवाई 4: अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को पूरा करना (जिन्हें 31.03.2014 तक पूरा किया जाना था)	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	%	3	100	90	80	70	60
		कार्रवाई 5: 31.03.2013 तक पूरी की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन	(क) मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना	%	1	100	90	80	70	60
			(ख) पिछले वर्षों की मूल्यांकन रिपोर्टों पर कार्रवाई पूरी करना	%	1	100	90	80	70	60
		कार्रवाई 6: जीएआरसी, चेन्नई, नैट्रिप में सुविधाओं की शुरूआत	(क) फैटिग लैब और प्रमाणन लैब के सिविल और जनोपयोगी कार्यों को पूरा करना।	दिनांक	0.5	30 सित 2013	15 अक्तू 2013	31 अक्तू 2013	15 नव. 2013	30 नव. 2013
			(ख) गैर तकनीकी भवनों के सिविल और जनोपयोगी कार्यों को पूरा करना।	दिनांक	0.5	31 जुलाई, 2013	31 अग. 2013	30 सित. 2013	31 अक्तू 2013	30 नव. 2013

			(ग) पेडेस्ट्रेन लैब की शुरूआत	दिनांक	0.5	28 अक्तू., 2013	12 नव. 2013	27 नव. 2013	13 दिसं. 2013	28 दिस. 2013
			(घ) एयरबैग लैब की शुरूआत	दिनांक	0.5	27 दिस. 2013	11 जन. 2014	26 जन. 2014	11 फरवरी 2014	26 फरवरी 2014
		कार्रवाई 7: आईसैट, मानेसर, नैट्रिप पर नई सुविधाओं की शुरूआत	(क) शेड सुविधा की शुरूआत	दिनांक	0.5	14 जुलाई, 2013	28 जुलाई, 2013	13 अगस्त 2013	13 अगस्त 2013	13 अगस्त 2013
			(ख) फैटिग लैब और प्रमाणन लैब के सिविल और जनोपयोगी कार्यों को पूरा करना।	दिनांक	0.5	30 नव. 2013	15 दिस. 2013	31 दिस. 2013	15 जन. 2014	31 जन. 2014
			(ग) पेडेस्ट्रेन लैब की शुरूआत	दिनांक	0.5	13 जुलाई 2013	13 अगस्त 2013	28 अगस्त 2013	28 अगस्त 2013	28 अगस्त 2013
			(घ) ईएमसी लैब में सिविल और जनोपयोगी कार्यों को पूरा करना।	दिनांक	0.5	31 अगस्त 2013	15 सित. 2013	1 अक्तू. 2013	16 अक्तू 2013	1 नव. 2013
			(ड.) टेस्ट ट्रैक पर सिविल और जनोपयोगी कार्यों को पूरा करना।	दिनांक	0.5	31 अगस्त 2013	30 सित. 2013	31 अक्तू 2013	30 नव. 2013	31 दिस. 2013
		कार्रवाई 8: नेट्रैक्स, इंदौर, नैट्रिप में नई सुविधाओं की शुरूआत	(क) गैर तकनीकी भवनों के सिविल और जनोपयोगी कार्यों को पूरा करना।	दिनांक	0.5	31 जुलाई, 2013	31 अगस्त 2013	30 सित. 2013	31 अक्तू 2013	1 दिस. 2013
			(ख) पावर ट्रैन के सिविल और जनोपयोगी कार्यों को पूरा करना।	दिनांक	0.5	31 अगस्त 2013	30 सित. 2013	31 अक्तू 2013	15 नव. 2013	1 दिस. 2013
			(ग) व्हीकल डायनेमिकस के सिविल और जनोपयोगी कार्यों को पूरा करना।	दिनांक	0.5	31 जुलाई, 2013	31 अगस्त 2013	30 सित. 2013	15 अक्तू 2013	31 अक्तू 2013

		कार्रवाई 9: नैट्रिप के आईसैट, मानेसर, जीएआरसी, चेन्नई और सिल्चर केन्द्रों को प्रचालित करना।	(क) आईसैट, मानेसर और जीएआरसी, चेन्नई से आय अर्जित करना (वार्षिक कारोबार)	₹ करोड़	0.5	42	40	39	38	37
			(ख) सिल्चर केन्द्र पर ड्राइवरों का प्रशिक्षण प्रारंभ करना (प्रशिक्षित किए गए व्यक्ति)	संख्या	0.5	200	175	150	125	100
उद्देश्य 2: हेवी इलेक्ट्रिकल सेक्टर की वृद्धि को सुविधाजनक बनाना	9%	कार्रवाई 1: सेक्टर की वृद्धि	(क) आउटपुट का मूल्य	₹ करोड़	1.5	142000	138240	135000	131000	129280
			(ख)पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	%	1.5	10.94	8.00	5.47	2.34	1.00
		कार्रवाई 2: इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री मिशन प्लान 2012-22 को अंतिम रूप देना	मिशन योजना को अंतिम रूप देना	दिनांक	5	31 अक्तू 2013	30 नव. 2013	31 दिस. 2013	31 जन. 2014	28 फरवरी 2014
		कार्रवाई 3: ताप विद्युत के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना को अंतिम रूप देना	ईएफसी को प्रस्ताव भेजना	दिनांक	1	30 सित. 2013	31 अक्तू 2013	30 नव. 2013	31 दिस. 2013	31 जन. 2014
उद्देश्य 3: केपिटल गुड्स सेक्टर की वृद्धि को सुविधाजनक बनाना	10%	कार्रवाई 1: सेक्टर की वृद्धि	(क) आउटपुट का मूल्य	₹ करोड़	1.5	70000	67055	65000	63000	60000
			(ख)पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	%	1.5	21.95	16.82	13.24	9.76	4.53
		कार्रवाई 2: केपिटल गुड्स पर राष्ट्रीय नीति की अधिसूचना	नीति की अधिसूचना	दिनांक	4	31 दिस. 2013	15 जन. 2014	15 फरवरी 2014	28 फरवरी 2014	15 मार्च 2014
		कार्रवाई 3: केपिटल गुड्स सेक्टर में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के विस्तार के लिए योजना का अनुमोदन	सीसीईए के लिए नोट भेजना	दिनांक	1	31 जन. 2014	15 फरवरी 2014	28 फरवरी 2014	15 मार्च 2014	31 मार्च 2014

		कार्रवाई 4: स्वदेशी केपिटल गुड्स के क्षमता उपयोग में वृद्धि के लिए टीम लक्ष्यों पर दस्तावेज तैयार करना।	**सचिवों की समिति को दस्तावेज प्रस्तुत करना**	**दिनांक**	**2**	**30 सित. 2013**	**31 अक्तू 2013**	**30 नव. 2013**	**31 दिस. 2013**	**31 जन. 2014**
उद्देश्य 4: कौशल विकास गतिविधियों को सहायता	8%	कार्रवाई 1: केपिटल गुड्स के लिए सेक्टर विशिष्ट कौशल विकास परिषद की स्थापना	परिषद का गठन	दिनांक	2	31 दिस. 2013	31 जन. 2014	28 फरवरी, 2014	15 मार्च, 2014	31 मार्च 2014
		कार्रवाई 2: हेवी इलेक्ट्रिकल सेक्टर के लिए कौशल विकास परिषद की स्थापना	**परिषद का गठन**	**दिनांक**	**2**	**31 दिस. 2013**	**31 जन. 2014**	**15 फरवरी, 2014**	**28 फरवरी, 2014**	**15 मार्च 2014**
		कार्रवाई 3: ट्रेनिंग डिलिवरी सेंटरों (टीडीसी) को ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद से संबद्ध करना	**टीडीसी की संख्या**	**संख्या**	**1**	**10**	**8**	**7**	**6**	**5**
		कार्रवाई 4: ऑटो और एलाइड उद्योगों के लिए राष्ट्रीय धारिता मानक का सृजन	**मानक का सृजन**	**दिनांक**	**1**	**31 दिस. 2013**	**15 जन. 2014**	**31 जन. 2014**	**28 फरवरी, 2014**	**31 मार्च, 2014**
		कार्रवाई 5: केसाक्षेउ के माध्यम से लागोंके लिए कौशल विकास कार्यकलाप	**वर्ष में प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या**	**संख्या**	**2**	**32000**	**30000**	**28000**	**26000**	**24000**
उद्देश्य 5: विद्युत उत्पादन के लिए संयुक्त जवाबदेही	5%	कार्रवाई 1:आवश्यक सहायता और क्लियरेंस देना	(क) अतिरिक्त क्षमता संस्थापित	मेगावाट	3	18500	18000	17000	16000	15000
			(a)कुल उत्पादित विद्युत	**बीयू**	**2**	**1030**	**1000**	**950**	**920**	**900**
उद्देश्य -6: सतत उच्च् वृद्धि प्राप्त करने तथा वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने में बीएचईएलको सहायता	18%	कार्रवाई-1: उच्च स्तर की वृद्धि	कारोबार	₹ करोड़	4	46,000	41,400	36,800	32,200	27,600
		कार्रवाई-2: विद्युत सेक्टर क्षमता परिवर्धन	**पूरी की जा चुकी क्षमता**	मेगावाट	3	10,000	9,000	8,000	7,000	6,000

		कार्रवाई-3: **इंजी., अनु. और विकास प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना**	**वर्ष 2012-13 के पीएटी के % के रूप में कुल अनुसंधान और विकास व्यय**	**%**	**3**	**18.0**	**17.5**	**17.0**	**16.5**	**15.5**
		कार्रवाई-4: **पूंजी निवेश**	**पूंजीगत व्यय**	**₹ करोड़**	**2**	**838**	**796**	**670**	**587**	**503**
		कार्रवाई-5: बीएचईएल को ऑर्डर अर्जित करने में सहायता देना	**घरेलू ऑर्डरों का %**	**%**	**4**	**65**	**60**	**55**	**53**	**50**
		कार्रवाई-6:गैर कोर सेक्टरों में वृद्धि	**गैर कोर सेक्टरों में व्यवसाय में बढोतरी (वाईओवाई)**	**%**	**2**	**15**	**13**	**11**	**10**	**9**
उद्देश्य **7:** लाभ में चल रहे केसाक्षेउ **(**बीएचईएल के अतिरिक्त**)** को उच्चतर कारोबार और लाभ अर्जित करने में सहायता देना	**6%**	कार्रवाई **1:** केसाक्षेउ के कार्यनिष्पादन की संरचित समीक्षा	**(क) 2013-14** में कुल कारोबार में प्रतिशत वृद्धि (वाईओवाई)	**%**	**2**	**10**	**8**	**5**	**3**	**0**
			(ख) 2013-14 में कुल शुद्ध लाभ में प्रतिशत वृद्धि (वाईओवाई)	**%**	**2**	**2.0**	**1.5**	**1.0**	**0.5**	**0**
		कार्रवाई 2: केसाक्षेउ के कार्यनिष्पादन में सुधार	**समझौता ज्ञापन में उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करना**	**संख्या**	**2**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
उद्देश्य **8:** रुग्ण और हानि में चल रहे केसाक्षेउ का पुनर्गठन/ पुनरूद्धार	**9%**	कार्रवाई **1:** केसाक्षेउ का पुनर्गठन/पुनरूद्धार के लिए सीसीईए के अनुमोदन के लिए नोट प्रस्तुत करना	केसाक्षेउ की संख्या जिनके लिए सीसीईए नोट प्रस्तुत किया गया है।	संख्या	**4**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**
		कार्रवाई 2: **वीआरएस/वीएसएस तथा सांविधिक देयताओं सहित केसाक्षेउ के पुनरुद्धार के लिए निधियां देना।**	व्यय में प्रगति	**आरई का %**	**1**	**100**	**95**	**90**	**85**	**80**

		कार्रवाई 3: रुग्ण और हानि में चल रहे केसाक्षेउ के कार्यनिष्पादन में सुधार	**समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकरने वाले हानि में चल रहे केसाक्षेउ की नकद हानि में कमी**	**%**	**3**	**2.0**	**1.5**	**1.0**	**0.5**	**0**
		कार्रवाई 4: कायापलट कर दिए गए अतिरिक्त केसाक्षेउ की संख्या (वे केसाक्षेउ जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।)	**नकद हानि से नकद लाभ में जाना**	**कंपनियों की संख्या**	**1**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
उद्देश्य **9:** जवाबदेही केन्द्रों **(**आरसीज**)** को उनके निष्पादन में सुधार के लिए सहायता	**1%**	कार्रवाई **1:** वर्ष **2013-14** के लिए आरसीज के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना	आरसीज द्वारा आरएफडी को अंतिम रूप देना	दिनांक	**1**	**30** अप्रेल **2013**	**7** मई**, 2013**	**14** मई**, 2013**	**21** मई**, 2013**	**28** मई**, 2013**

सफलता के अनिवार्य सूचक

आरएफडी प्रणाली का कुशल कार्यप्रणाली	3	अनुमोदन के लिए मसौदा आरएफडी 2014-15 समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	दिनांक	2.00	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/2014
		2012-13 के परिणाम समय पर प्रस्तुत करना	**समय पर प्रस्तुत करना**	**दिनांक**	**1.00**	**01/05/2013**	**02/05/2013**	**03/05/2013**	**06/05/2013**	**07/05/2013**
मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कार्यकुशलता/उत्तरदायित्व / पारदर्शिता/ सेवा सुपुर्दगी में सुधार करना।	6	नागरिक/ग्राहक चार्टर(सीसीसी) के कार्यान्वयन का स्वतंत्र अंकेक्षण	कार्यान्वयन का %	%	2.00	100	95	90	85	80
		जन शिकायत निराकरण प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र अंकेक्षण	**कार्यान्वयन का %**	%	2.00	100	95	90	85	90
		12वीं योजना प्राथमिकताओं के साथ एलाइन करने के लिए विभागीय रणनीति को अद्यतन करना	**रणनीति का समय पर अद्यतन**	**दिनांक**	2.00	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013
प्रशासनिक सुधार	6	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए उपशमनकारी रणनीतियों को लागू करना	कार्यान्वयन का %	%	1.00	100	95	90	85	80
		अनुमोदित कार्य योजनानुसार आईएसओ 9001 लागू करना	**कार्यान्वयन का %**	%	2.00	100	95	90	85	80
		नवाचार कार्य योजना लागू करना (आईएपी)	**अर्जित लक्ष्यों का %**	%	2.00	100	95	90	85	80
		दूसरी एआरसी की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग के कोर और गैर-कोर कार्यकलापों की पहचान करना	**समय पर प्रस्तुत करना**	**दिनांक**	1.00	01/10/2013	15/10/2013	30/10/2013	10/11/2013	20/11/2013

भारी उद्योग विभाग के कार्य का आबंटन
प्रशासन अनुभाग के संबंध में सूचना

भारी उद्योग विभाग उद्योग मंत्रालय का एक विभाग हुआ करता था। 15 अक्तूबर, 1999 से एक पृथक मंत्रालय अर्थात् भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय बनाया गया है। इस मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग हैं। भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित कार्य मदों की देखभाल करता है:–

क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों से संबंधित कार्य:–

1. हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
2. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
3. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

i) भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड

ii) बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड

1. एचएमटी लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

i) एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड

ii) एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

iii) एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड

iv) एचएमटी (वाचेज) लिमिटेड

v) एचएमटी (चिनार वाचेज) लिमिटेड

2. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
3. एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

i) हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड

ii) यूल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

iii) यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड

4. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
6. हिन्दुस्ता्न पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड

सहायक कंपनियां:

i) नगालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड

ii) हिन्दुस्ता्न न्यूजप्रिंट लिमिटेड

iii) जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड

7. हिन्दुस्ता्न फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
8. हिन्दुस्ता्न साल्ट्स लिमिटेड

सहायक कंपनी:

i) सांभर साल्ट्स लिमिटेड

9. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

सहायक कंपनी:

i) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

10. नेपा लिमिटेड
11. टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
12. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड; निम्नलिखित के साथ

सहायक कंपनी:

i) ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

13. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
14. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
15. भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड
16. रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड
17. ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

परिसमापन/बंदीकरण/बंदी अन्य विभागों/संगठनों को हस्तांतरित किए जाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायक कंपनियां:

1. भारत ऑफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड
2. भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड
3. टनेरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
4. रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन
5. भारत यंत्र निगम लिमिटेड
6. नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
7. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
8. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड
9. साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
10. जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड
11. लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
12. रेरॉल बर्न लिमिटेड
13. वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
14. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड
15. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
16. मांडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड

(ख) स्वायत्त निकाय:

i) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट

ii) दी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

iii) नैट्रिप इंपलीमेंटेशन सोसायटी (नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए)

(ग) अन्य विषय:

1. सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरी उपकरणों का विनिर्माण
2. हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग
3. मशीन टूल्स और स्टील प्लांट उपकरण सहित मशीनरी उद्योग
4. ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग उपकरण सहित ऑटो उद्योग
5. ऑटोमोबाइल इजंन सहित सभी प्रकार के डीजल इजंन
6. डेवलपमेंट काउंसिल फोर हेवी इलेक्ट्रिकल एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज
7. डेवलपमेंट काउंसिल फोर टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री
8. डेवलपमेंट काउंसिल फोर मशीन टूल्स इंडस्ट्री
9. डेवलपमेंट काउंसिल फोर ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज
10. इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी (भारत सरकार और लीबिया सरकार का एक संयुक्त उद्यम)

भारी उद्योग विभाग का संगठन चार्ट (01.07.2014 की स्थिति के अनुसार)

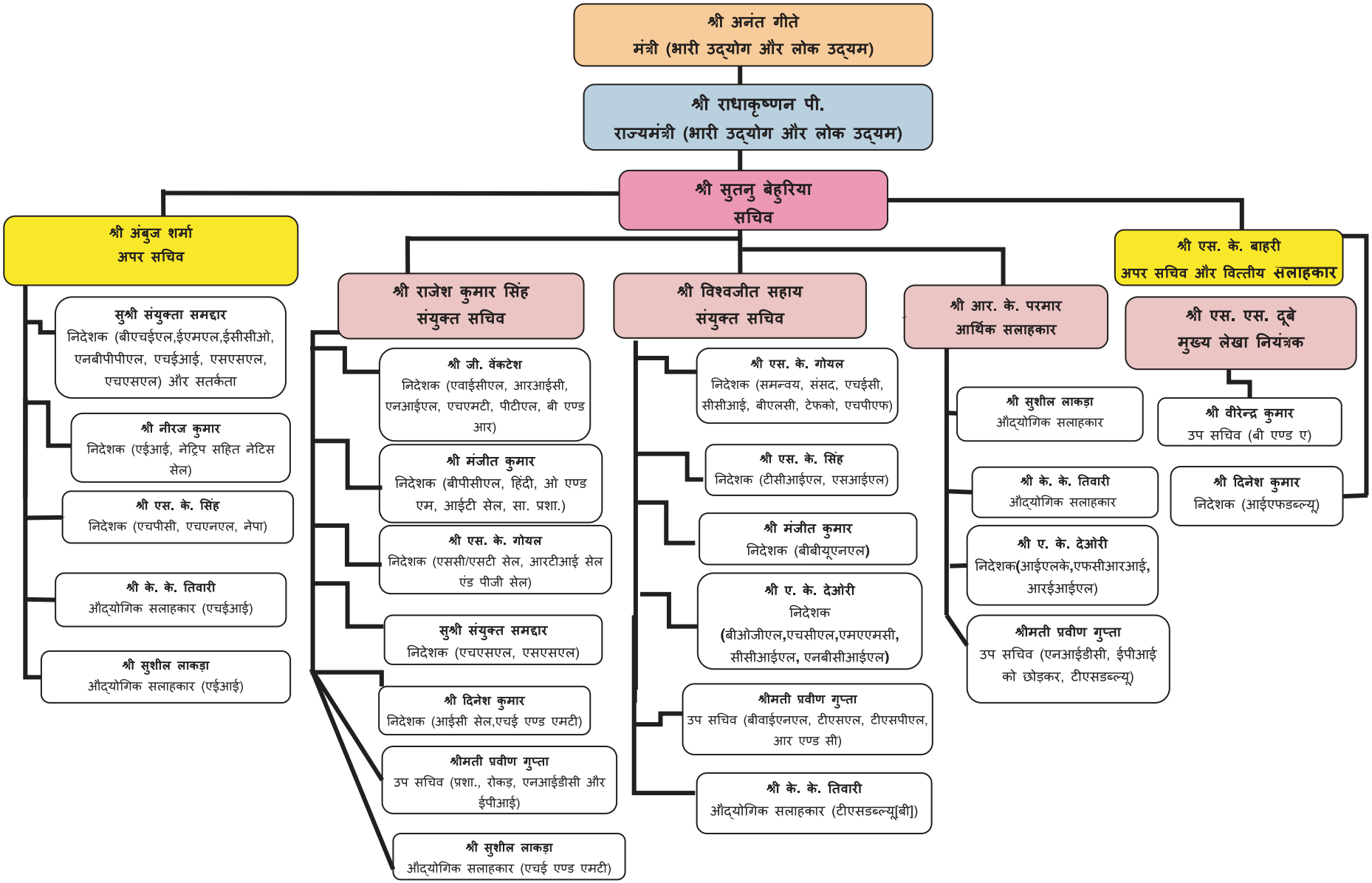

अनुबंध-III

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बारे में सामान्य सूचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय की अवस्थिति	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की स्थापना का वर्ष	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक (करोड़ रुपए में)
1	एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1979	247.03
2	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	1979	6.39
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल), नई दिल्ली	1956	12632.00
4	बीएचईएल.ईएमएल	2011	10.65
5	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल)	1986	0.78
6	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंपनी लि., (बीबीजे), कोलकाता	1987	17.46
7	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लि., (बीपीसीएल) इलाहाबाद	1970	87.28
8	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि., (आरएण्डसी) मुम्बई	1972	32.20
9	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., (टीएसएल) इलाहाबाद'	1965	19.65
10	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., (टीएसपीएल) हॉस्पेट, कर्नाटक	1967	20.56
11	ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी (इंडिया) लि., (बीएण्डआर) कोलकाता	1972	266.29
12	हिन्दुस्ता्न केबल्स लि., (एचसीएल) कोलकाता	1952	525.49
13	हेवी इंजीनियरिंग कार्पो. लि., (एचईसी), रांची	1958	372.67
14	एचएमटी लि., (धारक कं.), बेंगलुरू	1953	139.61
15	एचएमटी (मशीन टूल्स) लि., बेंगलुरू	2000	332.30
16	एचएमटी (वाचेज) लि., बेंगलुरू	2000	188.95
17	एचएमटी (चिनार वाचेज) लि., जम्मू	2000	12.16
18	एचएमटी (बेयरिंग्स) लि., हैदराबाद	1964	30.23
19	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि., बेंगलुरू	1974	8.36
20	इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (आईएल), कोटा	1964	77.77

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय की अवस्थिति	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की स्थापना का वर्ष	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक (करोड़ रुपए में)
21	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि., (आरईआईएल) जयपुर	1981	33.86
22	स्कूटर्स इण्डिया लि., (एसआईएल), लखनऊ	1972	59.00
23	सीमेंट कार्पो. ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	706.34
24	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. (एचपीसी) कोलकाता	1970	977.33
25	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लि., (एचएनएल), वेल्लोर कोट्टयम	1983	436.11
26	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु.क.लि., (एचपीएफ), ऊटी	1960	715.00
27	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., (एचएसएल), जयपुर	1958	13.36
28	सांभर साल्ट्स लि., (एसएसएल) जयपुर	1964	28.24
29	नेपा लि., (नेपा), नेपा नगर	1956	106.19
30	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि., (टीसीआईएल), कोलकाता'	1984	119.63
31	इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट्स (इंडिया) लि., (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	21.88
32	नगालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), जिला मोकोकचुंग, नगालैण्ड	1971	64.31
	योग		**18309.08**

नोट : (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल अगस्त/सितम्बर 2010 में रेल मंत्रालय/इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

अनुबंध -IV

31.3.2014 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में एससी, एसटी, ओबीसी सहित कर्मचारियों की स्थिति

क्रं. सं.	केसाक्षेउ का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों की संख्या		
		कार्यपालक	सुपरवाइजर	कामगारअन्य	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एवाईसीएल	240	74	14732	15046	2560	4409	7795
2	हुगली प्रिंटिंग	8	4	37	49	2	0	0
3	बीएचईएल	13347	8976	25212	47535	9456	2905	12781
4	बीबीयूएनएल	10	4	3	17	1	0	3
5	बीबीजे	52	36	13	101	7	0	4
6	बीएचईएल-ईएमएल	18	3	162	183	12	6	124
7	बीपीसीएल	171	20	589	780	132	4	271
8	आरएण्डसी	7	6	9	22	4	0	3
9	टीएसएल	28	3	100	131	19	0	54
10	टीएसपीएल	6	17	61	84	23	3	24
11	बीएण्डआर	776	31	667	1474	179	10	67
12	एचसीएल	228	270	1200	1698	305	50	173
13	एचईसी	819	361	854	2034	350	413	534
14	एचएमटी (धारक कंपनी)	194	97	1143	1434	320	47	105
15	एचएमटी (एमटी)	567	250	1750	2567	458	139	682
16	एचएमटी (वाचेज)	120	53	882	1055	201	35	147
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1	4	29	34	4	0	0
18	एचएमटी (बेयरिंग)	17	9	36	62	12	0	21
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	40	7	4	51	6	3	1
20	आईएल	211	575	365	1151	193	58	228
21	आरईआईएल	70	82	89	241	47	9	54
22	एसआईएल	118	43	459	620	142	1	167
23	सीसीआई	149	130	628	907	131	99	111
24	एचपीसी	365	156	1511	2032	229	183	198
25	एचएनएल	141	55	535	731	49	2	188
26	एचपीएफ	66	199	392	657	126	39	320
27	एचएसएल	22	34	55	111	15	6	10
28	एसएसएल	11	21	83	115	25	5	41
29	नेपा	112	0	686	798	48	13	52
30	टीसीआईएल							
31	ईपीआई	357	61	19	437	71	13	61
32	एनपीपीसी	3	5	192	200	2	153	15
	कुल	**18274**	**11586**	**52497**	**82357**	**15129**	**8605**	**24234**

नोटः (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल रेल मंत्रालय को अगस्त–सितम्बर 2010 में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

(iii) टीसीआईएल के आंकडे उपलबध नहीं हैं क्योंकि प्रारंभिक रूप से विनिवेश के अधीन कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश पर समाप्त किया जा रहा है।

अनुबंध-V

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	केसाक्षेउ का नाम	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (अनंतिम)	2014-15 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	एवाईसीएल	232.12	261.30	289.03	324.00	385.00
2	हुगली प्रिंटिंग	11.26	15.75	9.50	15.60	15.80
3	बीएचईएल	43337.00	49510.00	50156.00	40366.00	45600.00
4	बीबीयूएनएल	11.46	14.74	16.15	10.86	13.00
5	बीएचईएल–ईएमएल		21.13	26.53	37.02	49.07
6	बीबीजे	146.51	199.15	302.11	268.00	290.00
7	बीपीसीएल	209.09	158.30	152.74	150.26	210.00
8	आरएण्डसी	86.20	73.31	71.19	75.00	80.00
9	टीएसएल	1.92	1.57	0.93	1.86	1.86
10	टीएसपीएल	2.88	3.03	0.55	0.61	0.75
11	बीएण्डआर	1328.97	1258.67	1315.55	1401.40	1475.00
12	एचसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	एचईसी	700.55	687.74	676.77	439.97	852.20
14	एचएमटी (धारक कंकं.)	187.24	182.98	63.05	74.11	249.25
15	एचएमटी (एमटी)	177.43	218.17	218.05	155.56	206.75
16	एचएमटी (वाचेज)	8.82	10.24	14.03	4.70	12.00
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	0.00	0.00	0.00	0.00	0
18	एचएमटी (बेयरिंग)	11.24	14.64	11.73	14.36	15.15
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	27.89	32.40	34.09	25.08	45.00
20	आईएल	249.83	192.45	171.80	159.71	325.00
21	आरईआईएल	133.54	234.11	241.84	216.16	200.00
22	एसआईएल	184.76	228.73	214.46	215.28	265.21
23	सीसीआई	332.88	370.93	316.56	364.44	414.60
24	एचपीसी	579.17	705.38	566.20	639.93	914.00
25	एचएनएल	310.36	336.32	348.04	367.52	436.00
26	एचपीएफ	39.92	7.61	3.74	1.25	0.00
27	एचएसएल	13.22	8.98	8.61	6.60	15.54
28	एसएसएल	9.88	19.38	16.05	18.68	32.62
29	नेपा	103.58	145.60	131.54	124.94	125.00
30	टीसीआईएल	181.87	24.29			
31	ईपीआई	1103.69	901.27	840.61	902.88	1250.00
32	एनपीपीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल:	**49723.28**	**55838.17**	**56217.45**	**46381.78**	**53478.80**

नोट: (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल रेल मंत्रालय को अगस्त–सितम्बर 2010 में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

(iii) टीसीआईएल के आंकडे उपलबध नहीं हैं क्योंकि प्रारंभिक रूप से विनिवेश के अधीन कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश पर समाप्त किया जा रहा है।

अनुबंध - VI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का लाभ (+) हानि (–) (कर पूर्व)

(₹ करोड़ में)

केसाक्षेउ का नाम	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (अनंतिम)	2014-15 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6
(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ में चल रहे उद्यम					
एवाईसीएल	41.32	11.85	11.35	22.29	17.00
हुगली प्रिंटिंग	0.31	0.53	0.11	0.15	0.16
बीएचईएल	9006.00	10302.00	9432.00	4678.00	4825.00
बीएण्डआर	87.09	68.29	56.03	26.40	40.00
बीबीयूएनएल	0.02	0.11	0.46	4.29	0.03
बीबीजे	4.49	5.96	58.37	66.00	22.64
सीसीआई	27.13	19.43	8.11	11.54	9.71
ईपीआई	22.58	36.37	31.65	32.04	41.31
एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.31	1.74	6.85	0.49	4.41
एचएसएल	-0.49	0.22	0.74	0.17	0.49
एसएसएल	-4.13	1.06	0.30	0.03	0.94
एसआईएल	-17.11	-19.94	-6.00	13.60	2.82
एचएमटी (धा.क.)	-79.24	-82.20	-145.38	235.27	-49.35
आरईआईएल	6.25	27.45	39.29	20.50	6.86
एचईसी	38.14	8.58	20.38	314.12	24.62
(क) लाभ में चल रही कंपनियों का उप-योग	**9132.67**	**10381.45**	**9514.26**	**5424.89**	**4946.64**
(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हानि में चल रहे उद्यम					
टीएसपीएल	-26.12	-28.75	-31.15	-31.91	-30.57
बीपीसीएल	14.26	1.57	-26.76	-12.47	4.50
आईएल	-36.56	-67.69	-54.09	-50.22	-3.48
आरएण्डसी	-21.55	-16.26	-29.49	-15.38	-20.33
टीएसएल	-53.18	-52.34	-75.87	-56.96	-58.00

केसाक्षेउ का नाम	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (अनंतिम)	2014-15 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6
एचसीएल	-607.39	-648.27	-885.05	-824.14	-850.25
एचपीसी	-63.34	-95.20	-151.87	-103.51	-35.44
एचएमटी (मशीन टूल्स)	-93.06	-46.14	-43.65	-84.79	-55.36
एचएमटी (बेयरिंग्स)	-21.32	-10.12	-2.07	-15.98	-14.69
एचएमटी (वाचेज)	-253.74	-224.04	-242.47	-249.54	-262.10
एचएमटी (चिनार वाचेज)	-45.40	-44.04	-51.16	-50.65	-36.46
एचपीएफ	-1156.65	-1352.39	-1565.32	-1829.83	-2207.81
एचएनएल	5.04	6.89	-18.09	-14.31	5.05
नेपा	-70.40	-72.90	-84.08	-125.74	-36.02
टीसीआईएल	-13.23	-11.90			
बीएचईएल–ईएमएल		-0.37	-0.55	-1.06	-0.63
एनपीपीसी	-13.43	-11.90	-14.58	-13.13	-22.22
(ख) हानि में चल रही कंपनियों का उप–योग	**-2456.07**	**-2673.85**	**-3330.70**	**-3479.62**	**-3623.81**
सकल योग (क और ख)	**6676.60**	**7707.60**	**6183.56**	**1945.27**	**1322.83**

नोटः (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल रेल मंत्रालय को अगस्त–सितम्बर 2010 में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

(iii) टीसीआईएल के आंकडे उपलबध नहीं हैं क्योंकि प्रारंभिक रूप से विनिवेश के अधीन कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश पर समाप्त किया जा रहा है।

अनुबंध - VII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय

		कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी					कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय				
क्र. सं.	साक्षेउ का नाम	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (अनुमानित)	2014-15 (अनंतिम लक्ष्य)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (अनुमानित)	2014-15 (अनंतिम लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एवाईसीएल	31.65	28.52	30.96	27.84	24.63	4.39	3.96	8.54	7.68	6.79
2	हुगली प्रिंटिंग	19.06	16.96	24.58	16.98	17.40	0.88	0.52	1.09	0.71	0.73
3	बीएचईएल	12.48	11.04	11.47	15.32	14.66	1.35	1.37	1.44	1.88	1.75
4	बीबीयूएनएल	19.02	11.30	10.00	12.90	10.80	1.50	1.30	2.10	1.00	2.0
5	बीबीजे	6.60	7.70	5.90	6.70	8.50	0.30	0.30	0.80	1.00	0.40
6	बीएचईएल–ईएमएल		24.00	21.00	17.00	14.00					
7	बीपीसीएल	27.74	41.19	51.63	44.70	28.60	1.14	1.66	1.85	1.60	1.10
8	आरएण्डसी	1.99	2.09	1.56	2.00	2.10					
9	टीएसएल	2.27	2.13	2.53	2.28	2.34	1.03	1.20	0.60	0.50	0.50
10	टीएसपीएल	62.03	76.46	188.91	330.00	183.00	22.39	30.89	74.07	187.00	75.00
11	बीएण्डआर	5.40	6.21	6.56	6.68	6.92	1.14	1.63	1.53	1.72	1.56
12	एचसीएल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एचईसी	21.20	22.97	18.19	33.20	15.59	1.70	1.31	0.51	0.98	0.52
14	एचएमटी (धारक कं.)	38.00	42.00	64.00	104.00	32.00	4.00	5.00	7.00	10.00	4.00
15	एचएमटी (एमटी)	69.00	54.00	54.00	70.00	50.00	11.00	9.00	9.00	13.00	9.00
16	एचएमटी (वाचेज)	1373.00	689.00	400.00	520.00	198.00	45.00	35.00	33.00	58.00	35.00
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	4.48	3.94	2.82	1.28	1.43	0.27	0.37	0.21	0.25	0.30

		कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी					कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय				
क्र. सं.	साक्षेउ का नाम	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (अनुमानित)	2014-15 (अनंतिम लक्ष्य)	2010-11 (वास्तविक)	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (अनुमानित)	2014-15 (अनंतिम लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	एचएमटी (बेयरिंग)	51.00	27.00	32.00	26.00	23.00	3.70	2.40	2.30	1.60	1.90
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	12.00	14.00	12.00	29.00	11.00	1.00	0.70	1.30	2.10	1.40
20	आईएल	26.05	35.82	41.13	38.84	16.77	1.12	1.59	1.93	1.80	1.50
21	आरईआईएल	11.61	7.50	7.93	9.48	11.25	0.69	1.14	1.25	1.16	1.25
22	एसआईएल	21.09	13.74	14.26	13.74	14.26	2.20	1.28	1.74	1.54	1.75
23	सीसीआई	11.07	12.44	14.30	13.85	11.88	5.22	5.29	5.35	5.19	4.50
24	एचपीसी	18.10	17.19	23.89	23.63	14.48	6.17	5.94	2.13	1.49	1.05
25	एचएनएल	17.06	16.14	14.35	15.27	16	2.34	2.58	2.45	1.69	1.59
26	एचपीएफ	37.31	124.84	399.47	1203.25		3.62	9.46	5.75	4.17	
27	एचएसएल	34.00	56.86	70.03	78.05	70.50	1.91	2.83	2.23	3.79	2.19
28	एसएसएल	55.42	35.20	33.29	42.68	26.92	4.25	2.15	2.49	2.97	1.68
29	नेपा	16.14	12.69	15.24	16.81	20.00	0.42	2.48	3.32	3.27	3.00
30	टीसीआईएल	23.18	14.88	3.27			3.82	2.01	0.49		
31	ईपीआई	3.40	4.37	5.19	5.18	4.00	0.79	0.66	0.78	0.79	0.61
32	एनपीपीसी	7.02	7.45	10.41	11.00	13.00	2.82	2.96	0.50	0.52	0.55

नोटः (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमईए डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएलए एमएएमसीए एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल रेल मंत्रालय को अगस्त–सितम्बर 2010 में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

(iii) टीसीआईएल के आंकडे उपलबध नहीं हैं क्योंकि प्रारंभिक रूप से विनिवेश के अधीन कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश पर समाप्त किया जा रहा है।

अनुबंध -VIII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्रयादेश बुक की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	केसाक्षेउ	1.10.2009 की स्थिति के अनुसार	1.10.2010 की स्थिति के अनुसार	1.10.2011 की स्थिति के अनुसार	1.10.2012 की स्थिति के अनुसार	1.10.2013 की स्थिति के अनुसार	31.3.14 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एवाईसीएल	39.98	49.43	80.16	80.73	76.48	66.89
2	हुगली प्रिंटिंग	75.00	671.87	759.00	163.21	137.96	130.00
3	बीएचईएल	125800.00	154000.00	161000.00	122300.00	102300.00	101500
4	बीबीयूएनएल	159.63	183.97	51.18	38.14	19.55	12.91
5	बीबीजे	958.35	841.86	663.07	450.08	282.82	265.66
6	बीएचईएल-ईएमएल				4.32	21.52	12.52
7	बीपीसीएल	241.63	111.64	131.81	163.40	195.19	139.47
8	आरएण्डसी	117.94	87.84	92.12	35.44	39.95	72.07
9	टीएसएल	5.71	4.26	3.11	2.92	2.66	0.00
10	टीएसपीएल	0.19	2.28	0.07	0.52	0.00	0.00
11	बीएण्डआर	790.83	654.48	451.38	783.22	1229.87	2491.69
12	एचसीएल	3.40	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
13	एचईसी	1735.01	1819.22	1961.69	1724.19	1386.10	1409.58
14	एचएमटी (धारक कं.)	0	0	0	0	0.00	0
15	एचएमटी (एमटी)	151.80	160.48	238.50	285.90	**325.75**	333.59
16	एचएमटी (वाचेज)	0	0	0	0	0.00	0
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	0	0	0	0	0.00	0
18	एचएमटी (बेयरिंग)	1.12	1.43	1.85	2.21	1.94	1.94

क्र. सं.	केसाक्षेउ	1.10.2009 की स्थिति के अनुसार	1.10.2010 की स्थिति के अनुसार	1.10.2011 की स्थिति के अनुसार	1.10.2012 की स्थिति के अनुसार	1.10.2013 की स्थिति के अनुसार	31.3.14 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	10.69	7.95	14.01	9.62	8.84	7.95
20	आईएल	335.00	380.55	379.69	241.36	150.00	125.00
21	आरईआईएल*	36.15	64.25	184.04	72.15	71.54	
22	एसआईएल						
23	सीसीआई	21.46	16.38	27.36	26.01	22.74	21.34
24	एचपीसी	144.28	134.31	412.84	473.74	495.88	
25	एचएनएल						
26	एचपीएफ	5.00	2.00	7.00	6.00	6.00	
27	एचएसएल	17.63	11.11	0.68	8.68	3.29	7.02
28	एसएसएल	0.50	1.03	2.80	7.23	3.09	14.52
29	नेपा	21693.00	33001.00	40212.00	26144.00	28528.00	42851.00
30	टीसीआईएल						
31	ईपीआईएल	4451.70	4434.20	4590.86	3383.83	6444.85	6822.00
32	एनपीपीसी						
	कुल:	**156796.00**	**196641.60**	**211265.22**	**156406.90**	**141754.02**	**156285.15**
	*वस्तुएं स्टॉक और बिक्री के लिए उत्पादित की गई हैं।						

नोट: (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमईए डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएलए एमएएमसीए एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल रेल मंत्रालय को अगस्त–सितम्बर 2010 में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

(iii) टीसीआईएल के आंकडे उपलबध नहीं हैं क्योंकि प्रारंभिक रूप से विनिवेश के अधीन कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश पर समाप्त किया जा रहा है।

अनुबंध–IX

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निर्यात–निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	साक्षेउ	2009-10 (वास्तविक)			2010-11 (वास्तविक)			2011-12 ((वास्तविक)			2012-13 (वास्तविक)			2013-14(अनंतिम)		
		वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल	वास्तविक	डीम्ड	कुल
	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	एवाईसीएल	1.33		**1.33**	1.95		**1.95**	1.19		**1.19**	2.11		**2.11**	1.61		**1.61**
2	बीएचईएल	1682.00	14527.00	**16209.00**	1408.00	16429	**17837.00**	1464.00	23525.00	**24989.00**	1998.00	20680.00	**22678.00**	2481.00	16759.00	**19240.00**
3	बीबीयूएनएल	0.02		**0.02**	0.11		**0.11**	0.00		**0.00**			**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
4	बीपीसीएल		4.66	**4.66**	42.79	35.20	**77.99**		13.16	**13.16**		19.94	**19.94**		20.00	**20.00**
5	बीएंडआर	33.22		**33.22**	7.24		**7.24**	3.74		**3.74**	13.46		**13.46**	12.11		**12.11**
6	एचईसी				23		**23.00**				400.00			1063.00		**1063.00**
7	एचएमटी (आई)	30.80		**30.80**	27.88		**27.88**	32.40		**32.40**	34.09		**34.09**	25.08		**25.08**
8	आईएल	0.67	16.32	**16.99**	0.22	21.60	**21.82**	0.19	34.86	**35.05**	0.76	23.32	**24.08**	1.00	24.00	**25.00**
9	आरईआईएल	0.02	2.60	**2.62**	0.04		**0.04**	0.26		**0.26**	0.50		**0.50**			
10	एसआईएल	0.24		**0.24**	0.25		**0.25**	0.59		**0.59**	0.39		**0.39**	0.38		**0.38**
11	एचएसएल	0.28		**0.28**	0.33		**0.21**	0.83		**1.04**	0.38	1.21	**1.59**	0.00	0.00	**0.00**
12	एसएसएल	0.00	0.00	**0.00**	0.33	0.00	**0.33**	0.00	0.55	**0.55**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
13	ईपीआईएल	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	119.51		**119.51**	247.46		**247.46**
	कुल	**1748.58**	**14550.58**	**16299.16**	**1512.14**	**16485.80**	**17997.82**	**1503.20**	**23573.57**	**25076.98**	**2569.20**	**20724.47**	**22893.67**	**3831.64**	**16803.00**	**20634.64**

नोटः (I) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमईए डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएलए एमएएमसीए एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल रेल मंत्रालय को अगस्त–सितम्बर 2010 में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

अनुबंध - X

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त पूंजी, निवल संपत्ति और संचयी लाभ (+)/हानि (-) (अनंतिम)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	प्रदत्त पूंजी		निवल संपत्ति	संचयी लाभ (+) / हानि (-)
		सार्वजनिक/धारित केसाक्षेउ	अन्य		
1	2	3	4	5	6
1	एवाइसीएल	58.74	6.52	172.91	6.48
2	हुगली प्रिंटिंग	102.71	0	383.50	110.25
3	बीएचईएल	308.69	180.83	32733.00	32243.00
4	बीबीयूएनएल	120.86	0.00	126.37	5.51
5	बीबीजे	20.27	0.00	111.68	91.41
6	बीएचईएल-ईएमएल	5.35	5.15	8.52	-1.98
7	बीपीसीएल	53.53		92.44	16.40
8	आरएण्डसी	54.84	0	-403.96	-458.80
9	टीएसएल	21.27	0	-741.24	-762.51
10	टीएसपीएल	6.69	1.75	-402.87	-411.31
11	बीएण्डआर	54.63	0.36	309.82	254.83
12	एचसीएल	417.69	1.67	-6136.74	-6612.84
13	एचईसी	606.08	0	154.44	-560.11
14	एचएमटी (धारक कंपनी)	1344.32	76.03	1258.44	-605.65
15	एचएमटी (एमटी)	719.60	0	-286.45	-1028.76
16	एचएमटी (वाचेज)	6.49	0	-2262.20	-2268.69
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	1.66	0.00	-532.95	-534.61
18	एचएमटी (बेयरिंग)	37.47	0.24	-92.90	-130.61
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.72	0	31.04	30.31
20	आईएल	146.05	0	-135.07	-270.98
21	आरईआईएल	6.00	6.25	82.36	70.11
22	एसआईएल	80.03	5.35	83.05	-2.38
23	सीसीआई	811.41	0	-146.54	-942.02
24	एचपीसी	817.30	0	519.4	-290.47
25	एचएनएल	99.99	0	180.94	68.95
26	एचपीएफ	187.68	19.19	-12709.49	-12938.47
27	एचएसएल	27.06	0.00	24.97	-10.64
28	एसएसएल	1.00	0.00	-3.66	-15.44
29	नेपा	105.46	2.35	76.10	-477.46
30	टीसीआईएल	29.63		7.13	-47.17
31	ईपीआई	35.42	0.0071	202.83	149.47
32	एनपीपीसी	11.39	62.74	-99.47	-111.64
	कुल:	**6300.03**	**368.44**	**12605.40**	**4564.18**

नोटः (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल रेल मंत्रालय को अगस्त–सितम्बर 2010 में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

(iii) टीसीआईएल के आंकडे उपलबध नहीं हैं क्योंकि प्रारंभिक रूप से विनिवेश के अधीन कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश पर समाप्त किया जा रहा है।

अनुबंध-XI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत इनपुट

31.3.2014 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम	भारत सरकार से नवीन निधियां		अधित्याग/परिवर्तन	भारत सरकार की गारंटी	योग
		पूंजीगत निवेश	अन्य			
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., जयपुर	4.28	शून्य	66.32	शून्य	70.60
2.	ब्रिज एंड रूफ क.लि., कोलकाता	60.00	शून्य	42.92	शून्य	102.92
3.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन क.लि., कोलकाता	शून्य	शून्य	54.61	शून्य	54.61
4.	प्रागा टूल्स लि., सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश)	5.00	शून्य	177.12	32.59	214.71
5.	हेवी इंजीनियरिंग कार्पो., रांची	102.00	शून्य	1116.30	150.00	1368.30
6.	एचएमटी (बेयरिंग्स) लि., हैदराबाद	7.40	शून्य	26.57	17.40	51.37
7.	ब्रेथवेट एंड क.लि., कोलकाता	4.00	शून्य	112.91	शून्य	116.91
8.	सीमेंट कार्पो. ऑफ इंडिया लि. नई दिल्ली	30.67	153.62	1252.25	15.70	1452.24
9.	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लि. इलाहाबाद	शून्य	3.37	153.15	शून्य	156.52
10.	एचएमटी (एमटी) लि.	180.00	543.00	157.80	--	880.80
11.	एंडयू यूल एण्ड कंपनी लि.	29.56	87.06	154.75	111.96	383.33
12.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	--	1.81	240.05	--	241.86
13.	नगालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि*	251.26	38.19	126.98	252.99	669.42
14.	टायर कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	--	--	815.59	--	815.59
15.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	--	--	504.36	45.00	549.36
16.	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.	--	25.43	1139.51	--	1164.94
17.	एचएमटी लि.	38.00	शून्य	शून्य	शून्य	38.00
18	नेपा लि.	157.00	77.18	930.14	शून्य	1164.32
	योग	**869.17**	**929.66**	**7071.33**	**625.64**	**9495.80**

2012–13 की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

रिपोर्ट सं. 13, वर्ष 2013 का अध्याय– XII भारी उद्योग विभाग से संबंधित है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

1. **अर्द्ध वेतन अवकाश और रुग्ण अवकाश के नकदीकरण के संबंध में अनियमित भुगतान** अर्द्ध वेतन अवकाश और रुग्ण अवकाश का नकदीकरण लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है, जिससे जनवरी, 2007 से नवम्बर, 2012 तक ₹150.01 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(2013 की रिपोर्ट सं. 13 का पैरा सं.12.1)

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन हेतु अपीलीय प्राधिकरण
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
एवाईसीएल	एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीईएमएल	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बीएलसी	भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत आफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
बीसीएल	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्लयूईएल	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड
सीसीआई	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीसीईए	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम

ईएफवी	पर्यावरण अनुकूल वाहन
ईओटी	इलेक्ट्रीकली ऑपरेटेड ट्राली
ईपीसी	इंजीनियरी प्रापण और निर्माण
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफसीआरआई	फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट
एफएफपी	फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
एचएमटी (आई)	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हेवी मशीन टूल्स संयंत्र
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनयुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
आईएल	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
आईसीजीसीसी	एकीकृत कोल गैसीकरण कंबाइंड साइकिल
आईसीईएमए	इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
आईएमटीएमए	इंडियन मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
जेपीएमएल	जगदीशपुर पेपर मिल लिमिटेड
जेवीसी	संयुक्त उद्यम कंपनी
जेसप	जेसप कंपनी लिमिटेड
केवी	किलो वाट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
ओए	प्रचालन एजेन्सी
एमएएमसी	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मैन ऑटोमैटिक एक्सचेंज
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओएचआईएण्डपीई	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वॉल्ट एम्पियर
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसिकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
एनआईडीसी	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
नैट्रिप	नैट्रिप नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
पीएमएमएआई	प्लास्टिक मोल्डिंग मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पीपीएमएआई	प्रोसेस प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आरएण्डसी	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड
आरआईसी	रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसआईएल	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
एसएसएल	सांभर साल्ट्स लिमिटेड
टीएएफसीओ	टनेरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
टीएजीएमए	टूल्स एण्ड गॉज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
टीसीआईएल	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
टीएमएमए	टेक्सटाइल मशीनरी मैनयुफैक्चरर्स एसोसिएशन
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपीएल	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
वीआरडीई	व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड

लोक उद्यम विभाग

दृष्टिकोण

सुदृढ़ और प्रभावशाली लोक उद्यमों की स्थापना के लिए नीतियां, सुधार कार्यक्रम, दिशा–निर्देश और कार्य प्रणाली विकसित करना।

मिशन

''पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन में निरंतर सुधार करना, लक्ष्य निर्धारण और निष्पादन की समीक्षा, विस्तृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करने, कार्पोरेट गवर्नेंस और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और रूग्ण यूनिटों के पुररूद्धार के लिए संस्थागत प्रणाली सुदृढ़ करना।''

अध्याय 1

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) हर वर्ष देश के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसईएस) के वित्तीय एवं भौतिक कार्यनिष्पादन से संबंधित व्यापक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है जिसे लोक उद्यम सर्वेक्षण कहते हैं।

1.2 प्राक्कलन समिति ने अपनी 73वीं रिपोर्ट (1959–60) में सरकार से यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक उद्यम की हर वर्ष सदन के दोनों पटलों पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट के अलावा सरकार संसद के समक्ष एक अलग समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें सरकारी उद्यमों के कार्यचालन का सम्पूर्ण मूल्यांकन हो और यह रिपोर्ट उसी सिफारिश के अनुपालन में तैयार की जाती है। तदनुसार, पहली वार्षिक रिपोर्ट (लोक उद्यम सर्वेक्षण) 1960–61 में तैयार की गई थी।

1.3 लोक उद्यम सर्वेक्षण में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियों अथवा संसद की विशिष्ट संविधियों के अधीन सांविधिक निगमों के रूप से स्थापित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस सर्वेक्षण में केवल वे सरकारी कम्पनियां और उनकी सहायक कम्पनियाँ ही शामिल हैं, जिनकी चुकता पूंजी में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 50 प्रतिशत से अधिक है। यद्यपि, इसमें सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक और सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियॉ शामिल नहीं हैं।

1.4 सर्वेक्षण हेतु आधारभूत आंकड़े विभिन्न केन्द्रीय सरकार के उद्यमों से ऑन–लाइन प्राप्त किए जाते हैं जिसका केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की वार्षिक रिपोर्टों के साथ मिलान/विधिमान्यकरण किया जाता है। बाद में इस प्रकार संकलित ऑकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और वार्षिक रिपोर्ट के रुप में दो पृथक खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है।

1.4.1 **खण्ड–1** में व्यापक भौतिक और वित्तीय प्राचलों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का वृहत् विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस खण्ड के विभिन्न अध्यायों में सरकारी उद्यम के प्रमुख क्रियाकलापों तथा विवेच्य वर्ष में की गई प्रगति का पर्यावलोकन किया जाता है। इसमें मूल्य नीति, उत्पादकता, अनुसंधान एवं विकास, अंतरराष्ट्रीय प्रचालन, मानव संसाधन विकास, समझौता ज्ञापन तथा कल्याण के उपाय जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाता है।

1.4.2 **खण्ड–2** में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का क्षेत्रवार समूहों तथा पुनः पृथक–पृथक उद्यमों के निष्पादन का विश्लेषण शामिल किया जाता है। इसमें गत तीन वर्षों के व्यापार कार्य–कलापों, प्रचालन परिदृश्य, प्रमुख वित्तीय उपलब्धियों तथा वास्तविक निष्पादन से संबंधित उद्यम–वार विश्लेषणात्मक ऑकड़े होते हैं। इस जानकारी में संक्षिप्त तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा महत्वपूर्ण प्रबंध अनुपात भी शामिल होते हैं।

2012–13 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्यनिष्पादन

1.5 लोक उद्यम सर्वेक्षण (2012–13), जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन से सम्बन्धित 53वीं रिपोर्ट थी, बजट सत्र के दौरान 20 फरवरी 2014 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था।

1.6 वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

1.6.1 31.3.2013 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 277 केन्द्रीय सरकारी उद्यम थे। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 277 उद्यमों में से 229 उद्यम प्रचालन में रहे हैं और 48 उद्यमों को अभी प्रचालन प्रारंभ करना है।

1.6.2 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 229 प्रचालनरत उद्यमों में से 149 उद्यमों ने वर्ष 2012–13 के दौरान लाभ दर्शाया है, 79 उद्यमों ने विवेच्य वर्ष के दौरान घाटा उठाया है और एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम ने कोई लाभ/घाटा नहीं दिखाया है।

1.6.3 31.3.1951 तक 5 उद्यमों में संचयी निवेश (चुकता पूँजी तथा दीर्घकालिक ऋण) ₹ 29 करोड़ था जो 31.3.2013 तक बढ़कर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 277 उद्यमों में ₹ 850599 करोड़ हो गया। यद्यपि 2011–12 की तुलना में 2012–13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों में 'निवेश' में 16.63% की वृद्धि हुई तथापि इसी अवधि के दौरान 'नियोजित पूंजी' में 13.23% की वृद्धि (तालिका–I) हुई। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अधिकतम निवेश आन्तरिक संसाधनों से अर्थात बजटीय सहायता के बिना किया जा रहा है।

1.6.4 वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभार्जनकारी उद्यमों (149) का 'निवल लाभ' ₹ 1,43,559 करोड़ रहा। विवेच्य वर्ष में घाटा उठाने वाले उद्यमों (79) का 'निवल घाटा' ₹ 28,260 करोड़ रहा ।

1.6.5 वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2012–13 में निवल लाभ से टर्नओवर/राजस्व, निवल लाभ से निवल मूल्य तथा निवल लाभ से नियोजित पूंजी के संदर्भ में लाभकारिता अनुपातों में वृद्धि दिखायी पड़ती है जबकि डिविडेंड पे–आउट में मामूली गिरावट आई है।

1.6.6 वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की मुख्य–मुख्य बातें अनुबंध–2 में है। 229 प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का पिछले वर्षों के कार्यनिष्पादन का वृहद् विवरण **अनुबंध–3** में है।

1.6.7 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्ष 2012–13 तथा इसके पूर्व वर्ष 2011–12 का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है :

तालिका–1 : वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद/सूचक	2011-12	2012-13	2011-12 के दौरान % बृद्धि
1	प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या	225	229	1.78%
2	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (प्रचालनरत) का टर्नओवर	18,22,049	19,45,777	6.79%
3	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (प्रचालनरत) की आय	18,04,614	19,31,149	7.01%
4	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निवेश			
	4.1 कुल चुकता पूंजी	1,63,863	1,85,282	13.07%
	4.2 कुल निवेश (इक्विटी जमादीर्घकालिक ऋण)	7,29,298	8,50,599	16.63%
	4.3 नियोजित पूंजी (चुकता पूंजी + दीर्घकालिक ऋण तथा रिजर्व एवं अधिशेष)	13,52,970	15,32,007	13.23%
5	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (लाभ में चल रहे) का लाभ	1,25,929 (161)	1,43,559 (149)	14.00%
6	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (घाटे में चल रहे) की हानि	(-) 27,683 (64)	(-) 28,260 (79)	2.08%
7	समग्र निवल लाभ	98,246	1,15,298	17.36%
8	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का रिजर्व तथा अधिशेष	6,23,671	6,81,409	9.26%
9	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का निवल मूल्य	7,76,161	8,51,245	9.67%
10	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का राजस्व में योगदान	1,62,402	1,62,761	0.22%
11	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से विदेशी मुद्रा अर्जन	1,27,880	1,38,150	8.03%
12	केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को विदेशी मुद्रा का बाह्यगमन	7,33,542	6,46,262	(-) 11.90%
13	45 सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (एम–कैप) का बाजार पूंजीकरण	12,57,792	11,16,817	(-) 11.21%

1.7 लोक उद्यम सर्वेक्षण – 2012–13 के लिए दिनांक 02.04.2014 को सर्वेक्षण आंकड़े प्रयोगकर्ता अनुकूल प्रपत्र में लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर डाल दिये गये थे।

1.8 राज्य स्तर लोक उद्यम (एस एल पी ई)

1.8.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के दौरान योजना आयोग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण की तर्ज पर राज्य सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन पर एक समेकित रिपोर्ट की आवश्यकता महसूस की। योजना आयोग ने तदनुसार लोक उद्यम विभाग से ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, राज्य सरकारी उद्यमों पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2006–07) लोक उद्यम विभाग द्वारा अगस्त, 2009 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद एसएलपीई पर दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण (2007–08) हुआ जो माननीय मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) द्वारा 16 मई, 2012 को जारी किया गया।

1.8.2. वर्ष 2008–09 और 2009–10 को शामिल करते हुए राज्य स्तर लोक उद्यमों संबंधी तीसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण अक्तूबर 2013 के दौरान जारी किया गया था। इस सर्वेक्षण में शामिल 863 राज्य स्तर लोक उद्यमों में से 624 राज्य स्तर लोक उद्यमों ने राज्य स्तर लोक उद्यम संबंधी तीसरे राष्ट्रीय सर्वेक्षण हेतु अपने राज्य स्तर लोक उद्यम के कार्यनिष्पादन के संबंध में सूचना प्रदान की थी।

1.9 राज्य स्तर लोक उद्यमों में कार्यपालकों एवं कर्मचारियों के लिए कौशल विकास/प्रशिक्षण के संबंद्ध में स्कीम

1.9.1. बहु–आयामी अधिदेश और राज्य स्तर लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोक उद्यम विभाग/ब्यूरो के सचिवों की स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर यह नई योजना स्कीम 2012–13 में शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य ज्ञान/कौशल में सुधार करने और इस प्रकार उद्यम की समग्र उत्पादकता में सुधार में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर लोक उद्यम के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

1.9.2. इसके संचालन के पहले वर्ष के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमशः भोपाल, दिल्ली, शिमला, बंगलूरू तथा हैदराबाद में आयोजित किए गए। इनमें भाग लेने वालों की संख्या लगभग 230 थी।

1.10 वर्ष 2013–14 के दौरान किए गए योजना कार्यकलाप

1.10.1 वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय प्रौधोगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों सहित उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थानों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित की गई थी। प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं के आधार पर राज्य स्तर लोक उद्यमों के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों तथा रणनीतिक विचार एवं नेतृत्व और उत्कृष्ट कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

i) 11–15 नवम्बर, 2013, भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता

ii) 11–15 नवम्बर, 2013, भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ

iii) 28–29 नवम्बर, 2013, परियोजना प्रबंध संस्थान (पी एम आई), दिल्ली

iv) 2–6 दिसम्बर, 2013, भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता

v) 2–6 दिसम्बर, 2013, भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ

1.10.2 कुल 96 कार्यपालकों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

1.11 अनुसंधान विकास तथा परामर्श (आर डी सी) से संबंधित स्कीम

1.11.1 लोक उद्यम विभाग की आर डी सी योजना स्कीम के अन्तर्गत सर्वेक्षण प्रभाग ने वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाएं आयोजित की :

- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लोक उद्यमों के सचिवों की स्थायी समिति की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 10 मई, 2013 को निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए आयोजित की गई :

  i) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन प्रणाली का क्रियान्वयन

ii) राज्य स्तर लोक उद्यमों में क्षमता निर्माण के लिए योजना स्कीम प्रचालित करना

iii) राज्य स्तर लोक उद्यम सर्वेक्षण् को नीति प्रतिपादन के लिए अधिक उपयोगी बनाना

iv) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा जारी दिशानिर्देश

v) 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं राज्य स्तर लोक उद्यम

➢ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों तथा राज्य स्तर लोक उद्यमों से संबंधित सामान्य मुद्दों पर दिनांक 17 मई, 2013 को गोवा में राज्य स्तर लोक उद्यमों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें शामिल थे – राज्य स्तर लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली, कारपोरेट अभिशासन, सी. एस.आर मजूरी वार्ता एवं बी.आर.पी.एस.ई., पूंजी बाजार एवं लोक उद्यम तथा गैर–सरकारी निदेशकों का चयन।

अध्याय 2

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्तता

सरकार का प्रयास केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्धित कम्पनियाँ बनाना है। कंपनी के बाहय नियमों के तहत, सरकारी उदयम का निदेशक मंडल बोर्ड स्तर से नीचे कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों में स्वायत्त होते हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम का निदेशक मण्डल सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए व्यापक दिशा–निर्देशों के अध्याधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार ने महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जिनका उल्लेख अग्रवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

2.1 महारत्न योजना

2.1.1 सरकार ने 1997 में नवरत्न योजना की शुरूआत की थी जिससे तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति वाले उद्यमों की पहचान की जा सके तथा विश्वस्तरीय स्वरूप धारण कर पाने के अभियान में उनकी सहायता की जा सके। केंद्रीय सरकारी नवरत्न उद्यमों के निदेशक मंडलों को (i) पूंजीगत व्यय (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश (iii) विलयन व अधिग्रहण (iv) मानव संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्र में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2.1.2 नवरत्न का दर्जा प्रदान करने संबंधी वर्तमान मानदण्ड आकार–निरपेक्ष है। पिछले वर्षों के दौरान, कुछ नवरत्न कंपनियां बहुत बड़ी बन गईं और अपने समकक्षों की तुलना में कारोबार बहुत अधिक कर लिया। नवरत्न श्रेणी में ऊपरी पायदान पर आने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और जिनमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) बन पाने की क्षमता है उन्हें एक पृथक वर्ग अर्थात महारत्न के रुप में रखा गया है। ऊंचे दर्जे के कारण अन्य नवरत्न कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं उन्हें ब्राण्ड–मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

2.1.3 महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं अनुबंध –4 पर है।

2.1.4 वर्तमान में सात महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं – (i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (ii) कोल इण्डिया लिमिटेड (iii) गेल (इण्डिया) लि. (iv) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (v) एन.टी.पी.सी. लि. (vi) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लि. तथा (vii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.। महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का पुनरीक्षण वर्ष 2013–14 के दौरान किया गया।

2.2 नवरत्न श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.2.1 इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने उन उद्यमों को अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं जो तुलनात्मक रूप से अनुकूल हैं, विश्व स्तरीय स्वरूप धारण कर पाने में सक्षम हैं। वर्तमान में 14 नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

i) भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.

ii) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.

iii) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.

iv) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.

v) महानगर टेलीफोन निगम लि.

vi) नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि

vii) नेवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन लिमिटेड.

viii एन. एम. डी. सी. लि.

ix) आयॅल इण्डिया लि.

x) पॉवर फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि.

xi) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

xii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

xiii) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि.

xiv) शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

2.2.2 अर्हता शर्तें, नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों को प्रत्यायोजित शक्तियों तथा प्रत्यायोजित नवरत्न शक्तियों के प्रयोग करने की शर्तें/दिशानिर्देश अनुबंध–5 में है।

2.2.3 वर्ष 2013–14 के दौरान अंतर–मंत्रालयी समिति द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लि., भारतीय कंटेनर निगम लि. तथा एन बी सी सी लि. को नवरत्न दर्जा प्रदान किए जाने के प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

2.2.4 अंतर–मंत्रालयी समिति और शीर्षस्थ समिति 15 नवम्बर 2014 के विस्तारित लक्ष्य के साथ सूचीबद्ध रहने तक राष्ट्रीय इस्पात निगत लि.का नवरत्न दर्जा कायम रखने के इस्पात मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार कर उसे अनुमोदित किया था और वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. का नवरत्न दर्जा 15 नवम्बर 2014 तक कायम रहने के आदेश जारी किए गए थे।

2.3 मिनीरत्न योजना

2.3.1 अक्तूबर, 1997 में, सरकार ने यह निर्णय भी किया था कि लाभ अर्जित करने वाली अन्य कम्पनियों को कतिपय पात्रता शर्तों के अध्याधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा अधिक वित्तिय शक्तियॉ प्रत्यायोजित की जाऍं ताकि उन्हें दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कम्पनियों को मिनीरत्न कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियॉ हैं, **श्रेणी–I** तथा **श्रेणी–II**

2.3.2 मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध–6** पर है।

2.3.3 वर्तमान में 72 मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम (श्रेणी –I के 54 तथा श्रेणी–II के 18) हैं। इन 72 मिनीरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की सूची–अनुबंध –7 पर है।

2.4 लाभ अर्जित करने वाले अन्य केन्द्रीय सरकारी उद्यम

2.4.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने पूर्ववर्ती 3 लेखा वर्षों में प्रत्येक वर्ष में लाभ दर्शाया हो और जिनकी निवल मूल्य घनात्मक हो, उन्हें "अन्य लाभार्जनकारी केन्द्रीय सरकारी उद्यम" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को निम्नलिखित बढ़ी हुई शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:–

i) **पूंजीगत व्यय:**– केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों को सरकार के अनुमोदन के बिना ₹ 150 करोड़ अथवा अपने निवल मूल्य के 50% के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, पूँजीगत व्यय करने का अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रत्यायोजन निम्नलिखित के अध्याधीन है:–

(क) प्रासंगिक परियोजना को अनुमोदित पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं में शामिल करना और उसके व्यय के लिए प्रावधान करना।

(ख) अपेक्षित राशि की व्यवस्था कम्पनी के आंतरिक संसाधनों तथा बजटेत्तर साधनों से की जा सके और धनराशि सरकार द्वारा अनुमोदित पूँजीगत बजट में शामिल स्कीम पर ही खर्च की जाए।

ii) **कार्यकारी निदेशकों के विदेश दौरे:**– केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक को आपातस्थिति में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचित करते हुए कार्यकारी निदेशकों के 5 दिवसीय व्यापारिक विदेश दौरों (अध्ययन दौरे, संगोष्ठी इत्यादि को छोड़कर) का अनुमोदन करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्य कार्यपालक के मामले सहित अन्य सभी मामलों में विदेश दौरों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मंत्री का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

अध्याय 3

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन और व्यावसायिकता

3.1 कारपोरेट अभिशासन – पृष्ठभूमि

3.1.1 कॉरपोरेट क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों के दौरान कारपोरेट अभिशासन की अवधारणा ने समूचे विश्व में तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी वाद–विवाद को जन्म दिया है। कॉरपोरेट अभिशासन में शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, विनियामक प्राधिकरणों तथा समुदाय के सन्दर्भ में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कॉरपोरेट निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य भाषा में इसका अर्थ सभी हितधारकों के संबंध में कारपोरेट आचरण से है चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य। कॉरपोरेट अभिशासन का निहितार्थ प्रबन्धन प्रणाली की पारदर्शिता है और इसमें कम्पनी के कार्यचालन से सम्बन्धित सम्पूर्ण यांत्रिकी शामिल हैं। यह एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करता है जिसके द्वारा शेयरहोल्डरों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों एवं प्रबंधन के बीच नियंत्रण एवं संतुलन की एक पद्धति तैयार करने के प्रयास के अलावा कारपोरेट सत्ताओं को निदेशित एवं नियंत्रित किया जाता है।

3.1.2 पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हितधारकों के विश्वास में वृद्धि करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों जहां बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का निवेश होता है, के संदर्भ में अच्छी कारपोरेट अभिशासन प्रक्रियायों को अपनाने एवं लागू करने की निरन्तर जरूरत है, यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों को जारी रखा जाए तथा समुचित अन्तर–मंत्रालयी परामर्श के बाद सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा मार्च 2010 में अनुमोदित कर दिया गया था।

3.1.3 इन दिशानिर्देशों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल का संघटन, लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, सहायक कम्पनियां, प्रकटन, आचार एवं नीति संहिता, जोखिम प्रबन्धन तथा रिपोर्टिंग शामिल हैं। एक वर्ष के प्रायोगिक चरण में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया और इनमें केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा पारिश्रमिक समितिके गठन से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रावधानों को इनमें शामिल किया गया है। चूंकि कारपोरेट की अवधारणा गत्यात्मक प्रकृति की है, अतः यह भी प्रावधान किया गया है कि इन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा ताकि इन्हें समय–समय पर प्रचलित कानूनों विनियमों, अधिनियमों, आदि के अनुरूप बनाया जा सके।

3.1.4 इन दिशानिर्देश की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध–8** पर है।

3.1.5 वर्ष 2013 के दौरान लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2012–13 के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की ग्रेडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा ग्रेडिंग रिपोर्ट अनुबंध–9 पर है। 260 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 112 को उत्कृष्ट, 25 को बहुत अच्छा, 14 को अच्छा, 8 को औसत तथा 3 को खराब श्रेणी दी गई है। उत्कृष्ट तथा बहुत अच्छा श्रेणियों में आने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है।

3.1.6 गैर–सरकारी निदेशक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों के आवश्यक भाग होते हैं। नए कम्पनी अधिनियम में भी इस पर जोर दिया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान 113 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों में गैर–सरकारी निदेशकों के 230 पदों को

भरने पर विचार किया गया तथा संबंधित मंत्रालयों / विभागों को उपयुक्त सिफारिशें भेज दी गई।

3.2 प्रशिक्षण एवं कार्यशाला

3.2.1 लोक उद्यम विभाग ने चार्टर्ड एकाउण्टैट्स आफ इंडिया (आई सी ए आई) के सहयोग से गैर–सरकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए 4 कार्यशालाओं– दिनांक 28 अक्टूबर 2013 (नई दिल्ली), 24 जनवरी 2014 (बंगलूरू), 27 जनवरी 2014 (मुम्बई) तथा 26 फरवरी 2014 (नई दिल्ली) का आयोजन किया। इसके अलावा, अन्तरराष्ट्रीय प्रबंध संस्थान (आई एम आई) ने लोक उद्यम विभाग के सहयोग से दिनांक 27 से 29 जून 2013 तक बंगलूरू में द्वितीय निदेशक सम्मेलन तथा ग्रेटर नोएडा में दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2013 तृतीय निदेशक सम्मेलन का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में लगभग 110 गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल किया गया।

3.3 कार्यकारी निदेशक

3.3.1 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति उनके पदेन क्षमता में की जाती है तथा उनके चयन का अधिकार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के पास होता है।

अध्याय 4

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री के अधिग्रहण की नीति

4.1 विकास के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता एक पूर्वापेक्षा है। इसका रणनीतिक संदर्भ भी है क्योंकि कुछ देशों ने विश्व स्तर पर कच्ची सामग्री के स्रोतों के अधिग्रहण की दिशा में पहल कर दी है। वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में पूंजीनिवेश या तो निदेशक मण्डल को प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत या सचिवों की शक्तिप्राप्त समिति (ईसीएस) की प्रणाली के माध्यम से सीसीईए के अनुमोदन से किया जाता है। वर्तमान प्रणाली में निर्णय में विलम्ब, समन्वित एवं अन्तर–क्षेत्रीय पहुंच का अभाव तथा सरकार द्वारा वित्तपोषण की व्यवस्था न होने जैसी खामियॉं विद्यमान हैं।

4.2 नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पीटीटिवनेस काउन्सिल (एनएमसीसी) की अनुशंसाओं के आधार पर, अंतर–मंत्रालयी परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लोक उद्यम विभाग द्वारा अक्तूबर, 2011 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित नीति अधिसूचित कर दिया है।

4.3 इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:–

- यह नीति कृषि, खनन, विनिर्माण तथा विद्युत क्षेत्र के उन सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए लागू है जिन्होंने तीन वर्षों में निवल लाभ अर्जित करना दर्ज किया हो।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यम प्रस्ताव पर विचार करेंगे, अन्य उचित मूल्यांकन कार्य करेंगे तथा पारदर्शी ढंग से निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
- महारत्न तथा नवरत्न श्रेणी के उद्यमों के निदेशक मण्डलों को बढ़ाई गई शक्तियों का सिर्फ विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपत्ति के अधिग्रहण हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समन्वयक समिति (सीसीओएस) का गठन किया जाएगा। ऐसे प्रस्ताव सचिवों की समन्वयक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जिन प्रस्तावों के संबंध में (i) प्रशासनिक मंत्रालय/केन्द्रीय सरकारी उद्यम समन्वित दृष्टिकोण का अनुरोध करें और (ii) सरकारी कोष अन्तर्ग्रस्त हों।
- सीसीओएस शीघ्र व समन्वित निर्णय के सरलीकरण, विदेशी उद्यमों/सरकार को रियायती ऋण प्रदान करने में सहयोग करने, सरकारी वित्त को अनुशंसा करने तथा प्रत्येक मामले के आधार पर सरकारी वित्त के स्वरुप के संबंध में निर्णय करने का कार्य करेगी।
- सीसीओएस को लोक उद्यम विभाग द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाएगी तथा लोक उद्यम विभाग में एक पृथक कक्ष का गठन किया जाएगा। इस कक्ष के संचालन हेतु अतिरिक्त कार्मिकों, स्थान तथा अन्य आवश्यक उपस्करों की खरीद के लिए लोक उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है। लोक उद्यम विभाग को ₹ 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त बजट दिया जाएगा।
- केन्द्रीय सरकारी उद्यम/मंत्रालय लोक उद्यम विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और यह विभाग सचिवों की समन्वयक समिति की बैठक का आयोजन करेगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यम/मंत्रालय एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे।

- सीसीओएस की अनुशंसाएं लोक उद्यम विभाग द्वारा सीसीईए को प्रस्तुत की जाएंगी।
- वर्तमान सचिवों की शक्तिप्राप्त समिति प्रक्रिया कार्य करती रहेगी। जिन मंत्रालयों में वर्तमान में ईसीएस नहीं है उनमें उपयुक्त ईसीएस प्रणाली स्थापित करने हेतु उन्हें अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।
- विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में स्थित इसके मिशनों को प्रक्रिया के प्रारंभ से ही संबद्ध किया जाएगा।
- सरकार यथासमय एक समर्पित, संप्रभु संपदा कोष के गठन पर विचार करेगी।

4.4 लोक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है –

i) अनुमोदित नीति का सभी पणधारकों को परिचालन।

ii) विदेश मंत्रालय और उसकी परामर्श समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को विदेश मंत्रालय से परामर्श करने के बाद विदेश में मिशनों को भेजना।

iii) मंत्रिमंडल सचिवालय की स्वीकृति के बाद सचिवों की समन्वय समिति का गठन करना।

iv) पृथक कोष्ठ के लिए कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करना और आवेदन आमंत्रित करने व चयन साक्षात्कार के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देना।

अध्याय 5

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

समझौता ज्ञापन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन और भारत सरकार के बीच परस्पर विचार–विमर्श के आधार पर किया गया एक अनुबंध है। इस अनुबंध के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी उद्यम वर्ष के शुरू में अनुबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं और वर्ष के अंत में अपनी उपलब्धियों के आधार पर आकलन प्रस्तुत करते है।

5.2 भारत में समझौता ज्ञापन प्रणाली की उत्पत्ति

5.2.1 भारत सरकार ने समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत वर्ष 1986 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से सम्बन्धित नीति की समीक्षा के लिए गठित अर्जुन सेन गुप्ता समिति (1984) की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय सरकारी उद्यम अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ 5 वर्षों के लिए समझौता करे जबकि समीक्षा वार्षिक की जाएगी। वर्ष 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में समझौता ज्ञापन प्रणाली पर काफी जोर दिया गया था। उक्त नीतिगत वक्तव्य के परिपेक्ष्य में इस प्रणाली में समय के साथ–साथ अधिकाधिक उद्यमों को शामिल किया गया है।

वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	2007-08	144
1991-92	72	2008-09	147
2001-02	104	2009-10	197
2002-03	100	2010-11	198
2003-04	96	2011-12	197
2004-05	99	2012-13	196
2005-06	102	2013-14	197
2006-07	113	2014-15	199

5.2.2 समझौता ज्ञापन के सम्बन्ध में एनसीएईआर का अध्ययन तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन

लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2003 में नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लाईड इकॉनोमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) को निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी मानदण्डों के चयन तथा विभिन्न प्राचलों को भारांक के आवंटन पर नए सिरे से विचार करने के लिए अध्ययन करने का कार्य सौंपा। हालाँकि पूर्ववर्ती प्रणाली में 'वित्तीय' प्राचलों को 60% तथा गैर–वित्तीय प्राचलों को 40% भारांक दिया जाता था, परन्तु एन सी ए ई आर ने 'वित्तीय' तथा 'गैर–वित्तीय' दोनों प्राचलों को समान भारांक (50%) प्रदान करने की अनुशंसा की। इस मामले में यह निष्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी 'संतुलित अंक कार्ड' उपागम के सदृश हैं। गैर–वित्तीय प्राचलों को पुनः 'गत्यात्मक प्राचल' 'उद्यम–सापेक्ष प्राचल' तथा 'क्षेत्र सापेक्ष' प्राचल में उप–विभाजित किया गया है। बाद में, सरकार ने एन सी ई ए आर की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया तथा निष्पादन लक्ष्यों के निर्धारण से सम्बन्धित नई क्रियाविधि वित्तीय वर्ष 2004–05 से लागू हो गई।

5.2.3 समझौता ज्ञापन प्रणाली के उद्देश्य समझौता ज्ञापन प्रणालीके विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार से है:

i) प्रबंधन स्वयत्ता में वृद्धि करके केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना

ii) लक्ष्यों और उद्देश्यों में शंकाओं को दूर करना

iii) उद्देश्य मानकों के माध्यम से प्रबंधन निष्पादन का आकलन और

iv) सुदृढ़ भावी कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना।

5.2.4 समझौता ज्ञापन नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रबन्ध–समझौता ज्ञापन उच्चाधिकार प्राप्त समिति

समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति सचिवों की समिति है जिसे शीर्ष समिति के रूप में गठित किया गया है जिसका कार्य हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा समझौता ज्ञापन में की गई वचनबद्धताओं के संदर्भ में उनके कार्य निष्पादन का और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा समझौता ज्ञापन में यथाप्रतिबद्ध आवश्यक सहायता की सीमा का भी मूल्यांकन करना है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा की जाती है। इनमें वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (योजना आयोग), सचिव (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्यविभाग शामिल है, अध्यक्ष, प्रशुल्क आयोग, सचिव, निष्पादन प्रबन्ध शामिल है। समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार समिति समय–समय पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन के आकलन हेतु सिद्धान्तों और मानकों के निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश देती है।

5.3 समझौता ज्ञापन सम्बन्धी कार्य दल

5.3.1 सचिवों की समिति ने 26 दिसम्बर, 1988 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्राचलों तथा भारांकों के निर्धारण के साथ–साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाए। कार्यदल, समझौता ज्ञापन फार्मेट, मानकों और परस्पर भारांक निर्धारण के लिए लोक उद्यम विभाग और समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की भी सहायता करता है। इस कार्यदल को पुनः विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है जिन्हें सिन्डिकेट कहा जाता है और प्रत्येक सिन्डिकेट को किसी खास क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित कार्य सौपें गए हैं।

5.3.2 वर्ष 2014–15 के समझौता ज्ञापन के लिए कार्यदल को अधिक तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ–साथ विविध व समृद्ध अनुभव का लाभ प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को कुल 13 सिन्डिकेटों में विभाजित किया गया था; जो निम्नलिखित हैं:–

1. कृषि, उर्वरक, रसायन एवं भेषज
2. इस्पात तथा अन्य खनिज
3. कच्चा तेल, गैस एवं पेट्रोलियम
4. इंजीनियरी, परिवहन उपस्कर तथा उपभोक्ता वस्तुएं – I
5. इंजीनियरी, परिवहन उपस्कर तथा उपभोक्ता वस्तुएं – II
6. इंजीनियरी, परिवहन उपस्कर तथा उपभोक्ता वस्तुएं – III
7. ऊर्जा, विद्युत उत्पादन तथा पारेषण
8. व्यापार व विपणन
9. संविदा व परामर्शी सेवाएं
10. परिवहन व पर्यटन – I
11. परिवहन व पर्यटन – II
12. इलैक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी
13. धारा 25 सीपीएसई तथा वित्तीय सेवाएं

5.3.3 **पी आर पी के साथ संबंध** : समझौता ज्ञापन निष्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान का एक आधारभूत मानदण्ड होगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने मूल मंत्रालयों/विभागों /धारक कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बना दिया गया है ताकि उन्हें कार्यनिष्पादन सम्बन्धी भुगतान/परिवर्तनशील वेतन का पात्र बनाया जा सके। समझौता ज्ञापन में प्रमुख परिणाम वाले सभी निर्धारित क्षेत्रों के साथ–साथ समझौता ज्ञापन से सम्बन्धित श्रेणी पीआरपी का आधार भी होगी। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम "उत्कृष्ट" श्रेणी प्राप्त करता है तो वह 100% पीआरपी का भुगतान करने का पात्र होगा। समझौता ज्ञापन के संदर्भ में "अति उत्तम" "उत्तम" तथा "संतोषजनक" श्रेणी प्राप्त करने वाले उद्यम क्रमशः 80%, 60% तथा 40% पीआरपी का भुगतान करने के पात्र होंगे। यदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को समझौता ज्ञापन के संदर्भ में "खराब" मापा जाता है तो वह उद्यम पीआरपी के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगा चाहे उसकी लाभकारिता की स्थिति कुछ भी क्यों न हो।

5.3.4 **प्रयोज्यता:** सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को (धारक तथा सहायक कंपनियां), बिना अपवाद के, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है। जबकि शीर्ष/धारक कंपनियां अपने प्रशासनिक मंत्रलयों/

विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगी, सहायक कंपनियां अपने संबंधित शीर्ष/धारक कंपनियों के साथ उसी समझौता ज्ञापन के अनुसार हस्ताक्षर करेंगी जो केन्द्रीय सरकारी उद्यम और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

5.3.5 **समझौता ज्ञापन से छूट** : उन लोक उद्यम विभागों के बारे में, जो बंद हो गये/कार्य नहीं कर रहे, विलय हो गया, परिसमाप्त हो गये, शैल कंपनियां हैं या रूग्ण हैं और किसी पुनरूद्धार पैकेज की संभावना के बिना बंद या विलय होने वाले हैं, प्रशासनिक मंत्रालय, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट की अनुमति के लिये प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग को अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्तुत करेगा।

5.3.6 **लक्ष्यों का पुनरीक्षण समझौता** : ज्ञापन एक बार हस्ताक्षरित होने के बाद लक्ष्यों में संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है। समझौता ज्ञापन लक्ष्य शर्त रहित और गैर–अनन्तिम होते हैं। हालांकि, समझौता ज्ञापन की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के दौरान, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नियंत्रण से बाहर घटनाओं (अप्रत्याशित घटनाएं), डीपीई/कार्य बल की सिफारिशों के आधार पर प्रतिकर अनुमति की शक्ति समझौता ज्ञापन की उच्चाधिकार समिति के पास ही रहेगी।

5.3.7 **समझौता ज्ञापन दिशानिर्देश 2014–15**: प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से प्राप्त सुझावों और कार्यबल के अध्यक्षता में कार्य समुह और बाह्य अध्ययन/आकलन की सिफारिशों विचार करके लोक उद्यम विभाग ने समझौता ज्ञापन 2014–15 दिशानिदेशों में महत्वपर्ण परिवर्तन किए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने प्रचालनों के लिए अधिक उचित मानकों के चयन के लिए अधिक लचीलापन दिया गया है। रूग्ण और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम, निर्माणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यम और धारा–25 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को छोड़कर सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए एक समान फार्मेट तैयार किया गया है। समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में परियोजना क्रियान्वयन और कैपक्स को अधिक भारांक देने पर जोर दिया गया है। दिशानिदेशों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से है:–

(क) **लक्ष्य निर्धारण के सिद्धान्त**:– समझौता ज्ञापन में लक्ष्य यथार्थ होने चाहिए, फिर भी वृद्धि उन्मुख और प्रोत्साहन कारक हों और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की प्रस्तावित वार्षिक योजना, बजट और कारपोरेट योजना और मंत्रालय/विभाग के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) के अनुरूप हों। इन्हें योजना दस्तावेज या वार्षिक योजना विचार विमर्श के दौरान दर्शाए गए लक्ष्यों/उद्देश्यों और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आवंटन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। वैधानिक या विनियामक निकायों के यथा लागू निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लक्ष्य उपलब्ध और अनुमानित परिस्थितियों में अधिकाधिक प्राप्य होने चाहिए। आई पी ओ/एफ. पी. ओ दस्तावेजों में भावी निवेशकों को दी गई वित्तीय सूचना और शेयरधारिता के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ख) **वास्तविक लक्ष्य**: वित्तीय कार्य निष्पादन के साथ–साथ परिमेय वास्तविक लक्ष्यों जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की उत्पादकता और कुशलता दर्शाते है, को भी समझौता ज्ञापन में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा मानकों के रूप में लिया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में कैपक्स और परियोजना कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।

(ग) **गैर वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण**: 2014–15 के लिए कोई अनिवार्य गैर वित्तीय मापदंड नहीं है। गैर वित्तीय मापदंडों में कारपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व और सततता (सीएसआर), अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), प्रगति हेतु पहले, परियोजना प्रबंधन और क्रियान्वयन, उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, नवीनतम अभ्यास, मानव संसाधन प्रबंधन और सेक्टर विशेष पैरामीटर/एंटरप्राइज विशेष मानक शामिल है।

(घ) **समूह लक्ष्य** : कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की निष्पादकता अन्तर–निर्भर होती है क्योंकि उनके कार्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किये जाते है। इन परिस्थितियों में, संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के

समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए ताकि वे संयुक्त रूप से और पृथक तौर से अपनी निष्पादकता और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उत्तरदायी हों।

(ङ) **अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) :** गैर वित्तीय मानक "अनुसंधान एवं विकास" को आर एंड डी परियोजनाओं को करने के इच्छुक केन्द्रीय सरकारी उद्यम इसे शामिल कर सकते है। आर एंड डी का अभिप्राय मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान (यद्यपि इसे छोड़ा नहीं किया गया है) से नहीं है । इसे नवीनीकरण, रूपांतरण और उपलब्ध एवं नवीन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के माध्यम से विनिर्माण, प्रोसेसिंग, उत्पाद विकास पैकेजिंग, विपणन और कार्य प्रणालियों सहित सभी कार्यों में प्रचालनात्मक कुशलता में सुधार से जोड़ा जाना चाहिए।

(च) **वचनबद्धता और सरकार से सहायता:** केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन की गई वचनबद्धताओं और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की दी गई वास्तविक सहायता के संदर्भ में किया जाता है। इसकी मात्रा का निर्धारण किया जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की कार्य निष्पादन स्कोर शीट सहित रिपोर्ट भी प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों द्वारा लोक उद्यम विभाग को भेजी जानी चाहिए जिसकी समीक्षा उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी। सरकार की वचन बद्धताएं/सहायता सहमत किए गए कार्य निष्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के संदर्भ से संबंधित होनी चाहिए। समझौता ज्ञापन दस्तावेज में वचनबद्धताओं/आश्वासनों को उचित ढ़ंग से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के आर एफ डी में शामिल किया जाना चाहिए।

(छ) **नकारात्मक अंकन:** कारपोरेट अभिशासन के दिशानिदेशों और लोक उद्यम विभाग के अन्य दिशानिदेशों का अनुपालन करने के मामले में नकारात्मक अंकन का प्रावधान है।

5.4 समझौता ज्ञापन आकलन

5.4.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यम के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन वर्ष के अंत में समझौता ज्ञापन लक्ष्यों तथा उसकी वास्तविक प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (धारक और सहायक) से अपेक्षित होता है कि वे अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से लेखा परीक्षित आंकड़ों आदि के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल के अनुमोदन सहित निर्धारित तिथि 31 अगस्त के अंदर लोक उद्यम विभाग और सिण्डीकेट ग्रुप के कार्यदल को प्रस्तुत करें। पिछले 3 वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन का विवरण निम्न प्रकार से है:–

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित	198	197	196	197
प्रस्तुत आकलन रिपोर्टें	161	175	189+1*	से देय 31.8.2014

*प्रस्तुत आकलन रिपोर्टें

5.4.2 पिछले 9 वर्षों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई समझौता ज्ञापन रेटिंग की तुलना निम्न प्रकार से है:–

रेटिंग	वर्षों के दौरान प्रत्येक रेटिंग के तहत लोक उद्यमों की संख्या								
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उत्कृष्ट	45	49	46	55	47	73	67	76	75
बहुत अच्छा	31	32	37	34	34	31	44	39	39
अच्छा	12	15	13	15	25	20	24	33	37 + 1*
औसत	10	06	06	08	17	20	24	25	36
खराब	01	00	00	00	01	01	02	02	02
कुल	**99**	**102**	**102**	**112**	**124**	**145**	**161**	**175**	**189 + 1***

*अनंतिम

5.5 समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत उत्कृष्ट पुरस्कारों का निर्धारण

5.5.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यम समझौता ज्ञापन उत्कृष्टता पुरस्कार के रूप में गैर–मौद्रिक प्रोत्साहन के पात्र है।

समझौता ज्ञापन उत्कृष्ट पुरस्कारों की कुल संख्या 12 है (दस सिंडिकेट समूह में प्रत्येक से एक, सूचीबद्ध उत्तम सीपीएसई से एक, रूग्ण तथा घाटा उठाने वाले उद्यमों जिसका टर्नअराउंड होने वाला है में एक)। अन्य सभी उत्कृष्ट निष्पादन करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यम समझौता ज्ञापन उत्कृष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

5.5.2 सिंडिकेट समूह से समझौता ज्ञापन उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों के चयन के लिए अपनाए जाने वाले 3 मूल सिद्धांत इस प्रकार से हैं :

i) वर्ष में केंद्रीय सरकारी उद्यम का लाभ गत वर्ष की तुलना में अधिक होना चाहिए।

ii) यह घाटा उठाने वाला उद्यम नहीं होना चाहिए।

iii) केंद्रीय सरकारी उद्यम का संयुक्तांक 1.5 (उत्कृष्ट रेटिंग) से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.5.3 यह पुरस्कार उस केन्द्रीय सरकारी उद्यम को दिया जाता है जो समझौता ज्ञापन में उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन दर्शाते है और जिनका संबंधित सिंडिकेट ग्रुप में समझौता ज्ञापन न्यूनतम सम्मिलित स्कोर होता है। उस स्थिति में जब एक सिंडिकेट ग्रुप में दो या अधिक केन्द्रीय सरकारी उद्यम समान समझौता ज्ञापन सम्मिलित स्कोर प्राप्त करते हैं तो पूर्व वर्ष में निवल लाभ की सर्वोच्च विकास दर रिकार्ड करने वाला केन्द्रीय सरकारी उद्यम इस पुरस्कार के लिए पात्र होता है।

5.5.4 सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी के लिए यह शर्त है कि बाजार पूंजीकरण में प्रगति प्रतिशत बाम्बे स्टाक एक्सचेंज के सैंसैक्स में प्रगति प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। बाजार पूंजीकरण में उच्चतम प्रगति प्रतिशत वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम इस पुरस्कार के पात्र होगे।

5.5.5 रूग्ण और घाटा उठाने वाले उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों जो टर्न अराउंड के पथ पर है, के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु यह शर्तें है कि उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने समझौता ज्ञापन के विचाराधीन वर्ष तथा इसके तत्काल पूर्व वित्त वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ अर्जित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि टर्न अराउंड का दृढ़ आधार है। वे केन्द्रीय सरकारी उद्यम जिनका न्यूनतम सम्मिलित स्कोर है वे उत्कृष्टता पुरस्कार के पात्र है।

अध्याय 6

स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए)

6.1 लोक उद्यम विभाग में स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) का गठन वर्ष 1989 में ओएनजीसी बनाम समाहर्त्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.3.1989 और 30.6. 1993 के कार्यालय ज्ञापन के तहत दिशानिदेशों के अनुपालन में किसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम और केंद्रीय सरकार के विभागों/मंत्रालयों/बैंकों/ पत्तनों (कर मामलों और रेल मंत्रालय के मामलों को छोड़कर) के बीच तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पारस्परिक वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए किया गया है।

6.2 पीएमए दिशा–निर्देशों को पिछली बार वर्ष 12.03. 2014 में संशोधित किया गया था। इन विवादों को लोक उद्यम विभाग(डीपीई) को सौंपना अपेक्षित होता है ताकि वह निपटान हेतु स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को नामित कर सके। विवाद की मौजूदगी के संबंध में प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो जाने के बाद सचिव, लोक उद्यम विभाग स्थायी मध्यस्थता तंत्र के मध्यस्थ को नामित करते हैं। इन मामलों में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 लागू नहीं होता है। मामले में प्रस्तुतिकरण/प्रतिवाद के लिए किसी पार्टी की ओर से बाहरी वकील को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन पक्षकार अपने पूर्णकालिक विधि अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं।

6.3 मध्यस्थ सम्बद्ध पक्षकारों को मामले के तथ्य और उनके दावे तथा प्रतिदावे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करता है। पक्षकार उनके समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। लिखित रिकार्ड तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर मध्यस्थ एक अधिनिर्णय देता है। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं है तो मध्यस्थ के अधिनिर्णय के विरूद्ध या समीक्षा हेतु सचिव, विधि मंत्रालय को अपील की जा सकती है। सचिव, विधि मंत्रालय का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी है। सचिव (विधि) के निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय/अधिकरण में अपील नहीं की जा सकती है।

6.4 पीएमए की स्थापना स्व–समर्थित आधार पर की गई है और विवादग्रस्त पक्षकार मध्यस्थता शुल्क (भुगतान डीडीओ, डीपीई के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाता है) का समान रूप से वहन करते हैं जिसका परिकलन मध्यस्थ द्वारा दिशानिर्देशों में उल्लिखित फार्मूले के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2013–14 के दौरान मध्यस्थता शुल्क के रूप में पक्षकारों से ₹ 196.08 लाख एकत्र किए गए।

6.5 इसके आरम्भ और 31.3.2014 के अंत तक पी एम ए के मध्यस्थ को 400 मामलें संदर्भित किए गए थे जिसमें से 346 मामलों के संबंध में निर्णय (अवार्ड) प्रकाशित किए जा चुके हैं जबकि 22 मामले अवसान किए गए।

6.6 वर्ष 2013–14 के आरम्भ में 74 पुराने मामले थे और वर्ष के दौरान 8 नए मामले संदर्भित किए गए जिससे कुल 82 मामले हो गए। 51 मामलों पर निर्णय लिया गया था और 1 मामला अवसान किया गया इस प्रकार शेष 30 मामले बच गए।

6.7 लोक उद्यम विभाग समय–समय पर मध्यस्थ के निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

अध्याय 7

मजूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण

7.1 लोक उद्यम विभाग अन्य कार्यों के साथ–साथ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में संगठित कर्मचारियों की मजूरी और निदेशक मण्डल स्तर और उससे निचले स्तर के पद धारण करने वाले असंघबद्ध पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के वेतन में संशोधन करने की नीति के सम्बन्ध में भारत सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों /विभागों तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की वेतन नीति और कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन से सम्बन्धित मामलों में सलाह प्रदान करता है। अधिकांश रूप से केन्द्रीय सरकारी उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति के वेतनमानों का अनुसरण कर रहे हैं। कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पद्धति और वेतनमानों का भी अनुसरण किया जाता है। लोक उद्यम विभाग आई डी ए पद्धति के कर्मचारियों संबंधी तिमाही आधार पर महंगाई भत्ता आदेश भी जारी करता है। सीडीए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आदेश छमाही आधार पर जारी किए जाते हैं।

7.2 औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए)

7.2.1 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए वेतनमान और वेतन पैटर्न के सम्बन्ध में सरकारी नीति है कि संगत वेतनमान आईडीए पैटर्न पर होने चाहिएं। लोक उद्यम विभाग ने जुलाई, 1981 तथा जुलाई 1984 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी कर दिए थे कि जब भी कोई नया केन्द्रीय सरकारी उद्यम सृजित अथवा स्थापित हो तो उसमें शुरू से ही आईडीए पैटर्न और संबंधित वेतन मानों को अपनाना चाहिए। डीपीई के का.ज्ञा. दिनांक 12.06.1990 के समान, डीपीई ने अपने का.ज्ञा. दिनांक 10.8.2009 के अन्तर्गत यह दोहराया है और इस बात पर बल दिया कि 01.01.1989 को या उसके बाद सीडीए वेतनमान की ''पदोन्नति'' सहित की गई ''नियुक्तियां'' आईडीए वेतनमान में होनी चाहिए। 31.03.2013 तक केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 277 उद्यम (बीमा कंपनियों तथा नवगठित केंद्रीय सरकारी उद्यमों, बैंकों) थे। उन्होंने लगभग 14.04 लाख कामगारों/लिपिकीय कर्मचारियों तथा कार्यपालकों को नियुक्त किया हुआ है। अधिकतर कामगार और कार्यपालक आईडीए प्रणाली तथा संबंधित वेतनमानों में है। कुछ शेष कर्मचारी सीडीए वेतन पैटर्न आदि पर हैं।

7.3 द्वितीय वेतन संशोधन समिति

7.3.1 सरकार ने 01.01.2007 से औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति पर वेतनमानों को अपनाने वाले बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के असंघबद्ध पर्यवेक्षक शामिल हैं, के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में द्वितीय वेतन संशोधन समिति और गृहमंत्री (चिदाम्बरम समिति) की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा समुचित रूप से विचार किए जाने के बाद 26.11.2008 तथा 09.02.2009 और 2.4.2009 को आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों की प्रमुख विशेषताओं का नीचे उल्लेख किया गया है।

i) सीपीएसई में ई–0 ग्रेड हेतु 12,600 – 32,500 से ₹ 80,000 – 1,25,000 तक अनुसूची 'क' सीपीएसई के मुख्य कार्यपालकों के लिए वेतनमान।

ii) 01.01.2007 को मूलवेतन पर 30% की दर से एक समान फिटमेंट लाभ + 78.2% की दर पर मंहगाई भत्ता।

iii) वेतनवृद्धि की दर मूल वेतन के 3% वर्ष की दर पर।

iv) मूलवेतन का अधिकतम 50% अनुलाभ तथा भत्ते जिसमें 'केफ्टेरिया एप्रोच' की व्यवस्था है।

v) मूल वेतन का 40% से 200% तक कार्यनिष्पादन से सम्बन्धित वेतन (पी आर पी)

vi) मूल वेतन का 30% तक अधिवर्षिता लाभ और मंहगाई भत्ता

vii) कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के सम्बन्ध में 01.01.2007 से उपदान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर ₹ 10 लाख कर दी है।

viii) वेतन संशोधन का कार्यान्वयन सीपीएसई की वहनीयता से जुड़ा है। सीपीएसई को वेतन संशोधन का वित्तपोषण अपने संसाधनों से करना होगा और इस प्रयोजन के लिए कोई बजट सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

ix) द्वितीय वेतन संशोधन समिति की संस्तुतियों पर सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उठने वाले विशिष्ट मुद्दों/समस्या पर और आगे विचार करने के लिए एक विसंगति समिति का गठन किया गया है जिसमें लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के व्यय विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव होते हैं।

x) बढ़े हुए भत्तें राष्ट्रपतिक निदेश जारी किए जाने की दिनांक की बजाए 26.11.2008 से लागू होगें बशर्ते राष्ट्रपतिक निदेश 02.04. 2009 से एक माह के भीतर जारी किए गए हैं।

xi) वेतन संशोधन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जब भी अपेक्षित हो लोक उद्यम विभाग आवश्यक अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी करेगा।

7.4 विसंगति समिति की सिफारिश

7.4.1 लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के तहत विसंगति समिति गठित की गई थी। विसंगति समिति ने कुछ मामलों पर विचार किया है और तदनुसार लोक उद्यम विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इन मामलों में (i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में तदर्थ आधार पर सरकारी अधिकारियों का वेतन (ii) स्वयं पट्टा आवास (iii) चिकित्सा व्यय (iv) अवकाश के बदले रोकड़ (v) वार्षिक वृद्धि के बंचिंग का लाभ आदि मामले शामिल हैं। (vi) निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों के कुछ मामलों में वेतन निर्धारण पद्धति (vii) निदेशक मण्डल स्तर के विशेष मामलों में अन्तिम आहरित वेतन का संरक्षण (viii) अन्य लाभों की गणना प्रयोजनार्थ एनपीए को वेतन न मानना (ix) किसी अन्य भत्तों एवं लाभों को 50% की सीमा से बाहर न रखना सिवाय '4' के जो लोक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों में दिए गए हैं, और (x) पीआरपी गणना के लिये पीबीटी में ''अंडर रिकवरीज'' को शामिल नहीं करना।

7.5 आईडीए पैटर्न के अधीन कामगारों हेतु मजूरी संशोधन

7.5.1 लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 09.11.2006 और 01.05.2008 और 13.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संघबद्ध कामगारों के साथ वेतन के सम्बन्ध में बातचीत के सातवें दौर (जो सामान्य रूप से क्रमशः 01.01.2007 और 01.01.2012 को लागू है) के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। मार्गनिर्देश वही हैं जो वेतन के सम्बन्ध में छठे दौर की बातचीत पर पहले की नीति में थे। मार्गनिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने मंत्री के अनुमोदन से मजूरी निर्धारण हेतु 10 वर्ष से कम परन्तु 5 वर्ष से कम की अवधि नहीं पर निर्णय ले सकते हैं।

7.6 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सीडीए पद्धति के अधीन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

7.6.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों के कुछ उन लिपिकीय कर्मचारियों, संघबद्ध संवर्गों और कार्यपालकों के लिए सीडीए पद्धति वेतनमान लागू हैं जो 01.01.1986 से 31.12.1988 तक इन कम्पनियों के कर्मचारी थे और उस समय सीडीए पद्धति पर

वेतनमान ले रहे थे। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.03.1986 के निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा एक उच्च शक्तिप्राप्त वेतन समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने 24.11.1988 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। इसकी सिफारिशें इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में क्रियान्वित की गई हैं। बाद में दिनांक 28.08.1991 के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.05.1990 के निर्देश के अनुसरण में आईडीए पद्धति और सम्बन्धित वेतनमान 01.01.1989 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में लागू किए गए थे। डीपीए का.ज्ञा. दिनांक 10.8.2009 देखें जिसमें स्पष्ट किया गया कि 'नियुक्ति' में चयन, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति शामिल है। अतएव, सभी नियुक्तियां, पदोन्नति पर नियुक्ति सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वेतन मानों के आईडीए पैटर्न के अन्तर्गत होनी चाहिए।

7.6.2 लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 14.10.2008 और 20.01.2009 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीडीए प्रणाली का अनुसरण करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 से संशोधन कर दिया है। वेतन संशोधन का लाभ केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के लिए है जो घाटे में नहीं हैं और जो वेतन संशोधन के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति सरकार से बिना किसी बजटीय सहायता के कर सकते हैं।

7.7 वर्ष 2012–13 और 2013–14 की अवधि के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण नीति मार्गनिर्देश और मुख्य–मुख्य बातें :

i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों के संबंध में उनके वेतन निर्धारण सहित शर्तों को अंतिम रूप देने पर लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 14.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन के तहत मार्गनिदेश जारी किए हैं । यह निर्णय लिया गया है कि आगे से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को अपने प्रशासनिक अधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों की नियुक्ति का वेतन और शर्तों का अपने आंतरिक वित्त विभाग की स्वीकृति से अन्तिम रूप देने की अनुमति दी जाए।

ii) लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में स्टाफ कार के क्रय, उपयोग, हकदारी और अन्य अनुदेश अपने दिनांक 21.01.2013 के कार्यालय ज्ञापन के तहत मार्गनिदेश जारी किए हैं।

iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंगठित कामगारों के लिए मजूरी वार्ता के 7वें दौरे (भाग–2) हेतु लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 13.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के तहत नीति जारी की है।

iv) केन्द्रीय सरकारी उद्यम में पैन्शन और सेवानिवृति उपरांत लाभों पर एक कार्यशाला 14.08.2013 को आयोजित की गई थी।

v) लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 18.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन के तहत यह स्पष्ट किया है कि अप्रयुक्त नकद/बैंक शेषों पर ब्याज को कर पूर्व लाभ (पीबीटी) से घटाया जा सकता है और पीआरपी को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की मुख्य व्यापारिक कार्यों से होने वाले लाभ के आधार पर वितरित किया जा सकता है।

अध्याय 8

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण

8.1 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों के वेतनमान संबंधित उद्यम की अनुसूची से जुड़े हुए हैं। सामान्य तौर पर उद्यम के मुख्य कार्यपालक को कंपनी की अनुसूची से संबद्ध वेतनमान दिया जाता है, जबकि कार्यकारी निदेशकों को नीचे की अगली निम्नतर अनुसूची का वेतनमान दिया जाता है। कभी–कभी मुख्य कार्यपालकों अथवा कार्यकारी निदेशकों के पद का उन्नयन वैयक्तिक आधार पर किया जाता है, ताकि वास्तव में सक्षम कार्यपालकों को उन उद्यमों में रोका जा सके, जिनमें उन्होंने सराहनीय सेवाएं दी हैं। ऐसी व्यवस्था से प्रतिभा को रुग्ण अथवा उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों की ओर आकृष्ट करने में सहायता मिलती है।

8.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। बाद के वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण/पुनवर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्डों का विकास किया है। यह वर्गीकरण गुणात्मक मानदण्डों यथा निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर पूर्व लाभ, कर्मचारियों व यूनिटों की संख्या, अतिरिक्त क्षमता, प्रति कर्मचारी आय, नियोजित बिक्री/पूंजी क्षमता प्रयोग, प्रति कर्मचारी का अतिरिक्त मूल्य और गुणात्मक कारक जैसे राष्ट्रीय महत्व, कंपनी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जटिलता, प्रौद्योगिकी स्तर, विस्तार की संभावनाएं एवं क्रियाकलापों का विविधीकरण, तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि शामिल हैं। अन्य कारक,जहां कहीं उपलब्ध हैं, शेयर मूल्यों, एमओयू रेटिंग, महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न दर्जा और आईएसओ प्रमाणन से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के अत्याधिक रणनीतिक महत्व से संबंधित मानदण्डों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मण्डल से विचार विमर्श करता है। वर्तमान में 31.03.2014 तक अनुसूची 'क' में 64, अनुसूची 'ख' में 69, अनुसूची 'ग' में 47 तथा अनुसूची 'घ' में 4 उद्यम तथा 93 अवर्गीकृत केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की अनुसूची–वार सूची **अनुबंध–10** पर दी गई है।

8.3 वर्ष 2013–14 के दौरान, मंगलौर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लि. का उन्नयन (एम आर पी एल) को अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में; भारत पैट्रो रिसोर्सिज लि. (बी पी आर एल) का उन्नयन अनुसूची 'ग' से अनुसूची 'ख' में किया गया। बायोटेक्नोलोजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट कांउसिल (बी आइ आर ए सी) को प्रारम्भिक रूप से अनुसूची 'ख' केन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया और एम ओ आइएल लि. का उन्नयन अनुसूची 'ख' से अनुसूची 'क' में किया गया।

8.4 वर्ष 2013–2014 के दौरान, कार्यकारी निदेशक अर्थात् बी बी जे कंसट्रक्शन लि. के निदेशक मंडल में निदेशक (परियोजना) का एक पद; एन बी सी सी लि. के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक का एक पद और ओ एन जी सी विदेश लि. के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (कारोबारी विकास) का एक पद सृजित किया गया।

अध्याय 9

लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

9.1 सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरूद्धार एवं पुनर्संरचना के कार्य और इनसे संबंधित कार्यनीतियों, उपायों और स्कीमों पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से एक परामर्शी निकाय के रूप में दिनांक 06 दिसंबर, 2004 के संकल्प के तहत सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की थी।

9.2 बोर्ड में राज्य मंत्री स्तर का एक अध्यक्ष, तीन अंशकालिक गैर–सरकारी सदस्य तथा तीन सरकारी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी इ एस बी); अध्यक्ष, स्कोप; और अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओ एन जी सी) बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं जबकि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव इन बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य है। बीआरपीएसई में भारत सरकार के अपर सचिव पद का एक अलग से सचिव भी होता है।

9.3 बीआरपीएसई के विचारार्थ विषय इस प्रकार से हैं:–

(क) केंद्रीय लोक उद्यमों के सुदृढ़ीकरण हेतु अर्थोपाय पर सरकार को परामर्श देना और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान करना एवं व्यवहार्य बनाना;

(ख) केंद्रीय सरकारी उद्यमों की पुनर्संरचना अर्थात वित्तीय, संगठनात्मक एवं व्यापार (विविधीकरण, संयुक्त उद्यम, रणनीतिक भागीदार खोजने, विलयन एवं अधिग्रहण सहित) पर विचार करना और ऐसी स्कीमों के वित्त पोषण हेतु अर्थोपाय पर परामर्श देना;

(ग) टर्नअराउंड करने के लिए रुग्ण/घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्संरंचना हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों की जांच करना;

(घ) पुनरुद्धार न किए जा सकने वाले चिरकालीन रुग्ण/घाटा उठाने वाली कंपनियों के संदर्भ में उनके विनिवेश/बंद करने/पूर्ण या आंशिक विक्रय पर सरकार को परामर्श देना। ऐसी अर्थअक्षम कंपनियों के संदर्भ में बोर्ड वैधानिक बकाया चुकाने, कर्मचारियों का प्रतिपूर्ति भुगतान तथा बंद करने की अन्य लागत हेतु उद्यमों की अधिशेष परिसंपतियों के विक्रय सहित निधियों हेतु साधन के बारे में भी सरकार को परामर्श देना;

(ङ) केंद्रीय सरकारी उद्यमों में प्रारंभिक रुग्णता को मॉनीटर करना; और

(च) सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों पर सरकार को परामर्श देना।

9.4.1 सचिवीय समिति ने 22.2.2013 के दौरान हुई अपनी बैठक में रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अधिवर्षिता आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रस्ताव पर बी आर पी एस ई को जॉच करने के लिए और संबंधित मंत्रालय/विभाग को अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिदेशित किया है।

9.4.2 वर्ष 2013–14 के दौरान बी आर पी एस ई द्वारा आयोजित बैठकों के ब्यौरे अनुबंध–11 में दिए गए हैं। इसने आइ टी आइ लि., एच एम टी बियरिंग्स लि., फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रैवनकोर लि., ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लि. के लिए पुनरूद्धार पैकैज और एस टी सी एल लि. और हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं. लि. को बंद करने की

सिफारिश की। इस अवधि के दौरान बोर्ड ने 13 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की और 01 केन्द्रीय सरकारी उधम के संबंध में अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की समीक्षा की।

9.4.3 इसके अलावा, बी आर पी एस ई ने नैशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि. और नैशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन में अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

9.5 बीआरपीएसई की शुरूआत से और मार्च, 2014 तक, बोर्ड ने 64 ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बारे में अपनी सिफारिशें दीं। 64 पीएसई के संबंध में बीआरपीएसई की सिफारिशें **(अनुबंध–12)** निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में आती हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	लोक उद्यमों की सं.
1	पुनरुद्धार पैकेज के माध्यम से पुनरुद्धार	45
2	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण/सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम/विनिवेश के माध्यम से पुनरुद्धार	8
3	विलय/अधिग्रहण द्वारा पुनरुद्धार	5
4	बन्द करना	6
	कुल	**64**

9.6 बीआरपीएसई ने, रूग्ण सीपीएसई पर सिफारिश देने के अतिरिक्त, उन रूग्ण पीएसई के उच्च प्रबंधन टेलेंट को आकर्षित करने के लिये योजना की भी सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया। बोर्ड ने उन सीपीएसई (आंशिक तौर से रूग्ण) को सुदृढ़ करने के लिये भी सरकार को उपायों की सिफारिश की जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु बढ़ाने की सिफारिश, वेतन संशोधन, वीआरएस/वीएसएस योजनाओं में संशोधन, कर्मचारियों को प्रोत्साहन, रूग्ण उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्ति में भर्ती नियमों में ढील देना भी शामिल है।

9.7 अनुशंसित 64 मामलों में से, सरकार ने 45 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरूद्धार हेतु और 4 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बंद करने/परिसमापन का अनुमोदन किया है । 3 रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि., ईस्टर्न कोलफील्डस लि. और हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि. के मामले में उनके होल्डिंग केन्द्रीय सरकारी उद्यम क्रमशः कोल इंडिया लि. और हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. पुनरूद्धार पैकेज **(अनुबंध–13)** को कार्यान्वित कर रहे हैं। शेष केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में बी आर पी एस ई की सिफारिशों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसाधित किया जा रहा है।

9.8 पुनरूद्धार हेतु अनुमोदित 48 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से मार्च, 2014 तक 19 रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को टर्नअरांउड घोषित किया गया है क्योंकि उन्होंने सरकार द्वारा सहायता मिलने के पश्चात् लगातार 3 अथवा अधिक वर्षों के लिए लाभ अर्जित किया है।

9.9 बी आर पी एस ई ने 4 टर्नअरांउड रूग्ण सीपीएसई अर्थात् नैशनल प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि., नैशनल फिल्म डेवलप्मेंट कार्पो. लि., सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट (पूर्व में भारत रिफ्रैक्टरीज लि.) और भारत कोकिंग कोल लि. को सम्मानित करने के लिए 31.10.2013 को 'बी आर पी एस ई टर्नअरांउड अवार्ड: 2013' का आयोजन किया।

अध्याय 10

परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर)

10.1 केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के संदर्भ में, श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण एक आवश्यकता बन गई है। सरकार की नीति मानवीय पहलुओं के साथ संशोधनों को लागू करने की और श्रमिकों की संख्या को कम करने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल रूप से प्रभावित श्रमिकों के लिए समुचित सुरक्षा जाल उपलब्ध कराने की रही है। सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता पर विचार करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण फंड (एन आर एफ) की स्थापना फरवरी 1992 में की थी ताकि वी आर एस के व्ययों को शामिल किया जा सके और संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पुनर्प्रशिक्षण दिया जा सके। पुनर्प्रशिक्षण कार्य औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा किया गया था। फरवरी, 2000 में एन आर एफ को समाप्त करने के बाद केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के युक्तिसंगत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) स्कीम वर्ष 2001–02 से लोक उद्यम विभाग द्वारा लागू की जा रही है। सी आर आर योजना को नवम्बर, 2007 में संशोधित किया गया था ताकि उसके कार्यक्षेत्र और कवरेज को बढ़ाया जा सके। यदि वी आर एस विकल्पी स्वयं उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो इसके लिए वी आर एस विकल्पी का एक आश्रित भी पात्र होगा।

10.2 अन्य बातों के साथ–साथ परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सी आर आर) योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

- अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युक्तिसंगत कर्मचारियों का पुनरानुकूलन करना।
- उनको नये काम–धन्धे अपनाने के लिए तैयार करना।
- उन्हें आय अर्जित करने के लिए स्वरोजगार में लगाना।
- उत्पादनकारी प्रक्रिया से दुबारा जुड़ने में उनकी सहायता करना।

10.3 सी आर आर योजना के मुख्य घटक परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन हैं। परामर्श से युक्तिसंगत कर्मचारियों को संगठन छोड़ने का मानसिक आघात सहन करने, वी आर एस क्षतिपूर्ति सहित अपनी धनराशि का उचित प्रबंध करने, चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित करने तथा उत्पादनकारी प्रक्रिया में फिर से जुड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, पुनर्प्रशिक्षण उनकी निपुणता/विशेषज्ञता को सशक्त बनाता है। चयनित प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकतानुसार 30/45/60 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। संकाय सहायता आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार की होती है तथा कक्षाओं में शैक्षणिक व्याख्यान के अतिरिक्त सम्बद्ध क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणार्थी विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों से सम्पर्क करते हैं तथा परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में उनकी सहायता की जाती है। पुनर्प्रशिक्षण का ध्येय ज्यादातर स्वरोजगार के माध्यम से पुनर्नियोजन करना है। वर्तमान योजना में स्वरोजगार की दर को अधिकतम बनाने का उद्देश्य है। अतः नोडल अभिकरण आवश्यकता पर आधारित सहायता प्रदान करते हैं, ऋण संस्थानों के साथ संपर्क जोड़ते हैं तथा पुनर्प्रशिक्षण कार्मिकों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं।

10.4 नोडल प्रशिक्षण अभिकरणों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को परामर्श देने, पुनरानुकूलन करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रम/सामग्री का विकास करने, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा बाजार सर्वेक्षण करने, प्रशिक्षण पश्चात् अनुवर्ती कार्यक्रम तैयार

करने, ऋण संस्थानों के साथ अंतःसंबंध स्थापित करने, स्वरोजगार में सहायता प्रदान करने, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित संपर्क करने में दायित्वों का निष्पादन होता है।

10.5 योजना की सफलता के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें पृथक्कृत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ लम्बे संबंधों के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुनः प्रशिक्षण संबंधी उनकी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

10.6 वर्ष 2013–14 में, बजट अनुमान के रूप में ₹ 7.00 करोड़ के और संशोधित अनुमान के रूप में ₹ 5.40 करोड़ की योजना निधि सी आर आर योजना के कार्यान्वयन हेतु आबंटित की गई थी। वर्ष के दौरान 27 कर्मचारी सहायता केंद्रों सहित 8 नोडल अभिकरण पूरे देश में प्रचालनरत थे। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 सहित प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
2001-02	8064
2002-03	12066
2003-04	12134
2004-05	28003
2005-06	32158
2006-07	34398
2007-08	9728
2008-09	9772
2009-10	7400
2010-11	9265
2011-12	9400
2012-13	7506
2013-14	3230
Total	**1,83,124**

10.7 वर्ष 2013–14 के दौरान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान (निसबड) जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है ने तीसरा पक्ष निर्धारक एजेन्सी (टी पी ए ए) के रूप में नोडल एजेन्सियों के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन पर और सी आर आर योजना के मूल्यांकन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सी. आर. आर. योजना के मूल्यांकन पर निष्कर्षों और सिफारिशों को नोडल एजेन्सियों, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अनुपालन हेतु परिपत्रित कर दिया गया है।

10.8 प्रचालनरत नोडल एजेंसियॉ (2013–14) की एक सूची **अनुबंध–14** पर दी गई है।

अध्याय 11

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस)

11.1 कुछ केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, सरकार ने अक्तूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा की थी। बाद में लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2000 में एक व्यापक पैकेज अधिसूचित किया गया था। कुछ केंद्रीय सरकारी उद्यमों को पेश आई कठिनाईयों को देखते हुए, जहां 1992 अथवा 1997 का वेतन संशोधन (जैसा भी मामला हो) को प्रवृत्त नहीं किया जा सका, वीआरएस को नवंबर, 2001 की तत्पश्चात अधिसूचना के जरिए और उदार बनाया गया था। अन्य बातों के साथ–साथ यह अधिसूचना उन कर्मचारियों के लिए 100: अतिरिक्त मुआवजे की व्यवस्था करता है जहां 1992 के वेतन संशोधन को प्रवृत्त नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, 50% अतिरिक्त मुआवजे की अनुमति उन कर्मचारियों के लिए दी गई थी। जहां 1997 के वेतन संशोधन को प्रवृत्त नहीं किया जा सका। 1986 के वेतनमानों पर सीडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले कर्मचारियों के लिए वीआरएस के अंतर्गत अनुग्रह राशि की अदायगी को 26.10.2004 से 50% और बढ़ा दिया गया है। वीआरएस मुआवजे में इस प्रकार की वृद्धि को कर्मचारियों के मौजूदा वेतन के आधार पर आकलित किया जाना है।

11.2 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो स्वयं अपने अतिरिक्त स्रोतों से इसे वहन कर सकें

11.2.1 वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसे विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। बहरहाल, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

11.3 मामूली लाभ वाले अथवा घाटा उठाने वाले/ रुग्ण/अर्थअक्षम केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना:

11.3.1 मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली/ घाटा उठाने वाली रुग्ण एवं अर्थअक्षम कंपनियां निम्नलिखित मॉडल में से किसी एक को अपना सकती हैं।

गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति का आकलन किया जाता है, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी; अथवा

भारी उद्योग विभाग डीएचआई मॉडल, जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन+महंगाई भत्ता) अथवा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60 (साठ) महीने का वेतन/मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और बशर्ते यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन/मजूरी की राशि से अधिक न हो।

अध्याय 12

कार्यपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.1 केंद्रीय सरकारी उद्यम अपने स्वयं के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत वे मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों को अपने स्वयं के प्रबंधन संस्थानों द्वारा या भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों या भारत के प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों की सेवाएं आउटसोर्स द्वारा प्राप्त करके, प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास तथा उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक मंडल के पदेन सदस्य है। संयुक्त सचिव, लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम संस्थान (आईपीई), हैदराबाद के गवर्ननरों के बोर्ड के सदस्य है।

12.2 भारत, लूब्जाना, स्लोवीनिया में स्थित 'उद्यम संवर्द्धन हेतु अंतरराष्ट्रीय केन्द्र' के लिए संस्थापक सदस्य है। इसे विकासशील देशों के अंतःसरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था ताकि वे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपने लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार ला सकें। भारत, वर्तमान में सचिव, लोक उद्यम विभाग के प्रतिनिधित्व में, आईसीपीई, परिषद का अध्यक्ष है। आईसीपीई अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कंसलटेंसी कार्य करके और प्रलेखन और प्रकाशन कार्यकलापों के जरिए सूचना का प्रसार करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसका उद्देश्य कारपोरेट अभिशासन, प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित बहुत से मुद्दों पर कल्पना एवं व्यवहार के बीच अंतर को कम करने का है। भारत ने पूर्व में लंबी अवधि और अल्पावधि कोर्स, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों/वर्कशाप, भारत के लोक उद्यमों के कार्यपालकों के लिए लोक उद्यम विभाग के सहयोग से आईसीपीई द्वारा आयोजित सम्मेलनों से लाभ उठाया गया है।

12.3 लोक उद्यम विभाग की पहल पर, वर्ष 2013–14 के लिए एक वर्ष का अंतरराष्ट्रीय एमबीए कोर्स, आईसीपीई में अक्तूबर, 2013 से दो वर्ष के अंतराल के पश्चात में पुनः प्रारंभ किया गया। भारतीय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से नौ वरिष्ठ/मध्यम स्तर के कार्यपालक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

12.4 लोक उद्यम विभाग ने आईसीपीई द्वारा भारत के महत्वपूर्ण शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों के साथ संपर्क बनाने में उनके लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। लोक उद्यम विभाग ने आईसीपीई और तीन प्रबंधन/प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (आईएमआई), नई दिल्ली और भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई) हैदराबाद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को सुकर बनाया है जिससे इन संस्थानों के बीच शैक्षणिक/अनुसंधान सहयोग में सहायता मिलेगी ताकि लोक उद्यम कार्यपालकों की व्यावसायिक संवृद्धि और उनके क्षमता निर्माण में सहायता मिल सकेगी।

अध्याय 13

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सस्टेनेबिलिटी

13.1 लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने 'सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी' पर केंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतु 31 दिसंबर, 2012 को दिशानिर्देश जारी किए थे जो 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी हुए थे। इन दिशानिर्देशों को सभी प्रमुख स्टेकोहोलडर के साथ व्यापक विचार–विमर्श करके तैयार किया गया था और इस प्रकार उसे काफी सराहना मिली थी।

13.2 लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों / परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर सीएसआर से डील करने वाले वरिष्ठ लोक उद्यम कार्यपालकों को संवेदनशील बनाने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में सेमिनार और वर्कशाप का आयोजन किया। 400 से अधिक केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों ने इन सेमिनार/वर्कशॉप में भाग लिया और इनमें हुए विचार–विमर्श से उन्हें लाभ हुआ। लोक उद्यम विभाग ने सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पर अपने दिशानिर्देशों का प्रचार भी किया और सीएसआर पर आयोजित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों पर अपनी प्रस्तुतियां दीं।

13.3 तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना और 27.02.2014 को जारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उसके अंतर्गत बनाई गई सीआरएस नियमावली के द्वारा, लोक उद्यम विभाग ने अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है ताकि उन्हें इस विषय पर नए नियमों के अनुरूप बनाया जा सके।

अध्याय 14

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट

14.1 उद्योग पर विभाग आधारित स्थायी समिति ने अपनी 216वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि लोक उद्यम विभाग को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा नीतियॉं और दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने में एक अर्थपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। उसके अनुपालन में, लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 29.7.2010 के अपने कार्यालय ज्ञापन के तहत सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को वार्षिक अनुपालन रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे और उनसे अनुरोध किया था कि वे अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को इस संबंध में लोक उद्यम विभाग को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

14.2 इसके परिणामस्वरूप, अभी तक, 220 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में से 183 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। वे केन्द्रीय सरकारी उद्यम जिन्होंने वर्ष 2011–12 के लिए वार्षिक अनुपालन रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की हैं, उन की सूची **अनुबंध–15** पर दी गई हैं।

अध्याय 15

राजभाषा नीति

15. 1 इस विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यतः राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत उल्लिखित विविध उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80: से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

15.2 वर्ष 2013–14 के दौरान सभी अधिसूचनाओं, संकल्पों, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा–पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया है। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में काम करती है।

15.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 14 सितम्बर, 2013 से 28 सितंबर, 2013 तक "हिन्दी पखवाड़ा" आयोजित किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए विविध प्रतियोगिताओं, यथा हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी श्रुतलेखन तथा हिन्दी टंकण (कम्प्यूटर पर) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सचिव, लोक उद्यम विभाग द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

15.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यचालन के सम्बन्ध में "लोक उद्यम सर्वेक्षण" नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है तथा लोक उद्यम विभाग की वार्षिक रिपोर्ट भी हिन्दी/अंग्रेजी में प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है।

अध्याय 16

महिलाओं का कल्याण

16.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में लिंग की समानता का सिद्धांत प्रतिपादित हैं। संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक नीति में हमारे कानून, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का उन्नयन है।

16.2 विभाग में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन भी किया जा चुका है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए लोक उद्यम विभाग ने 29 मई, 1998 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को पहले से ही विस्तृत दिशानिर्देश एवं मानदण्ड जारी कर दिए हैं।

16.3 विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 122 है, जिनमें से 12 महिला कर्मचारियों सहित 76 अधिकारी/कर्मचारी हैं। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्द्रपूर्ण माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ताकि महिला कर्मचारी सम्मान, गरिमा के साथ और बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

अध्याय 17

योजनागत निधि व्यय का विवरण

लोक उद्यम विभाग – अनुदान सं. 52
(2013–14)

(₹ करोड़ में)

योजनाएं	संशोधित प्राक्कलन 2013–14	कुल व्यय 2013–14
योजना		
सूचना प्रौद्योगिकी	5500	5484
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
सहायता अनुदान	8200	0
परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनःनियोजन, नए केन्द्रों की स्थापना/नोडल एजेन्सियां जोड़ना आदि		
सहायता अनुदान	54000	47287
केन्द्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों से संबंधित सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान, विकास और कंसल्टेंसी		
प्रकाशन	2320	3142
अन्य प्रशासनिक व्यय	500	243
व्यावसायिक सेवाएं	2080	2185
सहायता अनुदान	1900	1209
राज्य स्तरीय उद्यमों के कार्यपालकों का कौशल विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम		
सहायता अनुदान	8000	4639
कुल	**8,25,00**	**6,41,89**

अध्याय 18

परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी)

18.1 परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) जनता के अधिदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री और इस अधिदेश को लागू करने हेतु उत्तरदायी विभाग के सचिव के बीच समझौते का एक रिकार्ड है। प्रधानमंत्री ने सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लिए एक कार्य निष्पादन मानीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) की रूपरेखा को अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसके अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए परिणाम कार्य ढांचा दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है। सरकारी कार्य निष्पादन पर मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 3.3.2011 को आयोजित अपनी बैठक में विभागीय आरएफडी, संबंधित उपलब्धियां और मिश्रित स्कोर को विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में जोड़ने को अनुमोदित कर दिया था।

18.2 आरएफडी में उन अति महत्वपूर्ण परिणामों के सारांश का उल्लेख होता है जिन्हें कोई मंत्रालय/विभाग वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त करने की आशा करता है। इस दस्तावेज में न केवल सहमति वाले उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का उल्लेख होता है बल्कि उन्हें लागू करने में प्रगति को मापने हेतु सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों का भी उल्लेख होता है।

18.3 लोक उद्यम विभाग ने आरएफडी से संबंधित कवायद 2009–10 से शुरू किया है। लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2012–13 के संबंध में अपनी चौथी रिपोर्ट तैयार की है। कुल मिलाकर ग्यारह विभाग विशिष्ट लक्ष्य आरएफडी 2012–13 में शामिल किए गए और कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रभाग की सलाह पर चार और अनिवार्य उद्देश्य आरएफडी में जोड़े गए थे। चूंकि यह विभाग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए नोडल विभाग है, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की मानीटरिंग करने, इन्हें सुविधा संपन्न बनाने और इनकी सहायता करने में समग्र सक्षमता लाने के उद्देश्य से आरएफडी उद्देश्य/लक्ष्य तैयार किए गए। लोक उद्यम विभाग के आरएफडी 2012–13 के लक्ष्य विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्षेत्र को कवर करते हैं:

i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन

ii) सभी स्तर पर प्रबंधन को पेशवर बनाना

iii) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल पर निदेशक मंडल स्तर के पदों का सृजन

iv) समझौता ज्ञापन प्रणाली की कार्य क्षमता में सुधार

v) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से अलग किए गए कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनःनियोजन योजना

vi) सी एस आर नीति का कार्यान्वयन

vii) लोक उद्यम सर्वेक्षण

viii) स्थायी मध्यस्थता तंत्र के जरिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटान।

18.4 लोक उद्यम विभाग ने तेरह उद्देश्यों में उत्कृष्ट लक्ष्य प्राप्त किए हैं। पीएमडी के सरकारी कार्यनिष्पादन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने लोक उद्यम विभाग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है और आरएफडी 2012–13 पर लोक उद्यम विभाग के समग्र कार्य निष्पादन पर 98.47% का मिश्रित स्कोर प्रदान किया है।

18.5 आरएफडी 2012–13 में शामिल विस्तृत उद्देश्य, उनके तदनुरूपी लक्ष्य और मिश्रित स्कोर **अनुबंध–16** में दिए गए हैं।

अध्याय 19

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य के लिए सेवाओं में आरक्षण

19.1 बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के प्रति नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक एवं भर्ती नीतियों को संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। तथापि, सामान्य महत्व के मामलों में, भारत सरकार द्वारा उन उद्यमों को नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिसे उन उद्यमों द्वारा अपने स्वयं की कारपोरेट नीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा औपचारिक राष्ट्रपतिक दिशानिर्देश संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यमों को जारी किए जाते हैं ताकि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नियोजन के संबंधमें आरक्षण उसी तर्ज पर करें जैसा कि केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों में लागू हैं।

19.2 लोक उद्यम विभाग द्वारा एससी और एसटी हेतु आरक्षण पर सभी महत्वपूर्ण अनुदेश शामिल करके एक व्यापक राष्ट्रपतिक दिशानिर्देश सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को 25 अप्रैल, 1991 को जारी किए गए थे ताकि उन्हें औपचारिक रूप से केंद्रीय सरकारी उद्यमों को जारी किया जा सके। आवश्यक परिवर्तनों और संशोधनों को केंद्रीय सरकारीउद्यमों को सूचना एवं अनुपालन हेतु उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के जरिए परिपत्रित कर दिया गया है।

19.3 तत्पश्चात, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल कमीशन) की सिफारिशों के आधार पर और इंदिरा साहनी मामलेमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु 27% रिक्तियों में आरक्षण प्रदानकरने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति तैयार करता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण को 8.9.1993 से लागू कर दिया गया था। लोक उद्यम विभाग केंद्रीयसरकारी उद्यमोंको उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के जरिए अनुपालन हेतु इन निर्देशों को भेजता रहा है। एक व्यापक राष्ट्रपतिक आदेश जिनमें ये सारे अनुदेश शामिल थे को लोक उद्यम विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को दिनांक 27 जुलाई,1995 के डीपीई का.ज्ञा. के तहत भेज दिया है ताकि वे अपने नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों को औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

19.4 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% आरक्षण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% के उप कोटा के आवंटन से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों को भी लोक उद्यमविभाग कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2 जनवरी, 2012 के तहत प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों (केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित) को उनके नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों में लागू करने के लिए भेज दिया गया है।

19.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षित रिक्तियों के हकदार अन्य वर्गों के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए मौजूदा कोटा निम्नानुसार है:

आरक्षण के लिए कोटा

श्रेणी	समूह 'क' और 'ख'	समूह 'ग'	समूह 'घ'
अनुसूचित जाति	15%	15%	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%	7.5%	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% का उप कोटा जोड़कर)	27%	27%	27%
शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति	3%	3%	3%
भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रित	–	14.5%	24.5%

समूह 'क': प्रबंधकीय / कार्यकारी स्तर **समूह 'ख'**: निरीक्षण स्तर

समूह 'ग': कामगार / लिपिकीय स्तर **समूह 'घ'**: अर्द्ध–कुशल / अकुशल

19.6 31.03.2013 की स्थितिनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों में अनु.जा. / अ.ज.जा. / अन्य पि.वर्ग / अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:–

समूह	कर्मचारियों की कुल सं.	कुल आरक्षण (5 + 7 + 9)	%	31.03.2013 की स्थितिनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों में अनु.जा. / अ.ज.जा. / अन्य पि. वर्ग / अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है							
				अ.जा.	%	अ.ज.जा.	%	अन्य पिछड़ा वर्ग की सं.	%	अल्पसंख्यकों की सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क'	276430	85880	31.07	39350	14.24	14133	5.11	32397	11.72	18767	6.79
समूह 'ख'	139940	35745	25.54	15157	10.83	6857	4.90	13731	9.81	8615	6.16
समूह 'ग'	698607	333656	47.76	142898	20.45	71631	10.25	119127	17.05	66253	9.48
समूह 'घ'	289480	93135	32.17	41866	14.46	25793	8.91	25476	8.80	12302	4.25
कुल	**1404457**	**548416**	**39.05**	**239271**	**17.04**	**118414**	**8.43**	**190731**	**13.58**	**105937**	**7.54**

* 238 केंद्रीय सरकारी उद्यमों पर आधारित आंकड़े

19.7 आरक्षित पदों को समय पर भरने और बैकलॉग को समाप्त करने की आवश्यकता पर समय–समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के जरिए बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी उद्यमों को सलाह दें कि वे मौजूदों अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भरे न गए आरक्षित पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वे समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों को भरें।

19.8 लोक उद्यम विभाग ने प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के जरिए केंद्रीय सरकारी उद्यमों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण के लिए ऐसी ही योजना के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं। भूतपर्वू सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि केंद्रीय सरकारी उद्यमों में उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ऐसे केंद्रीय सरकारी उद्यम, जो एजेंसी / डीलरशिप प्रदान करने की स्थिति में हैं, को सलाह दी गई है कि वे भूतपूर्व सैनिकों को ऐसी एजेंसियां / डीलरशिप आवंटित करने के लिए कोटा आरक्षित करे।

19.9 लोक उद्यम विभाग ने 11.03.1997 को केंद्रीय सरकारी उद्यमों में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देनेके कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हुए केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को राष्ट्रपतिक निर्देश जारी किए हैं। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के साथ, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु आरक्षण, सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले अभिज्ञात समूह 'क' एवं 'ख' पदों पर भी लागू होगा। इस अधिनियम के अनुसार कम से कम 3% पद शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे जिसमें से 1: पद (i) दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि वाले (ii) बधिर एवं (iii) हाथ–पैरों से निःशक्त व्यक्तियों अथवा मस्तिष्क पक्षाघात से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। तदनुसार, सभी केंद्रीय सरकारी उद्यमों को अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है।

अनुबंध–1
(प्रस्तावना का पैरा 6)

लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा

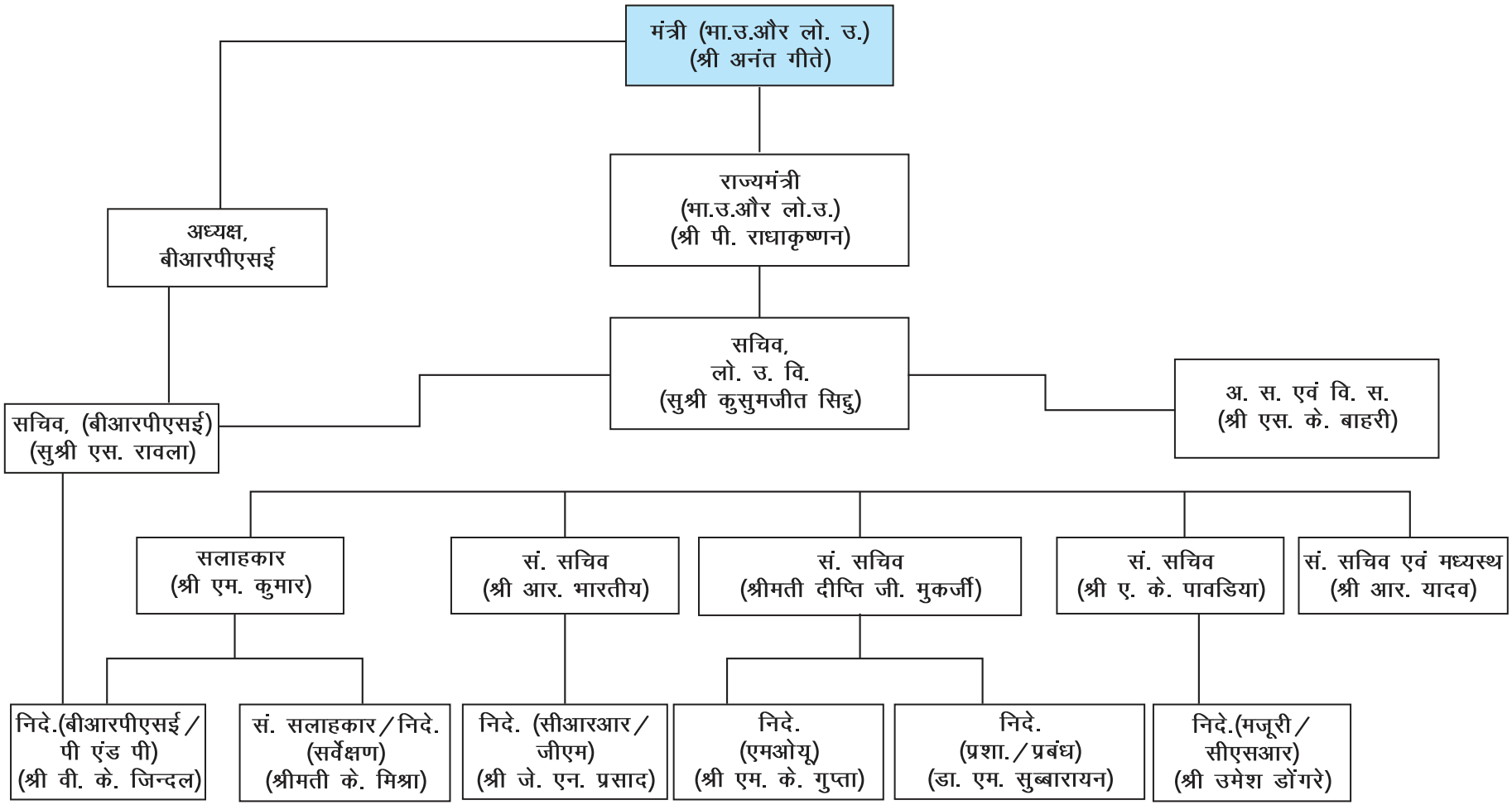

अनुबंध – 2

(पैरा 1.6.6)

वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

- दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 277 सीपीएसई की कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 1,85,282 करोड़ थी जबकि 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 260 सीपीएसई की कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 1,63,863 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें 13.07% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सभी सीपीएसई में कुल पूंजी निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 8,50,599 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार यह ₹ 7,29,295 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 16.63% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सभी सीपीएसई में कुल नियोजित पूंजी (प्रदत्त पूंजी और आरक्षित एवं अधिशेष राशियां तथा दीर्घकालिक ऋण) ₹ 15,32,007 करोड़ रही, जबकि 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार यह ₹ 13,52,970 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें 13.23% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष 2012–13 के दौरान सभी सीपीएसई के प्रचालन से प्राप्त कुल टर्नओवर/सकल राजस्व ₹ 19,45,777 करोड़ रहा, जबकि गत वर्ष में यह ₹ 18,22,049 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 6.79% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष 2012–13 के दौरान सभी सीपीएसई की कुल आय ₹ 19,31,150 करोड़ रही, जबकि 2011–12 में यह ₹ 18,04,615 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 7.01% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष 2012–13 के दौरान लाभ कमाने वाली सीपीएसई का लाभ ₹ 1,43,559 करोड़ रहा, जबकि 2011–12 में यह ₹ 1,25,929 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 14.00% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष 2012–13 के दौरान घाटा झेल रहे सीपीएसई की हानि ₹ 28,260 करोड़ रहा, जबकि 2011–12 में यह ₹ 27,683 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें 2.08% हानि की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष 2012–13 के दौरान सभी 229 सीपीएसई का संपूर्ण निवल लाभ ₹ 1,15,300 करोड़ रहा, जबकि 2011–12 में यह ₹ 98,245 करोड़ था। इस प्रकार इसमें 17.36% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष 2011–12 के दौरान सभी सीपीएसई की आरक्षित और अधिशेष निधियां ₹ 6,23,671 करोड़ से बढ़कर 2012–13 के दौरान ₹ 6,81,409 करोड़ हो गई। इस प्रकार इसमें 9.26% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्ष 2011–12 के दौरान सभी सीपीएसई का निवल मूल्य ₹ 7,87,535 करोड़ से बढ़कर 2012–13 के दौरान ₹ 8,66,691 करोड़ रहा। इस प्रकार इसमें 10.05% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगमित कर, केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज, लाभांश और अन्य शुल्कों और करों के माध्यम से केंद्रीय राजकोष (एक्सचेकर) में सीपीएसई का योगदान 2011–12 में ₹ 1,62,402 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में

₹1,62,761 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें 0.22% की वृद्धि दर्ज की गई।

- वर्ष 2011–12 के दौरान माल और सेवाओं के निर्यात के जरिए विदेशी विनिमय से होने वाली आय ₹ 1,27,880 करोड़ से बढ़कर 2012–13 के दौरान ₹ 1,38,150 करोड़ हो गई। इस प्रकार इसमें 8.03% की वृद्धि दर्ज की गई है।

- वर्ष 2011–12 के दौरान आयात और रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्श, ब्याज और अन्य व्यय पर विदेशी विनिमय से बहिर्गमन (आउटगो) ₹ 7,33,542 करोड़ से घटकर 2012–13 में ₹ 6,46,262 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें 11.90% की कमी दर्ज की गई।

- वर्ष 2011–12 में 14.50 लाख लोगों की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान सीपीएसई में 14.04 लाख लोगों (संविदागत श्रमिकों को छोड़कर) को नियोजित किया गया। इस प्रकार इसमें 3.28% की कमी दर्ज की गयी।

- वर्ष 2011–12 में सभी सीपीएसई का वेतन और मजदूरी ₹ 1,05,648 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में ₹ 1,16,375 करोड़ हो गई। इस प्रकार इसमें 10.15% की वृद्धि दर्ज की गई।

- कुल बाजार पूंजीकरण : 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में 46 सीपीएसई ने व्यापार किया। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक मूल्यों के आधार पर 45 सीपीएसई का कुल बाजार पूंजीकरण ₹ 12,57,792.00 करोड़ था और 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 46 सीपीएसई का कुल बाजार पूंजीकरण ₹ 11,16,817.00 करोड़ रहा। इस प्रकार 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजीकरण की तुलना में 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सीपीएसई के कुल बाजार पूंजीकरण में –11.21% की कमी (₹ 1,40,975.00 करोड़) दर्ज की गई है।

- 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बीएसई एम कैप के प्रतिशत के रूप में सीपीएसई का एम कैप 20.24% से घटकर 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 17.64% हो गया।

अनुबंध – 3
(पैरा 1.6.6.)

229 प्रचालनरत केंद्रीय सरकारी उद्यमों के सूक्ष्म अवलोकन का कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रचालनरत उद्यमों की सं.	230	227	226	217	214	213	217	220	225	229
नियोजित पूंजी	452336	504407	585484	661338	724009	792232	908007	1153947	1387821	1510373
कुल सकल टर्नओवर/राजस्व	630704	744307	837295	964890	1096308	1271529	1244805	1498018	1822049	1945777
कुल निवल आय/राजस्व	613706	734944	829873	970356	1102772	1309639	1272219	1470569	1804614	1931149
निवल मूल्य	291828	341595	397275	454134	518485	583144	652993	709505	776161	851245
मूल्य ह्रास, हानि, ब्याज, विशेष मदों, असाधारण अन्य मदें और कर पूर्व लाभ (पीबीडीआईआईटी)	127320	142554	150262	177990	195049	186836	211184	216602	250415	256826
मूल्यह्रास, निशेषण और ऋण चुकाना	31251	33147	34848	33141	36668	36780	41603	57118	53590	66117
डीआरई/हानि	1025	986	992	5841	5802	7661	9565	187	153	436
ब्याज, विशेष मदें , असाधारण अन्य मदों और कर पूर्व लाभ (पीबीआईईईटी)	95039	108420	114422	139008	152579	142395	160017	159298	186671	190271
ब्याज	23835	22869	23708	27481	32126	39300	36060	26521	35911	37789
असाधारण अन्य मदें और कर पूर्व लाभ (पीबीईईटी)	71144	85550	90714	111527	120453	103095	123957	132777	150759	152482
विशिष्ट मदें	--	--	--	--	--	--	--	-1479	-12372	-36766
असाधारण अन्य मदें और कर पूर्व लाभ (पीबीईटी)	--	--	--	--	--	--	--	134256	146803	164854
असाधारण मदें	-3933	-1075	-3192	-3880	-1570	-14600	-8264	-2695	-428	-1453
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	75077	86625	93906	115407	122023	117695	132221	136951	147231	166308
कर प्रावधान	22134	21662	24370	34352	40749	33828	40018	44871	48986	51008
निरंतर प्रचालनों से कर के उपरांत निवल लाभ/हानि	52943	64963	69536	81055	81274	83867	92203	92129	98245	115299

प्रचालन समाप्ति पर कर उपरांत निवल लाभ/हानि	--	--	--	--	--	--	--	49	1	0
समग्र निवल लाभ/हानि	52943	64963	69536	81055	81274	83867	92203	92129	98246	115298
लाभ कमाने वाले सीपीएसई का लाभ	61606	74432	76382	89581	91577	98488	108434	113944	125929	143559
हानि उठाने वाले सीपीएसई की हानि	8522	9003	6845	8526	10303	14621	16231	21817	27683	28260
लाभ अर्जक सीपीएसई (सं.)	139	143	160	154	160	158	157	158	161	149
घाटा उठाने वाले सीपीएसई (सं.)	89	73	63	61	54	55	60	62	64	79
कोई लाभ/हानि नहीं उठाने वाले सीपीएसई	2	--	1	1	--	--	--	--	--	1
लाभांश	15288	20718	22886	26819	28123	25501	33223	35700	42627	49701
लाभांश कर	1961	2852	*3215*	4107	4722	4132	5151	5394	5877	6703
प्रतिधारिता लाभ	35835	41394	43435	50129	48429	54233	53820	51056	49741	58894
उन प्रचालनरत सीपीएसई की संख्या जिन्होंने जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।	--	--	2	1	--	--	--	--	--	--

अनुबंध–4

(पैरा 2.1.3)

महारत्न स्कीम की मुख्य बातें

1. **लक्ष्य** : महारत्न स्कीम का मुख्य लक्ष्य बड़े केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अधिकार देना है ताकि वे अपना प्रचालन बढ़ा सकें और विश्व स्तर पर बड़ी कम्पनियों के रूप में उभर सकें। महारत्न स्कीम से बड़े केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अधिकार मिलेगा ताकि वे प्रचालन को विस्तार देते हुए विश्व स्तर पर बड़े केन्द्रीय सरकारी उद्यम के रूप में विकसित हो सकें।

2. **महारत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता सम्बन्धी मानदण्डः**– निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम महारत्न का दर्जा प्रदान करने पर विचार किए जाने के पात्र हैं :–

   (क) नवरत्न श्रेणी का उद्यम हो

   (ख) सेबी के विनियमों के अन्तर्गत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सहित भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो

   (ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल वार्षिक कारोबार का औसत ₹ 25,000 करोड़ से अधिक का हो

   (घ) गत तीन वर्षों के दौरान उसकी औसत वार्षिक निवल मूल्य ₹ 15,000 करोड़ से अधिक हो

   (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उसका औसत कर पश्चात वार्षिक निवल लाभ ₹ 5000 करोड़ से अधिक रहा हो

   (च) वेश्विक स्तर पर प्रभावी उपस्थिति हो या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालनरत हो ।

3. महारत्न दर्जा स्वीकृत करने/समाप्त करने की प्रक्रिया महारत्न दर्जा देने तथा साथ ही उनका पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया की भांति ही है।

4. **महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियां** : महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड, नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अधिकार प्रयोग करने के साथ–साथ संयुक्त उद्यमों/सहायक कम्पनियों में निवेश तथा बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के सृजन में अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों के पास अधिकार होंगे – (क) भारत में या विदेश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में इक्विटी निवेश करने तथा (ख) भारत में या विदेश में एक परियोजना में उसके निवल मूल्य में 15% की सीमा तक विलयन तथा अधिग्रहण करना जो ₹ 5000 करोड़ (नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए ₹ 1000 करोड़) की पूरी सीलिंग तक सीमित होगा। सभी परियोजनाओं में ऐसे इक्विटी निवेश तथा विलयन एवं अधिग्रहण पर कुल मिलाकर सीलिंग संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों के पास ई–9 स्तर से नीचे के पदों के सृजन का अधिकार होगा।

अनुबंध –5

(पैरा 2.2.2)

नवरत्न योजना की प्रमुख विशेषताएं

1. नवरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता शर्तें:

लोक उद्यम जो मिनीरत्न–I, अनुसूची 'क' हैं और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से तीन में 'उत्कृष्ट' अथवा 'बहुत अच्छा' एमओयू रेटिंग प्राप्त की हैं, पात्र हैं।

कार्यनिष्पादन का 'संयुक्त अंक' 60 अथवा अधिक होना चाहिए।

किसी लोक उद्यम के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए, पिछले तीन वर्षों के लिए उसके कार्य–निष्पादन पर आधारित संयुक्त अंक का आकलन किया जाएगा। संयुक्त अंक का आकलन करने के लिए, लोक उद्यमों पर उनकी सामान्य प्रयोजनीयता के आधार पर छह (6) कार्य निष्पादन संकेतकों की पहचान की गई हैं। इन कार्यनिष्पादन संकेतकों को लोक उद्यमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए चुना गया है, चाहे वे विनिर्माण क्षेत्र से हों या सेवा क्षेत्र से पहचान किए गए। 6 निष्पादन संकेतक इस प्रकारहैः–

(अधकितम भार)		**100**
1.	निवल मूल्य की तुलना में निवल लाभ	25
2.	उत्पादन की कुल लागत अथवा सेवा लागत की तुलना में जनशक्ति लागत	15
3.	नियोजित पूंजी की तुलना में पीबीडीआईटी	15
4.	कुल कारोबार की तुलना में पीबीआईटी	15
5.	अर्जन प्रति शेयर	10
6.	अंतर क्षेत्रीय कार्यनिष्पादन	20

2. नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को जो शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, वो निम्नानुसार हैं:

i) **पूंजीगत व्ययः** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों को खरीदने के के लिए अथवा उहें बदलने के लिए पूंजीगत व्यय उपगत करने की शक्तियां हैं।

ii) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीति के गठबंधनः** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों अथवा रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने के और क्रय द्वारा अथवा अन्य व्यवस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी एवं जानकारी प्राप्त करने की शक्तियां हैं।

iii) **संगठनात्मक पुनःसंरचनाः** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पास लाभ केन्द्रों, भारत और विदेश में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्र सृजित करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्संरचना करने की शक्तियां हैं।

iv) **मानव संसाधन प्रबंधनः** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को ई–6 स्तर के पदों का सृजन करने की और गैर–निदेशक स्तर के निदेशकों तक सभी पदों को समाप्त करने की और इसी स्तर तक सभी नियुक्तियां करने की शक्तियां हैं। इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को आंतरिक स्थानांतरण करने की और पदों को पुनः पदनामित करने के लिए और सशक्त किया गया है। नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल के

पास, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) से संबंधित शक्तियों को बोर्ड की उप–समितियों को अथवा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को जैसा भी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए आगे प्रत्यायोजित करने की शक्तियां हैं।

v) **संसाधनों का एकत्रीकरणः** इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को घरेलू पूंजीगत बाजारों से ऋण लेने और अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने के लिए इस शर्त के अध्यधीन शक्ति दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक/आर्थिक संकार्य विभाग का अनुमोदन, जैसा भी आवश्यक हो, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

vi) **संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियांः** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को भारत अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इस शर्त के साथ कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का इक्विटी निवेश निम्नलिखित के लिए सीमित रहना चाहिएः–

i) किसी भी परियोजना में ₹ 1000 करोड़,

ii) किसी एक परियोजना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नेटवर्थ का 15%,

iii) सभी संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के नेटवर्थ का 30%।

vii) **विलयन और अधिग्रहणः** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो: (ख) शर्तें/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ–साथ विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

viii) **सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेशः** नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इस शर्त के अधीन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटीज फ्लोट करने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं कि नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां प्रत्यायोजित होगी और इस परंतुक के साथ कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

ix) **कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरेः** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

3. नवरत्न शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए शर्तें/दिशानिर्देशः

क) इन प्रस्तावों को संगत कारकों का विश्लेषण करके और प्रत्याशित परिणाम और लाभों की मात्रा का निर्धारण करके निदेशक मंडल को लिखित में और काफी समय पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जोखिम वाले कारक, यदि कोई हों, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

ख) सरकारी निदेशक, वित्तीय निदेशक और संबंधित कार्यकारी निदेशक को मुख्य निर्णय लिए जाने के दौरान प्रस्तुत रहना चाहिए विशेष रूप से तब जब ये निर्णय निवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक/पूंजी पुनर्संरचना से संबंधित हो।

ग) ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए।

घ) यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया हो तो एक बहुमत निर्णय लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा निर्णय लेते समय कम से कम एक तिहाई निदेशक, मौजूद रहने चाहिए। आपत्तियां, असहमतियां, रद्द करने के और निर्णय लेने के कारणों को लिखित में और विस्तारपूर्वक तैयार कर लिया जाना चाहिए।

ङ) सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी अथवा कोई आपातकालीन उत्तरदायित्व भी नहीं होगा।

च) ये केन्द्रीय सरकारी उद्यम गैर–सरकारी निदेशकों की सदस्यता वाले बोर्ड की लेखा समिति की स्थापना सहित आंतरिक मॉनीटरिंग की पारदर्शी और प्रभावी प्रणालियों की भी स्थापना करेंगे।

छ) सभी प्रस्ताव, जहां वे पूंजीगत व्यय निवेश अथवा अन्य मामलों से संबंधित हैं जिसमें काफी मात्रा में वित्तीय अथवा प्रबंधकीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं अथवा जहां उनका केन्द्रीय सरकारी उद्यम की अवसंरचना और कार्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, को व्यावसायिकों और विशेषज्ञों की सहायता से अथवा उनके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उचित मामलों में वित्तीय संगठनों अथवा इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठनों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन में ऋण अथवा इक्विटी भागीदारी के जरिए मूल्यांकन करने वाले संगठनों की सहभागिता भी होनी चाहिए।

ज) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों और रणनीतिक भागीदारी में शामिल होने के प्राधिकार का प्रयोग, समय–समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

झ) प्राधिकार के और अधिक प्रत्यायोजन की प्रक्रिया से पहले प्रथम चरण के रूप में इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड में कम से कम चार और गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल करके पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

ञ) इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने प्रोग्रामों को लागू करने के संसाधन, उनके अपने आंतरिक संसाधनों अथवा पूंजीगत बाजार सहित अन्य स्रोतों के जरिए लिए जाने चाहिए। तथापि, जहां कहीं भी सरकारी गारंटी, बाह्य डोनर एजेंसियों के मानक शर्तों के अंतर्गत अपेक्षित है, उसे प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी सरकारी गारंटी नवरत्न दर्जे को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय हित की सरकारी प्रायोजित परियोजनाएं लागू करने के लिए और सरकारी प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को उनका नवरत्न दर्जा बनाए रखने के लिए अयोग्य नहीं बनाएगी। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के लिए, निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे न कि संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा।

अनुबंध – 6

(पैरा 2.3.2)

मिनीरत्न स्कीम की मुख्य–मुख्य बातें

1. मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु योग्यता और मानदण्ड निम्नवत हैः–

(i) श्रेणी–I केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया होना चाहिए इन तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष में ₹ 30 करोड़ या इससे अधिक कर पूर्व लाभ होना चाहिए और सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए।

(ii) श्रेणी–II केंद्रीय सरकारी उद्यमों ने गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित और सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए।

(iii) केंद्रीय सरकारी उद्यम और अधिक शक्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने ऋणों के भुगतान/सरकार को बकाया ऋणो पर ब्याज भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है।

(iv) केंद्रीय सरकारी उद्यम सरकार से बजटरी सहायता या गारंटी पर निर्भर नहीं होने चाहिए।

(v) अधिक शक्तियां प्रदान करने से पहले, सबसे पहली कार्रवाई के रूप में कम से कम 03 गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करके इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(vi) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यह निर्णय लेगा कि अधिक/शक्तियां प्रदान करने से पहले क्या लोक उद्यम श्रेणी–I/श्रेणी–II कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

2. वर्तमान में इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को प्रदान की गई निर्णय लेने की उपलब्ध शक्तियां इस प्रकार से हैंः–

(i) **पूंजीगत व्ययः**

(क) **श्रेणी–I केंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतुः** सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर पूंजी व्यय करने की शक्ति 500 करोड़ तक या निवल मूल्य के बराबर है, जो भी कम हो।

(ख) **श्रेणी–II में कंद्रीय सरकारी उद्यमों हेतुः** सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर पूंजी व्यय करने की शक्ति 250 करोड़ तक या निवल मूल्य के 50% के बराबर है, जो भी कम होः

(ii) **संयुक्त उद्यम और सहायकः**

(क) **श्रेणी–I केन्द्रीय सरकारी उद्यमः** भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी स्थापित करना इस शर्त पर है कि केंद्रीय सरकारी उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य का 15% तक या ₹ 500 करोड़ तक जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30ः तक होनी चाहिए।

(ख) **श्रेणी–II केंद्रीय सरकारी उद्यमः** श्रेणी–I केन्द्रीय सरकारी उद्यमः भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी स्थापित इस शर्त पर है कि केंद्रीय सरकारी उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य का 15% तक या ₹ 250 करोड़ तक जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30ः तक होनी चाहिए।

iii) **विलयन और अधिग्रहणः** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में होः (ख) शर्त/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ–साथ विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

iv) **मानव संसाधन विकास (एचआरडी) हेतु स्कीमः** कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण या अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्कीमों आदि से संबंधित स्कीमें तैयार और क्रियान्वित करना। इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास यह शक्तियां है कि वे निदेशक मण्डल से निचले स्तर के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) संबंधी शक्तियां केंद्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक के निर्णय अनुसार निदेशक मण्डल की उप–समिति या केंद्रीय सरकारी उद्यम के कार्यपालकों को प्रदत्त कर सकते हैं।

v) **कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरेः** इन केंद्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए अनुमोदित कर सकते हैं।

vi) **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधनः** प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम, रणनीतिक गठबंधन हेतु और प्रोद्योगिकी एवं तकनीक क्रय या कोई अन्य व्यवस्था समय–समय पर सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार होती है।

vii) **सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेशः** परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटीज फ्लोट करने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु यह शर्त है कि मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां होगी और इसके अतिरिक्त यह प्रावधान है कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त शक्तियों को उसी शर्तों पर प्रदत्त किया जाएगा जो नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों पर लागू होगी।

अनुबंध – 7

(पैरा 2.3.3)

मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

मिनीरत्न श्रेणी –I सीपीएसई

1. एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया
2. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
4. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5. बीईएमएल लिमिटेड
6. भारत संचार निगम लिमिटेड
7. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
8. केन्द्रीय भण्डारण निगम
9. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
10. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
12. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
15. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड
16. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
17. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
19. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
20. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
21. हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
22. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड

23. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
24. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड
25. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
26. केआईओसीएल लिमिटेड
27. मझगांव डॉक लिमिटेड
28. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
29. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड
30. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
31. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
32. एमएमटीसी लिमिटेड
33. एमएसटीसी लिमिटेड
34. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
35. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
36. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
37. एनएचपीसी लिमिटेड
38. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
39. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
40. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
41. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
42. पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड
43. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
44. रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
45. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
46. राइट्स लिमिटेड
47. एसजेवीएन लिमिटेड
48. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
49. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

50. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

51. दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

52. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

53. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

54. वापकोस लिमिटेड

मिनीरत्न श्रेणी –II सीपीएसई

55. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड

56. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड

57. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

58. केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड

59. एडसिल (इंडिया) लिमिटेड

60. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

61. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड

62. फेरो निगम लिमिटेड स्क्रैप

63. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

64. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

65. भारत व्यापार संवर्धन संगठन

66. इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड

67. मेकॉन लिमिटेड

68. मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड

69. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

70. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

71. पी ई सी लिमिटेड

72. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

अनुबंध – 8

(पैरा 3.1.4)

केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं

1. निदेशक मण्डल का गठन

निदेशक मण्डल के गठन के मामले में इन दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 तक सीमित होगी। कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में गैर–सरकारी निदेशकों की कुल संख्या निदेशक मंडल की कुल सदस्य संख्या के कम–से–कम 50% होगी। गैर कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मामले में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर–सरकारी निदेशक होंगे। सरकार ने गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं, आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित मानदण्डों का भी निर्धारण किया है। इन मार्ग निदेशों में सम्बन्धित खण्डों का समावेश किया गया है ताकि गैर–सरकारी निदेशकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा हितों के सम्भावित संघर्ष से बचा जा सके। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा नामित निदेशकों को गैर–सरकारी निदेशक नहीं माना जाएगा।

यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि निदेशक मण्डल की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार तथा साल में 4 बार आयोजित की जाएँ तथा सभी सम्बन्धित जानकारी निदेशक मण्डल को प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल को सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। इस सम्बध में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों में एक मॉडल संहिता शामिल की गई है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मण्डल को एकीकरण तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का सुरेखण सुनिश्चित करना चाहिए और कम्पनी को निदेशक मण्डल के नए सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

2. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति से सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के द्वारा एक अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति स्थापित की जाए और उसमें कम–से–कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिसका अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा समिति को कम्पनी के वित्तीय मामलों में काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं और साल में इसकी कम–से–कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

3. सहायक कम्पनियाँ

सहायक कम्पनियों के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि धारक कम्पनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में निदेशक हों और धारक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी। सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण लेन–देन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी धारक कम्पनी के निदेशक मण्डल को देना अपेक्षित है।

4. प्रकटन

प्रकटन सम्बन्धी प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन–देन को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय विहित लेखांकन मानकों का

अनुपालन किया जाए और यदि कोई अन्तर हो तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही, निदेशक मण्डल को जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया जाए तथा वरिष्ठ प्रबन्धन ऐसे सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन का प्रकटन निदेशक मण्डल के समक्ष करे जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो अथवा जहां संघर्ष की कोई सम्भावना हो।

5. अनुपालन

दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन सम्बन्धी एक पृथक भाग हो जिसमें अनुपालन से संबंधित ब्यौरा हो। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों/कम्पनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के भाषण में नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुपालन का भी उल्लेख किया जाएगा और इसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग बनाया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और सम्बन्धित मंत्रालय लोक उद्यम विभाग को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6. केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों का व्यावसायिकीकरण

लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों की संरचना के संबंध में नीतिगत मार्गनिर्देशों का प्रतिपादन करता है। सरकारी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 1991 से अपनाई जा रही नीति के अनुसरण में विभाग ने केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों को व्यावसायिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष 1992 में जारी किए गए दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में बाहरी व्यावसायिकों को शामिल किया जाना चाहिए और ऐसे निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल वास्तविक सदस्य संख्या की कम–से–कम एक–तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्ष वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों के मामले में गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की संख्या निदेशक मंडल की कुल संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दिशा–निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि निदेशक मंडल में सरकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के छठे भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिक–से–अधिक 2 होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक निदेशक मंडल में कुछ कार्यकारी निदेशक भी होने चाहिए जिनकी संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. गैर–सरकारी निदेशक

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों में गैर–सरकारी निदेशकों के चयन व उनकी नियुक्ति के संबंध में पात्रता संबंधी निम्नलिखित मानदण्ड विहित किए गए हैं:–

अनुभव संबंधी मानदण्ड

(i) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिसे संयुक्त सचिव के स्तर पर कम–से–कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद से अथवा अनुसूची 'क' के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में कार्यकारी निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पूर्व मुख्य कार्यपालकों तथा पूर्व कार्यकारी निदेशकों को उसी केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल में गैर–सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा जिस उद्यम से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सेवारत मुख्य कार्यपालकों/कार्यकारी निदेशकों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम के निदेशक मण्डल में गैर–सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा।

(iii) शिक्षाविद/संस्थानों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर के रुप में संबंधित क्षेत्र अर्थात प्रबंधन, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन अथवा विधि के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव

(iv) कंपनी के प्रचालन से संबंधित क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक।

(v) निजी क्षेत्र की कंपनियों के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यदि कंपनी (i) शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो अथा (ख) अनुसूचीबद्ध परन्तु लाभार्जनकारी हो और उसका वार्षिक कारोबार कम–से–कम ₹ 250 करोड़ का हो।

(vi) उद्योग, वाणिज्यि अथवा कृषि या प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाणित रिकार्ड वाले प्रख्यात व्यक्ति।

(vii) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनियों के सेवारत सीईओ और निदेशकों को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशों के रूप में नियुक्ति पर भी अपवादात्मक परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है।

शैक्षणिक योग्येता संबंधी मानदण्ड

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की उपाधि

आयु संबंधी मानदण्ड

(i) आयु की सीमा 45–65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम सीमा) होनी चाहिए।

(ii) बहरहाल, प्रसिद्ध व्यावसायिकों के मामले में इसे 70 वर्ष तक सीमिति किया जा सकता है, परन्तु इसके कारणों का लिखित उल्लेख करना होगा।

गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रारम्भ किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के मामले में गैर–सरकारी निदेशकों का चयन खोज समिति द्वारा किया जाता है जिसमें वर्तमान में अध्यक्ष (पीईएसबी), सचिव (लोक उद्यम विभाग), केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव तथा 2 गैर–सरकारी सदस्य शामिल हैं। सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग खोज समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करता है।

अनुबंध– 9
(पैरा 3.1.5)

वर्ष 2012–13 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ग्रेडिंग रिपोर्ट की स्थिति

क्र .सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के नाम (2011–12 के सर्वे के अनुसार)	प्रशासनिक मंत्रालय	रत्न स्थिति	श्रेणी	होल्डिंग (एच)/सब्सि–डियरी (एस)	2012–13 स्कोर (%) केंद्रीय सर–कारी उद्यमों के लिए	2012–13 ग्रेडिंग रिपोर्ट की स्थिति
1	राष्ट्रीय बीज कारपोरेशन लि.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	83.00	बहुत अच्छा
2	स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	अन्य	सी	एच	96.00	उत्कृष्ट
3	इंडियन रेअर अर्थ्स लि.	आणविक उर्जा विभाग	अन्य	बी	एच	86.00	उत्कृष्ट
4	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	आणविक उर्जा विभाग	अन्य	बी	एच	85.54	उत्कृष्ट
5	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	आणविक उर्जा विभाग	अन्य	ए	एच	82.02	बहुत अच्छा
6	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लि.	आयुष विभाग	मिनीरत्न	डी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
7	भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल कार्पोरेशन लि.	जैव–प्रौद्योगिकी विभ	अन्य	यूसी	एच	80.00	बहुत अच्छा
8	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एच	94.00	उत्कृष्ट
9	एचएलएल बायोटेक लि..	जैव–प्रौद्योगिकी विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
10	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग	अन्य	सी	एच	74.74	अच्छा
11	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लि.	रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग	अन्य	डी	एस	75.00	बहुत अच्छा
12	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग	अन्य	बी	एच	79.68	बहुत अच्छा
13	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	वाणिज्य विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	88.80	उत्कृष्ट
14	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वाणिज्य विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	95.98	उत्कृष्ट
15	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वाणिज्य विभाग	अन्य	यूसी	एच	85.22	उत्कृष्ट
16	एसटीसीएल लि.	वाणिज्य विभाग	अन्य	सी	एस	56.80	संतोषजनक
17	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन	वाणिज्य विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
18	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	वाणिज्य विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
19	बीईएमएल लि..	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	92.63	उत्कृष्ट
20	भारत डायनामिक्स लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	91.30	उत्कृष्ट
21	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	91.84	उत्कृष्ट
22	गोवा शिपयार्ड लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	94.44	उत्कृष्ट
23	मझगांव डॉक लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	88.97	उत्कृष्ट
24	मिश्र धातु निगम लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	92.42	उत्कृष्ट
25	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	नवरत्न	ए	एच	93.16	उत्कृष्ट
26	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	नवरत्न	ए	एच	91.00	उत्कृष्ट
27	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	अन्य	बी	एच	96.50	उत्कृष्ट
28	बीईएल आप्ट्रानिक्स डिवाइसिज लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
29	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.	रक्षा उत्पादन विभाग	अन्य	यूसी	एस	20.79	असंतोषजनक
30	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन इंडिया लि.	आर्थिक मामले विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	95.00	उत्कृष्ट
31	एचएलएल लाइफकेयर लि.	परिवार कल्याण विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
32	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.	उर्वरक विभाग	मिनीरत्न	सी	एच	87.00	उत्कृष्ट
33	नेशनल फर्टिलाइजर लि.	उर्वरक विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	88.00	उत्कृष्ट
34	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.	उर्वरक विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	90.55	उत्कृष्ट
35	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	उर्वरक विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	96.00	उत्कृष्ट
36	ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	बी	एच	95.23	उत्कृष्ट
37	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	बी	एच	72.00	अच्छा
38	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	बी	एच	यूनिट बंद	लागू नहीं
39	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	बी	एच	यूनिट बंद	लागू नहीं
40	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	उर्वरक विभाग	अन्य	ए	एच	80.00	बहुत अच्छा
41	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि..	वित्तीय सेवाएं विभाग	अन्य	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
42	सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लि.	वित्तीय सेवाएं विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
43	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	99.00	उत्कृष्ट

44	सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी लि.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	अन्य	सी	एस	95.00	उत्कृष्ट
45	फूड कारपोरेशन आफ इंडिया	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	अन्य	ए	एच	52.11	संतोषजनक
46	हिंदुस्तान वेजीटेबिल ऑयल्स कारपोरेशन लि.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	अन्य	बी	एच	अंडर लिक्यूडेशन	लागू नहीं
47	एच एस सी सी (इंडिया) लि.	स्वास्थ्य विभाग	मिनीरत्न	सी	एच	90.50	उत्कृष्ट
48	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	भारी उद्योग विभाग	महारत्न	ए	एच	92.06	उत्कृष्ट
49	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	सी	एच	95.00	उत्कृष्ट
50	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
51	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
52	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
53	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
54	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
55	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	भारी उद्योग विभाग	मिनीरत्न	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
56	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	96.00	उत्कृष्ट
57	इंस्ट्रूमेंटेशन लि..	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	51.78	संतोषजनक
58	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि..	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
59	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
60	भारत भारी उद्योग निगम लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
61	बीएचईएल इलैक्ट्रीकल मशीन्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	यूसी	एस	24.42	असंतोषजनक
62	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
63	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
64	हिंदुस्तान केबल्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
65	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
66	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
67	एचएमटी बियरिंग्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
68	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
69	एचएमटी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
70	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
71	एचएमटी वाचेज लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
72	हुगली मुद्रण कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
73	नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
74	नेपा लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
75	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
76	सांभर साल्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
77	स्कूटर्स इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
78	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि..	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
79	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
80	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
81	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि.	भारी उद्योग विभाग	अन्य	बी	एस	75.58	बहुत अच्छा
82	जगदीशपुर पेपर मिल्स लि..	भारी उद्योग विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
83	एडसिल (इंडिया) लि.	उच्च शिक्षा विभाग	मिनीरत्न	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
84	नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकारपोरेटिड	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अन्य	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
85	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	डी	एच	87.27	उत्कृष्ट
86	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि..	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	सी	एच	59.09	संतोषजनक
87	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	सी	एच	73.40	अच्छा
88	कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	सी	एच	61.96	अच्छा
89	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
90	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि..	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
91	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग	अन्य	डी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
92	नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	अन्य	सी	एच	60.00	अच्छा
93	सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक

94	कोचीन शिपयार्ड लि.	पोत परिवहन विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	100.00	उत्कृष्ट
95	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	पोत परिवहन विभाग	मिनीरत्न	बी	एच	86.00	उत्कृष्ट
96	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	पोत परिवहन विभाग	नवरत्न	ए	एच	95.00	उत्कृष्ट
97	सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.	पोत परिवहन विभाग	अन्य	सी	एच	72.00	अच्छा
98	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	पोत परिवहन विभाग	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
99	अंतरिक्ष कारपोरेशन लि.	अंतरिक्ष विभाग	मिनीरत्न	यूसी	एच	71.00	बहुत अच्छा
100	भारत संचार निगम लि.	दूरसंचार विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
101	टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.	दूरसंचार विभाग	मिनीरत्न	ए	एच	98.67	उत्कृष्ट
102	महानगर टेलीफोन निगम लि.	दूरसंचार विभाग	नवरत्न	ए	एच	93.00	उत्कृष्ट
103	मिलेनियम दूरसंचार लि.	दूरसंचार विभाग	अन्य	यूसी	एस	88.00	उत्कृष्ट
104	आई टी आई लि.	दूरसंचार विभाग	अन्य	ए	एच	73.00	अच्छा
105	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि.	दूरसंचार विभाग	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
106	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
107	एयर इंडिया चार्टर्स लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
108	एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
109	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
110	एयरपोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
111	पवन हंस हेलीकाप्टर लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
112	एयर इंडिया लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
113	होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	अन्य	सी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
114	कोल इंडिया लि.	कोयला मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	96.50	उत्कृष्ट
115	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	92.39	उत्कृष्ट
116	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	100.00	उत्कृष्ट
117	महानदी कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	95.00	उत्कृष्ट
118	नॉर्दन कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	86.59	उत्कृष्ट
119	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	94.88	उत्कृष्ट
120	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	87.05	उत्कृष्ट
121	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.	कोयला मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	97.25	उत्कृष्ट
122	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय	अन्य	बी	एस	94.57	उत्कृष्ट
123	भारत कोकिंग कोल लि.	कोयला मंत्रालय	अन्य	बी	एस	82.50	बहुत अच्छा
124	एनएलसी तमिलनाडु पावर लि.	कोयला मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	93.20	उत्कृष्ट
125	महानदी बेसिन पावर लि.	कोयला मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
126	एमजेएसजे कोल लि.	कोयला मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
127	एमएनएच शक्ति लि.	कोयला मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
128	एम एम टी सी लि.	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	91.84	उत्कृष्ट
129	पी ई सी लि.	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	82.97	बहुत अच्छा
130	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन कारपोरेशन लि.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	अन्य	सी	एच	70.93	अच्छा
131	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास कारपोरेशन लि.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
132	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, वन एवं पौध विकास कारपोरेशन लि.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	अन्य	सी	एच	यूनिट बंद	लागू नहीं
133	आवास एवं शहरी विकास निगम लि.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	95.00	उत्कृष्ट
134	हिंदुस्तान प्रीफेब लि.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	अन्य	सी	एच	84.86	बहुत अच्छा
135	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	मिनीरत्न	सी	एच	95.70	उत्कृष्ट
136	ब्रॉडकास्ट इन्जिनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	मिनीरत्न	सी	एच	71.58	अच्छा
137	राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन लि.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	97.89	उत्कृष्ट
138	हिंदुस्तान कॉपर लि.	खान मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	91.09	उत्कृष्ट
139	खनिज अन्वेषण कारपोरेशन लि.	खान मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	87.00	उत्कृष्ट

140	नैशनल एल्युमीनियम कंपनी लि.	खान मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	97.55	उत्कृष्ट
141	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त कारपोरेशन	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	अन्य	सी	एच	85.51	उत्कृष्ट
142	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.	नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	अन्य	बी	एच	86.96	उत्कृष्ट
143 गेल (इंडिया)लि.	गेल (इंडिया) लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	94.00	उत्कृष्ट
144	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	97.00	उत्कृष्ट
145	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
146	बामर लॉरी एंड कंपनी लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	92.11	उत्कृष्ट
147	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	85.51	उत्कृष्ट
148	इंजीनियर्स इंडिया लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	93.66	उत्कृष्ट
149	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	95.70	उत्कृष्ट
150	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एस	94.94	उत्कृष्ट
151	ओएनजीसी विदेश लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एस	99.45	उत्कृष्ट
152	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	94.00	उत्कृष्ट
153	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	93.00	उत्कृष्ट
154	ऑयल इंडिया लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	94.79	उत्कृष्ट
155	भरत पेट्रो रिसोर्सेज लि..	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	सी	एस	93.90	उत्कृष्ट
156	प्रमाणन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	89.00	उत्कृष्ट
157	क्रेडा एचपीसीएल जैव ईंधन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	86.00	उत्कृष्ट
158	एचपीसीएल जैव ईंधन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	95.00	उत्कृष्ट
159	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	100.00	उत्कृष्ट
160	बीको लॉरी एंड कंपनी लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	सी	एच	50.50	संतोषजनक
161	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एच	76.74	बहुत अच्छा
162	गेल गैस लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	82.44	बहुत अच्छा
163	ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स एंड पॉलीमर लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	निर्माणाधीन	बी	एस	89.60	उत्कृष्ट
164	इंडियन ऑयल–क्रेडा जैव ईंधन लि.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	72.72	अच्छा
165	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
166	एनटीपीसी लि.	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	96.41	उत्कृष्ट
167	एनएचपीसी लि..	विद्युत मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	93.81	उत्कृष्ट
168	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	विद्युत मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	89.62	उत्कृष्ट
169	एसजेवीएन लि..	विद्युत मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	91.85	उत्कृष्ट
170	टीएचडीसी लि.	विद्युत मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	95.62	उत्कृष्ट
171	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन	विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	94.73	उत्कृष्ट
172	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	95.62	उत्कृष्ट
173	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि.	विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	95.27	उत्कृष्ट
174	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एच	97.87	उत्कृष्ट
175	पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	88.51	उत्कृष्ट
176	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
177	कोस्टल कर्नाटक पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
178	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
179	कोस्टल तमिलनाडु पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
180	डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लि..	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
181	घोघरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
182	उड़ीसा इंटीग्रेटिड पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
183	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
184	तातिया आंध्र मेगा पावर लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
185	कांती बिजली उत्पादन निगम लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
186	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
187	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक

188	पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विस लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
189	पीएफसी कंसल्टिंग लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
190	आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
191	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
192	एनएचडीसी लि.	विद्युत मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	78.69	बहुत अच्छा
193	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक निगम लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	60.26	अच्छा
194	भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
195	एनटीपीसी हाइड्रो लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
196	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
197	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
198	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
199	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.	विद्युत मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एच	80.00	बहुत अच्छा
200	कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लि	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	96.00	उत्कृष्ट
201	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लि.	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	97.00	उत्कृष्ट
202	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
203	राइट्स लि.	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
204	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	रेल मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	80.00	बहुत अच्छा
205	कोंकण रेल निगम लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	ए	एच	96.80	उत्कृष्ट
206	रेल विकास निगम लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
207	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग. कंपनी लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	सी	एच	70.00	बहुत अच्छा
208	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	बी	एच	79.00	बहुत अच्छा
209	फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजिज लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	77.00	बहुत अच्छा
210	इंडियन रेलवे फाईनेंस कारपोरेशन लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	बी	एच	84.00	बहुत अच्छा
211	इरकॉन इन्फ्रास्टक्चर एंड सर्विसेज लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	77.00	बहुत अच्छा
212	मुंबई रेलवे विकास निगम लि.	रेल मंत्रालय	अन्य	ए	एच	77.00	बहुत अच्छा
213	डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	रेल मंत्रालय	निर्माणाधीन	ए	एच	92.00	उत्कृष्ट
214	राइट्स इन्फ्रास्टक्चर सर्विसेज लि.	रेल मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्रचालनरत नहीं	लागू नहीं
215	इंडियन वैक्सीन कार्पोरेशन लि.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	अन्य	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
216	एन्नोर पोर्ट लि..	पोत परिवहन मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	89.00	उत्कृष्ट
217	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लि.	पोत परिवहन मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
218	आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	98.95	उत्कृष्ट
219	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	95.77	उत्कृष्ट
220	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	98.00	उत्कृष्ट
221	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लि.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
222	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अन्य	सी	एच	78.96	बहुत अच्छा
223	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि:.	इस्पात मंत्रालय	महारत्न	ए	एच	96.50	उत्कृष्ट
224	केआईओसीएल लि..	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	90.00	उत्कृष्ट
225	एम एस टी सी लि.	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	96.25	उत्कृष्ट
226	मेकॉन लि..	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	ए	एच	95.60	उत्कृष्ट
227	एमओआईएल लि.	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	97.89	उत्कृष्ट
228	फेरो स्क्रेप निगम लि.	इस्पात मंत्रालय	मिनीरत्न	सी	एस	68.00	अच्छा
229	एनएमडीसी लि.	इस्पात मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	95.00	उत्कृष्ट
230	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	सी	एस	93.00	उत्कृष्ट
231	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	92.00	उत्कृष्ट
232	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	बी	एच	100.00	उत्कृष्ट

233	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	बी	एस	98.00	उत्कृष्ट
234	सेल रिफ्रेक्टोरी कंपनी लि.	इस्पात मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	एसपीवी	लागू नहीं
235	एनएमडीसी पावर लि..	इस्पात मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
236	एनएमडीसी–सीएमडीसी लि.	इस्पात मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
237	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	सी	एच	90.00	उत्कृष्ट
238	हैण्डीक्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	89.50	उत्कृष्ट
239	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	88.68	उत्कृष्ट
240	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	67.42	अच्छा
241	बर्ड्स जूट कारपोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	यूनिट बंद	लागू नहीं
242	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
243	नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	ए	एच	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक
244	कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	बी	एच	76.25	बहुत अच्छा
245	जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	वस्त्र मंत्रालय	अन्य	सी	एच	79.22	बहुत अच्छा
246	इंडिया टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	75.00	बहुत अच्छा
247	डोन्यी पोलो अशोक होटल लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	52.54	संतोषजनक
248	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	57.14	संतोषजनक
249	रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	53.57	संतोषजनक
250	असम अशोक होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	63.16	अच्छा
251	कुमाराकुप्पा फ्रंटियर होटल्स लि..	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एच	यूनिट बंद	लागू नहीं
252	उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	यूनिट बंद	लागू नहीं
253	पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लि.	पर्यटन मंत्रालय	अन्य	यूसी	एस	38.98	असंतोषजनक
254	पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.	पर्यटन मंत्रालय	निर्माणाधीन	यूसी	एस	यूनिट बंद	लागू नहीं
255	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	जनजातीय कार्य मंत्रालय	अन्य	सी	एच	90.25	उत्कृष्ट
256	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि.	शहरी विकास मंत्रालय	अन्य	ए	एच	97.83	उत्कृष्ट
257	वापकोस लि.	जल संसाधन मंत्रालय	मिनीरत्न	बी	एच	100.00	उत्कृष्ट
258	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण कारपोरेशन लि.	जल संसाधन मंत्रालय	अन्य	बी	एच	87.50	उत्कृष्ट
259	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	इस्पात मंत्रालय	नवरत्न	ए	एच	100.00	उत्कृष्ट
260	जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लि.		अन्य	यूसी	एस	प्राप्त नहीं किया	असंतोषजनक

क) उक्त ग्रेडिंग केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा सीधे रूप से या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजी गई कारपोरेट अभिशासन पर स्व–मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर है।

ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011–12 की सूची के अनुसार केंद्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या।

ग) 78 केंद्रीय सरकारी उद्यमों संबंधी स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट ''प्राप्त नहीं हुई'' को ''असंतोषजनक'' ग्रेडिंग दी गई है।

अनुबंध–10
(पैरा–8.2)

केंद्रीय सरकारी उद्यमों की श्रेणी–वार सूची (मार्च, 2014 के अनुसार)

अनुसूची 'क'

1. एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया
2. एयर इंडिया लिमिटेड
3. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
4. बीईएमएल लिमिटेड
5. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
6. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
7. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8. भारत संचार निगम लिमिटेड
9. केन्द्रीय भण्डारण निगम
10. कोल इंडिया लिमिटेड
11. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12. डेडिक्रेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
15. फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड
16. भारतीय खाद्य निगम
17. गेल (इंडिया) लिमिटेड
18. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
19. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
20. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
21. हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
22. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23. एचएमटी लिमिटेड
24. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
25. आई टी आई लिमिटेड
26. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
27. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
28. भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
29. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
31. एमएमटीसी लिमिटेड

32. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
33. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
34. मझगांव डॉक लिमिटेड
35. मेकॉन लिमिटेड
36. एमओआईएल लिमिटेड
37. मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
38. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
39. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
40. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
41. एनएचपीसी लिमिटेड
42. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
43. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड
44. एनटीपीसी लिमिटेड
45. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
46. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
47. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
48. ऑयल इंडिया लिमिटेड
49. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
50. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
51. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
52. राइट्स लिमिटेड
53. रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
54. रेल विकास निगम लिमिटेड
55. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
56. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
57. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
58. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
59. सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
60. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
61. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
62. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
63. दूरसंचार कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
64. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

अनसूची 'ख'

1. एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड
2. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

3. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
4. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5. भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड
6. भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
7. भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
8. ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स और पॉलिमर्स लिमिटेड
9. ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड
10. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहयोग परिषद
11. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
12. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
13. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
15. सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
17. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
18. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
19. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
21. कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
23. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
24. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
25. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड
26. फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
27. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
28. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
29. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड
30. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
31. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
32. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
33. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
34. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
35. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
36. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
37. हिंदुस्तान वेजिटेबिल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड
38. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड

39. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
40. एचएमटी वाचेज लिमिटेड
41. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
42. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन
43. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
44. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड
45. भारतीय दुर्लभ पृथ्वी लिमिटेड
46. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
47. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
48. एमएसटीसी लिमिटेड .
49. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
50. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
51. मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
52. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
53. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
54. नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड
55. नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
56. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
57. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
58. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
59. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
60. उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
61. पीईसी लिमिटेड
62. पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड
63. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
64. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
65. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
66. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
67. यूरेनियम कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड की
68. वापकोस लिमिटेड
69. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुसूची 'ग'

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड
2. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड
3. बीबीजे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

5. बीएचईएल इलैक्ट्रिक मशीन्स लिमिटेड
6. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
7. बीको लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
8. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
9. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
10. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
12. केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
13. प्रमाणन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
14. दिल्ली पुलिस आवास निगम
15. शैक्षिक कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
16. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड
17. फेरो निगम लिमिटेड स्क्रैप
18. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
19. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड
20. हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड
21. हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड
22. हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड
23. एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड
24. एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड
25. हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
26. एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड
27. होटल निगम कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड
28. जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
29. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
30. नगालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड
31. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
32. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
33. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
34. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
35. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
36. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
37. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
38. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
39. नेपा लिमिटेड
40. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

41. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
42. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
43. रिचर्डसन और क्रूडास (1972) लिमिटेड
44. एसटीसीएल लिमिटेड
45. स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
46. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
47. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

अनुसूची 'घ'

1. हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड
2. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लि.
3. उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
4. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

अन्य – अश्रेणीबद्ध

1. एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
2. एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
3. एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
4. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड
5. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
7. असम अशोक होटल निगम लिमिटेड
8. बीईएल आप्ट्रानिक डिवाइसेज लिमिटेड
9. बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
10. भारत रोग प्रतिरक्षण और बायोलॉजिकल निगम लिमिटेड
11. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
12. भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
13. भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
14. भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेडीपीए लिमिटेड
15. बड्र्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड
16. छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
17. कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
18. कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
19. कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
20. कॉनकोर एयर लिमिटेड
21. क्रेडा – एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड
22. दरभंगा – मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
23. देवघर मेगा पावर लिमिटेड

24. डीजीईएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
25. डोन्ची पोलो अशोक होटल निगम लिमिटेड
26. पूर्वी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
27. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
28. फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजिज लिमिटेड
29. गेल गैस लिमिटेड
30. घोघरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
31. हाई स्पीड रेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
32. एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
33. एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड
34. हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड
35. आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड
36. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
37. इंडियन रेलवे स्टेशन डवलपमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
38. इंडियन वैक्सीन निगम लिमिटेड
39. इंडियन ऑयल–क्रेडा बायोफ्यूल्स लिमिटेड
40. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
41. इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सिज फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड
42. जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
43. झारखंड नेशनल मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
44. जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
45. कांती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
46. कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन
47. कुमारकुप्पा फ्रंटियर होटल्स (प्रा.) लिमिटेड
48. लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
49. मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
50. महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
51. मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
52. एमजेएसजे कोल लिमिटेड
53. एमएनएच शक्ति लिमिटेड
54. नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
55. नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकारपोरेटेड
56. नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
57. एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
58. एनएमडीसी दृ सीएमडीसी लिमिटेड
59. एनएमडीसी पावर लिमिटेड

60. एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड
61. एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड
62. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
63. न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
64. उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
65. पतरन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
66. पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड
67. पावर ग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
68. पावर ग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
69. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
70. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड
71. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
72. पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड
73. पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
74. प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड
75. पुरुलिया एंड खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
76. पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड
77. रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड
78. आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
79. आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
80. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
81. राइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड
82. सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड
83. सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
84. सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
85. सांभर साल्ट लिमिटेड
86. सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड
87. सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड
88. सिडकल कॉन्कोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड
89. तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन
90. तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड
91. टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
92. उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड
93. विगनयन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

अनुबंध–11

(पैरा–9.4.2)

वर्ष 2013–2014 के दौरान बीआरपीएसई द्वारा विचार किए गए केंद्रीय सरकारी उद्यमों का विवरण

बैठक की सं. और तारीख	विचार किये गए मामले	बीआरपीएसई की सिफारिशें
109/08.04.2013	(i) एसटीसीएल लि. (ii) एचएमटी बीयरिंग्स लि.	(i) बंद करने के लिए सिफारिश की (ii) योजना के पुनरुद्धार पर विचार किया
110/30.5.2013	(i) एचएमटी बीयरिंग्स लि. (ii) एचएमटी मशीन टूल्स लि. (iii) सीमेण्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश (ii) और (iii) की समीक्षा की गई
111/28.6.2013	(i) हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग्स कंपनी लि. (एचपीएफएल) (ii) इंस्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा (iii) भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लि.	(ii) बंद करने के लिए सिफारिश की (ii) और (iii) की समीक्षा की गई
112/19.7.2013	(i) हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (ii) आई टी आई लि.	(i) की समीक्षा की गई (ii) पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश
113/29.8.2013	(i) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि. (ii) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	(i) और (ii) की समीक्षा की गई
114/17.9.2013	(i) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि. (ii) नेपा लि.	(i) और (ii) की समीक्षा की गई
115/31.10.2013	(i) सेंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि. (ii) हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.	(i) और (ii) की समीक्षा की गई
116/20.12.2013	(i) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि. (ii) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	(i) पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश (i) की समीक्षा की गई.
117/27.2.2014	(i) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि. (ii) हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. (iii) सांभर साल्ट्स लि.	(i) पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश (ii) और (iii) की समीक्षा की गई थी।

अनुबंध–11
(पैरा–9.4.2)

वर्ष 2013–2014 के दौरान बीआरपीएसई द्वारा विचार किए गए केंद्रीय सरकारी उद्यमों का विवरण

क्र. सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम	बीआरपीएसई की अनुशंसा का व्यापक सार
	भारी उद्योग विभाग	
1.	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
2.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
3.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
4.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
5.	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड, हैदराबाद, एपी	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
6.	प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकंदराबाद, एपी	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
7.	नेपा लिमिटेड., नेपा नगर, एमपी	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
8.	रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड., मुंबई	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
9.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड., बेल्लारी, कर्नाटक	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
10.	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
11.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली	अप्रचालनरत यूनिटों को बंद करना। अन्य 3 प्रचालित यूनिटों का सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
12.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड., बंगलौर, कर्नाटक	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
13.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड., रांची, झारखंड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
14.	एंड्रयू यूले एंड कंपनी. लिमिटेड., कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
15.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, राजस्थान	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
16.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड. इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
17.	एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
18.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड, बंगलौर	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार– बंगलौर यूनिट को बंद कर दिया गया है और रानीबाग यूनिट को बंद करने से पहले राज्य सरकार को हस्तांतरित करना।
19.	भारत ऑप्थालमिक ग्लास लिमिटेड	बंद
20.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	बंद
21.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड	वित्तीय पुनःसंरचना द्वारा पुनरुद्धार तथा बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण करना
22.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
23.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जे एंड के की राज्य सरकार को स्थानांतरित करके अथवा किसी राज्य/केंद्रीय सरकारी उद्यम/निजी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम को स्थानांतरित करने के द्वारा पुनरुद्धार
24.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	बंद
25.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ, यूपी	संयुक्त उद्यम द्वारा पुनरुद्धार Revival through Joint Venture

	वस्त्र मंत्रालय	
26.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर, यूपी	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
27.	नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड	15 मिलों का सरकारी उद्यम के रूप में तथा 19 मिलों का संयुक्त उद्यम के द्वारा पुनरुद्धार
28.	राष्ट्रीय जूट निगम लिमिटेड, कोलकाता विनिर्माण	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
29.	एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	एल्गिन मिल सं. 2 का पुनरुद्धार
	उर्वरक विभाग	
30.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, तमिलनाडु	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
31.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि, केरल	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
32.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	जहाजरानी मंत्रालय	
33.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता	संयुक्त उद्यम/विनिवेश द्वारा पुनरुद्धार
34.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	रक्षा मंत्रालय	
35.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	
36.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
37.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
38.	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड, हैदराबाद, एपी	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
	औषधि विभाग	
39.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
40.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
41.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड., गुड़गांव, हरियाणा	सरकारी उद्यम के रूप में पुनरूद्धार
42.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई	आईडीपीएल के साथ विलय
43.	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड., मुजफ्फरपुर, बिहार	आईडीपीएल के साथ विलय
	कोयला मंत्रालय	
44.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्दवान, पश्चिम बंगाल	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
45.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	खान मंत्रालय	
46.	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड., नागपुर, महाराष्ट्र	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
47.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार

	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
48.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड., दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	जल संसाधन मंत्रालय	
49.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	इस्पात मंत्रालय	
50.	मेकॉन लिमिटेड., रांची, झारखंड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
51.	भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो, झारखंड	वित्तीय पुनःसंरचना के माध्यम से पुनरुद्धार और सेल के साथ विलयन
52.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	कृषि एवं सहकारिता की विभाग	
53.	स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
54.	बीको लॉरी लिमिटेड	बंद
	रेल मंत्रालय	
55.	कोंकण रेल निगम लिमिटेड, दिल्ली	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
56.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना, बिहार	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
57.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
58.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता	दो वेगन निर्माण यूनिटों को रेल विभाग को हस्तांतरित करके तथा एक रिफ्रेक्ट्री यूनिट को इस्पात मंत्रालय को हस्तांतरित करके पुनरुद्धार
	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	
59.	हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	
60.	हिंदुस्तान वेजीटेबिल ऑयल्स निगम लिमिटेड	ब्रेकफास्ट फूड यूनिट का परिसमापन
	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	
61.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
62.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	दूरसंचार विभाग	
63.	आईटीआई लिमिटेड	सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में पुनरुद्धार
	वाणिज्य विभाग	
64.	एसटीसीएल लिमिटेड	बंद

अनुबंध – 13
(पैरा 9.7)

बीआरपीएसई संस्तुत प्रस्तावों के बारे में सरकार द्वारा अनुमोदित नकद तथा गैर–नकद सहायता

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सहायता (रुपयें करोड़ में)		
		नकदरु	गैर–नकद@	कुल
	भारी उद्योग विभाग			
1	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड	4.28	73.30	77.58
2	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	60.00	42.92	102.92
3	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	--	54.61	54.61
4	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	7.40	43.97	51.37
5	प्रागा टूल्स लिमिटेड	5.00	209.71	214.71
6	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	102.00	1116.30	1218.30
7	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	184.29	1267.95	1452.24
8	रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड	-	-	-
9	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-	-	-
10	भारत ऑप्थालमिक ग्लास लिमिटेड ##	9.80	--	9.80
11	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड	3.37$	153.15	156.52$
12	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	859.04	196.38	1055.42
13	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लिमिटेड	--	---	--$$
14	एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड	87.06	457.14	544.20
15	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	48.36	549.36	597.72$$$
16	भारत यंत्र निगम लिमिटेड ##	3.82	7.55	11.37
17	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	--	1018.45	1018.45
18	नेपा लिमिटेड	234.18	634.94	869.12
19	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	90.38	111.58	201.96
20	एचएमटी लिमिटेड	447.92	635.56	1083.48
21	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड ##	181.54	--	181.54

खान मंत्रालय				
22	हिंदुस्तान कॉपर लि.	--	612.94	612.94
23	मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि.	-	104.64	104.64
पोत–परिवहन मंत्रालय				
24	भारत यंत्र निगम लिमिटेड ##	73.60	280.00	353.60
25	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	148.08	628.86	776.94
रक्षा उत्पादन विभाग				
26	रक्षा उत्पादन विभाग	452.68	372.22	824.90
इस्पात मंत्रालय				
27	मेकॉन लिमिटेड	93.00′	23.08	116.08
28	भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	—	479.16	479.16
वस्त्र मंत्रालय				
29	इसकी सहायक सहित एनटीसी	39.23	–	39.23
30	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	338.04	108.93	446.97
31	राष्ट्रीय जूट निगम लिमिटेड का विनिर्माण	517.33	6815.06	7332.39
फार्मास्युटिकल्स विभाग				
32	लिमिटेड हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स	137.59	267.57	405.16
33	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	207.19	233.41	440.60
रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग				
34	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	250.00	110.46	360.46
35	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड	–	267.29	267.29
उर्वरक विभाग				
36	उर्वरक एवं रसायन (त्रावणकोर) लिमिटेड	–	670.37	670.37
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
37	सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	–	16.28	16.28
कृषि और सहकारिता विभाग				
38	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	21.21	124.42	145.63

रेल मंत्रालय				
39	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	857.05	3222.46	4079.51
40	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	49.45	258.73	308.18
41	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	4.00	280.21	284.21
42	स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड जला	75.43	1139.16	1214.59
जन संसाधन मंत्रालय				
43	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि.	—	219.43	219.43
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय				
44	हिंदुस्तान प्रीफेबलि.	—	128.00	128.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
45	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	3.00	28.40	31.40
	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
46	बीको लॉरी लिमिटेड	—	59.60	59.60
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			
47	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	8.50	83.06	91.56
	वाणिज्य विभाग			
48.	एसटीसीएल लिमिटेड ##	——	—	——
	दूरसंचार विभाग			
49	आईटीआई लिमिटेड	3986.00	170.79	4156.79
	कुल	**9589.82**	**23277.40**	**32867.22**
	होल्डिंग कंपनियों द्वारा कार्यान्वित			
	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग			
1	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड	12.93	57.31	70.24
	कोयला मंत्रालय			
2	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड	—	2470.77	2470.77
3	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1350.00	3032.00	4382.00
	कुल	**1362.93**	**5560.08**	**6923.01**

नकद सहायता इक्विटी / ऋण / अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता हो सकती है।

@ गैर–नकद सहायता में ब्याज, दंड ब्याज, सरकारी ऋण, गारंटी शुल्क, और ऋण को इक्विटी / डिबेंचरों आदि में परिवर्तित करना शामिल है।

सरकार ने इन सीपीएसई को बंद / समाप्त करने का अनुमोदन किया है।

$ इसके अतिरिक्त ओएनजीसी और बीएचईएल नकद सहायता के रूप में क्रमशः ₹ 150 करोड़ और ₹ 20 करोड़ देंगे।

* वीआरएस ऋणों पर 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी जो प्रतिवर्ष 6.50 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी की निरंतरता को समाप्त करना।

$$ मंत्रिमंडल ने बीएचईएल द्वारा बीएचपीवी के अधिग्रहण को सिद्धांत रूप में इस निर्देश के साथ स्वीकृति दे दी है कि बीएचपीवी का मूल्यांकन सुस्थापित सिद्धान्तों के आधार पर विवेक सम्मत रूप से किया जाएगा और यदि अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं पाया गया तो मामला मंत्रिमंडल को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

$$$ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये भेल से 30 करोड़ रु. ब्याज मुक्त सहायता जुटाने और विवधीकरण जिसका भुगतान भेल के आर्डरों की आपूर्ति करके किया जाएगा। भेल से आईएलके को 25 करोड़ रु. ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में प्रत्येक वर्ष 2008–09 से तीन वर्ष तक मिलते रहेंगे जिनका समायोजन उसी वर्ष भेल को आपूर्ति करके किया जाएगा।

अनुबंध–14
(पैरा 10.8)

सीआरआर योजना के अंतर्गत प्रचालनरत नोडल एजेंसियों की सूची

क्र. सं.	नोडल एजेंसी
1	आंध्र प्रदेश महिला उद्यम संघ (ए एल ई ए पी), हैदराबाद
2	सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर
4	इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कोलकाता
5	इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डवलपमेंट (आईएलडी), जयपुर
6	के आई आई टी स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट (के एएस आर एम), भुवनेश्वर
7	एम पी सी ओ एन लिमिटेड, भोपाल
8	एम आई टी सी ओ एन कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, पुणे
9	यू पी इंडस्ट्रीयल लिमिटेड, कानपुर

अनुबंध – 15

(पैरा 14.2)

उन केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनकी वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट (2011–12) सुसज्जित नहीं है

नागर विमानन मंत्रालय

1. एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज
2. एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड
3. एयर इंडिया लिमिटेड
4. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड
5. एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

कोयला मंत्रालय

6. भारत कुकिंग कोल लिमिटेड
7. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
8. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
9. कोल इंडिया लिमिटेड
10. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
11. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
12. नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
13. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
14. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

15. हिंदुस्तान वेजीटेबिल ऑयल्स कारपोरेशन लि.

वित्तीय सेवाएं विभाग

16. इंडिया इन्फ्रास्टक्चर फाईनेन्स कं. लि.

आयुष विभाग

17. इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लि.

भारी उद्योग विभाग

18. भेल विद्युत मशीनें लिमिटेड
19. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
20. एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड

21. एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड

22. एचएमटी मशीन टूल्स

23. एचएमटी वाचेज लिमिटेड

24. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग

25. एडसिल (इंडिया) लि.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

26. नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि.

विद्युत मंत्रालय

27. काउंटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड.

28. एनटीपीसी विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड.

29. एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड.

30. पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड.

31. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड.

32. पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन. लिमिटेड.

33. आरईसी विद्युत वितरण कं. लिमिटेड.

34. आरईसी ट्रांसमिशन परियोजना कं. लिमिटेड.

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

35. भारत इम्यूनोलॉजीकल एंड बायोलॉजिकल कारपोरेशन लि.

36. इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन लि.

अंतरिक्ष विभाग

37. अंतरिक्ष कारपोरेशन लि.

अनुबंध – 16
(पैरा 18.5)

लोक उद्यम विभाग के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिर्पोट (प्रस्तुत की गई उपलब्धियां) 2012–13

लोक उद्यम विभाग के लिए कार्यनिष्पादन आकलन रिपोर्ट (उपलब्धियां प्रस्तुत) (2012–2013)

							लक्ष्य / क्राइटेरिया मूल्य						कार्यनिष्पादन	
क्र. सं.	उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	भार	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	असंतोष–जनक	उपलब्धियां	रॉ–स्कोर	भारांक स्कोर
							100%	90%	80%	70%	60%			
1	**केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन बढ़ाना**	4	कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के उनके अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का मूल्यांकन	वर्ष 2011–12 के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की ग्रेडिंग	दिनांक	4	28.02.2013	15.03.2013	20.03.2013	25.03.2013	30.03.2013	20.02.2013	100	4
2	**सभी स्तरों पर प्रबंधन का व्यवसायीकरण**	8	गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति। विभाग द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदित पैनल भेजना	निर्धारित समय में निपटाए गए मामले	:	2	100	90	80	70	60	97	97	1-94
			गैर–सरकारी निदेशकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां	गैर–सरकारी निदेशकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के संबंध में अंतिम रूप दिए गए कार्य विवरण जारी करना।	दिनांक	6	31.12.2012	31.01.2013	28.02.2013	15.03.2013	31.03.2013	28.12.2012	100	6
3	**केंद्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों में बोर्ड स्तर के पदों का सृजन**	2	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों का विश्लेषण एवं अनुमोदन	निर्धारित समय सीमा (60 दिन) में निपटाए गए मामले	:	2	90	80	70	60	50	100	100	2

4	**समझौता ज्ञापन प्रणाली की क्षमता में सुधार लाना**	26	केंद्रीय सरकारी उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालय के साथ बैठकें करना एवं समझौता ज्ञापन लक्ष्य को अंतिम रूप देना	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यदल की बैठकें जिनमें निर्धारित तिथि तक समझौता ज्ञापन प्रारूप को प्रस्तुत किया जाता है, के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देना	दिनांक	14	20/03/2013	22/03/2013	24/03/2013	26/03/2013	28/03/2013	20/03/2013	100	14
			समझौता ज्ञापन 2011–12 के अंतिम स्कोर तथा रेटिंग को उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) को सौंपना	समझौता ज्ञापन कार्यदल द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अंतिम स्कोर तथा ग्रेडिंग की फाइल मंत्रिमण्डल सचिव को प्रस्तुत करना	दिनांक	4	30/11/2012	15/12/2012	31/12/2012	15/01/2013	31/01/2013	30/11/2012	100	4
			केंद्रीय सरकारी उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना	समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों को परिचालित करना	दिनांक	2	15/11/2012	30/11/2012	31/12/2012	31/01/2013	28/02/2013	12/11/2012	100	2
			समझौता ज्ञापन वेबसाइट को नए सिरे से बनाना	नए सिरे से बनाई गई वेबसाइट की शुरूआत करना	दिनांक	2	15/02/2013	28/02/2013	10/03/2013	20/03/2013	31/03/2013	27/12/2012	100	2
			समझौता ज्ञापन प्रणाली का बाह्य मूल्यांकन	मूल्यांकन शुरू करना	दिनांक	2	31/12/2012	31/01/2013	28/02/2013	15/03/2013	25/03/2013	10/12/2012	100	2
				रिपोर्ट की प्राप्ति और जांच	दिनांक	2	28/02/2013	15/03/2013	20/03/2013	25/03/2013	31/03/2013	28/02/2013	100	2
5	**केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक हुए कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर)**	6	वीआरएस लेने वालों को शामिल करना	शामिल किए गए वीआरएस लेने वालों की संख्या	सं.	5	8000	7500	5800	5000	4000	7506	90.12	4.51

			संबंधित एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से शामिल किया जाना और कर्मचारी सहायता केन्द्रों पर स्थापना करना जहां सीआरआर के अंतर्गत अब तक नहीं किया गया	एजेंसियों का अभिनिर्धारण और ईएसी की स्थापना	दिनांक	1	15/08/2012	30/08/2012	15/09/2012	30/09/2012	15/10/2012	14/06/2012	100	1
6	**सीएसआर नीति का कार्यान्वयन**	3	सीएसआर हब की प्रभावकारिता की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई	संशोधित मार्गनिर्देश जारी करना	दिनांक	3	31/12/2012	15/01/2013	31/01/2013	15/02/2013	28/02/2013	31/12/2012	100	3
7	**केंद्रीय सरकारी उद्यमों की कार्यप्रणाली के मुख्य विषयों पर सूचना संग्रहण और रख–रखाव**	16	लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011–12 का प्रकाशन	लोक उद्यम सर्वेक्षण 2011–12 को संसद में प्रस्तुत करना	दिनांक	12	28/02/2013	31/03/2013				27/02/2013	100	12
			केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन पर सूचना एकत्र करना	वेबसाईट पर उपयोगकर्ता अनुकूलन फार्मेट में 2010–11 लोक उद्यम सर्वेक्षण डाटा को डालना	दिनांक	4	30/04/2012	15/05/2012	30/05/2012	15/06/2012	30/06/2012	26/03/2012	100	4
8	**स्थायी मध्यस्थता तंत्र (पीएमए) के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बीच वाणिज्यिक विवादों का निपटान**	5	मध्यस्थता मामलों का निपटान	31.3.2013 तक के मामलों का निपटान (विसचारणाधीन मामलों को छोड़कर)	:	5	75	65	55	45	35	70	95	4.75
9	**कार्यनिष्पादन निगरानी प्रणाली आरंभ करने के लिए राज्यों को सहायता देना**	2	राज्य स्तरीय लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली अपनाने हेतु सुग्राही बनाने के लिए राज्यों को अभिनिर्धारित करना	सैद्धांतिक रूप से सहमत नए राज्यों की संख्या	सं.	2	5	4	3	2	1	7	100	2
10	**आईडीए और सीडीए पैटर्न के वेतन के लिए आवधिक महंगाई भत्ते आदेशों की समीक्षा**	3	केंद्रीय सरकारी उद्यमों के आईडीए/सीडीए पैटर्न कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते आदेश जारी करना	सरकारी आदेश प्राप्त होने के 5 कार्य दिवसों के भीतर आदेश जारी करना	सं.	3	6	5	4	3	2	6	100	3

11	**पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में विकास का निर्धारण**	10	सकल मार्जिन	वृद्धि देखी गई	:	2	5	4	3	2	1	5	100	2
			टर्नओवर	वृद्धि देखी गई	:	2	5	4	3	2	1	5	100	2
			मुख्य मुद्दे– आर एंड डी, सीएसआर, कारपोरेट अभिशासन और सस्टेनेबल विकास पर विश्लेषण पर टिप्पणी। लाभ अर्जित करने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लाभ में वृद्धि और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के घाटे में कमी	टिप्पणी को अंतिम रूप देना	दिनांक	6	31/12/2012	31/01/2013	28/02/2013	15/03/2013	25/03/2013	28/12/2012	100	6
'	**आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण**	3	मसौदे को अनुमोदन हेतु समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत किया गया	दिनांक	2	05/03/2012	06/03/2012	07/03/2012	08/03/2012	09/03/2012	02/03/2012	100	2
			परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुत किया गया	दिनांक	1	01/05/2012	03/05/2012	04/05/2012	05/05/2012	06/05/2012	01/05/2012	100	1
'	**प्रशासनिक सुधार**	6	भ्रष्टाचार के संभावी जोखिम को कम करने के लिए गंभीरता कम करने वाली रणनीतियों को लागू करना	शत–प्रतिशत कार्यान्वयन	:	2	100	95	90	85	80	100	100	2
			अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को लागू करना	कार्य करने के क्षेत्रों को कवर किया गया	:	2	100	95	90	85	80	100	100	2
			विभागीय नवीनीकरण कार्य योजना को समय से तैयार करना	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	2	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	17/04/2013	100	2
	' मैंडेटरी आब्जेक्टिव्ज													
'	**आंतरिक क्षमता/ प्रतिक्रियाशीलता/ मंत्रालय/ विभाग की सेवा डिलीवरी में सुधार करना**	4	सेवोत्तम' लागू करना	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा	:	2	100	90	80	70	60	89	89	1.78

				लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	:	2	100	90	80	70	60	74.5	74.5	1.49
'	**वित्तीय दायित्व ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित**	2	सी एंड ए जी के लेखा परीक्षा पैरों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों का समय पर प्रस्तुतिकरण	वर्ष के दौरान सी एंड ए जी द्वारा संसद को रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से देय तिथि के अंदर(4 महीने) प्रस्तुत की गई एटीआर का प्रतिशत	:	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
			पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर को समय से भेजना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तिथि (6 महीने) में प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	:	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
			31.3.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत सी एंड ए जी रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरों पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	:	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
			31.3.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत	:	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5

*अनिवार्य उद्देश्य

कुल कंपोजिट स्कोर : 98.47

YULE

HOOGHLY PRINTING CO. LTD.

TYRE CORPORATION OF INDIA LIMITED

बी एच ई एल
BHEL

सी.सी.आई
CCI

hmt

hmt CHINAR

बी पी सी
bpc

REIL

hmt HMT Machine Tools Limited

HEC

hmt Ball & Roller Bearings

INDU

hmt HMT (International) Limited

NAGALAND PULP & PAPER COMPANY LTD.

hmt

R & C

TRIVENI STRUCTURALS LIMITED

हिन्दुस्तान केबल्स

BBJ Kolkata

BBUNL
Bharat Bhari Udyog Nigam Limited

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

Printed by : DPG # 23593541-42